खण्ड-470, अंक-8
गुरूवार, 30 माघ, शक संवत् 1930
(19 फरवरी, 2009 ई0)

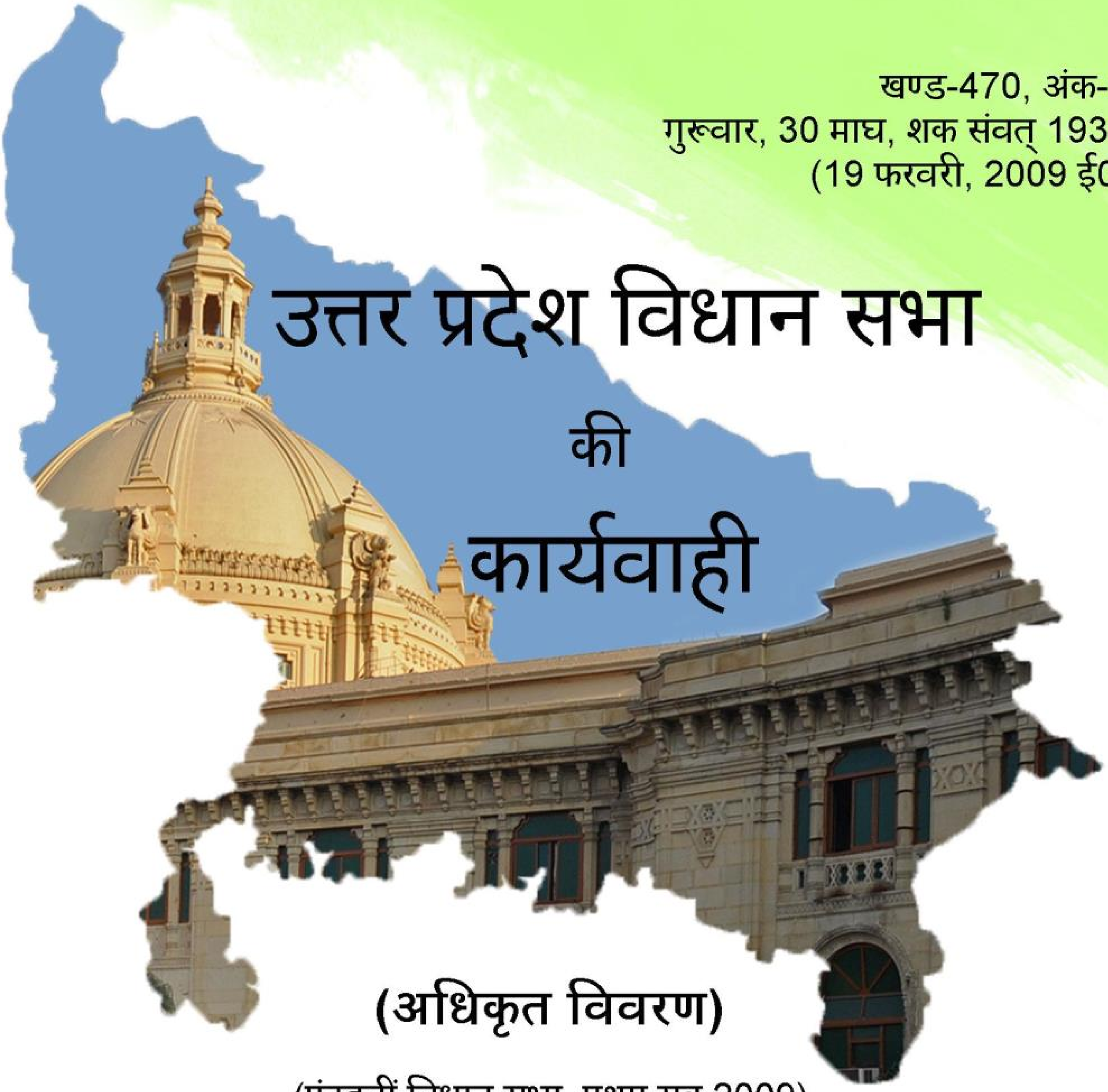

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2009)

खण्ड 470 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2009

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
प्रश्नोत्तर	1-97
श्रीमती विमलेश सिंह, सदस्य, विधान सभा के पुत्र पर हुए प्राणघातक हमले के कारण मा0 सदस्य की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था शीघ्र बढ़ाये जाने का अनुरोध ...	97
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	98
इलाहाबाद नगर में जे0एन0ए0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत बरसात से पूर्व सीवर निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	99
रामपुर की मिलक तहसील में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	99
विराम खण्ड गोमती नगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण के पार्क को अनधिकृत कब्जे से मुक्त करवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	99-100
मुजफ्फरनगर में थाना मन्सूरपुर एवं स्पेशल टीम, पुलिस द्वारा फर्जी इन्काउन्टर किये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	100
सहारनपुर में स्वास्थ्य विभाग में तैनात लिपिक के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमें के अनुसार कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	101
मेरठ जनपद में ग्राम सिसौली विकास खण्ड रजपुरा के मुख्य तालाब की सफाई करवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	101-102
जनपद बलरामपुर में तुलसीपुर तहसील मुख्यालय में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102
गोरखपुर के मानीराम क्षेत्रान्तर्गत लक्ष्मीपुर टोला मछरिया में रोहिनी नदी पर बन रहे अधूरे पुल का निर्माण कार्य पूरा कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102
आजमगढ़ के सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नरवर नन्दाब से दयालपुर तक मंगई नदी की सफाई एवं खुदाई कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	102-103
कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत कप्तानगंज में होटल व्यवसायी की गोली मारकर की गयी हत्या की जांच तथा परिजनों को उचित मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	103
वाराणसी स्थित वधशाला को जनपद के बाहर स्थानान्तरित किये जाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	104

विषय	पृष्ठ-संख्या
आगरा की रामनगर कालोनी की जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	104
मथुरा के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत लालपुर माइनर फीडर के निर्माण की परियोजना की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	105
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें (जारी)	105
अध्यक्ष पीठ एवं शासन स्तर से विधायकों के प्रति शिष्टाचार एवं प्रोटोकाल प्रदर्शित किये जाने के निर्देशों के बावजूद शासन के अधिकारियों द्वारा इनका उल्लंघन करके विधायकों के प्रति शिष्टाचार एवं प्रोटोकाल का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	105-110
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	110
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 119वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	111
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 120वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	111
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2008-2009) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	111
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2008-2009) का पंचम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	111-112
विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	112-114
वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा	114-148
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित)... ...	148-178
पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2007 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा...	179
प्रदेश में स्थित छावनी परिषद् में सांसदों एवं क्षेत्रीय विधायकों को पदेन सदस्य के रूप में नामित किये जाने विषयक श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2007 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा (अस्वीकृत)....	179

विषय	पृष्ठ-संख्या
वाराणसी में कमच्छा क्षेत्र में एक वर्ष पूर्व स्वीकृत शिलान्यासित 220/33 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराये जाने विषयक श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा (अस्वीकृत)... ...	180
प्रदेश के गुर्जरों के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु राजस्थान राज्य की भांति उन्हें 5 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किये जाने विषयक श्री मदन भैया द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा का स्थगन	181
शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु वाणिज्य कर राजस्व के प्राप्त होने वाली धनराशि का 25 प्रतिशत निर्धारित किये जाने विषयक श्री सतीश महाना द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा (संकल्प वापस लिया गया)	181-183
प्रदेश में विद्युत अभाव की समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक ऊर्जा को मुख्य स्त्रोत बनाये जाने विषयक श्री उदयभान करवरिया द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2008 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा (जारी)	183-185
किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली पशुओं जैसे बन्दर, नील गाय, जंगली सुअर आदि के नियंत्रण हेतु प्रभावी कानून बनाये जाने विषयक श्री राम विशुन आजाद का संकल्प (व्यपगत)	185
वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द कराये जाने विषयक श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	186
प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु रोजगारपरक शिक्षा एवं कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दिये जाने विषयक श्री जोखू लाल यादव द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)... ...	186
प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी नीति बनाई जाने विषयक श्री जोखू लाल यादव द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	186
प्रदेश में नील गायों द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने से होने वाली क्षति की रोकथाम हेतु प्रभावी नीति/कानून बनाया जाने विषयक श्री जोखू लाल यादव द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	186

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाई जाने विषयक श्री जोखू लाल यादव द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	187
प्रदेश की फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित जल एवं कचरे को सीधे नदियों एवं नालों में प्रवाहित करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद का नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्ताव (व्यपगत) -	187
प्रदेश में वृक्षों एवं वनों के अवैध कटान रोकने सम्बन्धी कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद का नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्ताव (व्यपगत)	187
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	187-189
जनपद बांदा में चल रहे निर्माण कार्यों में मजदूरी शासनादेशों के अनुसार न दिये जाने एवं मजदूरों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	189-190
जनपद प्रतापगढ़ स्थित थाना संग्रामगढ़ में फायर स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	190-191
जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा में बी0पी0एल0 सूची में नाम संशोधित न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य ...	191-192
जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ में निर्मित आवासों तथा रैन बसेरा में वर्षों से काबिज अनधिकृत अध्यासियों से आवास खाली कराने के सम्बन्ध में श्री अरुण कुमार यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	192-193
प्रदेश के खाद्य निरीक्षकों को अधिकार न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	193-194
आजमगढ़ स्थित बेलहिया के पास नदी पर बने पुल के निर्माण के दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश कुमार सिंह "सीपू" द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री का केवल वक्तव्य...	194-195

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ कैन्ट स्थित बाबूकुंज बिहारी मार्ग पर निर्मित अवैध दीवाल को हटाने एवं सड़क को सकरा होने से बचाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश चन्द्र तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	195-196
लखीमपुर-निघासन मार्ग पर वन विभाग द्वारा अवैध रूप से पथकर 'वसूल किये जाने के सम्बन्ध में डा0 आर0ए0 उस्मानी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन मंत्री का केवल वक्तव्य	196-197
बांदा नगर कोतवाली अन्तर्गत राम किशन प्रजापति एवं अन्य के विरुद्ध पुलिस द्वारा उत्पीड़न की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	197-198
नत्थियां	199-215

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 19 फरवरी, 2009

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-293

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अमरमणि त्रिपाठी, श्री	महराजगंज
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी

उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुबेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदार नाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
ददू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी, चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
नितिन अग्रवाल, श्री	हरदोई
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य' श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी) श्रीमती	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बिमलेश सिंह, श्रीमती	अलीगढ़
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, कठेरिया श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद नावीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूं
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0	कानपुर देहात
रजनी तिवारी, श्रीमती	हरदोई
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रफी अहमद उस्मानी, डा0	लखीमपुर खीरी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूं
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर

लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लालजी टंडन, श्री	लखनऊ
लाल जी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
वृज सिंह उर्फ वृज कुंवरि, श्रीमती	गोण्डा
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शिव गणेश लोधी, श्री	रायबरेली
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेख नसीरउद्दीन सिद्दीकी, श्री	फिरोजाबाद
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, "बन्टी" श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिबगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सी0 एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सी0 बी0 इन्निस, श्री	नाम-निर्देशित
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैयदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हसरत उल्ला, श्री	एटा
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट—भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पंचायती राज व्यवस्था में विभिन्न पदों का चुनाव सीधे आम मतदाताओं से कराने की मांग

**1-डा0 अनिल चौधरी तथा श्री जोखू लाल यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में विभिन्न पदों यथा अध्यक्ष, जिला पंचायत तथा अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत का चुनाव, प्रतिनिधि मतदाताओं की अपेक्षा आम मतदाताओं द्वारा सीधे कराने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा)-

जी नहीं।

उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में सीधे मतदाताओं से निर्वाचन कराने की व्यवस्था नहीं है।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मैं अपने प्रश्न को दोबारा एक बार पढ़ दूं। मैंने पूछा माननीय मंत्री जी से कि क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में विभिन्न पदों यथा अध्यक्ष, जिला पंचायत तथा अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत का चुनाव, प्रतिनिधि मतदाताओं की अपेक्षा आम मतदाताओं द्वारा सीधे कराने पर क्या सरकार विचार करेगी ? उत्तर आ रहा है "जी नहीं।" यानि विचार भी नहीं करना चाहेंगे। उसके बाद पूछा, यदि नहीं, तो क्यों ? उसमें उल्लेख कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में सीधे मतदाताओं से निर्वाचन कराने की व्यवस्था नहीं है। यानि 1961 में कोई कानून बना तो वह फिक्स रहना चाहिए उसको न कभी समयानुसार बदला जाना चाहिए न उस पर विचार करना चाहिए। कुछ ऐसी मंशा आपके उत्तर से दिख रही है और मेरी जो मंशा थी, इस प्रश्न को पूछने के पीछे उससे शायद पूरा सदन सहमत होगा। ब्लाक प्रमुख के चुनाव में और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिस तरह से धन बल का प्रयोग बढ़ता चला जा रहा है और यह चुनाव जिस तरह से सिर्फ एक माफिया और धन पशुओं के लिये रह गये हैं। इन चुनावों की अगर यही हालात हम लोगों ने बनी रहने दी तो आगे आने वाली राजनैतिक पीढ़ी, नई नस्ल जो पैदा होगी उसका क्या चरित्र होगा ?

श्री अध्यक्ष-

आप अपना अनुपूरक करिये। इस पर सुझाव, कमियां भी बतायें।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मेरा पहला यह अनुपूरक है कि क्या इस सदन की एक सर्वदलीय समिति बनाकर इस गम्भीर समस्या पर विचार करने का प्रयास किया जायेगा और पहले से एक चीज और बताऊं त्रिस्तरीय ग्राम सभा में भी ग्राम प्रधान का चुनाव सीधा होता है और उसके सदस्यों का अलग चुनाव होता है। सदस्य ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं करते। इस तरह का प्राविजन कहीं न कहीं एक लेविल पर है तो बाकी दोनों लेविल पर भी उस तरह का प्राविजन कराये जाने के लिये हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। पूरे सदन को यह चिन्ता करनी चाहिए। शासन का रवैया बड़ा

संवेदनशील होना चाहिए और इस पर विचार किये जाने के लिये मैं चाहूंगा कि क्या कोई विधायकों की समिति बनाने पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय विधायकों की समिति बनाये जाने का विचार। आपने जो प्रश्न पूछा उसके परिप्रेक्ष्य में पूरा जवाब आ गया। अनुपूरक कर रहे हैं कि क्या कोई समिति बनाने का विचार है। जब पहले ही कह दिया कि हमारा कोई विचार नहीं है तो फिर समिति बनाने की बात करने का औचित्य क्या है ?

(प्रश्न सं0-2 श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' का नाम पुकारे जाने पर तथा डा0 अनिल चौधरी के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

नहीं नहीं। आप सुनें। जहां स्पष्ट उत्तर आ गया कि क्या आप विचार कर रहे हैं ? सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि नहीं विचार कर रहे हैं अब उस पर समिति बनायेंगे कि नहीं बनायेंगे ? क्या बतायेंगे ? साफ जब कह दिया है।

डा0 अनिल चौधरी-

एक दिन तो वह चला लेता है उसी के दौरान यदि अध्यक्ष का चुनाव करा लिया जाय तब भी भ्रष्टाचार कम हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

वह तो ठीक है, आपका सुझाव, आपकी सोच, आपकी चिन्ता सब ठीक है, लेकिन जितना आपने प्रश्न पूछा उस पर सरकार का जवाब आ गया।

(मंत्री जी के कुछ कहने के लिये खड़े होने पर)

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, एक प्रश्नकर्ता मैं भी हूं।

श्री अध्यक्ष-

चलिये आप भी पूछ लीजिये चलिये, मंत्री जी साथ में ही बता देंगे।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, यह सीधा-सीधा जो सवाल किया गया था माननीय मंत्री जी ने रटा रटाया जवाब दे दिया कि 1961 में जो अधिनियम बना था उसी के आधार पर यह नहीं तैयार हैं। आप जानते हैं मान्यवर, कि माफिया इन चुनावों मे बिल्कुल हावी रहते हैं चुनाव के लिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब कह चुके हैं।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, इसमें आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना है, अभी तो उन्होंने कह दिया कि हम विचार नहीं करेंगे। हमें उनसे आपके माध्यम से कहना है कि क्या मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अभी विचार ही नहीं हुआ तो पुनर्विचार कहां से करेंगे ?

श्री जोखू लाल यादव-

एक विचार तो इन्होंने कर लिया। अब हमारा कहना है कि उस पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

माननीय चौधरी जी और माननीय जोखू लाल जी विद्वान सदस्य हैं। आपकी जानकारी में यह भी होना चाहिए कि इसको यू0 पी0 गवर्नमेंट कर सकती है या केन्द्र सरकार कर सकती है। केन्द्र सरकार ने ग्राम प्रधान के चुनाव में और नगर निकाय के चुनाव में राज्य सरकार से कहा कि आप विधान मण्डल से कानून बनाकर अपने हिसाब से करा सकते हैं। बाकी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में केन्द्र सरकार ने कहा कि जो निर्वाचित सदस्य होंगे उन्हीं के द्वारा अध्यक्ष चुने जायेंगे। अगर इसमे कुछ होना है तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा तब्दीली करनी पड़ेगी। संविधान में अमेन्डमेंट करना पड़ेगा। यह राज्य सरकार का काम नहीं है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में जनता द्वारा चुनाव हो, ये केन्द्र सरकार का काम है।

श्री जोखू लाल यादव-

राज्य सरकार की तरफ से एक पत्र चला जाए।

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

चौधरी साहब सबसे ज्यादा शिकार तो हम ही हुए हैं। इलाहाबाद में जिला पंचायत का चुनाव हुआ। अम्बिका चौधरी साहब भी बैठे हैं कैसे इनका कैन्डिडेट जीता ? और उसके बाद फिर चुनाव हुआ तो सबसे ज्यादा शिकार तो बहुजन समाज पार्टी हुई है इससे ज्यादा शिकार कोई नहीं हुआ है। इस व्यवस्था को सबसे ज्यादा फायदा तो श्री जोखू लाल यादव जी को हुआ। माननीय अध्यक्ष जी सरकार बनने के तुरन्त बाद 11-6-2007 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने चिट्टी लिख दी केन्द्र सरकार को, और यह जवाब आया है माननीय प्रधान मंत्री जी से माननीय पंचायती राज मंत्री जी से।

श्री अध्यक्ष-

पत्र चला गया है बस हो गया। सुझाव देना था वह दे दिया।

(शोर)

एक सदस्य-

अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

कुछ नहीं, अनुपूरक इसमें क्या बनता है ? चौधरी जी आप बतायें ?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि इलाहाबाद में सर्वाधिक नुकसान या परेशानी उनको हुई। मा0 सदस्य ने अपनी पीड़ा अलग से बताई है। मान्यवर, जब इस सदन में दोनों पक्षों और माननीय मंत्री जी की भी स्वयं यह राय है यह व्यवस्था समुचित नहीं है और इन कारणों से प्रतिनिधित्व जिस तरह का होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। पूरे सदन की इसमें एक राय बनती

दिख रही है कि इस पूरी व्यवस्था में कोई गम्भीर खामी है। प्रश्न सिर्फ यह है कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी ? तो इसमें उत्तर नहीं आ रहा है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमको हो रहा है। माननीय सदस्य बता रहे हैं कि यह कठिनाई है। मान्यवर, यह सही है कि 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद क्षेत्रीय पंचायत के लिये जो प्रारूप भेजा गया और प्रारूप को मान्यवर, 1994 में हम लोगों ने यहां पहली बार पारित करने का काम किया था। उस समय मैं सदन का सदस्य था। श्रीमन्, उसमें अगर कोई खामियां रह गई हैं तो यद्यपि संविधान संशोधन का काम भारत सरकार का है लेकिन अनेक अवसर पर हम अपने सदन का दृष्टिकोण भारत सरकार को प्रेषित करते हैं। सरकार इस हेतु क्या कोई बैठक बुला करके और विचार करके इस सदन की इच्छाओं के अनुरूप कोई प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने पर विचार करेगी ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

यह तो हम पहले कह चुके हैं कि चिट्ठी माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले ही लिख दी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैंने चिट्ठी की बात नहीं कही। मेरा प्रश्न है क्या इस सदन से कोई प्रस्ताव करके भारत सरकार से संविधान में संशोधन का आग्रह किया जायेगा ? आप बता दें करेंगे या नहीं करेंगे ? जैसे 16 जातियों को अनुसूचित जाति में जोड़ने के लिये चिट्ठी लिख दी, प्रस्ताव नहीं किया, उसी तरह से इसमें आप धोखा-धड़ी करना चाहते हैं मैं पुनः जानना चाहता हूं क्या इस पर विचार करेंगे ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मा0 अध्यक्ष जी, जैसा कि मा0 चौधरी साहब से कहा कि भारत के संविधान द्वारा उसके लिये व्यवस्था की गयी है और मा0 मंत्री जी ने बताया कि नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के लिये तो हमें अधिकार दिया गया है लेकिन क्षेत्रीय और जिला स्तर के लिए अधिकार नहीं दिया गया है, अपने सदस्यों में से किया जायेगा। सरकार बनने के बाद ही जैसा बताया कि प्रदेश सरकार के द्वारा, मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा यह प्रस्ताव भेजा गया था और वहां से पत्र भी आ गया, पंचायत राज मंत्री जो भारत सरकार है हमारा यह विचार नहीं है कि हम संविधान संशोधन करके इसमें कोई परिवर्तन लायें, बल्कि हम इसको और सुदृढ़ करना चाहते हैं, यह उनका उत्तर आ गया। अब इस उत्तर के परिप्रेक्ष्य में अलग से प्रस्ताव भेजने का औचित्य नहीं है। मेरा चौधरी साहब से यह सुझाव है और हमारी जो चाहत है कि इस देश में जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से उस दिशा में प्रयास किया जायेगा।

प्रदेश की बिजली समस्या के निदान हेतु शासन की कार्य योजना

**2-श्री प्रदीप जैन आदित्य तथा श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई बिजली की समस्या के निदान हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

जी हां।

प्रदेश में बढ़ती हुई बिजली की समस्या मुख्य रूप से बिजली की मांग एवं उपलब्धता के मध्य अन्तर के कारण है। वर्तमान में बिजली की उपलब्धता में वृद्धि के लिये विभिन्न नई तापीय परियोजनाओं के निर्माण एवं प्रदेश में स्थापित तापीय परियोजनाओं की इकाइयों के जीर्णोद्धार/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्य किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन/प्रस्तावित है, जिसका विवरण निम्नवत् है :--

(अ) राज्य क्षेत्र :-

1-2×210 मेगावाट पारीछा तापीय परियोजना का निर्माण कराया गया जिसकी प्रथम इकाई नवम्बर, 2006 से तथा दुसरी इकाई दिसम्बर, 2007 से वाणिज्यिक भार पर आ चुकी है।

2-इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं निर्माण के लिये प्रस्तावित परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है :--

क्र0सं0	परियोजना का नाम	क्षमता (मे0वा0)
1	पारीछा तापीय विस्तार परियोजना (द्वितीय चरण)	2×250
2	हरदुआगंज तापीय विस्तार परियोजना	2×250
3	अनपरा-डी तापीय परियोजना	2×500
4	ओबरा-सी तापीय परियोजना (प्रस्तावित)	2×500

(ब) निजी क्षेत्र

क्र0सं0	परियोजना का नाम	क्षमता (मे0वा0)
1	अनपरा-सी तापीय परियोजना (जनपद-सोनभद्र)	2×500
2	रोजा तापीय परियोजना (जनपद-शाहजहांपुर)	2×300
3	श्रीनगर जल विद्युत परियोजना	4×82.5

(स) भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रतिस्पर्द्धात्मक बिडिंग सम्बन्धी दिशा-निर्देश के आधार पर निजी क्षेत्र में लगने वाली तापीय परियोजनाएं-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	क्षमता (मे0वा0)
1	बारा तापीय परियोजना (जनपद-इलाहाबाद)	3×660
2	करछना तापीय परियोजना (जनपद-इलाहाबाद)	2×660

(द) संयुक्त उपक्रम

क्र0सं0	परियोजना का नाम	क्षमता (मे0वा0)
1	मेजा तापीय विद्युत परियोजना (जनपद-इलाहाबाद)	2×660

क्र0सं0	परियोजना का नाम	क्षमता (मे0वा0)
2	फतेहपुर तापीय विद्युत परियोजना (जनपद-फतेहपुर)-(प्रस्तावित)	2000 मेगावाट
3	ललितपुर तापीय विद्युत परियोजना (जनपद-ललितपुर)-(प्रस्तावित)	4000 मेगावाट

(य) इकाइयों जिन पर नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/जीर्णोद्धार के क्रियान्वित होने के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं :-

क्र0सं0	ताप विद्युत गृह का नाम	इकाई का नाम एवं क्षमता (मे0वा0 में)
1	हरदुआगंज	इकाई सं0 5 (60 मे0वा0) (इकाई सं0 7 (110 मे0वा0)
2	ओबरा "अ"	इकाई सं0 6 (100 मे0वा0)

(र) इकाइयों जिन पर नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/जीर्णोद्धार के कार्य वर्तमान में किये जा रहे हैं :-

क्र0सं0	ताप विद्युत गृह का नाम	इकाई का नाम एवं क्षमता (मे0वा0 में)
1	ओबरा "अ" 5×50 मे0वा0	इकाई सं0-1 (50 मे0वा0) इकाई सं0-2 (50 मे0वा0)
2	ओबरा "ब" 5×200 मे0वा0	इकाई सं0-9 (200 मे0वा0)
3	अनपरा "अ" 3×210 मे0वा0	3×210 मे0वा0

(ल) इकाइयों जिन पर नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/जीर्णोद्धार के कार्य ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित हैं :-

क्र0सं0	ताप विद्युत गृह का नाम	इकाई का नाम एवं क्षमता (मे0वा0 में)
1	पारीछा	110 मे0वा0 क्षमता की इकाई सं0 1 व 2 की जीर्णोद्धार योजना।
2	हरदुआगंज	इकाई सं0 7 की क्षमता को 110 मे0वा0 से 120 मे0वा0 किये जाने की आपरेटिंग योजना।
3	पनकी	110 मे0वा0 क्षमता की इकाई सं0-3 व 4 की आपरेटिंग (120 मे0वा0) योजना।
4	ओबरा 'अ'	110 मे0वा0 क्षमता की इकाई नं0 7 व 8 के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य।
5	अनपरा 'अ'	210 मे0वा0 क्षमता की इकाई सं0-1, 2 व 3 की जीर्णोद्धार योजना।
6	अनपरा 'ब'	500 मे0वा0 क्षमता की इकाई सं0-4 व 5 की नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण योजना।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह जवाब अधूरा है। मान्यवर, इसके तीन पार्ट होते हैं, एक तो प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। जो जवाब आया है, जवाब में केवल उन्होंने प्रोडक्शन के बारे में बताया है और प्रोडक्शन की भी यह स्थिति है, हम झांसी के रहने वाले हैं, वहां पारीक्षा थर्मल पावर में 110-110 मेगावाट की दो इकाइयां और 210-210 मेगवाट की दो इकाइयां हैं, इन 640 मेगावाट के सापेक्ष में कभी 400 मेगावाट का उत्पादन होता है, कभी 350 मेगावाट का होता है और बिजली की स्थिति प्रदेश में यह है कि आज बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं, बिजली रहती नहीं है। हम जब झांसी जाते हैं, ढाबे पर लाइट होती नहीं, लाइन लॉस होता रहता है। मान्यवर, मंत्री जी ने उत्पादन के बारे में तो बताया है, उत्पादन में हमें कितना लाइन लॉस हो रहा है ? जो उत्पादन है, जो इकाइयां चालू हैं, उसमें कितनी हानि हो रही है और उससे प्रदेश को कितनी बिजली मिल सकती थी ? जितनी भी इकाइयां पूर्ण क्षमता से स्थापित हैं, उनसे कितनी विद्युत उत्पादित हो रही हैं और जो विद्युत उत्पादित नहीं हो रही है, उससे कितना नुकसान हो रहा है ? दूसरा हमारा सवाल यह है कि भारत सरकार ने एक परमाणु करार किया है क्योंकि आने वाले समय में कोयले की कमी होना है और पानी भी प्रकृति पर निर्भर है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को परमाणु विद्युत गृह के लिये कोई पत्र लिखा है या उस पर कोई कार्यवाही करेगी ? तीसरा हमारा सवाल है कि जो वर्तमान में जल विद्युत गृह बुन्देलखण्ड के अन्दर, माताटीला के अन्दर है, एक सर्वे हुआ था, 250-250 मेगावाट की दो इकाइयां और उपमा-दुपमा के अन्दर 15-15 मेगावाट की दो इकाइयों के लिये पिछले सत्र में मा0 मंत्री जी ने कहा था वह कब से प्रारम्भ हो जायेंगी। चौथा सवाल, पिछली बार सरकार ने आश्वासन दिया था कि बुन्देलखण्ड को कटौतीमुक्त रखेंगे ? कम से कम 20 घण्टे बिजली देंगे मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसको बता दें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, माननीय जैन साहब ने 4-5 बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहा है। पहला इन्होंने कहा है कि प्रोडक्शन तो करने जा रहे हैं लेकिन ट्रांसमिशन की तरफ हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं। उसके बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि अब हमारी जो वर्तमान में क्षमता है मात्र 4 हजार 32 मेगावाट की और हमारा उत्पादन करीब 3000 से लेकर 3200 मेगावाट तक है और जहां तक ट्रांसमिशन की बात है आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने चौथी बार मुख्य मंत्री बनने पर दिशा निर्देश दिये कि हमें 10 हजार मेगावाट के पावर हाउस उत्तर प्रदेश में लगाने हैं। इसी पंचवर्षी योजना में उत्तर प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में स्वालम्बी हो जाए उसके लिये तेजी से काम करना है। मान्यवर, हमारा अब तक जो जितना पावर जनरेशन है सेन्ट्रल सेक्टर और उत्तर प्रदेश के पावर हाउस से, वह करीब 6300 मेगावाट बिजली मिलती है लेकिन इसी पंचवर्षी योजना में लगभग 11 हजार 972 मेगावाट और उत्पादन करने जा रहे हैं जिसमें हम मान्यवर, 4000 मेगावाट के पावर हाउस लगा चुके हैं और बाकी 3300 मेगावाट का पावर हाउस मैं समझता हूं कि उसमें 6 महीने में उसका शिलान्यास हो जायेगा, काम शुरू हो

जायेगा। कार्यवाही पूरी हो चुकी है, कोयले की व्यवस्था माननीया मुख्य मंत्री जी करा चुकी हैं बाकी पानी की व्यवस्था हो गयी है। तो काम प्रोडक्शन की तरफ बहुत तेजी से चल रहा है। जहां तक ट्रांसमीशन की बात है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि अब तक हमारी ट्रांसमीशन की क्षमता 34 हजार 710 एम0वी0ए0 की है इसे बढ़ाकर 4 वर्ष में 49 हजार 332 एम0वी0ए0 करने जा रहे हैं और मान्यवर, इनको यह भी आश्चर्य होगा कि इसको 34 हजार 710 से बढ़ाकर इसको 84 हजार 42 एम0वी0ए0 करने जा रहे हैं जिस पर करीब 22 हजार करोड़ खर्च आयेगा। तो इधर हम प्रोडक्शन भी बढ़ायेंगे और ट्रांसमिशन लाइन को भी मजबूत करेंगे। मान्यवर, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था है उसको भी हम मजबूत करने जा रहे हैं उसके लिये 38 हजार 800 एम0वी0ए0 बनाने के लिये तैयार हैं। उस पर करीब 30,000 करोड़ रुपये खर्च होगा। तो मान्यवर, बिजली की स्थिति को सुधारने के लिये प्रदेश में युद्धस्तर पर काम चल रहा है। हम 4000 मेगावाट के पावर हाउस लगा चुके हैं 6000 के और लगाने जा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जहां तक तुरन्त बिजली की बात है, कहीं से बिजली हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हमने हिमांचल से 8 रुपये प्रति यूनिट में बिजली ली। जहां तक विद्यार्थियों की बात है तो पहली मार्च से ही विद्यार्थियों को पूरी बिजली देंगे। कोई शिकायत प्रदेश में नहीं आने देंगे यह व्यवस्था हम करेंगे।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, जो परमाणु करार भारत सरकार ने किया। मान्यवर, कोयला हमारा खत्म होने वाला है। हमारा जो सर्वे है 20 साल बाद हमारे पास कोयला नहीं रहेगा। पानी की कमी रहेगी। तो हम सिर्फ राजनीतिक आधार पर उनसे समझौता नहीं करें पर आने वाले 10-15 सालों में उत्तर प्रदेश की जनता हमें माफ नहीं करेगी। और जो दूसरे राज्य चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, जो हमारा यूरेनियम के लिये एन0एस0जी0 से समझौता हुआ, जो यूरेनियम हमें फ्रांस दे रहा है उसके लिये उसी तरह से हमारी तरफ से पहल नहीं हो रही है। जैसे नैनो की फैक्ट्री बंगाल से गुजरात चली गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश सरकार भारत सरकार से पहल करेगी कि परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाये। मैंने सीधा सा एक सवाल पूछा है उसमें विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कहां पत्र लिखा जा रहा है ? अभी परमाणु करार कैसे है ? तब तक इधर डिमांड शुरू कर दें कि उत्तर प्रदेश में ही अभी बनाया जाये। बाद में निर्णय ले लीजियेगा। आप सब कुछ कर सकते हैं आप सक्षम है।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें मैं छोटे-छोटे तीन प्रश्न करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी यह बतायें कि अब तक दो वर्ष सरकार बने हुए हो गया है तो अब तक इन योजनाओं में आज तक की क्या प्रगति है और दूसरा यह कि यह सारी योजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी जिससे प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। तीसरा छोटा सा प्रश्न यह है

कि आगामी गर्मी के महीने में जो अभी गर्मी आ रही है उसके लिए अतिरिक्त बिजली की क्या व्यवस्था सरकार ने की है और चौथा क्या गोरखपुर इलाके में भी कोई तापीय विद्युत उत्पादन योजना लगाने की माननीय मंत्री जी की योजना है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी जो विद्युत उत्पादन केन्द्र बना रहे हैं, उसमें क्या प्रगतियां है ? किस स्तर पर हैं ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, पारीक्षा जो 500 मेगावाट का बनाया जा रहा है वह 2009-2010 तक आ जायेगा और हरदुआगंज भी 2010-2011 तक पूरा हो जायेगा, अनपारा-डी मान्यवर 2011-2012 तक पूरा हो जायेगा, ओबरा-सी जो प्रस्तावित है उसका काम हम शुरू करेंगे 2010 में करीब और अनपारा-सी मान्यवर, 2010-2011 में पूरा हो जायेगा, रोजा मान्यवर, 2009-2010 में आ जायेगा, श्रीनगर 2010-2011 में आ जायेगा।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, हमने बुन्देलखण्ड में टकुआ की बिजली व्यवस्था के सम्बन्ध में आपसे सीधा प्रश्न किया था।

श्री रामवीर उपाध्याय-

टकुआ के बारे में मान्यवर मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है और बहुत जल्दी हम इसको करने जा रहे हैं।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, एक बात और जो पिछली बार आपने घोषणा की थी बुन्देलखण्ड में सूखे को देखते हुए आपने कहा था कि कटौती मुक्त रखा जायेगा और कम से कम 20 घण्टे तो वह आपसे कृपा चाहते हैं कि उसको आप करा दें।

श्री अध्यक्ष-

उत्पादन बढ़ रहा है, जल्दी ही हो जायेगा।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

माननीय मंत्री जी आप बता दीजिए बुन्देलखण्ड के साथ आपका क्या व्यवहार है ?

श्री अध्यक्ष-

अगर उत्पादन बढ़ेगा जैन साहब तो आपको पूरा चौबीस घण्टे के लिए कर देंगे।

श्री यशपाल सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विषय बड़ा सीधा और एक बड़े तबके से जुड़ा है, माननीय मंत्री जी ने समस्या निदान की बात कही, तो मैं पूछना चाहता हूं कि किसानों को बिजली नहीं मिल पाती और बिल देने पड़ते हैं तो क्या सरकार की कोई ऐसी नीति है कि किसानों को बिल मुक्त करेगी और उन्हें 18 घण्टे बिजली देगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, जिस तरह से आदरणीय मुख्य मंत्री जी पावर हाउस लगाने के लिए हमको प्रोत्साहन दे रही हैं, पैसा दे रही हैं और हर महीने इसकी समीक्षा भी कर रही हैं हम चार वर्ष में इतने पावर हाऊस लगा देंगे कि हम 18 नहीं 24 घण्टे बिजली, किसान को भी, मज़दूर को भी, व्यापारी को, उद्योगपति को पूरे प्रदेश को बिजली उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

हां ठीक है, समाधान योजना चला देंगे आप।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड के साथ माननीय मंत्री जी का पता नहीं क्या रवैया है, 5, 6 घण्टे, 8 घण्टे बिजली मिल रही है वहां पर तो उस पर हम माननीय मंत्री जी से चाहते हैं कि कोई आश्वासन दे दें कि हम वहां पर इतने घण्टे बिजली देंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, अभी 15 फरवरी से हम को झारखण्ड से भी कुछ बिजली मिल गई है, हालांकि मिली तो बहुत मंहगी है, तो हम बहुत जल्दी ही 10-5 दिन में ही पूरी व्यवस्था ठीक करने जा रहे हैं। बुन्देलखण्ड को भी ठीक कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बुन्देलखण्ड को ठीक करना बहुत जरूरी है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न में कहा कि चार साल में 24 घण्टे बिजली दे देंगे। मान्यवर, चार साल 24 घण्टे बिजली देना बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो इस सदन में आई है और माननीय मंत्री जी के द्वारा आई है और उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उनका समर्थन भी कर रहे हैं। मान्यवर, इन चार वर्षों के अन्तर्गत कितनी बिजली है कि तीन साल आपकी सरकार के बाकी हैं और चार साल में दे देंगे। कौन से ऐसे पावर प्लाण्ट हैं जो तत्काल दो साल के अन्तर्गत, तीन साल के अन्तर्गत चालू होना शुरू हो जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

महाना साहब, अभी वहीं पढ़ कर बताये हैं कि यह-यह हमारी परियोजनाएं हैं और इतने दिन में पूरा हो जायेंगी, हमारा उत्पादन बढ़ जायेगा और विद्युत समस्या हल कर लेंगे।

श्री सतीश महाना-

तो मान्यवर, यह चार साल में पूरे प्रदेश को 24 घण्टे बिजली दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अरे आप तो हमसे ऐसा जवाब तलब कर रहे हैं कि अब हम क्या बतायें ? माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि हमारी इतनी परियोजनायें हैं जो फलाँ-फलाँ वर्षों में पूर्ण हो जायेंगी। मंत्री जी बता रहे हैं कि हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता इतने मेगावाट हो जायेगी। वह एश्योर कर रहे हैं कि विद्युत आपूर्ति की जितनी आवश्यकता है उसको पूरा कर देंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जो निर्धारित, निश्चित और सुनिश्चित है कि आने वाला युग परमाणु से विद्युत उत्पादन करने वाला युग होगा।

श्री लालजी वर्मा-

अमेरिका जिस तरह से कर रहा है।

श्री प्रमोद तिवारी-

अमेरिका ही नहीं मान्यवर, जापान, चीन, फ्रांस, इंग्लैण्ड यह सभी देश कर रहे हैं। आप दिल्ली जाना चाहते हैं लेकिन दिल्ली के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है।

मान्यवर, आज विश्व ऊर्जा उत्पादन के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सूर्य की तरफ देख रहा है, वहीं परमाणु दूसरा सबसे बड़ा स्रोत होगा, संसाधन होगा। बहुत से राज्यों ने इसके लिए केन्द्र सरकार में आवेदन किया है। मान्यवर, क्या आने वाले दिनों में प्रदेश को ऊर्जा उत्पादन में सक्षम बनाने के लिए कोई कार्य योजना आपकी है ? मान्यवर, परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में नरोरा पहले से ही है, लेकिन इधर राजस्थान आदि राज्यों ने इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि उनके यहां परमाणु ऊर्जा के लिए भट्टियां लगायी जायें। क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को देखते हुए और जो उत्पादन और वितरण के बीच में गैप है, उसको दृष्टिगत रखते हुए, इस दिशा में आपका कोई प्रयास है ? मेरे सुझाव को स्वीकार करते हुए क्या आप भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय से इस बारे में वार्ता करेंगे कोई पहल करेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, राज्य सरकार ने भारत सरकार से यहां परमाणु ऊर्जा गृह स्थापित करने के लिए अनुरोध किया है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रमोद तिवारी जी से कि वे हमारी वहां पर मदद करें।

मान्यवर, महाना जी को और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को आश्चर्य हो रहा था कि चार वर्ष में यह सब कैसे हो जायेगा ? मान्यवर, यह उनको इसलिए होता है कि जब इनकी यहां पर सरकार थी 1992 में और जब माननीय कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे, तब 13 फरवरी, 1992 को ऊंचाहार पावर हाउस को एन0टी0पी0सी0 को 925 करोड़ रु0 में बेच दिया वह 440 मेगावाट का था। आज उसका पी0एल0एफ0 92 प्रतिशत और 95 प्रतिशत है। इसके बाद 14 जनवरी, 2000 की बात बता दूं माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्य मंत्री थे, उस समय 410 मेगावाट का टांडा का विद्युत गृह 800 करोड़ रु0 में बेच दिया। अब इनको इन सब बातों को देखने के बाद आश्चर्य होता है कि प्रस्तावित पावर हाउस कैसे लग जायेंगे। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि पारीक्षा में 500 मेगावाट पर, हरदुआगंज में 500 मेगावाट पर काम चल रहा है और हर महीने इसकी समीक्षा बैठक होती है। आनपारा सी, और डी पर काम चल रहा है। मेजा, इलाहाबाद में 1320 मेगावाट की परियोजना है वहां पर एन0टी0पी0सी0 ने अपनी बिल्डंग भी बना ली है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, बताया गया कि पावर हाउस बेंच दिये गये तो क्या एक मेगावाट का उत्पादन भी बढ़ाया।

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, एक मेगावाट का भी पावर हाउस उन्होंने नहीं लगाया। मान्यवर, जब माननीया बहन मायावती जी तीसरी बार मुख्य मंत्री बनीं तो उन्होंने 210-210 मेगावाट की दो यूनिटों का परीक्षा का झांसी में, 30-11-2002 को शिलान्यास किया और जब चौथी बार बनीं तो 2007 में उसका लोकापर्ण भी किया। मान्यवर, बहन मायावती जी ने पावर हाउस लगाने के लिए कार्यवाही की है और परमाणु ऊर्जा के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। यदि वह विद्युत गृह स्थापित हो जायेगा तो निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन जिस तरह से परियोजनाओं पर काम चालू किया गया है यह आशा है कि आगामी चार साल में उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से स्वावलम्बी होगी ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में। इसमें आप सबका सहयोग चाहिये। बहन मायावती जी इस कार्य में लगी हुई हैं और, कम से कम 1000 मेगावाट या 1500 मेगावाट हम निर्यात भी कर सकेंगे, बेचने लगेंगे।

आज कहते हैं, सभी माननीय सदस्य इस बात को कहते हैं कि बिजली आज चाहिए तो पावर हाउस लगाने के लिए, छोटा सा मकान हम बनाते हैं उसको बनने के लिए 6 महीने की जरूरत पड़ती है, पावरहाउस लगाने के लिए 36 महीने से लेकर 40 महीने लगते हैं तापीय परियोजना को स्थापित करने में। माननीय तिवारी जी इसके मंत्री रहे हैं वह अच्छी तरह से जानते हैं इसको। तो समय लगेगा 4 साल लगेंगे इसमें और इतना ही नहीं हम तो ट्रांसमिशन लाइन को भी मजबूत करने जा रहे हैं दुगनी तिगुनी करने जा रहे हैं, डिस्ट्रब्यूशन को भी मजबूत करने जा रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

यह जो परमाणु विद्युत गृह के लिए आपने आवेदन किया है तो यह कब किया है और किन-किन स्थानों पर किया है ? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आज बिजली की खराब स्थिति इसीलिए है कि अगर ऊँचाहार न बेचा जाता और टांडा न बेचा गया होता तो हम शायद थोड़ी बेहतर स्थिति में होते क्योंकि नये जो ताप गृह होते हैं उनका प्लांट लोड फैक्टर ज्यादा होता है और यह 95 प्रतिशत तक ऊँचाहार चल रहा है जबकि पुराने हमारे 40 और 50 पी0एल0एफ0 पर चल रहे हैं। मैं सिर्फ एक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि आपने परमाणु ऊर्जा से संचालित विद्युत गृह बनाने हेतु किन स्थानों के लिए अनुरोध किया है और कब किया है ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर, इसके प्रस्ताव की कापी माननीय तिवारी जी को भिजवा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

उनको देना भी जरूरी है क्योंकि वही तो लेकर के जायेंगे वहां।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो प्रश्न पूछा है वह उन्होंने कोई निजी जानकारी के लिए नहीं पूछा है। उन्होंने पूछा है सदन के माध्यम से प्रदेश की जानकारी के लिए प्रश्न पूछा है इसलिए व्यक्तिगत रूप से प्रमोद तिवारी जी को दिला देने से यह काम नहीं होना है। माननीय मंत्री जी के पास अगर यह जानकारी है तो सदन को दे दें, इसमें कठिनाई क्या है ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

मान्यवर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष-

वह सूचना दे देंगे, इस समय सूचना है नहीं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, वह ताकते जो परमाणु करार का विरोध कर रही थी कम से कम उसके लिए पावर हाउस मांग रही है इसके लिए बधाई आपको।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा है कि जन्मने के बाद ही जन्म दिन मनाया जाता है। अभी लड़का नहीं जन्मा है तो किस के लिए जन्म दिन मनाते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, बहुत लोगों के यहां जन्म होता है और खुशी पड़ोस में मनाई जाती है, वही हालत है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

*1-श्री सुनील शर्मा-

*1-[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

तारांकित प्रश्न-नत्थी (ग)

उत्तर प्रदेश में कृषि नीति का निर्धारण

*1-डा0 अनिल चौधरी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार की क्या कोई कृषि नीति निर्धारित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो सरकार कृषि नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

जी हां। उत्तर प्रदेश की कृषि नीति-2005।

उत्तर प्रदेश की कृषि नीति, 2005 में 4 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु कृषि नीति में प्रतिपादित सप्त क्रान्ति-प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबन्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता, बीज प्रबन्धन, विपणन, मशीनीकरण एवं शोध तथा कृषि विविधीकरण पर विशेष बल देते हुए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, प्रदेश की 75 फीसदी आबादी देहात में रहती है और लगभग 60 फीसदी आबादी रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है और कृषि क्षेत्र प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में 28 फीसदी का अपना योगदान भी रखता है। इसलिए इस प्रश्न को उठाया गया है क्योंकि देखने में यह आता है कि योजनाएं बनती हैं नीतियां बनती हैं। इस वर्ष भी सरकार ने यह संकल्प लिया है बजट में कि 3 वर्ष के अन्दर हम कृषकों की आय को दुगना कर देंगे लेकिन देखने में यह आ रहा है कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता, उसको समय पर खाद नहीं मिल पाती, उसकी सिंचाई की व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं इसके लिए सरकार की केवल आरोप की बात कही है आपकी ही सरकार में नहीं बल्कि पिछली सरकारों में भी कोई बहुत ज्यादा ध्यान देहात और कृषि की तरफ नहीं दिया गया है। आपने जो यह नीति 2005 की बताई है आपके उत्तर में है कि यह 4 प्रतिशत विकास दर को प्राप्त करने के लिये वर्ष 2005 में कृषि नीति बनी है। गत वर्ष का जो आपका बजट था उसमें आपने यह स्वीकार किया था कि हम खेती की विकास दर को 5.8 प्रतिशत तक ले जाने का प्रयास करेंगे। एक नीति जो 4 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने के लिये घोषित हुयी थी और आज अगर हम संकल्प लेते हैं कि हमें 5.8 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करना है तो निःसंदेह उस नीति में कोई न कोई बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। मेरा पहला अनुपूरक यही है कि क्या इस कृषि नीति पर पुनर्विचार कर नई कृषि नीति बनाने का प्रयास सरकार करेगी ?

मेरा दूसरा अनुपूरक है मान्यवर, कि यह जो कृषि नीति है यह मोटे-मोटे तौर पर पूरे प्रदेश के लिये बनाई गयी है और मेरा यह मानना है और कृषि मंत्री जी का गांव है सारसौली और मेरा गांव सालेह एक ही जिले में है, लेकिन दोनों की परिस्थितियों में अन्तर है। सारसौली में वाटर लॉगिंग एरिया है और हमारा गांव खारे पानी की समस्या से ग्रस्त है। बगल-बगल के दो गांव भी ऐसे होते हैं जिनमें फसलों का अन्दाज भी बदल जाता है। एक गांव में ईख पैदा हो सकती है, धान लगाया जा सकता है लेकिन उसी में 2 किमी0 या 5 कि0मी0 बाद के गांव में यह परिस्थितियां नहीं बनती, वहां केवल सरसों की बुवाई हो सकती है। मेरा दूसरा अनुपूरक इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या एरिया बाउन्डिंग कृषि नीति बनाने, क्षेत्रीय ग्राम सभा को यूनिट मानते हुए कृषि नीति निर्धारित करने की सरकार कोशिश करेगी ? प्रत्येक ग्राम सभा के लिये अलग कृषि नीति बनाई जाये।

मेरा तीसरा अनुपूरक एक और है। आज ही के एजेन्डे में मेरा अतारांकित प्रश्न संख्या-67 है, उसमें उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि मृदा परीक्षण के आधार पर कृषकों को उर्वरकों की उपलब्धता औचित्यपूर्ण है। मैं बिल्कुल इस चीज से सहमत हूं और इस सदन में बहुत बार यह प्रसंग आते रहते हैं कि डी0ए0पी0 नहीं मिल रही और यूरिया नहीं मिल रही। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमारे आंकड़ों के हिसाब से कहीं कमी नहीं है। माननीय सदस्य कहते हैं कि कमी है। मेरी समझ में एक चीज और आती है कि मृदा परीक्षण आपने कराने का निर्णय लिया किसान को हेल्थ कार्ड उसकी खेती में देने का निर्णय लिया। निःसंदेह यह प्रशंसनीय कार्य है लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ दें आप उसे अनुपूकर समझ लीजिये या सुझाव समझ लीजिये कि जब उसको हेल्थ कार्ड दें तो उसमें उसके रकबे का बयान भी करें और उसको उसके हिसाब से कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फेट मिलना चाहिये सहकारी समिति को कृषि सहायक द्वारा यह सुझाव वह भी उल्लिखित हो जाये तो किसान की जो बेजा आदत है कि पड़ना चाहिये 10 किलो बीज और वह डाल रहा है 50 किलो बीज तो वह छूट जायेगी और मृदा का स्वास्थ्य भी बचा रहेगा। क्या इसके लिये सरकार सुनिश्चित करेगी कि आपका कृषि सहायक इस बात के लिये यह उल्लेख करे, तभी किसान को उतना उर्वरक मिल पाये ?

मान्यवर, मैं एक और अनुपूरक करना चाहता हूं कि नहरों की अगर लाइनिंग कर दी जाये उनको पक्का कर दिया जाय क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि हेड एण्ड पर वाटर लॉगिंग रहती है और टेल एण्ड पर सूखा रहता है। क्या ऐसा प्रस्ताव किया जा सकता है कि सभी नहरों की लाइनिंग को क्रमशः ले लिया जाय और हेड एण्ड के कम से कम आधे तक उसको पक्का कर दिया जाय तो पानी का बैलेन्स बन जायेगा इससे हेड पर वाटर लॉगिंग समाप्त हो जायेगी और टेल एण्ड तक पानी पहुंचना शुरू हो जायेगा।

मान्यवर, मेरा एक और अनुपूरक है जो केमिकल पेस्टीसाइड्स है, उन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाये जिससे कीटनाशकों के कारण जो देहात में मृत्यु हो रही है और किसान के मित्र कीटाणु केंचुए वगैरह यह समाप्त हो रहे हैं, उनका विनाश रुक सके।

एक अनुपूरक और है कि क्या सरकार कोई ऐसी योजना लाने का विचार करेगी कि किसान को हर सूरत उसकी उपज पर 50 प्रतिशत मुनाफा देते हुए उसकी उपज का मूल्य मिले ? धन्यवाद।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, एक तो मा0 चौधरी साहब ने अपने प्रश्न में ग्राम आइज कृषि नीति बनाने की बात कही थी तो मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती जी की तो एक ही नीति रहती है वह कभी दो नीति की बात करती ही नहीं है इसलिए प्रदेश में इतनी कृषि नीति बनायी जाये यह तो सम्भव ही नहीं है। जहां तक उन्होंने कृषि नीति में कोई परिवर्तन करने की बात कही तो मान्यवर, जो भी आवश्यकताएं होती हैं, यह जो सप्त क्रान्ति है, इस सप्त क्रान्ति का अर्थ है

इसमें सिंचाई जल प्रबन्धन है, मृदा स्वास्थ्य है, कृषि बीज प्रबन्धन है, कृषि विविधीकरण है, विपणन है, मशीनीकरण है, ये सात इसके मुख्य सूत्र हैं इसमें समय-समय पर जो भी आवश्यकता होती है, जैसे कि अभी आवश्यकता समझी गई तो मृदा परीक्षण कराया गया, 20 लाख से ज्यादा नमूने लिये गये और यह आवश्यकता महसूस की गई कि जमीन में, मृदा में कैल्शियम कम है, जिंक सल्फेट कम है, हरी खाद जरूरी है तो इस तरह से हम इन योजनाओं को इसमें बढ़ाते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं अभी बहन मायावती जी ने घोषणा की है और जिंक सल्फेट और इन 90 प्रतिशत की छूट दी है। मान्यवर, इस तरह से जो मृदा स्वास्थ्य कमजोर होता जा रहा है उस मृदा स्वास्थ्य को बनाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जहां तक प्रचार-प्रसार का सवाल है, मान्यवर, 52 हजार हमने किसान-मित्र रखे हुए हैं जो किसानों को यही बताते हैं कि आपकी जमीन में नाइट्रोजन कम है, कैलिशयम कम है या कौन सा तत्व कम है और मान्यवर, इसी तरह 2345 किसान विद्यालय भी हमने इस वर्ष स्थापित किये हैं, हमारा लक्ष्य है कि इसी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर किसान विद्यालय हम स्थापित कर देंगे। जो आपने अलग-अलग क्लाइमेटिक जोन की बात कही थी, उन अलग-अलग क्लाइमेटिक जोन में 9 जोन हमारे यहां हैं। पांच-पांच दिन के हमने कृषि के वृहद मेले आयोजित किये हैं उनमें हम पूरे देश से वैज्ञानिक बुलाते हैं और जिस क्लाइमेटिक जोन में मेला होता है उसके आधार पर ही किसानों को वह जानकारी देते हैं तो इस प्रकार से भी हम उन्हें जानकारी देते हैं। आपने अभी एक बात यह कही थी पेस्टीसाइड बन्द करने की, मान्यवर, यह इसलिए सम्भव नहीं है क्योंकि हमारी फसलों में इतने रोग आ चुके हैं कि बगैर पेस्टीसाइड के आज के इस युग में काम चलना बिल्कुल संभव नहीं लगता है। हालांकि मृदा स्वास्थ्य इतना कमजोर हो गया है कि पंजाब में किसान दो बार धान की फसल लेता था लेकिन इस बार पंजाब सरकार ने इस पर रोक लगा दी और कहा कि यदि कोई भी किसान दो बार धान की फसल लेता है तो उसे 6 महीने की सजा दी जायेगी। तो मान्यवर, मृदा स्वास्थ्य कमजोर होता जा रहा है, पेस्टीसाइड से कमजोर हुआ है इसलिए हमने और माननीया मुख्य मंत्री जी ने जैविक खादो में छूट देने के लिए और जैविक खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो इसके लिए हमें निर्देश दिये हैं और 15 मई से 15 जून तक किसान महोत्सव के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के जन-जागरण का हमने प्रोग्राम बनाया है, इसके द्वारा उनको समस्त जानकारी दी जायेगी।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 कृषि मंत्री जी से केवल एक प्रश्न का उत्तर जानना चाह रही हूं कि प्रदेश में जिप्सम और जिंक के बारे में दिया गया है कि उसका अनुदान 50 प्रतिशत से बढ़ा करके 90 प्रतिशत कर दिया गया है ऐसा अभी आपने कहा भी है तो मान्यवर, क्या डी0ए0पी0 और यूरिया के बारे में कुछ ऐसा ही किया गया है ? यदि कुछ अनुदान है तो कितना है और क्या आपने कुछ बढ़ाया है और यदि नहीं बढ़ाया है तो क्या आगे बढ़ाने की कोई योजना है ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि डी0ए0पी0 और यूरिया पर केन्द्र सरकार अनुदान देती है राज्य सरकार अनुदान नहीं देती है। वह उनकी नीति के अन्तर्गत आता है यहां राज्य सरकार का इस पर कोई अनुदान नहीं है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार दे सकती है। अगर राज्य सरकार नहीं देती है तो दे सकती है या केन्द्र सरकार ने मना किया है। अगर मना न किया हो तो दे दीजिए। हम लोगों को बता दीजिए। यदि मना किया है तब तो कोई बात ही नहीं है। मान्यवर, सबसे ज्यादा जरूरत डी0ए0पी0 और यूरिया की होती है, जिप्सम तो बंजर जमीन को उर्वरक बनाने के लिये प्रयोग की जाती है। डी0ए0पी0 और यूरिया का प्रयोग सारे क्लाइमेटिक जोन में हो रहा है इसलिए अगर केन्द्र सरकार नहीं भी दे रही है तो आप दे दीजिए क्योंकि आपका इतना बड़ा बजट है।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में जो खाद पर वैट था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। जहां तक मेरी जानकारी है पूरे देश में किसी भी राज्य में राज्य सरकार की ओर से डी0ए0पी0 और यूरिया पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है, केवल केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

आपने बताया कि बहुत से राज्यों में सब्सिडी नहीं दी जा रही है, अगर आप सब्सिडी देंगे तो यह कोई खराब काम थोड़े ही है। कोई जरूरी है कि आप सबसे पीछे चलें। आप उत्तम प्रदेश बनाने जा रहे हैं तो आप पहल कीजिए बाकी राज्य आपका अनुसरण कर लेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर आपकी अनुमति हो तो कुछ इसमें जोड़ दूं।

श्री अध्यक्ष-

जोड़ने वाला काम करते तो अच्छा रहता लेकिन आप तो कुछ और करने लगते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, बहुत से राज्यों में जो काम नहीं होता है वह आपके राज्य में होते हैं। बहुत सी जगहों पर जो कुछ सम्भव नहीं है वह आप करते हैं तो अगर जिस तरह से मा0 सदस्य कह रही हैं उस पर आपका न कहना पूरे सदन को अखर रहा है। वह यही तो कह रही है कि किसानों को मिलने वाली जो रसायनिक उर्वरक है उसमें थोड़ी सी सब्सिडी दे दें। अपने लिए कह नहीं रही है किसानों को सब्सिडी देने के लिए अनुरोध किया है। मान्यवर, आप अगर इधर बैठे होते तो हां कर चुके होते। लेकिन कुछ पत्थर दिल इन्सान आ जाते हैं। आप विचार कर लीजिएगा। वह किसानों के लिए मांग रही है, अगर आप न करेंगे तो

मेरी धारणा आपके प्रति बदल जायेगी। आपने बहुत से असम्भव कार्य किये हैं, लोगों के तो एक-दो नहीं होते हैं, आपके तो ग्यारह-ग्यारह बच्चे हैं, कुछ मंत्रियों के एक बच्चा है और कुछ के तो एक भी नहीं है। आप न कहें यह कौन सी बात हुई, आपकी क्षमता विकराल है।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, आप इनकी क्षमता का प्रयोग कहां कराना चाहते हैं ?

(हंसी)

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से सुझाव के रूप में कुछ बातें कहना चाहता हूं। आज ही समाचार-पत्रों में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट छपी है जो आने वाला समय है, खाद्यान्न के बारे में कितनी विकराल स्थिति इस देश और प्रदेश में होने वाली है। आज ही रिपोर्ट छपी है और आने वाले 10 साल में वह एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गयी है कि जो बी0पी0एल0 कार्ड धारक हैं, आने वाले आगे 10 साल में उनकी सारी कमाई का 90 प्रतिशत पैसा केवल रोटी खाने में चला जायेगा। खाद्यान्न के दाम 30-33 प्रतिशत तक बढ़ेगें। उसमें इस देश के लोगों का काम नहीं चलने वाला। पूरे विश्व का नहीं चलने वाला है। हमारे प्रदेश में पिछले दशक में जनसंख्या 25 प्रतिशत बढ़ी है जबकि देश में 21 प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र घट रहा है खाद्यान्न की यह भयावह स्थिति आने वाली है। मेरा कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि बैठकर दीर्घकालीन योजना बनाकर आने वाली भयावह स्थिति को देखते हुए कैसे खाद्यान्न उपलब्ध करायेंगे, गरीब लोगों को कैसे खाद्यान्न उपलब्ध करायेंगे इसके लिए नई लम्बी और दीर्घकालीन नीति बनाकर इस स्थिति का मुकाबला करने का प्रयास करेंगे। आज ही गरीब लोगों की स्थिति यह है कि आज भी भूख से मौतें हो रही हैं। इसके लिए यह मेरा सुझाव भी है मंत्री जी कुछ बतायेंगे कि किस प्रकार से योजना बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपने सुझाव दिया है कोई अनुपूरक नहीं किया है। आपका सुझाव उन्होंने सुना है।

डा0 अजय तोमर-

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अनिल चौधरी के प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की दो नदियां गंगा और यमुना जिनका क्षेत्र दोआब के नाम से जाना जाता है। इन नदियों के खादर क्षेत्र में आज लाखों हेक्टेयर भूमि पूरी तरह से कृषि योग्य नहीं है, खाली पड़ी है। क्या मंत्री जी अपनी कृषि नीति में किसी प्रकार की इस तरह की कार्य योजना तैयार करेंगे कि गंगा यमुना के खादर क्षेत्र की भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सके ?

चौ0 लक्ष्मी नारायण-

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री तोमर साहब ने जो प्रश्न पूछा है हमारे विभाग द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह निर्देश दिया कि प्रति वर्ष करीब 20-25 हजार हेक्टेयर जमीन

हाईटेक सिटी और कालोनी में, रोड में, चली जाती है इसलिए इस जमीन की क्षतिपूर्ति के लिए हमको कोई योजना बनानी चाहिए। मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में हमने किसान हित योजना राज्य सरकार की तरफ से बनाई है जिसमें पिछले वर्ष 170.55 करोड़ का बजट था। मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने बताया है इसी तरह की जो जमीन अनुपजाऊ थी एक लाख एकड़ जमीन हमने उपजाऊ बनाई, उसमें आज फसल खड़ी है। इस तरह की जमीन का सुधार हम कर रहे हैं। जहां ऐसा कोई विशेष एरिया हो आप हमें लिखकर दे दें किन्हीं भी माननीय सदस्य के यहां हो हमें लिखकर दे दें। हमारी किसान हित योजना इसमें भी लागू है पूरी पंचवर्षीय योजना के लिए है। उन इलाकों में जहां इस तरह की जमीन है हम उन्हें समतल करके उपजाऊ बनाने का काम करेंगे।

डा0 कौशल किशोर-

अध्यक्ष महोदय, मृदा परीक्षण के आधार पर यह तय किया जाता है कि कितनी नाइट्रोजन डाली जाय, कितनी फास्फोरस डाली जाय कितनी पोटास डाली जाय इससे खेती की पैदावार पर अच्छा असर पड़ता है और अन्य अननेससरी खाद का इस्तेमाल नहीं होता है। आपके पास किसान मित्र की फौज है। क्या किसान मित्रों को इस तरह की किट दी जाएगी कि वह गांव-गांव खेत-खेत जाकर यह परीक्षण करके बता दें कि कितनी नाइट्रोजन, कितनी फास्फेट और कितनी पोटास डालें। क्या मंत्री जी किसान मित्रों को ऐसी किट देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने बताया कि वह मृदा परीक्षण कराते हैं।

डा0 कौशल किशोर-

सभी गांवों में इसका प्रबन्ध करेंगे ?

चौ0 लक्ष्मी नारायण-

मैंने अभी बताया कि पिछले वर्ष वर्षा जल्दी प्रारम्भ हो गयी थी इसलिए हमारा लक्ष्य तो मृदा परीक्षण के 25 लाख नमूने लेने का था। अभी हमने बताया कि एक महीना 15 मई से लेकर 15 जून तक जो किसान महोत्सव होगा उसमें हमारा लक्ष्य लगभग 50 लाख मृदा के नमूने लेने का है। इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं कि किसान मित्रों को और समस्त एन0जी0ओज0 को लगा कर हम मृदा परीक्षण ज्यादा से ज्यादा कराकर हम किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करा दें।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से एक अनुपूरक करना चाहते हैं। (श्री कुबेर सिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर) कुबेर सिंह जी, मेरे बाद बोल लीजियेगा। अध्यक्ष जी, मेरे बाद आप इन्हें समय दे दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष-

मिलेगा। बैठ जाइये।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, इस वर्ष के बजट में यह बात आई है कि जैविक उर्वरक पर 90 फीसदी सब्सिडी दी जायेगी और यह भी सुनिश्चित है कि जैव उर्वरक के दो इन्ग्रेडिएन्ट्स होते हैं। एक बायोमास चाहे वह गोबर हो चाहे पत्ती की खाद हो या सीवेज का वेस्टेज हो और साथ में कल्चर जो रेक्टोवेक्टम और रायेजेम वगैरह का जो कल्चर है, उसकी कीमत तो 7 या 8 रुपये है और बायोरेट्स किसान के पास अपना रहता है तो किसान तो उसको 30 रुपये में तैयार कर लेता है और बाजार में जैविक उर्वक खरीदने जायं तो उसका 250-300 रुपये का बैग आता है तो जो किसान अपने बायोरेट्स से खुद उर्वरक बनाना चाहता है तो क्या सरकार उनको निःशुल्क बैक्टीरियल कल्चर उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? उसमें आपका पैसा भी कम खर्च होगा और किसान को लाभ भी हो जायेगा।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, मैंने पहले अनुरोध किया था कि पेस्टीसाइड्स से जो हमारे मृदा स्वास्थ्य में कमजोरी आई है तो जैविक के प्रचार-प्रसार के लिये और हरी खाद के प्रचार-प्रसार के लिये अबकी हमारी सरकार ने एक वृहत योजना बनाई है और उस योजना का पूरा खुलासा बजट में होगा। जो आपने चिन्ता व्यक्त की है, उसका पूरा ध्यान रखा गया है।

(श्री कुबेर सिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर सदस्यगण हंसने लगे)

श्री कुबेर सिंह-

मा॰ वर्तमान की स्थिति को देखते हुए कृपया शांत रहें। (हंसी)

श्री अध्यक्ष-

चलिये, वो हमारा काम कर रहे हैं।

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, वर्तमान की स्थिति को देखते हुए किसानों की दो समस्याएं बहुत गम्भीर हैं। नम्बर एक-किसान के प्रत्येक खेत की सीमा तक रास्ता और नाली का प्राविधान नीति में आना चाहिए। नम्बर दो-कभी तहसीलदार तैयार रहता है तो कभी पुलिस फोर्स तैयार नहीं रहता है। इस समस्या के समाधान के लिये तहसील में एक चौकी निर्धारित होनी चाहिए जो तत्काल किसानों की समस्याओं का निर्धारण कर सके। यह मान्यवर, मेरे दो अनुपूरक रहे। दो सुझाव हैं। दो सुझाव यही कि एक जो चम्बल का जो क्षेत्र पड़ा हुआ है आप मांग रहे हैं उपजाऊ जमीन बनाने के लिये पर्याप्त पड़ा हुआ है बीहड़ क्षेत्र है चम्बल में (हंसी) एक इटावा इस्तम्बू खारजा नहर है जिसमें हजारों एकड़ जमीन उपजाऊ केवल ट्रैक्टर चलाकर उसमें पैदावार करनी है। हजारों हेक्टेयर ऐसी जमीन आपको उपलब्ध हो सकती है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

माननीय सदस्य कुबेर सिंह जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने भी एक योजना चलाई थी आपको पता होना चाहिए जमीन

उपजाऊ बनाने के लिये हमने सबसे ज्यादा पैसा इटावा जिले में ही दिया है उन्हीं योजनाओं पर कार्य करने के लिये।

श्री कुबेर सिंह-

नाली और किसानों की समस्याओं के लिये जो अनुपूरक किया था उसका जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

कैसा किसानों का अनुपूरक ?

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन योजना

*2-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे प्रत्येक बुजुर्ग नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह पूर्व से लागू वृद्धावस्था पेंशन योजना से किस प्रकार से भिन्न होगी ? इस योजना का लाभ वास्तविक रूप से सभी लाभार्थियों को मिले, इस हेतु सरकार द्वारा कोई पारदर्शी व्यवस्था लागू करने तथा दी जाने वाली पेंशन की राशि में बढ़ोत्तरी करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पहले से ही सीधे लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजने तथा लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत के प्रस्ताव से कराने की पारदर्शी व्यवस्था है। पेंशन की राशि में बढ़ोत्तरी का कोई विचार नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पारदर्शी नीति से आशय यह है कि जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि गांवो के अन्दर ग्राम पंचायत के माध्यम से जो प्रस्ताव प्राप्त होते हैं उसके अनुसार लाभार्थियों का चयन किया जाता है लेकिन मैं शहरी क्षेत्र से आता हूं वहां यह देखने में आता है। मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, जो गरीब हैं, असहाय हैं, अनपढ़ हैं उनकी असमर्थता का फायदा बिचौलिये उठाते हैं और काफी धनराशि उनसे ऐंठ लेते हैं कि आपका फार्म हम ला देंगे। आपका फार्म हम भर देंगे। फिर उसके बाद लेखपाल और तहसील में भी काफी रुपये खर्च करने पड़ते हैं आय का सार्टिफिकेट लेने के लिए, तो यह जो परेशानी है इसका हल, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव आप स्वीकार कर ले रहे हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उसी तरह जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और उनसे प्राप्त प्रस्ताव पर लोगों को सहूलियत मिल जाती है, तो क्या शहरों के अन्दर भी जो माननीय चुने हुए विधायक हैं, क्या उनके द्वारा संस्तुत जो फार्म होंगे उनको स्वीकार कराने पर विचार करेंगे। दूसरा मान्यवर मेरा अनुपूरक

यह भी है कि तमाम लाभार्थियों को इससे तीन सौ रुपये प्रतिमाह प्राप्त होता है। जिसमें से दो सौ रुपये केन्द्र सरकार का योगदान है और सिर्फ 100 रुपया राज्य सरकार अपना अंशदान करती है तो मैं यह जानना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय आप भी इससे सहमत होंगे कि आज जिस कदर भीषण मंहगाई है। जो गरीब हैं असहाय हैं, वृद्ध हें, जिनकी पूछ नहीं है, जिनकी कोई आमदनी नहीं है और वह रोजगार करने में अक्षम हैं इस तीन सौ रुपये पर वह आश्रित हैं उनका जीवन कैसे चल सकता है इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि जो राज्य सरकार का अंशदान है 100 रुपया उसको कम से कम 200 रुपये करके और इस पेंशन की राशि को चार सौ रुपया करने पर विचार करेंगे ?

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार वर्तमान सरकार जो बनी है उन्होंने इस कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए एक निर्णय लिया कि हम 60 साल के जो वृद्ध हैं उनको भी पेंशन देंगे। वह तीन सौ रुपया दिया जा रहा है और यह राज्य सरकार द्वारा पूरा दिया जा रहा है। इस तरह से 65 साल से जो ऊपर हैं उनको तो केन्द्र सरकार के अंशदान से दिया जा रहा है लेकिन जो 60 साल के हैं उनको राज्य सरकार अपनी तरफ से दे रही है। यह बहुत क्रान्तिकारी कदम बहन मायावती जी ने सत्ता संभालने के बाद उठाया है।

(मेजें थपथाई गईं)

इससे उनकी पेंशन की राशि बढ़कर स्वयं दुगुनी हो रही है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मैंने पहला अनुपूरक किया था कि कठिनाई है उनको पेंशन प्राप्त करने में और बिचौलिये का जो योगदान है क्या उनको समाप्त करेंगे ?

श्री जगदीश नारायण राय-

शहरी क्षेत्र में भी बी0पी0एल0 सूची निर्धारित कर लाभार्थियों को चयनित करने के लिए नगरीय विकास एवं गरीबी निवारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट बी0पी0एल0 का मानक अपनाया गया है जो बी0पी0एल0 की सूची है वही पात्र हैं वही पायेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में भी बी0पी0एल0 वाले पात्र हैं शहरी क्षेत्र में भी बी0पी0एल0 वाले पात्र हैं उसमें कोई अलग से रिकमेन्डेशन की आवश्यकता नहीं है शनैः-शनैः सबको आच्छादित किया जा रहा है। जो कमी हो अगर कहीं तो वह आप इंगित कर दें उसको देख लेंगे।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

शायद मैं समझ नहीं पाया। मेरा आशय यह है कि जो गरीब लोग हैं उनको पेंशन प्राप्त करने की दिशा में जो प्रयास करना पड़ता है और जो खर्च करना पड़ता है उसको समाप्त करके उनको सीधे लाभ मिले इसके लिए कोई पारदर्शी व्यवस्था लागू करने पर विचार करेंगे।

श्री जगदीश नारायण राय-

उनको अब प्रमाण-पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं हैं सिर्फ सूची में उनका नाम होना पर्याप्त है। उनको प्रमाण-पत्र नहीं देना हैं अब उनका खाता खुलवा कर सीधे चेक उनके पास जा

रहा है। अब बिचौलियों का काम समाप्त हो गया है। जो पहले आ रहा है उसी क्रम से जा रहा है।

श्री उदय राज-

माननीय अध्यक्ष जी, कई बार सदन के अन्दर यह बात आई कि जो बी0पी0एल0 सूची है उसमें तमाम ऐसे गरीब पात्र हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं जो लोग बहत गरीब हैं 60 साल से जिनकी उम्र भी ज्यादा है। आपके पास तहसील है, उनकी आय का सत्यापन करा सकते हैं। जो ना आदेश जारी हुए हैं कि बी0पी0एल0 सूची में जिनका नाम शामिल होगा, उन्हें ही केवल वृद्धावस्था पेंशन देने का काम किया जायेगा। मान्यवर, तमाम ऐसे लोग है जिनके नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं हैं, लेकिन वह वृद्ध हैं, गरीब हैं, पात्र हैं क्या ऐसे लोगों को भी पेंशन देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, बी0पी0एल0 सूची में संशोधन के सम्बन्ध में कल ही हाउस में चर्चा हुई है। मा0 मंत्री जी ने बताया है कि बी0पी0एल0 सूची में जिसका नाम छूट गया है, जिन्हें शामिल होना चाहिए, ग्राम्य विकास मंत्रालय उसको संशोधित करेगा तो उन नामों पर भी विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। महाना जी, पूरी बात आ गयी है, उत्तर आ गया है। आपने बताया कि अर्हता रखते हैं और बी0पी0एल0 सूची में नाम नहीं है तो उसके लिए मा0 मंत्री जी ने बताया कि ग्राम्य विकास को भी अधिकार दिया गया है कि ऐसे लोगों का परीक्षण करके शामिल करायें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं, बी0पी0एल0 सूची बनाने का मानक क्या है और उसको कौन बना रहा है ? जैसा आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में यह मानक है और ग्राम पंचायत उनके नाम प्रस्तावित करेगी, शहरी क्षेत्र में इस प्रकार की कोई सूची बनी है क्या ? राशन कार्ड होना एक अलग बात है। बी0पी0एल0 की सूची बनना, उसके क्या मानक हैं, उसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, कितने लोग उस पात्रता श्रेणी में हैं, यदि यह सूचना आपके पास है तो बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

महाना साहब, कल यहां पर खाद्य रसद मंत्री जी थे, उन्होंने बताया कि इसमें दो कैटेगरी हैं, ग्रामीण इलाके के लिए आय की सीमा इतनी होगी और शहर के लिए इतनी आय की सीमा वाले लोग बी0पी0एल0 की सूची में आयेंगे। कल यहीं पर जवाब दिये थे वही सूची वह बतायेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, शहरी क्षेत्र में उनके चयन की क्या प्रक्रिया है ?

श्री अध्यक्ष-

महाना साहब जो सूची है, उस सूची वालों को मान लेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यदि मंत्री जी के पास कोई इस प्रकार की सूची है तो उसके बारे में बता दें क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। बी0पी0एल0 की सूची से ही उसकी पेंशन लिंक्ड होगी, उसका

राशन लिंक्ड होगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं उससे लिंक्ड होंगी अर्थात् सारी की सारी सुविधाएं उससे लिंक्ड होंगी। शहर में भी गरीब रहते हैं, यदि सरकार यह सोचे कि शहर के लिए कुछ नहीं करना है, शहर के गरीब, गरीब नहीं हैं तो यह सरकार की गलतफहमी है। मान्यवर, शहर में रहने वाले गरीब भी गरीब हैं, उनको किसी श्रेणी में नहीं बांटा जा सकता है। आपने कहा कि शहर के गरीबों के लिए भी बी0पी0एल0 की सूची बनी है तो स्वाभाविक रूप से आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, यदि जानकारी है तो मंत्री जी उसके बारे में सदन को बता दें।

श्री अध्यक्ष-

आप पूरे प्रदेश का डेटा मांग रहे हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मंत्री जी पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, एक जिले के होते तो अलग बात थी।

श्री अध्यक्ष-

उसके लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

प्रदेश में गोवंश एवं महिष जातीय पशुओं की संख्या बढ़ाने तथा उनके अवैध कटान को रोकने की मांग

*3-श्री हुकुम सिंह-(अनुपस्थित)

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पशुधन विशेष रूप से गोवंश एवं महिष जातीय पशुओं की संख्या लगातार कम हो रही है ? क्या यह सही है कि इसका मुख्य कारण पशुओं की अवैध कटान है ? यदि हां, तो पशुओं की अवैध कटान को रोकने हेतु प्रदेश सरकार ने कोई प्रभावी योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अवधपाल सिंह यादव)-

जी नहीं।

वर्ष 1998 की पशुगणना की अपेक्षा वर्ष 2003 की पशुगणना के अनुसार गोवंशीय पशुओं की संख्या कम हुई है। किन्तु महिषवंशीय पशुओं की संख्या बढ़ी है।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों की रबी की फसल की बुआई/उत्पादन हेतु खाद, बीज तथा कीटनाशक दवाओं की उपलब्धता के अन्तर्गत शासन की कार्य योजना

*4-श्री जोखू लाल यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों की रबी की फसल की बुआई/उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खाद/बीज/कीटनाशक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार किसानों को खाद पर सब्सिडी देने पर भी विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

प्रत्येक खरीफ व रबी के पूर्व भारत सरकार के कृषि व उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में जोनल कांफ्रेंस आयोजित की जाती है जिसमें प्रदेश के लिए उर्वरक की आवश्यकता का आंकलन कर लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। रबी सत्र 2008-2009 में प्रदेश में वितरण हेतु यूरिया 30.00 लाख मी0 टन डी0ए0पी0 10.50 लाख मी0 टन, एन0पी0 के 6.50 लाख मी0 टन एवं एम0ओ0पी0 1.50 लाख मी0 टन का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें से माह जनवरी, 2009 तक की आवश्यकता यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0 के तथा एम0ओ0पी0 उर्वरक की क्रमशः 24.00 लाख मी0 टन, 9.14 लाख मी0 टन, 5.00 लाख मी0 टन एवं 1.25 लाख मी0 टन है। उक्त के सापेक्ष दिनांक 31 जनवरी, 2009 तक यूरिया 23.99 लाख मी0 टन, डी0ए0पी0 9.88 लाख मी0 टन, एन0पी0के0 5.77 लाख मी0 टन तथा एम0ओ0पी0 1.42 लाख मी0 टन प्रदेश में उपलब्ध हुई। उपलब्ध मात्रा के विपरीत दिनांक 31 जनवरी, 2009 तक क्रमशः 20.55 लाख मी0 टन, 8.33 लाख मी0 टन, 4.89 लाख मी0 टन एवं 1.08 लाख मी0 टन उर्वरक वितरित हुई है।

प्रदेश में जनपदवार उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की साप्ताहिक समीक्षा शासन में उच्च स्तर पर नियमित रूप से की जा रही है और प्रदेश के समस्त जनपदों की आवश्यकतानुसार उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य हेतु भी प्रदेश शासन निरन्तर भारत सरकार के सम्पर्क में है। आशा है कि भारत सरकार के सहयोग से कृषकों को ससमय उर्वरक उपलब्धता में कोई समस्या नहीं होगी।

प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना (2011-2012) के अन्त तक 33 प्रतिशत बीज प्रतिस्थापन दर अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार कुल 44.96 लाख कुंतल प्रमाणित/गुणात्मक बीजों की खरीफ, रबी एवं जायद में आवश्यकता का आंकलन किया गया है।

प्रदेश में कीटनाशक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 25 प्रतिशत कृषि विभाग, 12.5 प्रतिशत सहाकारिता विभाग, 12.5 प्रतिशत यू0पी0 स्टेट एग्रो तथा 50 प्रतिशत निजी विक्रेताओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तद्नुसार गुणवत्तायुक्त कृषि रक्षा रसायनों की व्यवस्था सुनिश्चित होती हैं कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त विकास खण्डों पर स्थापित कृषि रक्षा इकाइयों के माध्यम से राजकीय निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की व्यवस्था अनवरत रूप से की जा रही है।

जी नहीं।

भारत सरकार उर्वरक विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं को सीधे अनुदान उपलब्ध कराती है। अनुदान की इस धनराशि को ही ध्यान में रखते हुए भारत सरकार उर्वरकों का अधिकतम मूल्य निर्धारित करती है।

श्री जोखू लाल यादव-

माननीय अध्यक्ष जी यह प्रदेश के लाखों किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। हमने जो प्रश्न किया था उसके एक अंश का जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है। मान्यवर, हमने पूछा था कि क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों की रबी की फसल की बुआई/उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खाद/बीज/कीटनाशक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोई कार्य योजना बनाई है ? इसमें माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है-''जी हां'' और उसी अंश में उन्होंने उद्धरण में कहा है शायद उन्हें खुद आशंका इस बात की थी, तभी उन्होंने जवाब दिया है कि आशा है कि भारत सरकार के सहयोग से कृषकों को ससमय उर्वरक उपलब्धता में कोई समस्या नहीं होगी। मान्यवर, कदाचित यह पूरा सदन सहमत होगा कि जब आलू की बुआई का समय था, गेहूं की बुआई का समय था तो पूरे प्रदेश में डी0ए0पी0 और यूरिया के लिए हाहाकार मचा है। अब माननीय मंत्री जी लगभग 50 प्रतिशत स्वीकार कर रहे हैं अपने जवाब में कि आशा है भारत सरकार से कि हम उस समय खाद देने में सफल रहेंगे। मान्यवर, पूरा प्रदेश जानता है कि डी0ए0पी0 और यूरिया के लिए कितनी किल्लत हुयी है। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में क्या इसी तरह से आश्रित होकर इस इतिहास की पुनरावृत्ति करेंगे और मान्यवर, दूसरे सवाल का उत्तर नहीं आया है। मैंने पूछा था कि क्या सरकार किसानों को खाद पर सब्सिडी देने पर भी विचार करेगी ? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि भारत सरकार उर्वरक विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं को सीधे अनुदान उपलब्ध कराती है। अनुदान की इस धनराशि को ही ध्यान में रखते हुए भारत सरकार उर्वरकों का अधिकतम मूल्य निर्धारित करती है। मान्यवर, हमने भारत सरकार से अपेक्षा नहीं की है, हमने तो उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षा की है कि क्या उत्तर प्रदेश के किसानों को यह राहत मिलेगी। मान्यवर, हम लोग गांवों से चुनकर आते हैं। हमारे यहां बैठे हुए 80 फीसदी लोग गांव और गांव की विधान सभा क्षेत्रों से किसानों से जुड़े हुए लोग आते हैं तो क्या यह पूरा का पूरा जो है जो किसानों का 80 फीसदी खेतों में काम करने वाले लोग हैं उनको यह सरकार भी अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, बजट लेकर आये थे, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम किसानों के हितैषी हैं, हम सहमत हैं हम आपका स्वागत करते हैं, तो किसानों के अगर आप हितैषी हैं तो क्या आप अपने इस बजट में प्राविधान करेंगे कि आने वाले दिनों में रबी की बुवाई के समय डी0ए0पी0 और यूरिया की खाद की जरूरत किसानों को है, उस पर हम अनुदान की बात नहीं करते, हम सब्सिडी की बात करते हैं। मान्यवर, अनुदान और सब्सिडी में अन्तर है। अनुदान के रूप में पूरी की पूरी धनराशि दे दी जाती है, ठीक है, समाज कल्याण मंत्रालय किसी की बेटी की शादी में 20 हजार अनुदान कर देती है, यह अनुदान हो गया। सब्सिडी तो मान्यवर, कुछ धनराशि उसमें हम सहयोग करते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार के खजाने से तो हम यह जानना चाहते हैं कि अगर यह सरकार किसानों की हितैषी है तो क्या किसानों के लिए खाद और कीटनाशक बीज दवाओं में सब्सिडी देने पर विचार करेगी, सब्सिडी देगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी अभी तो आपने बताया है, फिर से बता दीजिए।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, पहले प्रश्न के अनुपूरक में ही मैंने यह बात बताई थी। फर्टीलाइजर में जहां तक आपने आपूर्ति की बात की या संभावना की, डी0ए0पी0 आयातित है, केन्द्र सरकार जोनल कान्फ्रेंस में स्टेट सरकार और केन्द्र सरकार के अधिकारी और मंत्री यह तय करते हैं कि कितना खाद वह हमें एलाट करें। हमारी जो डिमाण्ड होती है, हमने 32 लाख मीट्रिक टन यूरिया की डिमाण्ड तय की। जोनल कान्फ्रेंस में 30 लाख मीट्रिक टन उन्होंने एलाट किया, हमने 14 लाख टन डी0ए0पी0 की डिमाण्ड की उन्होंने साढ़े 10 लाख टन एलाट किया। यह केन्द्र सरकार के अधीन है, इसलिए हमने एक संभावना की बात की थी। दूसरे नम्बर पर मान्यवर, मैंने पहले बताया था यह जो फर्टीलाइजर आपूर्तिकर्ता कम्पनी है उनको केन्द्र सरकार सीधे-सीधे उन्हीं को सब्सिडी देती है और मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी जहां तक मेरी जानकारी है हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जितने भी हमारे फर्टीलाइजर इन सब पर वैट पूरी तरह से माफ कर दिया है लेकिन किसी भी प्रदेश सरकार ने अभी तक फर्टीलाइजर पर अपनी ओर से कभी कोई सब्सिडी नहीं दी है। जहां तक आपने दूसरा सवाल किया था बीज का तो बीज के बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पूरे देश में किसी भी राज्य में इतनी सब्सिडी नहीं है जितनी बीज के ऊपर गेहूं के बीज के ऊपर सात सौ रुपये कुन्तल अकेले उत्तर प्रदेश में छूट है और पूरे 71 जिले में, पूरे देश में किसी भी राज्य में नहीं है, इसलिए बीज पर तो इतनी छूट दी है।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, यह मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं आपही के प्रश्न का जवाब दिया है।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, यह उत्तर नहीं है, कृपया उत्तर दिलाने का कष्ट करें। हम आपसे विनम्रतापूर्वक कहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

तो क्या उत्तर चाहते हैं आप ?

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, हम यह उत्तर चाहते हैं कि हम भारत सरकार से नहीं चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि यह उत्तर प्रदेश की सरकार जो इस मौजूदा समय में पदारूढ़ हैं जो किसानों की हितैषी है ऐसी प्रदेश की सरकार जब प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार सन् 1989 में थी तो उन्होंने खाद पर सब्सिडी देने का काम किया था। क्या उसी तरह से पूर्ववर्ती सरकार की तरह से अगर यह सरकार किसानों की हितैषी है तो क्या सब्सिडी दे करके बढ़े हुए दाम जो खाद के होंगे उससे कम दाम पर किसानों को खाद मुहैया करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जिन दो खादों पर सब्सिडी दी गई है, शेष पर किसी प्रदेश में सब्सिडी नहीं है, उसका उत्तर अभी दूसरे प्रश्न के उत्तर में दिया था, माननीय मंत्री जी जिस बात को अभी आपने बताया है कि दो खादों को छोड़ करके शेष पर देश प्रदेश में कहीं भी नहीं है।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी यह तो मैं नहीं कह सकता हूं पर मेरी जानकारी तो यह है कि 89 में शायद किसी भी तरह की सब्सिडी डी0ए0पी0 पर, यूरिया पर, राज्य सरकार द्वारा या मुलायम सिंह यादव द्वारा दी गई थी ? मेरे ख्याल से राज्य सरकार के द्वारा संभवतः कभी नहीं दी गई।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, आप इसको दिखवा लीजिए। मान्यवर, सन् 1989 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो उस समय कदाचित व्यवस्था थी।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, मेरी जानकारी के हिसाब से वह व्यवस्था नहीं थी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने तो जिंक वगैरह पर एक रु0 की भी छूट नहीं दी थी। हमारी सरकार में बहन मायावती जी ने 90 प्रतिशत की सब्सिडी दी है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के लिए दुग्ध उत्पादन लाभ हेतु परियोजनायें

*5-श्री मदन चौहान-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के लिये दुग्ध उत्पादन लाभ योजना हेतु क्या सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध सहकारिताओं से आच्छादित राजस्व ग्रामों में प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों/पशुपालकों के उत्थान एवं सहायतार्थ निम्नांकित परियोजना अवयवों को संचालित किया जा रहा है :-

(1) सघन मिनी डेरी परियोजना के अन्तर्गत दुधारू पशुओं के क्रय हेतु राज्य सरकार सेवायोजक की भूमिका निभा रही है।

तारांकित प्रश्न संख्या-4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

(2) दुग्ध उत्पादकों को उनके पशुओं हेतु वाजिब दरों पर पशु आहार की उपलब्धता को सुनिश्चित कराया जाता है।

(3) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तकनीकी निवेश कार्यक्रम अवयव के तहत दुग्ध सहकारिताओं से आच्छादित प्रदेश के पशुपालकों के दुधारू पशुओं हेतु निःशुल्क टीकाकरण, डिवर्मिंग, मैस्टाईटिस नियंत्रण एवं टिक नियंत्रण हेतु दवाइयों आदि की व्यवस्था की गयी है। इसके साथ ही साथ क्षेत्र स्तर पर कृत्रिम गर्भाधान, हरा चारा बीज आदि को भी वाजिब दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

*6-श्री मदन भैया-

[2सरे शुक्रवार के तारा0 प्रश्न सं0-10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*7-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[2सरे बुधवार के तारां0 प्रश्न सं0-11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम/व्यायामशाला खोले जाने की मांग

*8-डा0 अजय तोमर-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई स्टेडियम/व्यायामशाला खोले जाने का प्रस्ताव विचारार्धीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेलकूद एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अयोध्या प्रसाद पाल)-

जी नहीं।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में कोई स्टेडियम/व्यायामशाला खोले जाने का प्रस्ताव विचारार्धीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा व्यायामशाला एवं ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण हेतु 50 प्रतिशत आर्थिक सहयोग देना बन्द कर दिया गया है जिससे वित्तीय वर्ष 2008-09 में नये स्टेडियम निर्माण हेतु विभाग के बजट में धनराशि का प्राविधान नहीं है।

प्रदेश में बढ़ती हुई दूध की मांग को देखते हुए शासन द्वारा मिनी डेरी परियोजना

*9-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई दूध की मांग को देखते हुए पशुपालक किसानों को अच्छे नस्ल के पशु पालने हेतु सरकारी सहायता (सब्सिडी) देकर पशुपालकों को प्रोत्साहित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 में सघन मिनी डेरी परियोजना प्रदेश के 71 जनपदों में चलायी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत दो पशुओं की इकाई लागत रु0 44,500.00 के सापेक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को 33 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु0 10,000.00 एवं अन्य वर्ग के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु0 7,500.00 की सीमा तक शासकीय अनुदान (सब्सिडी) दिया जायेगा।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बड़े उद्योगपतियों को नयी कम्पनी उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं

*10-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बड़े उद्योगपतियों को नयी कम्पनी उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

जी हां।

योजनाएं निम्नवत् हैं :-

1-सार्वजनिक निजी क्षेत्र भागीदारी की योजना संचालित है।

2-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना संचालित है।

3-एकल मेज व्यवस्था योजना संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके आजीवन कारावास की सजा प्राप्त कैदियों को आम माफी देकर रिहा करने की मांग

*11-श्री अनूप सण्डा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके आजीवन कारावास की सजा प्राप्त कैदियों जो तीन वर्ष से अधिक की सजा काट चुके हैं, को आम माफी देकर रिहा करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में सूच्य है कि जेलों में बन्द आजीवन कारावासी बन्दियों की रिहाई पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-432 सपठित यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन ऐक्ट, 1938 की धारा-2, उ0 प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-195, 196, 197, 198 के अन्तर्गत फार्म-ए, इनफरमिटी रोल, नामिनल रोल एवं संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

उक्त विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत रुग्ण, उम्र दराज व असहाय सिद्ध दोष पुरुष/महिला बन्दियों की रिहाई के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 02 जून, 2008 निर्गत किया गया है।

प्रदेश में औद्योगिक रूप से सर्वाधिक पिछड़े बुन्देलखण्ड क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु शासन की कार्य योजना

*12-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक रूप से सर्वाधिक पिछड़े बुन्देलखण्ड क्षेत्र के औद्योगिक विकास की कोई कार्य योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट हेतु निम्न कार्य योजना बनायी गयी है :-

- बुन्देलखण्ड के 07 जिलों में नई लघु या लघुत्तर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु स्टैम्प शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान की गयी है।
- बुन्देलखण्ड के 07 जिलों में नयी मध्यम या वृहत औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु स्थावर सम्पत्ति के अंतरण के लिए निष्पादित प्रथम लिखित पर स्टैम्प शुल्क से आधी छूट प्रदान की गयी है।
- बुन्देलखण्ड के 07 जिलों में नयी लघु एवं लघुत्तर इकाइयों की स्थापना हेतु स्थावर सम्पत्ति के अंतरण के लिए निष्पादित प्रथम लिखित पर रजिस्ट्रेशन शुल्क अधिकतम रुपया 05 हजार के अध्यधिन रुपया 02 प्रति सैकड़ा से रुपया 02 प्रति हजार की छूट।
- बुन्देलखण्ड के 07 जिलों में नई मध्यम या नई वृहत औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु स्थावर सम्पत्ति के अंतरण के लिए निष्पादित प्रथम लिखित पर रजिस्ट्रेशन शुल्क अधिकतम रुपया 05 हजार के अध्यधिन रुपया 02 प्रति सैकड़ा से रुपया 02 प्रति हजार की छूट।
- बुन्देलखण्ड के 07 जिलों में मध्यम एवं वृहत औद्योगिक इकाइयों को उपभोग या उपयोग के लिए पूंजी, माल, संयंत्र, मशीनरी एवं अतिरिक्त पुर्जे के स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से उस स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर प्रवेश कर के संदाय से 15 वर्ष के लिए छूट प्रदान की गयी है।

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत स्थापित होने वाले बुन्देलखण्ड में सभी ऐसी नई मेगा औद्योगिक इकाइयां जिनमें 10 करोड़ या उससे अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो, को अदा किये गये व्यापार कर के सापेक्ष ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश के वन क्षेत्रों में पुश्तैनी रूप से बसे आदिवासियों, जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं भूमिहीनों को वनों के उत्पादन एवं भूमि में अधिकार दिये जाने की योजना की मांग

*13-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वन क्षेत्रों में पुश्तैनी रूप से बसे आदिवासियों, जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं भूमिहीनों को वनों के उत्पादन एवं भूमि में कोई अधिकार देने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 उत्तर प्रदेश में दिनांक 31-12-2007 से लागू कर दिया गया है, जिसमें वन क्षेत्रों में निवास करने वाले पुश्तैनी रूप से बसे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन भूमि अधिकार दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खाद एवं बीज की कमी की समस्या के निदान हेतु योजना

*14-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में खाद एवं बीज की कमी की समस्या से किसानों की रबी की फसल बुरी तरह से प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के निदान के लिए कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं। प्रदेश में खाद एवं बीज की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं है।

प्रत्येक खरीफ व रबी के पूर्व भारत सरकार के कृषि व उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में जोनल कांफ्रेंस आयोजित की जाती है जिसमें प्रदेश के लिए उर्वरक की आवश्यकता का आंकलन कर लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। रबी सत्र 2008-2009 हेतु प्रदेश में यूरिया 30.00 लाख मी0 टन, डी0ए0पी0 10.50 लाख मी0 टन, एन0पी0 के0 6.50 लाख मी0 टन एवं एम0ओ0पी0 1.50 लाख मी0 टन का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें से माह जनवरी, 2009 तक की आवश्यकता यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0 के0 तथा एम0ओ0पी0 उर्वरक की क्रमशः 24.00 लाख मी0 टन, 9.14 लाख मी0 टन, 5.00 लाख मी0 टन एवं 1.25 लाख मी0 टन है। उक्त आवश्यकता के सापेक्ष दिनांक 31 जनवरी, 2009 तक यूरिया 23.99 लाख मी0 टन, डी0ए0पी0 9.88 लाख मी0 टन, एन0पी0के0 5.77 लाख मी0 टन तथा एम0ओ0पी0 1.42 लाख मी0 टन प्रदेश में उपलब्ध है। उक्त दिनांक तक उपलब्ध मात्रा के विपरीत क्रमशः 20.55 लाख मी0 टन, 8.93 लाख मी0 टन, 4.89 लाख मी0 टन एवं 1.08 लाख मी0 टन उर्वरकों का वितरण हुआ है। इस प्रकार प्रदेश में रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता हेतु प्रदेश शासन द्वारा भरपूर प्रयास किये गये हैं।

प्रदेश में जनपदवार उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की साप्ताहिक समीक्षा शासन में उच्च स्तर पर नियमित रूप से की जा रही है और प्रदेश के समस्त जनपदों की आवश्यकतानुसार

उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य हेतु भी प्रदेश शासन निरन्तर भारत सरकार के सम्पर्क में है। आशा है कि भारत सरकार के सहयोग से कृषकों को ससमय उर्वरक उपलब्धता में कोई समस्या नहीं होगी।

प्रासंगिक नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के निरुद्ध किये जाने के कारण बन्दी रक्षकों/जेल कर्मियों को हो रही असुविधा के निदान हेतु कार्य योजना

*15-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के निरुद्ध किये जाने के कारण बन्दी रक्षकों/जेल कर्मियों को काफी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो इसके निदान के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कारागारों में क्षमता से अधिक बंदियों के निरुद्ध होने पर क्षमता बढ़ाये जाने के लिये नये कारागारों का निर्माण किया जा रहा है तथा इन कारागारों हेतु 12 अधिकारियों एवं 876 कर्मचारियों के अर्थात् कुल 888 पद सृजित किये गये हैं।

*16-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[5वें शुक्रवार के तारां0 प्रश्न सं0-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा, पट्टी, आसपुर, देवसरा, बेलखर नाथ धाम में तालाब/पोखरे राजस्व अभिलेखों में अंकित करने एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों पर शासन द्वारा निर्धारित नीति

1-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा, पट्टी, आसपुर देवसरा, बेलखर नाथ धाम में कुल कितने तालाब/पोखरे राजस्व अभिलेखों में अंकित है ? इनका अलग-अलग क्षेत्रफल एवं वर्तमान स्वरूप का विवरण क्या है ? क्या मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों पर शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप उप जिलाधिकारी, पट्टी एवं उनके अधीनस्थों द्वारा जुलाई, 2005 से जनवरी, 2008 तक तालाबों को पूर्ववत् बहाल किये जाने हेतु कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा में 1373 तालाब क्षेत्रफल 756.329 हे0, पट्टी में 948 तालाब क्षेत्रफल 409.995 हे0, आसपुर देवसरा में 1259 तालाब 405.170 हे0 तथा बेलखरनाथ धाम में 482 तालाब क्षेत्रफल 185.669 हे0 राजस्व अभिलेखों में अंकित है। उक्त में से मंगरौरा में 31 तालाबों के 5.432 हे0, पट्टी के 11 तालाबों के 3.258 हे0, आसपुर देवसरा के 38 तालाबों के 7.628 हे0 व बेलखरनाथ धाम के 6 तालाबों के 0.775 हे0 क्षेत्रफल पर स्थाई निर्माण/आबादी एवं आवासीय भवन के रूप में कब्जा है शेष तालाब खाली है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर शासन द्वारा निर्धारित नीति के क्रम में उप जिलाधिकारी, पट्टी एवं उनके अधीनस्थों द्वारा जुलाई, 2005 से जनवरी, 2008 तक 129/958 हे0 तालाबों से अस्थाई अवैध कब्जे हटाये गये तथा 86/17.093 हे0 पर स्थायी निर्माण/आबादी एवं आवासीय भवन होने के कारण कब्जा नहीं हटाया जा सका। आवासीय भवन बनाकर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ में मण्डी समिति द्वारा स्वीकृत सड़कों का विवरण

2-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में पक्का एवं खड़न्जा स्तर तक मण्डी परिषद् द्वारा सड़क बनाने हेतु किन-किन सड़कों का चयन किया गया है तथा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में मण्डी समिति द्वारा स्वीकृत सड़कों का विवरण क्या है ? क्या सरकार द्वारा पट्टी विधान सभा क्षेत्र में भी कोई मार्ग स्वीकृत किया गया ? यदि हां, तो कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, बाल विकास, पुष्टाहार तथा कृषि विपणन मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

जनपद प्रतापगढ़ में वित्तीय वर्ष 2007-08 में 03 नग एवं 2008-09 में 16 नग सड़क बनाने हेतु चयन/स्वीकृत किया गया है जिनका विवरण निम्नवत् है :--

क्र0	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0)	लागत (रू0 लाख)	वर्ष	विधान सभा क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1	लखापुर से चाहिन	2.50	38.15	2007-08	रामपुर खास
2	बिहारगंज बाजार से पूरे अंती बाजार तक	1.50	20.42	2007-08	गढ़वारा
3	धरमपुर से डेमा सम्पर्क मार्ग	1.20	17.18	2007-08	सदर
4	स0 मार्ग बभनई से रैनी सतखरिया तक	2.00	38.56	2008-09	बीरापुर
5	बभनई से रैनी सतखरिया देवासा का अवशेष भाग	1.00	21.26	2008-09	बीरापुर

1	2	3	4	5	6
6	अमरपुर हरिजन एवं पाल बस्ती स0 मार्ग	1.25	21.47	2008-09	बीरापुर
7	शिवपुर औरंगाबाद मार्ग से उदयराम	0.70	11.77	2008-09	पट्टी
8	मदाफरपुर कोहड़ौर मार्ग से बिजरा बाजिदपुर स0 मार्ग	0.60	12.36	2008-09	पट्टी
9	पालूपुर हरिजन यादव एवं दुबान बस्ती स0 मार्ग	0.65	13.08	2008-09	पट्टी
10	भुजैनिया सम्पर्क मार्ग एवं पूरे सेवकी लोकई का पूरा सम्पर्क मार्ग	1.35	25.33	2008-09	पट्टी
11	पट्टी प्रतापगढ़ मार्ग से पंडितान बस्ती (सर्वजीतपुर)	0.80	18.40	2008-09	पट्टी
12	करैली मैसोनी मार्ग से बहेलियान बस्ती	0.35	8.05	2008-09	पट्टी
13	अन्तपुर मार्ग से कुर्मियान एवं ब्राह्मण बस्ती	1.15	26.45	2008-09	पट्टी
14	पट्टी प्रतापगढ़ मार्ग से सर्वजीतपुर शोभा भूज के घर तक	1.35	31.05	2008-09	पट्टी
15	नौढ़िया पुनेहरी मार्ग से सरैया तक का शेष भाग	1.00	18.70	2008-09	रामपुर खास
16	कार्दापुर से मलियान बस्ती होकर रूदापुर पक्की सड़क तक	0.65	11.45	2008-09	सदर
17	जमुआ से छतौना पंडितान बस्ती तक	2.00	46.33	2008-09	सदर
18	गाय घाट पक्की सड़क से मदौसी होते हुए रजवाही चौराहे तक	1.40	30.83	2008-09	गड़वारा
19	बण्डा मायाराम तिवारी के घर से बमनी दलित बस्ती तक	1.00	26.73	2008-09	गड़वारा
	योग-	22.45	437.00		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जी हां। उपर्युक्त क्रमांक-7 से 14 तक वर्णित 08 नग मार्ग विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये हैं।

उपर्युक्त विवरण के अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत कृषि उप मण्डी समिति की स्थापना

3-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत कृषि उप मण्डी समिति की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा कृषि उप मण्डी समिति की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

प्रतापगढ़ जनपद की तहसील मुख्यालय पट्टी में उप मण्डी स्थल घोषित किये जाने हेतु अधिसूचना संख्या-308/80-1-09-600(289)/2008 दिनांक 13-2-2009 को निर्गत की जा चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में मण्डी समिति द्वारा डामरीकरण हेतु प्रस्तावित सड़कें

4-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में विधान सभा क्षेत्र पट्टी में मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2007, 2008 व 2009 में कौन-कौन सी सड़कें डामरीकरण हेतु प्रस्तावित की गयी हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सिंह सरोज-

जनपद-प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी में मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2007 में कोई भी सड़क डामरीकरण हेतु प्रस्तावित नहीं की गयी है। वर्ष 2008 एवं 2009 में मण्डी समिति विधान सभा पट्टी में कुल 08 नग सड़कें डामरीकरण हेतु प्रस्तावित की गयी हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0)	लागत (रु0 लाख)	वर्ष	विधान सभा क्षेत्र
1	डा0 अम्बेडकर ग्राम शिवपुर औरंगाबाद मार्ग से उदयराम	0.70	11.77	2008-09	पट्टी
2	डा0 अम्बेडकर ग्राम मदाफरपुर कोहडौर मार्ग से बिजरा वाजिदपुर स0 मार्ग	0.60	12.38	2008-09	पट्टी

क्र0	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी0)	लागत (रु0 लाख)	वर्ष	विधान सभा क्षेत्र
3	डा0 अम्बेडकर ग्राम पालूपुर हरिजन यादव एवं दुवान बस्ती	0.65	13.08	2008-09	पट्टी
4	डा0 अम्बेडकर ग्राम भुजैनिया सम्पर्क मार्ग एवं पूरे सेवकी लोकई का पूरा सम्पर्क मार्ग	1.36	26.33	2008-09	पट्टी
5	पट्टी प्रतापगढ़ मार्ग से पांडितान बस्ती (सर्वजीतपुर)	0.80	18.40	2008-09	पट्टी
6	करैली भैसोनी मार्ग से बहेलियान बस्ती	0.35	8.00	2008-09	पट्टी
7	अन्तपुर मार्ग से कुर्मियान एवं ब्राहमण बस्ती	1.15	26.45	2008-09	पट्टी
8	पट्टी प्रतापगढ़ मार्ग से सर्वजीतपुर शोभा भूज के घर तक	1.35	31.05	2008-09	पट्टी
	योग	6.95	146.51		

उक्त 08 नग सड़कों में से 04 नग सड़कों (क्रमांक-1 से 4 तक) का डामरीकरण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा शेष 04 नग सड़कों (क्रमांक-6 से 8 तक) की निविदा स्वीकृति हो चुकी है एवं निर्माण हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उप जिलाधिकारी पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ द्वारा की गई ग्राम की फसली पड़ताल का विवरण

5-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी, पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 16-7-05 से 3-8-07 तक ब्लाक पट्टी प्रतापगढ़ के किन-किन तिथियों में शीतकालीन एवं ग्रीष्म कालीन भ्रमण एवं रात्रि विश्राम किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अवधि में किये गये प्रत्येक ग्राम के फसली पड़ताल का विवरण क्या है ?

श्री फागू चौहान-

उप जिलाधिकारी, पट्टी जनपद-प्रतापगढ़ द्वारा प्रश्नगत अवधि में ब्लाक पट्टी के 16 ग्रामों का विभिन्न तिथियों में भ्रमण एवं रात्रि विश्राम किया गया। जिसका विवरण संलग्न है।

उपरोक्तानुसार।

(देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ 199-201 पर)।

जनपद प्रतापगढ़ में तहसील पट्टी के अन्तर्गत अनहवा एवं मंगलराजा तालाब की वर्तमान स्थिति

6-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में तहसील पट्टी के अन्तर्गत अनहवा एवं मंगलराजा तालाब क्रमशः इटवा एवं दरछुट को पूर्व में पट्टे के रूप में आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है ? क्या सरकार द्वारा इन आवंटियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार बेदखल करने हेतु कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

मत्स्य पालन हेतु पट्टे की अवधि समाप्त होने के उपरान्त 10 वर्षीय मत्स्य पालन हेतु अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मंगलराजा तालाब का पट्टा स्वीकृत किया गया है। दूसरा तालाब अनहवा रिक्ता है। दोनों मौके पर तालाब के स्वरूप में ही किसी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं है।

मत्स्य पालन हेतु पट्टा स्वीकृत किया गया है। बेदखली का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ के पशु चिकित्सालयों में उत्तम नस्ल के पशु गर्भाधान हेतु रखे जाने की मांग

7-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में कितने पशु चिकित्सालय हैं ? इनमें से कितने पशु चिकित्सालयों में उत्तम नस्ल के पशु गर्भाधान हेतु रखे गये हैं ? क्या सरकार प्रत्येक गर्भाधान केन्द्र पर उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद प्रतापगढ़ में कुल 50 पशुचिकित्सालय हैं।

कोई नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गाय एवं भैंसों में उन्नत नस्ल के पशुओं के उत्पादन हेतु अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान का कार्य प्रत्येक गर्भाधान केन्द्र पर किया जाता है।

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में बड़ी ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त दुग्ध समितियां खोले जाने की मांग

8-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में ग्राम सभा स्तर पर कितनी दुग्ध समितियों को संचालित किया जा रहा है ? क्या सरकार बड़ी ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त दुग्ध समितियां खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में ग्राम सभा स्तर पर 44 दुग्ध समितियां संचालित हैं।

जी नहीं।

प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर एक समिति दुग्ध संग्रह करने के लिये पर्याप्त है।

जनपद-प्रतापगढ़ के पालीटेक्निक कालेज, प्रतापगढ़ में शिक्षण कार्य हेतु नियमित नियुक्तियां किये जाने की मांग

9-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद-प्रतापगढ़ के पालीटेक्निक कालेज, प्रतापगढ़ में मानक के अनुरूप शिक्षकों की नियमित नियुक्ति न करके जिन शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है उनमें से 06 शिक्षक अन्य संस्थाओं से भी सम्बद्ध हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उक्त सम्बद्धता को समाप्त करते हुए प्रतापगढ़ में ही शिक्षण कार्य हेतु नियमित नियुक्तियां करते हुए शेष रिक्त पदों को भी अविलम्ब भरना सुनिश्चित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सदल प्रसाद)-

जी नहीं।

वर्तमान में राजकीय पालीटेक्निक, प्रतापगढ़ के किसी भी शिक्षक को अन्य किसी संस्था से सम्बद्ध नहीं किया गया है।

विभिन्न विषयों के व्याख्याता तथा कर्मशाला अनुदेशक के रिक्त पदों का अधियाचन, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद को भेजा गया है। आयोग से संस्तुति प्राप्त होने पर संस्था में रिक्त व्याख्याता तथा कर्मशाला अनुदेशक को भरा जायेगा एवं अन्य रिक्त पदों को भरे जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ में पुनः चकबन्दी कार्य कराये जाने की मांग

10-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में क्या सरकार पुनः चकबन्दी का कार्य कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील सदर और लालगंज अझारा के कुल 141 ग्रामों में द्वितीय चक्र की चकबन्दी कराये जाने की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है तथा चकबन्दी कार्य प्रगति पर है। शेष ग्रामों में सम्बन्धित ग्राम सभा के प्रस्ताव तथा जिलाधिकारी स्तर से औचित्यपूर्ण सुसंगत प्रस्ताव प्राप्त होने पर द्वितीय चक्र की चकबन्दी कराने पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में गौड़, कुरिया, नायक (पी0ओ0एन0बी0) जाति के सदस्यों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सुविधा दिये जाने की मांग

11-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में गौड़, कुरिया, नायक (पी0ओ0एन0बी0) जाति के सदस्यों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सुविधा दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

सूचीबद्ध न होने के कारण।

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु मिनी स्टेडियम बनाने की मांग

12-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु एक मिनी स्टेडियम बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अयोध्या प्रसाद पाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

युवा कल्याण विभाग के आय-व्ययक में वर्ष 2008-09 में नये ग्रामीण स्टेडियम निर्माण हेतु धनराशि का प्राविधान न होने के कारण नये ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण सम्भव नहीं है।

जनपद-सिद्धार्थनगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को दी गई छात्रवृत्ति का विवरण

13-श्री लालजी यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर में वर्ष 2006-07 में कितने छात्रों को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है ? क्या इसका विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद सिद्धार्थनगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित एकमात्र विद्यालय डा0 भीमराव अम्बेडकर प्राइमरी पाठशाला महरिया है। उक्त विद्यालय में वर्ष 2006-07 में कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के 256 छात्रों, सामान्य वर्ग के 73 छात्रों तथा विमुक्त जाति के 48 छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण किया जा चुका है। विद्यालय द्वारा कक्षा 6 से 8 तक की भी मान्यता प्राप्त कर कक्षायें संचालित की जा रही है। वर्ष 2006-07 में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के 39 छात्रों, सामान्य वर्ग के 11 छात्रों एवं विमुक्त जाति के 04 छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मुस्लिम समाज की ऐसी जातियों जिसकी समतुल्य हिन्दू जातियां, अनुसूचित जाति में शामिल हैं, को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल किये जाने की मांग

14-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुस्लिम समाज की ऐसी जातियों जिसकी समतुल्य हिन्दू जातियां, अनुसूचित जाति में शामिल हैं, को क्या अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

अनुसूचित जाति की सूची में किसी जाति को सम्मिलित करने व निकालने का अधिकार भारत सरकार में निहित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उद्योग केन्द्रों पर हेल्प डेस्क की सुविधा प्रदान किये जाने की मांग

15-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2008 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-133 के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उद्योग केन्द्रों पर हेल्प डेस्क की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था क्या लागू कर दी गई है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

हेल्प डेस्क की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था विचाराधीन है।

जनपद मेरठ के अवशेष भाग में चकबन्दी कराये जाने की मांग

16-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-10-08 जो ग्राम हर्रा जनपद मेरठ के अवशेष भाग में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जनपद मेरठ के ग्राम हर्रा की चकबन्दी प्रक्रियाओं में सम्मिलित करने हेतु जिलाधिकारी/जिला उप संचालक मेरठ से प्रस्ताव मांगा गया है। सुसंगत प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बागपत के ग्राम बरनावा तथा कस्बा टीकरी में चकबन्दी प्रक्रिया में हो रहे विलम्ब के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

17-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र बरनावा, जनपद-बागपत के ग्राम बरनावा तथा कस्बा टीकरी में चकबन्दी प्रक्रिया कब शुरू की गयी थी, क्या उक्त चकबन्दी कार्य में हो रहे विलम्ब के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम बरनावा तथा कस्बा टीकरी तहसील बड़ौत जनपद-बागपत में वर्ष 1981 में चकबन्दी कार्य चल रहा है। ग्राम टीकरी में दिसम्बर, 2009 तक बरनावा का 2011 तक चकबन्दी कार्य पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

ग्राम बरनावा में धारा-4क(2) की विज्ञप्ति के प्रकाशन के उपरान्त ग्राम के कृषकों के मध्य आपसी रंजिश एवं दलबन्दी के कारण चकबन्दी कार्य लगभग 5 वर्षों तक बाधित रहा है। चक सीमांकन कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ग्राम के कृषकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या-3351/04 योजित की गई जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20-12-06 को पुनः विनिमय अनुपात निर्धारित करके नई चकबन्दी योजना तैयार करने के आदेश दिये गये, जिसके अनुपालन में पुनः विनिमय अनुपात का निर्धारण करके धारा-9 व 10 के अन्तर्गत प्रकाशन कर दिया गया। चक निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे मार्च, 2011 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

ग्राम टीकरी में धारा-4क(2) की विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरान्त कृषकों में आपसी रंजिश व दलबन्दी के कारण चकबन्दी कार्य लगभग 6 वर्षों तक बाधित रहा। वर्तमान में ग्राम के अन्तिम अभिलेखों की तैयारी का कार्य प्रगति पर है। माह दिसम्बर, 2009 तक चकबन्दी कार्य पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

उक्त ग्रामों में चकबन्दी कार्य में हुए विलम्ब का मुख्य कारण ग्राम के कृषकों के मध्य आपसी रंजिश एवं दलबन्दी होना है इस विलम्ब में किसी कार्मिक का दोष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

मृतकों के आश्रितों को आपदा निधि के दिशा-निर्देश के अनुसार आर्थिक सहायता का दिया जाना

18-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2008 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-132 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मृतकों के आश्रितों को आपदा

निधि के दिशा-निर्देश के अनुसार कितनी आर्थिक सहायता अनुमन्य है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रत्येक मृतक आश्रित परिवार को कितनी-कितनी धनराशि राहत आपदा निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

मृतकों के आश्रितों को भारत सरकार की अद्यतन सी0आर0एफ0 गाइडलाइन्स के अनुसार रुपये एक लाख (प्रति मृतक) की अहेतुक आर्थिक सहायता अनुमन्य है।

जनपद इटावा अलीगढ़ एवं उरई के एक-एक तथा जनपद हमीरपुर के तीन मृतकों के आश्रितों/वारिसान को अनुमन्य अहेतुक आर्थिक सहायता (प्रत्येक को रुपये एक लाख) वितरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

19-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राजस्व अभिलेखों में झांसी जनपद में झांसी विकास प्राधिकरण पुरातत्व विभाग के नाम से तहसील झांसी में दर्ज भूमि का विवरण

20-श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व अभिलेखों में झांसी जनपद में झांसी विकास प्राधिकरण पुरातत्व विभाग के नाम से तहसील झांसी में कितनी भूमि दर्ज है, उन भूमियों के आराजी नम्बर व रकबा क्या है ?

श्री फागू चौहान-

राज्य अभिलेखों में झांसी विकास प्राधिकरण पुरातत्व विभाग के नाम से तहसील झांसी में कोई भूमि दर्ज नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

21-श्री सुन्दर लाल लोधी-

[2सरे मंगलवार के अता0 प्रश्न सं0-161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सी0लिब0, बी0लिब, एम0लिब प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण-पत्र धारकों को नियुक्त किये जाने की मांग

22-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा क्या हर जनपद में चयनित शिक्षार्थियों को सी0लिब0, बी0लिब, एम0लिब का प्रशिक्षण देकर पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है ? यदि हां, तो इस प्रमाण-पत्र धारकों को प्रदेश के निर्धारित स्थानों पर नियुक्ति हेतु भेजने का कोई शासनादेश है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

सूचना एकत्र की जा रही है।

स्व0 राम किशुन पुत्र नन्द लाल ग्राम-मदापुर, शम्सपुर की जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

23-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्व0 राम किशुन पुत्र नन्द लाल ग्राम मदापुर, शम्सपुर थाना घोसी के गाटा सं0-1002 रकबा 639 की जमीन पर कुछ लोगों ने दिनांक 24-3-2007 को कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम मदापुर शम्सपुर तहसील घोसी जनपद मऊ की गाटा संख्या-1002 रकबा-0.1620 हेक्टेयर अभिलेख में ताना वाना के खाते में दर्ज है जो मौके पर खाली है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

मेसर्स फर्रुखाबाद कोल्ड स्टोरेज प्रा0 लि0 ग्राम मेंहदौरी तहसील चायल (सदर) इलाहाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की शर्तों के उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में पत्र पर कार्यवाही की मांग

24-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स फर्रुखाबाद कोल्ड स्टोरेज प्रा0 लि0, ग्रा0 मेंहदौरी तहसील चायल (सदर) इलाहाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की शर्तों के उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 19 फरवरी, 2008 क्या उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

आयुक्त इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद से जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बगहा, तहसील मेजा, जनपद इलाहाबाद में राजस्व अभिलेख में अमल-दरामद किये जाने के निर्देश

25-श्री सुखलाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यायालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) इलाहाबाद ने मु0नं0-95/2004-05 के अन्तर्गत दिनांक 25 जून, 2005 को तहसीलदार, मेजा को ग्राम बगहा, परगना खैरागढ़ तहसील मेजा, इलाहाबाद में राजस्व अभिलेख में अमल-दरामद किये जाने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो क्या दिये गये निर्देश का अनुपालन सम्बन्धित द्वारा करा लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसके दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के मनकापुर में ग्राम पंचायत भिटौरा अम्बेडकर ग्राम में सहकारी दुग्ध समिति खोलने की मांग

26-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड मनकापुर में ग्राम पंचायत भिटौरा अम्बेडकर ग्राम में दूसरी व तीसरी समिति खोलने के सम्बन्ध में सामान्य प्रबन्धक दुग्ध संघ, गोण्डा द्वारा अपने पत्रांक सं0-1081-84, दिनांक 8 सितम्बर, 2008 को दुग्ध आयुक्त, उ0प्र0 दुग्धशाला जवाहर भवन लखनऊ को पत्र लिखा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनसंख्या के आधार पर दूसरी व तीसरी समिति खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड मनकापुर में ग्राम पंचायत भिटौरा अम्बेडकर ग्राम में एक सहकारी दुग्ध समिति कार्यरत है, जिससे लगभग 100 लीटर दूध प्रतिदिन दुग्ध संघ गोण्डा को प्राप्त हो रहा है जो ग्राम पंचायत भिटौरा में दुग्ध संग्रह हेतु पर्याप्त है। एक ग्राम पंचायत में जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि दुग्ध समिति को आर्थिक सक्षमता के लिए कम से कम 30 से 50 दुग्ध उत्पादकों की संख्या के आधार पर जिनके पास दुधारू जानवर होते हैं और समिति में दूध देने के इच्छुक होते हैं, ऐसे इच्छुक दुग्ध उत्पादक सदस्यों के सहयोग से दुग्ध सहकारी समिति का गठन किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों की बेटियों की शादी हेतु अनुदान

27-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति के लोगों की बेटियों की शादी के लिये वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रदेश के कितने लोगों ने आवेदन किया तथा कितने पात्र पाये गये और उसमें से कितनी लड़कियों की शादी के लिये अनुदान दिया गया ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

वर्ष 2008-09 में प्रदेश में अनुसूचित जाति की बालिकाओं की शादी हेतु 1,36,412 लोगों ने आवेदन किया जिसमें से 1,15,218 आवेदन-पत्र प्राप्त पाये गये तथा 46,105 बालिकाओं की शादी के लिए अनुदान दिया गया है।

जनपद मैनपुरी के कृषकों को निःशुल्क ढैंचा बीज का वितरण

28-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद- मैनपुरी में कृषि विभाग द्वारा वर्तमान में प्रति विकास खण्ड को वितरण हेतु 20 किलोग्राम ढैंचा निःशुल्क दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उप निदेशक, कृषि मैनपुरी द्वारा ढैंचा वितरण हेतु विकास खण्डों को नहीं दिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

उप कृषि निदेशक, मैनपुरी द्वारा राजकीय कृषि बीज भण्डार, मैनपुरी से 16.50 कुन्तल, घिरोर 20.50 कुन्तल, कुरावली 17.00 कुन्तल, सुल्तानगंज 17.00 कुन्तल, जागीर 9.00 कुन्तल, बेबर 17.00 कुन्तल, किशनी 21.00 कुन्तल, करहल 20.50 कुन्तल, बरनाहल 9.00 कुन्तल निःशुल्क ढैंचा बीज का वितरण कृषकों को किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में यमुना नदी में बाढ़ विस्थापितों को बसाने के फर्जी बैनामें की जांच

29-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र संख्या 4027/सविस/रालोद/ 08, दिनांक 23-10-08 जो जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 1975-76 में यमुना नदी में बाढ़ के विस्थापितों को तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा खसरा सं0-494 की जमीन पर बसाने के फर्जी बैनामा के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच हेतु जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को आदेशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम चौसाना तहसील कैराना में कृषि पट्टेधारकों को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय अवधि

30-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र संख्या 4031/सविस/रालोद/ 08, दि0 23-10-08 जो जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम चौसाना तहसील कैराना में कृषि पट्टेधारकों को अपने पक्ष में साक्ष्य उपलब्ध कराने हेतु समय दिये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पट्टा धारकों को साक्ष्य उपलब्ध

कराने हेतु कितनी समय अवधि दी गई ? क्या इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा राजस्व अभिलेखों का पुनः निरीक्षण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में धारा 33/39 एल0आर0 ऐक्ट के अन्तर्गत दायर सभी 122 वादों पर विचार करने के उपरान्त कार्यवाही समाप्त किये जाने के आदेश दिनांक 22-1-2009 को न्यायालय उप जिलाधिकारी, कैराना द्वारा पारित किये गये हैं, उसमें यह भी कहा गया है कि यदि ग्राम सभा जांचोपरान्त उचित समझती है तो कार्यवाही करा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में यमुना नदी में आयी बाढ़ के कारण नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिये जाने की मांग

31-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र संख्या 4028/सविस/रालोद/ 08, दि0 23-10-08, जो जनपद मुजफ्फरनगर में 14 सितम्बर, 2008 को यमुना नदी में आयी बाढ़ के कारण नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जनपद मुजफ्फरनगर में 13 व 14 सितम्बर, 2008 को यमुना नदी में ऊपर से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी जिस कारण यमुना नदी पर बने तटबन्धों को क्षति हुई तथा 249.0405 हे0 कृषि क्षेत्रफल प्रभावित हुआ था किन्तु आपदा राहत निधि सम्बन्धी भारत सरकार की गाइडलाइंस के आलोक में फसलों का 50 प्रतिशत से कम हुई हानि के कारण कोई भी राहत धनराशि का वितरण किया जाना संभव नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

32-डा0 अनिल चौधरी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर निदेशक (प्रशासन) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 का पत्र सं0 मु0अभि0 (प्रस्ताव)/2008-1701 दि0 12-8-08 जो तहसील सादाबाद महामायानगर के मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में है, जिलाधिकारी, महामायानगर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

मण्डी समिति, सादाबाद से मार्ग निर्माण हेतु जिलाधिकारी, महामायानगर का अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

33-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

[दिनांक 12-02-2009 को अता0 प्रश्न सं0-04 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के ग्राम पंचायत भिटौरा में श्री रामकिशुन पुत्र श्री शंकर को स्वीकृत आवासीय पट्टा

34-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिटौरा में गाटा संख्या 3696 का राजस्व अभिलेखों में रकबा एवं श्रेणी क्या दर्ज है ? उक्त गाटा संख्या में किन-किन व्यक्तियों को किस वर्ष में आवास हेतु पट्टा आवंटित किया गया ? क्या यह सही है कि अपात्र व्यक्ति को पट्टा आवंटित किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद-गोण्डा के तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिटौरा में गाटा संख्या-3696 रकबा 0.231 हे0 नवीन परती दर्ज है।

गाटा संख्या-3696/0.231 हे0 में राम किशुन पुत्र शंकर को आवासीय पट्टा उप जिलाधिकारी, मनकापुर द्वारा दिनांक 18-5-94 को स्वीकृत किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की ग्राम पंचायत भिटौरा की नवीन परती जमीन पर पक्की सड़क एवं हरे वृक्षों की बागवानी

35-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भिटौरा में गाटा संख्या-3696/0-57, डिसमिल राजस्व अभिलेखों में नवीन परती की श्रेणी में दर्ज है ? यदि हां, तो क्या सरकार अनुसूचित जातियों के पात्र व्यक्तियों को आवासीय पट्टा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी नहीं। गाटा संख्या-3696 में पक्की सड़क व पुराने आम, सागौन, कटहल के पेड़ लगे है।

36-श्री सुखलाल-

[दूसरे बुधवार के अता0प्र0सं0-173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद के ग्राम बगहा में अवैध कब्जे से मुक्त चक मार्ग

37-श्री सुखलाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बगहा ब्लाक उरुवां, जनपद-इलाहाबाद एवं ग्राम चौकी की सरहद (सीमा) चकमार्ग सं0 259, 255 को दबंगों द्वारा नष्ट कर कब्जा कर लिया गया है ? क्या सरकार ग्राम बगहा व ग्राम चौकी का पुनः सीमांकन कराकर अवैध कब्जों को मुक्त कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

ग्राम बगहा व ग्राम चौकी के चकमार्ग सं0-259 व 255 का सीमांकन ग्रामवासियों की उपस्थिति में कराया गया। चकमार्ग संख्या-255 रकबा 0.006 हे0 के जुज भाग पर गेहूं बोकर अवैध कब्जा किया गया था जिसे मौके पर खाली करा दिया गया है। चकमार्ग संख्या-259 रकबा 0.021 हे0 आबादी के मध्य में स्थित है, इसके जुज भाग पर बाउन्ड्री वाल व थाला बनाकर अवैध कब्जा किया गया था जिसके बावत अवैध अतिक्रमणीय के विरुद्ध 3/5 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम की कार्यवाही करायी गयी थी। वर्तमान में मौके पर अवैध कब्जेदारों द्वारा स्वयं बाउन्ड्रीवाल गिराकर थाला हटा लिया गया है। चकमार्ग मौके पर खाली है। आवागमन में कोई असुविधा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के सादाबाद व सहपऊ विकास खण्डों में टिड्डी एवं सुंडी से क्षतिग्रस्त हुई फसल का मुआवजा दिये जाने की मांग

38-डा0 अनिल चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2008 के जुलाई व अगस्त में टिड्डी एवं सुंडी (कैटर पिलर) द्वारा विभिन्न फसलों में भारी नुकसान पहुंचाया गया ? क्या जनपद महामायानगर के सादाबाद व सहपऊ विकास खण्डों में फसलों को इन कीटों द्वारा पहुंचाये नुकसान का आंकलन/सर्वेक्षण राजस्व विभाग द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो पीड़ित किसानों को राजस्व विभाग द्वारा क्या कोई मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद महामायानगर के अतिरिक्त अन्य किसी जनपद से वर्ष 2008 के जुलाई व अगस्त में टिड्डी एवं सुंडी (कैटर पिलर) द्वारा विभिन्न फसलों को नुकसान किये जाने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के ब्लाक सादाबाद व सहपऊ में जुलाई व अगस्त, 2008 के सूंडी (कैटर पिलर) द्वारा फसलों-ढेंचा में 30-35 प्रतिशत तिल में 20-30 प्रतिशत कपास में 0-10 प्रतिशत बाजरा में 2-5 प्रतिशत व अरहर में 2-5 प्रतिशत का नुकसान पहुंचाया गया है। फसल की क्षति का आंकलन फसल होने के कारण कृषि विभाग से कराया गया।

जी नहीं।

भारत सरकार की आपदा राहत निधि की गाइडलाइंस के द्वारा निर्धारित फसलों की क्षति का प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम होने के कारण नियमानुसार कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी।

महिला कल्याण विभाग लखनऊ के लिए आया के पद पर नियुक्ति हेतु श्रीमती जुबैदा खातून के शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की जांच

39-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला कल्याण विभाग में जनपद लखनऊ में आया के पद पर श्रीमती जुबैदा खातून की शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र किस शैक्षिक संस्था द्वारा जारी किया गया है ? क्या यह सही है कि सिटी माडल पब्लिक स्कूल सरदारी खेड़ा, लखनऊ जिसने श्रीमती जुबैदा खातून को वर्ष 1997 में उक्त प्रमाण-पत्र जारी किया है, की 1997 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत परीक्षा हेतु अधिकृत नहीं किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

महिला कल्याण विभाग में जनपद लखनऊ में आया के पद पर श्रीमती जुबैदा खातून की शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र सिटी माडल पब्लिक स्कूल, सरदारी खेड़ा, आलमबाग, लखनऊ द्वारा जारी किया गया है।

जी हां।

जांच हेतु निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ से निदेशक महिला कल्याण उ0 प्र0 द्वारा अनुरोध किया जा चुका है।

जांच हेतु निदेशक महिला कल्याण द्वारा दिनांक 16-2-2009 को पत्र निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय को भेजा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शासन स्तर के अधिकांश विभागों में बेवसाइट की व्यवस्था

40-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 शासन के समस्त विभागों की एक वेबसाइट बनाकर उसे अपडेट रखने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश के शासन स्तर के 83 विभागों की वेब साइट तैयार कराकर उत्तर प्रदेश सरकार की अधिकारिक वेब साईट पर एक साथ संकलित कर रखी गयी है।

सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनी वेब साईट्स को समय-समय पर अपडेट किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में स्वीकृत विधवा पेंशन एवं निराश्रित महिलाओं के प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या

41-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में कितनी विधवाओं को विधवा पेंशन जनवरी, 2007 से 10 अक्टूबर, 2008 तक स्वीकृत की गई है ? उक्त अवधि में पेंशन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए ? क्या यह सही है कि जिला प्रोवेशन अधिकारी न होने के कारण

आवेदन करने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या के निस्तारण के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद बागपत में माह जनवरी, 2007 से 10 अक्टूबर, 2008 तक 360 पति की मृत्योपरान्त, निराश्रित महिलाओं को पेंशन स्वीकृत की गई है।

उक्त अवधि में पति की मृत्योपरान्त निराश्रित महिलाओं के 360 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं।

जी नहीं। जिला प्रोबेशन अधिकारी का कार्य उप जिलाधिकारी बागपत द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। इसलिये आवेदन करने वालों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 35 वर्ष तक की विधवाओं को पुनर्विवाह करने पर अनुदान की व्यवस्था

42-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 35 वर्ष तक की विधवा को पुनर्विवाह करने पर 10,000 रु0 दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो वर्ष 2006-07, 2007-08 में बागपत में इस योजना के अन्तर्गत कितनी महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर रु0 10,000 रु0 की धनराशि दी गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि उनके नाम व पते क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

35 वर्ष से कम आयु की पति की मृत्योपरान्त निराश्रित महिला को पुनर्विवाह करने पर रु0 11000.00 का अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

वर्ष 2006-07, 2007-08 में जनपद बागपत में दम्पत्ति पुरस्कार योजना के अन्तर्गत 08 लाभार्थियों को धनराशि दी गई है।

दम्पत्ति पुरस्कार से लाभान्वित लाभार्थियों के नाम व पते निम्न प्रकार हैं :-

1-श्री अनिल/श्रीमती सुनीता, निवासी टटीरी, बागपत।

2-श्री मोन्टी/श्रीमती कविता निवासी अमीनगर, सराय बागपत।

3-श्री अरविन्द/श्रीमती रीता, निवासी तुगाना बागपत।

4-श्री पवन/श्रीमती सीमा निवासी बड़ौत बागपत।

5-श्री जगमोहन/श्रीमती सुमन निवासी खेकड़ा।

6-श्री संदीप कुमार/श्रीमती सीतादेवी निवासी अमीनगर सराय।

7-श्री शादाब/श्रीमती भूरी निवासी अमीनगर सराय।

8-श्री साकिर अली/श्रीमती बानों, अमीनगर सराय।

9-श्री पूरण/श्रीमती सुनीता निवासी खेकड़ा, बागपत।

प्रश्न नहीं उठता।

मे0 फर्रुखाबाद कोल्ड स्टोरेज तेलियरगंज, इलाहाबाद के प्रकरण की जांच तथा सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्धन सम्बन्धी नियमावली में संशोधन का विचाराधीन प्रस्ताव

43-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 19-06-2008 जो राजकीय आस्थान के भूमि घोटाला विषयक है आपको, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्धन से सम्बन्धित नियमावली, 1987 के सम्बन्ध में नियमावली में संशोधन की कार्यवाही शासन के समक्ष विचाराधीन है।

मे0 फर्रुखाबाद कोल्ड स्टोरेज तेलियरगंज इलाहाबाद के प्रकरण में आयुक्त इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद से जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कृषि फार्मों पर केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान से प्राप्त बीज का उपयोग तथा किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने की व्यवस्था

44-श्री जोखू लाल यादव-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी कृषि फार्मों में एक कुन्तल आलू का उत्पादन करने में लागत मूल्य कितना आता है ? क्या सरकार आलू का उसी के अनुरूप किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री नरायन सिंह)-

सरकारी कृषि फार्मों पर केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान से प्राप्त ब्रीडर आलू बीज को सम्बर्द्धित किया जाता है जो आलू का बीज होता है। विभाग के राजकीय प्रक्षेत्रों पर सामान्य उपभोग के आलू का उत्पादन नहीं किया जाता है।

सरकार द्वारा आलू उत्पादक किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करने का निर्णय लिया जा चुका है एवं आलू का समर्थन मूल्य रु0 300/-प्रति कुन्तल सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

45-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[दूसरे सोमवार के अता0प्र0सं0-171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश में कृषि विभाग के कार्यालयों में निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी कराने की मांग

46-डा0 अजय तोमर-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के विभिन्न कार्यालयों, प्रक्षेत्रों व बीज भण्डारों पर निष्प्रयोज्य ट्रैक्टर, जीप, ट्रक गल रहे हैं ? क्या उक्त को नीलामी द्वारा निस्तारण की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रित एवं अशक्त वृद्धाजनों हेतु लखनऊ एवं वाराणसी में वृद्ध गृहों का संचालन

47-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या सरकार प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिये अन्य राज्यों की तरह वरिष्ठ नागरिक कल्याणार्थ नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

प्रदेश सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निराश्रित एवं अशक्त वृद्धजनों के लिए जनपद लखनऊ तथा वाराणसी में अशक्त एवं वृद्धगृहों का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बी0पी0एल0 सूची वर्ष 2002 में अंकित 60 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के वृद्धजनों को वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत रुपये 300/-प्रतिमाह प्रति लाभार्थी पेंशन दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर में सार्वजनिक भूमि/पोखर/तालाब से हटाये गये अवैध कब्जे का विवरण

48-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर में सार्वजनिक भूमि/तालाब, पोखर पर से वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 में कितने हेक्टेयर जमीन अवैध कब्जेदारों से खाली कराई गई है और कितनी शेष है ? भू राजस्व अधिनियम की धारा 218 के अन्तर्गत किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध वर्षवार कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद-गोण्डा की तहसील मनकापुर में सार्वजनिक भूमि/तालाब, पोखर आदि पर से वर्ष 2006-07 में 50.014 हे0 तथा वर्ष 2007-08 में 95.437 हे0 और 2008-09 में 0.276 हे0 भूमि से अवैध कब्जे हटाये गये। 3.135 हे0 भूमि पर अवैध अतिक्रमण अवशेष है जिसके सम्बन्ध में न्यायालय में वाद विचाराधीन है।

भू-राजस्व अधिनियम की धारा 218 के अन्तर्गत किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ी।

जनपद वाराणसी में चकबन्दी के अन्तर्गत ग्राम सभा की भूमि पर भू-माफियाओं के नाम दर्ज किये जाने के प्रकरण की जांच

49-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्प्यूटर सं0 सी0 10182675, पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम- 182675/2008 का पत्र प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व एवं आपदा को प्राप्त हुआ है, जो ग्राम सभा में चकबन्दी प्रक्रियाओं के दौरान ग्राम सभा की भूमि पर भू-माफियाओं का नाम दर्ज करने के सम्बन्ध में आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित 09 बिन्दुओं की जांच बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, वाराणसी से करायी गयी। जांच के फलस्वरूप 01 बिन्दु पर शिकायत निराधार पायी गयी, 05 बिन्दुओं पर तहसील से प्राप्त आधार वर्ष 1382-84 फसली की खतौनी में गलत एवं संदिग्ध इन्द्राज पाये गये, जिनके निरस्तीकरण हेतु चकबन्दी अधिकारी, राजातालाब, वाराणसी के द्वारा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-9 के अन्तर्गत वाद दायर कर पक्षकारों को नोटिस जारी किये गये हैं। सुनवाई के उपरान्त चकबन्दी अधिकारी द्वारा इन मामलों में समुचित आदेश पारित किया जायेगा। शेष 03 बिन्दुओं की जांच से स्पष्ट हुआ है कि तत्कालीन चकबन्दी अधिकारियों द्वारा अनियमित आदेश पारित कर ग्राम सभा/सार्वजनिक उपयोग की भूमि की मालियत लगाकर खातों में दर्ज कर दी गई। इन तीनों ही मामलों में वर्तमान चकबन्दी अधिकारी, राजातालाब द्वारा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा-9 के अन्तर्गत पुनर्स्थापना प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जा रहा है तथा पक्षकारों की सुनवाई के उपरान्त समुचित आदेश पारित किया जायेगा। अनियमित आदेश पारित करने के लिए उत्तरदायी चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध जांचोपरान्त अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संग्रह अमीनों/अनुसेवकों को नियमावली के अनुसार नियमित करने की व्यवस्था

50-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र कम्प्यूटर सं0 सी 10181161, पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम-181161/2008 दिनांक 23-5-08 जो प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व एवं आपदा को सम्बोधित है और जो सामयिक संग्रह अमीन/सेवक को नियमित करने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

उक्त पत्र द्वारा प्रदेश में कार्यरत सामयिक संग्रह अमीनों एवं अनुसेवकों को समायोजित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उ0 प्र0 संग्रह अमीन सेवा नियमावली, 1974 (यथा संशोधित 2004 तक) तथा उ0 प्र0 संग्रह अनुसेवक सेवा नियमावली, 2004 के अन्तर्गत सामयिक संग्रह अमीनों तथा सामयिक संग्रह अनुसेवकों के लिए क्रमशः रिक्तियों के 35 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत पदों पर नियमित नियुक्ति का प्राविधान पूर्व से ही है। संगत नियमावलियों के अनुसार रिक्तियां उपलब्ध होने की दशा में इन सामयिक कर्मियों को नियमित नियुक्ति प्रदान की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील शामली तथा कैराना में उप जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये पट्टों का विवरण

51-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील शामली तथा कैराना की जुलाई, 2005 से जुलाई, 2008 तक किन-किन ग्राम सभाओं में उप जिलाधिकारी द्वारा आवासीय पट्टे स्वतः (सुमोरो) अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्वीकृत किये गये हैं ?

श्री फागू चौहान-

जनपद-मुजफ्फरनगर की तहसील शामली में जुलाई, 2005 से जुलाई, 2008 के मध्य ग्राम सभा कसेरवा कलां में एक पात्र व्यक्ति को आवास स्थल हेतु 100 वर्ग मीटर की भूमि का आवंटन उप जिलाधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा आदेश दिनांक 24-9-2007 द्वारा स्वीकृत किया गया है।

तहसील कैराना में जुलाई, 2005 से जुलाई, 2008 के मध्य ग्राम खन्दरावली, तीतरवाड़ा, कैराना देहात व मुन्डेट में उप जिलाधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा अधिकारों का प्रयोग करते हुए 51 आवासीय पट्टे स्वीकृत किये गये हैं।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में अतिवृष्टि से हुई जनहानि पीड़ितों को आर्थिक सहायता

52-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में जून व जुलाई, 2008 में वर्षा से मकान गिरने से कितनी जनहानि हुई है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद मैनपुरी की विधान सभा क्षेत्र भोगांव में माह जून व जुलाई, 2008 में वर्षा से मकान गिरने से कुल 03 जनहानि हुई।

जांच कराकर आपदा राहत निधि की गाइडलाइन्स के अनुसार मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख रुपये (प्रत्येक को) की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की आई0 टी0 आई0, पट्टी में शिक्षकों एवं प्राचार्य के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

53-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आई0टी0आई0, पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में सभी ट्रेडों में शिक्षक मानक के अनुरूप तैनात हैं ? यदि नहीं, तो सभी विषयों के शिक्षक एवं प्राचार्य कब तक नियुक्त कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

आई0टी0आई0 पट्टी, प्रतापगढ़ में अनुदेशकों के कुल स्वीकृत 08 पदों के सापेक्ष 03 अनुदेशक तैनात हैं।

वर्तमान समय में प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों के अधिकांश पद रिक्त होने के कारण आई0टी0आई0, पट्टी, प्रतापगढ़ में अनुदेशक के पद रिक्त हैं। अनुदेशक सेवा नियमावली (चतुर्थ संशोधन) विचाराधीन है। संशोधित नियमावली प्रख्यापित होने पर अनुदेशकों के भर्ती की कार्यवाही की जायेगी तथा तत्समय आई0टी0आई0, पट्टी, प्रतापगढ़ में भी अनुदेशकों की तैनाती की जायेगी।

प्रधानाचार्य के रिक्त पदों के भरे जाने का अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 को भेजा गया है। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर आई0टी0आई0, पट्टी, प्रतापगढ़ के प्रधानाचार्य का पद भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद मैनपुरी के ग्राम अमरपुर में श्रीमती सुनीता देवी की विद्युत करेन्ट से हुई मृत्यु के फलस्वरूप किसान बीमा दुर्घटना के अन्तर्गत दी गई धनराशि

54-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद मैनपुरी के ग्राम अमरपुर ब्लाक बेबर में दि0 29-6-08 को शैलेन्द्र पुत्र श्री पातीराम की खेत पर काम करते समय विद्युत के तार टूटने से मौके पर मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार मृतक के परिवार को किसान बीमा योजना के अन्तर्गत एक लाख रुपये देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

मृतक की पत्नी श्रीमती सुनीता देवी को किसान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत एक लाख रुपये की धनराशि का भुगतान दिनांक 24-10-2008 को किया जा चुका है।

55-श्री राम बिशुन आजाद

[तीसरे मंगलवार के अता0प्र0सं0-33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज, करनैलगंज एवं मनकापुर में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त मकानों हेतु राहत सहायता की धनराशि

56-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान में जनपद गोण्डा के तहसील तरबगंज, करनैलगंज एवं मनकापुर में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण अनेक मकान गिर गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सर्वे करवाकर पीड़ित व्यक्तियों को आवास की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां। वर्ष 2008-09 में जनपद की तहसील मनकापुर में 108 तहसील तरबगंज में 6432 एवं तहसील करनैलगंज में 3845 कुल 10385 मकान बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण कराकर सी0आर0एफ0 की गाइडलाइंस के अनुसार तहसील मनकापुर में रु0 1,745 लाख तहसील तरबगंज में रु0 107745 लाख एवं तहसील करनैलगंज में रु0 59.95 लाख कुल रु0 169.440 लाख की राहत सहायता गृह अनुदान के रूप में वितरित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

57-श्री राम बिशुन आजाद-

[दूसरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के ग्राम घैला में राजस्व भूमि के कतिपय खातों पर अवैध कब्जा हटाने की मांग

58-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद लखनऊ के ग्राम घैला, थाना-मड़ियांव तहसील सदर के खाता संख्या 160 के गाटा संख्या-1049 का रकबा 1.414 पर निकट स्थित काश्तकारों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त गाटा संख्या के काश्तकारों के शिकायती पत्र पर भूमि की पैमाइश कराने एवं अवैध कब्जा हटवाने विषयक अनुसचिव (राजस्व) उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 क्रमशः 647, दिनांक 5 मार्च, 2008 एवं 1514 दि0 21 जुलाई, 2008 तथा संयुक्त सचिव, (राजस्व) उ0प्र0 शासन का पत्र 647 दिनांक 11 जून, 08 जिलाधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद लखनऊ के ग्राम घैला, थाना-मड़ियांव, तहसील सदर की खतौनी वर्ष 1414-1419 के खाता संख्या 160 पर गाटा संख्या 1049 अंकित नहीं है। गाटा संख्या 1049 खाता संख्या 318 पर अंकित है, परन्तु रकबा 1.414 हे0 अंकित न होकर मात्र 0.313 हे0 अंकित है।

इस भूमि पर निकट स्थित काश्तकारों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है अथवा नहीं इसका विनिश्चय पैमाइश के द्वारा ही किया जा सकता है। परन्तु गाटा संख्या 1049 संक्रमणीय भूमिधर श्रेणी की भूमि है, जिसकी पैमाइश उ0प्र0 भू0रा0अधि0 1901 की धारा 41 के तहत ही सम्भव है। प्रार्थी द्वारा धारा 41 के तहत कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया है। अतः पैमाइश नहीं की गई है।

उ0प्र0भू0रा0 अधिनियम 1901 की धारा 41 के तहत ही पैमाइश सम्भव होने के कारण कोई स्थलीय कार्यवाही नहीं की गई है। चूंकि प्रार्थी संक्रमणीय भूमिधर है, इसलिये नियमानुसार सक्षम न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देकर ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर की ग्राम पंचायत अम्बरपुर में सीलिंग की भूमि पात्र व्यक्तियों को आवंटित किये जाने का प्रस्ताव

59-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर की ग्राम पंचायत अम्बरपुर में दि0 30-3-95 को 146.62 एकड़ भूमि सीलिंग खाते में अंकित हुई थी ? उसमें से 138.70 एकड़ भूमि कितने पात्र व्यक्तियों को आवंटित की गई थी ? उक्त भूमि के निहितन का प्रस्ताव राजस्व परिषद् को कब भेजा गया था ? क्या सरकार द्वारा भेजे गये निहितन प्रस्ताव पर विचार किया गया ? यदि नहीं, तो उक्त प्रस्ताव पर कब तक विचार किया जायेगा ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

138.70 एकड़ भूमि को 194 पात्र व्यक्तियों को आवंटित की गई।

दिनांक 31-12-2004 को राजस्व परिषद् को इस आश्रय से वापस भेजा गया था कि त्रुटियों का निराकरण कराकर नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों का अनुपालन करते हुए पुनः प्रस्ताव भेजें।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर की ग्राम पंचायत अम्बरपुर की सीलिंग भूमि पर ग्राम प्रधान का कथित कब्जा

60-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर की ग्राम पंचायत अम्बरपुर में गाटा सं0 668 सीलिंग के खाते की भूमि है ? यदि हां, तो क्या उक्त गाटा सं0 में ग्राम प्रधान द्वारा अवैध तरीके से वर्ष 2007 में वृक्षारोपण कर लिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 16-4-99 को स्थगन आदेश पारित किया था ? यदि हां, तो उक्त प्रधान द्वारा आदेश की अवहेलना किये जाने पर उसके विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

सन्दर्भित रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने तक उक्त भूमि पर लावारिस पाये गये वृक्षों को तहसीलदार मनकापुर की अभिरक्षा में दे दिया गया है। अतः ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में उपमण्डी बनाये जाने की घोषणा

61-श्री संजय कपूर-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जनपद के टाउन एरिया केमरी में तीस से अधिक राइस मिल तथा पचास से अधिक आढ़तें हैं ? क्या यह सही है कि उक्त टाउन एरिया में उप मण्डी न होने के कारण कृषकों को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषकों के हित में टाउन एरिया केमरी में उप मंडी की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं, बल्कि 18 राईस मिलें तथा 12 थोक व्यापारी एवं आढ़तिया के लाइसेन्सी कार्यरत हैं।

जी नहीं, टाउन एरिया केमरी में उप मण्डी घोषित है जहां पर किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाया जा रहा है।

जी हां।

उपमण्डी स्थल निर्माण हेतु भूमि प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। भूमि प्राप्त होने के पश्चात् निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ ग्राम सभा नरहन खास में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की मांग

62-श्री सर्वेश कुमार सिंह "सीपू"-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के ग्राम सभा नहरन खास, तहसील सगड़ी में ग्राम समाज की भूमि खतौनी सं0-165, रकबा 0.75 हेक्टेयर पर ग्राम के दबंग व्यक्तियों द्वारा कब्जा करके अवैध रूप से मकान व बाउण्ड्री का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कब्जा हटाकर कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

तहसील-सगड़ी जनपद आजमगढ़ के ग्राम सभा नरहन खास में ग्राम समाज की भूमि खतौनी संख्या-165 रकबा 0.075 हे0 अभिलेख में बंजर के रूप में दर्ज है। इस भूखण्ड पर अवैध रूप से आबादी व सहन बनाकर कब्जा कर लिया गया है।

उपरोक्त अवैध कब्जे के सम्बन्ध में उ0प्र0ज0वि0अधि0 की धारा-122 बी के अन्तर्गत वाद संख्या-280/427/08 रिपोर्ट बनाम रामजी तहसीलदार (न्यायिक) सगड़ी के न्यायालय मे विचाराधीन है।

बेदखली आदेश पारित होने के उपरान्त अवैध अतिक्रमण हटवा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित पशु चिकित्सा केन्द्रों की संख्या

63-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में पशुओं की चिकित्सा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कितने पशु चिकित्सा उपकेन्द्र अक्टूबर, 2008 तक स्थापित किये गये हैं तथा उनमें से कितने उपकेन्द्र संचालित हैं एवं कितने बन्द हैं ? क्या सरकार बन्द केन्द्रों के संचालन हेतु कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद-मैनपुरी के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की चिकित्सा हेतु 38 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र अक्टूबर, 2008 तक स्थापित किये गये हैं। इनमें से वर्तमान में 07 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों के पद सृजित न होने के कारण संचालित नहीं है। शेष सभी संचालित है।

जी हां। पदों का सृजन होने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की दुर्घटना के अन्तर्गत हुई मृत्यु पर शासन की आर्थिक सहायता नीति

64-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की दुर्घटना, पानी में डूबने, छत से गिरने से हुयी मृत्यु फलस्वरूप मृत व्यक्ति के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के लिये सरकार की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की दुर्घटना पानी में डूबने छत से गिरने से हुई मृत्यु फलस्वरूप मृत व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के लिये राजस्व विभाग की कोई योजना नहीं है।

राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त खातेदार/सहखातेदार कृषकों हेतु जनता दुर्घटना बीमा योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत लाभ पाने हेतु केवल राजस्व अभिलेखों में दर्ज खातेदार/सहखातेदार कृषक होना आवश्यक है। इसमें गरीबी रेखा के नीचे होने की बाध्यता नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत बीमा का आवरण अधिकतम रु0 1.00 लाख की सीमा तक होगा तथा बीमा धनराशि मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति के आधार पर निर्धारित होती है।

संस्थागत वित्त विभाग द्वारा "आम आदमी बीमा योजना" का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों के मुखिया को बीमा के आच्छादन किये जाने की व्यवस्था है। जिसके अन्तर्गत जिलाधिकारियों से ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया की सूचना की सूचना प्राप्त की जा रही है अभी काफी जनपदों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उक्त योजना के सम्बन्ध में संस्थागत वित्त विभाग तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के मध्य एक एम0ओ0यू0 किया जाना है। एम0ओ0यू0 हो जाने के पश्चात् जिलाधिकारियों से ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया की सूची प्राप्त होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम को उसके सापेक्ष बीमा प्रीमियम की धनराशि का भुगतान किये जाने पर ही सम्बन्धित व्यक्ति उस योजना से आच्छादित होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के व्यावसायिक एवं प्राविधिक विद्यालयों में चयनित छात्रों के प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क

65-श्री जोखू लाल यादव-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0टी0यू0 द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा में बी0 टेक में प्रवेश हेतु चयनित छात्रों से राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश हेतु सरकार ने कितना प्रवेश शुल्क निर्धारित किया है तथा उक्त कक्षा में प्रवेश हेतु प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश शुल्क कितना निर्धारित किया गया है ? क्या सरकार ने निर्धन छात्रों के शिक्षण शुल्क वापस करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उनके मानक क्या हैं ?

श्री सदल प्रसाद-

उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा में बी0टेक के प्रवेश हेतु चयनित छात्रों से राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश हेतु प्रतिछात्र प्रतिवर्ष प्रवेश शुल्क रु0 25000/- निर्धारित किया गया है।

मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेजों के शुल्क निर्धारण हेतु समिति के गठन का प्राविधान किया गया था और यह व्यवस्था दी गई थी कि प्रत्येक संस्था अपने आय-व्यय के विवरण के साथ अपना शुल्क ढाँचा, समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी जिस पर विचार कर समिति द्वारा प्रश्नगत संस्था की फीस का निर्धारण किया जायेगा। इस प्रकार प्रतिछात्र वास्तविक व्यय के आधार पर निजी इंजीनियरिंग कालेजों की फीस समिति द्वारा अलग-अलग निर्धारित की गई। फीस निर्धारण हेतु उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा-4 के अन्तर्गत गठित समिति के कार्य पर मा0 उच्च

न्यायालय का स्थगनादेश होने के कारण शासन स्तर से कार्यालय ज्ञाप संख्या 3190/सोलह-1-2008-1 (24)/2004, दिनांक 11-8-2008 द्वारा निजी क्षेत्र की संस्थाओं हेतु औपबन्धिक फीस का निर्धारण किया गया था किन्तु शासन द्वारा निर्धारित औपबन्धिक फीस के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय के आदेश पारित हुए हैं कि जिन संस्थाओं की फीस रु0 63400/- से कम निर्धारित की गई है वे रु0 63400/- फीस ले जो शुल्क निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित अन्तिम शुल्क के अधीन होगा। यदि संस्थाओं द्वारा ली गई उक्त फीस, फीस समिति द्वारा निर्धारित फीस से अधिक होगी तो अतिरिक्त धनराशि छात्र को लौटाई जायेगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्र जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रु0 1,00,000.00 (रुपये एक लाख) से कम हो, के पूरे शिक्षण शुल्क की देयता समाज कल्याण विभाग की है अतः छात्रों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है। सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन छात्रों जिनके अभिभावकों की आय रु0 1,00,000.00 (रुपये एक लाख) से कम है, को राजकीय अभियंत्रण संस्थाओं की शुल्क की दरों के बराबर रु0 25,000/- की सीमा तक क्रमशः समाज कल्याण विभाग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति अनुमन्य की गई है।

66-श्री छत्रपाल सिंह-

[तीसरे बुधवार के अता0प्र0सं0-138 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में मृदा परीक्षण करानें के उपरान्त कृषकों को उर्वरकों को प्राप्त करने की व्यवस्था

67-डा0 अनिल चौधरी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फास्फेट एवं नाइट्रोजन तथा अन्य रसायनिक उर्वरकों को देने के लिये कृषि विभाग द्वारा क्या कोई नीति बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मृदा परीक्षण के आधार पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

प्रदेश में वितरण हेतु यूरिया डी0ए0पी0, एन0पी0के0 काम्पलेक्स एवं एम0ओ0पी0 रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता का आंकलन प्रत्येक बुवाई सत्र के पूर्व भारत सरकार स्तर पर आयोजित जोनल कांफ्रेंस में किया जाता है। इस आंकलन के आधार पर भारत सरकार द्वारा उर्वरकों की माहवार आपूर्ति योजना दी जाती है जिसका जनपदवार विभाजन प्रदायकर्ता कम्पनियों एवं कृषि विभाग द्वारा किया जाता है।

मृदा परीक्षण के आधार पर कृषकों को उर्वरकों की उपलब्धता औचित्यपूर्ण है। मृदा परीक्षण के आधार पर कृषक उर्वरक प्राप्त करते हैं। प्रत्येक कृषक को उसकी मांग के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश शासन कृत संकल्प है तथा भारत सरकार के निरन्तर सम्पर्क

में रहते हुए कृषि विभाग प्रयासरत है कि किसी भी कृषक को उर्वरक उपलब्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न कराना पड़े।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव की नवीन मण्डी में निर्मित दुकानों का पूर्व की भांति आवंटन

68-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के कस्बा भोगांव की नवीन मण्डी में दुकानों के आवंटन की नीति क्या है ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

नवीन मण्डी परिसर में निर्मित दुकानों को मण्डी समिति के लाइसेंसियों के मध्य आवंटित करने की नीति प्रदेश की सभी मण्डियों में समान रूप से लागू है। यह नीति भोगांव स्थित मण्डी स्थल में निर्मित दुकानों पर लागू है। मण्डी परिषद् के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1428 दिनांक 17 जनवरी, 2004 द्वारा निर्धारित दुकान आवंटन नीति का संक्षिप्त विवरण है।

मण्डी समिति द्वारा विगत में भुगतान किये गये मण्डी शुल्क को श्रेणीवार दुकान की पात्रता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और दुकानों से अधिक पात्र फर्मों की उपलब्धता की स्थिति में नीलामी प्रथा के माध्यम से सर्वाधिक बोलीदाता को दुकान आवंटित की जाती है। यदि उच्च श्रेणी के पात्र फर्मों की संख्या कम है, तो उससे निम्न श्रेणी के पात्र फर्मों को दुकानों की नीलामी में भाग लेने के अवसर दिये जाते हैं। इसी प्रकार निम्न श्रेणी की दुकानों के लिये कम संख्या में पात्र फर्मों की उपलब्धता की दशा में उच्च श्रेणी के पात्र फर्मों को बोली में भाग लेने का अवसर दिया जाता है। नीलामी में निर्धारित प्रीमियम से अधिक बोली न आने की अथवा समान बोली आने की स्थिति में आवंटन समिति द्वारा पात्र फर्मों को अवरोही क्रम में लेते हुए दुकान का आवंटन किया जाता है।

प्रदेश सरकार द्वारा सीजनल अमीनों को नियमावली के अनुसार नियमितीकरण की व्यवस्था

69-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जो 20 वर्षों से कार्य कर रहे सीजनल अमीनों को नियमित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

उत्तर प्रदेश कलेक्शन अमीनों की सेवा नियमावली, 1974 (यथासंशोधित, 2004 तक) के अन्तर्गत रिक्तियों के 35 प्रतिशत पदों को सामयिक संग्रह अमीनों से भरे जाने का प्राविधान है।

संगत सेवा नियमावली के अन्तर्गत सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमित नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। यह सतत् प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर की ग्राम पंचायत भिटौरा में कार्यरत दुग्ध समिति द्वारा दुग्ध उत्पादकों को गुणवत्ता के आधार पर मूल्य का निर्धारण

70-श्री राम विशुन आजाद-

क्या दुग्ध विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद-गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर की ग्राम पंचायत भिटौरा में कार्यरत दुग्ध समिति द्वारा दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध का निर्धारित मूल्य नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच करवाकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह-

जनपद गोण्डा विधान सभा मनकापुर की ग्राम पंचायत भिटौरा में कार्यरत दुग्ध समिति द्वारा दुग्ध उत्पादकों को गुणवत्ता के आधार पर दूध का निर्धारित मूल्य दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नारी शिक्षा निकेतन इण्टर कालेज लखनऊ की कक्षा-12 की अनुसूचित जाति की छात्राओं को उनकी छात्रवृत्ति का अन्तरण

71-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि नारी शिक्षा निकेतन इण्टर कालेज, लखनऊ की कक्षा-12 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति की छात्राओं को वर्ष 2007-08 की छात्रवृत्ति अब तक नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? उक्त छात्राओं को छात्रवृत्ति कब तक दे दी जायेगी ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

वर्ष 2007-08 में नारी शिक्षा निकेतन इण्टर कालेज, लखनऊ में कक्षा 12में अध्ययनरत अनूसूचित जाति की 28 छात्राओं को छात्रवृत्ति उनके बैंक खातों में अन्तरित कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विकरमा यादव पुत्र स्व0 श्री सूरी यादव ग्राम रामपुर पो0 भवरपुर जनपद आजमगढ़ से पट्टे पर दी गई भूमि पर कथित अवैध कब्जा सम्बन्धी शिकायत

72-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक श्री राम विशुन आजाद का पत्र दिनांक 7 नवम्बर, 2008 जो विकरमा यादव, पुत्र स्व0 झूरी यादव, ग्राम-रामपुर (पाण्डेय) अतरकूला पो0-भेवरपुर, जनपद-आजमगढ़ को पट्टे पर दी गयी जमीन पर से अवैध कब्जा एवं जबरदस्ती बैनामा कराये जाने विषयक है, संलग्नकों सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तथापि प्रकरण की जांच कराने पर पाया गया कि श्री विकरमा यादव पुत्र स्व0 झूरी यादव, ग्राम-रामपुर (पाण्डेय अतरकूसा) पो0-भवरपुर को पट्टे पर दी गई भूमि आराजी नं0 310 मि0 रकबा 0.962 हे0 ग्राम सभा की भूमि 11 व्यक्तियों के पक्ष में आवंटित की गई थी जिसमें से विकरमा पुत्र झूरी को भी रकबा 0.081 हे0 का आवंटन हुआ है। इनके कब्जे की भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई कब्जा नहीं किया गया है और न कोई बैनामा ही हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रुखाबाद में सकिसा बौद्ध तीर्थ स्थल पर कथित रूप में अवैध कब्जा सम्बन्धी शिकायत

73-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फर्रुखाबाद में सकिसा बौद्ध तीर्थ स्थान की हजारों बीघा भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि की पैमाइश कराकर अवैध कब्जा हटाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

ग्राम सांकेया बसन्तपुर परगना शमशाबाद पूर्व तहसील सदर फर्रुखाबाद में खतौनी एन0जेड0ए0 श्रेणी 15 में खाता संख्या-4 में बुद्ध जयन्ती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग केन्द्रीय सरकार खातेदार के नाम अंकित है। इस भूमि पर पुरातत्व विभाग की कटीले तारों की बाउण्ड्री बनी हुई और उसके कब्जे में है। भूमि की देखभाल हेतु पुरातत्व विभाग के कर्मचारी तैनात हैं। भूमि पर किसी भी व्यक्ति का अनाधिकृत कब्जा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में किसानों या पशुपालकों के दुधारू पशुओं के आकस्मिक मृत्योपरान्त उनके मालिकों को मुआवजा देने की मांग

74-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में किसानों या पशु पालकों के गाय, भैंस आदि दुधारू पशुओं के आकस्मिक मरने पर उन्हें राहत के रूप में क्या कोई धनराशि प्रदान किये जाने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी नहीं। यदि पशु बीमित है, तो आकस्मिक मृत्यु होने पर बीमा की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ऐतिहासिक स्थानों पर पाये जाने वाले भिखारियों के विरुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही

75-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-आगरा के ताजमहल, एत्मादद्दौला, किला सिकन्दरा, भगवान टाकीज व हरी-पर्वत चौराहे पर पाये जाने वाले भिखारियों को भिक्षुक गृह भिजवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत चेकिंग/छापा डालकर भिखारियों के पकड़ने व सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर भिक्षुक गृह में निरुद्ध कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर पुलिस विभाग को अधिकृत किया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा की आख्या के अनुसार ताज महल, एत्मादद्दौला, किला सिकन्दरा, भगवान टाकीज व हरी पर्वत चौराहे पर चेकिंग के दौरान कोई भिखारी नहीं पाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के दुधारू पशु खरीदने में सब्सिडी दिये जाने की मांग

76-श्री जोखू लाल यादव-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालों के लिए दुधारू पशु खरीदने हेतु सब्सिडी देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम पंचायत सिठौली एवं सैदाबाद में नवीन पशु चिकित्सालय स्थापित करने की मांग

77-श्री जोखू लाल यादव-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के ग्राम पंचायत, सिठौली तथा उत्तरी भागवाली ग्राम पंचायत वि0खं0-सैदाबाद में पशु चिकित्सालय न होने के कारण पशुओं का इलाज कराने में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विकास खण्ड में एक राजकीय पशु चिकित्सालय स्थापित किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

उल्लिखित ग्रामों के निकट स्थापित/कार्यरत विभागीय संस्थाओं के माध्यम से समुचित पशु चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसलिये नवीन पशु चिकित्सालय स्थापित किया जाना समीचीन नहीं है।

जनपद कानपुर देहात के ग्राम शेरपुर मजरा भोजपुर में राजस्व भूमि पर खातेदारों का वाद-विवाद एवं अवैध कब्जे

78-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुखलाल, सदस्य, विधान सभा का दिनांक 12 अगस्त, 2008 का पत्र, जो ग्राम शेरपुर, मजरा भोजपुर, तहसील डेरापुर, जनपद-कानपुर देहात में भूमि पर अवैध कब्जे को मुक्त कराने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी नहीं। तहसीलदार डेरापुर द्वारा स्थल के जांचोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि निजी स्वामित्व की भूमि गाटा संख्या-155 व गाटा संख्या-154 को लेकर श्री बेटा राम व श्री चरन सिंह के मध्य कब्जा व सीमा को लेकर विवाद है। विवादित भूमि को उभयपक्ष अपना-अपना बता रहे हैं। उक्त विवाद के निपटारे हेतु दोनों खातेदारों को अपने-अपने गाटे के सीमांकन हेतु भू-राजस्व अधिनियम की धारा 41 के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी न्यायालय में चारा जोरी करनी चाहिये। आवेदक श्री बेटा राम को तद्नुसार अवगत करा दिया गया है।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बीघापुर के ग्राम सभा इन्देमऊ में स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन एवं प्राप्त आवेदन-पत्र

79-श्री सतीश महाना-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड बीघापुर जनपद-उन्नाव के ग्राम सभा इन्देमऊ से दिनांक 19 मार्च, 2008 को वृद्धावस्था पेंशन के कुल कितने आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्राप्त हुए तथा उनमें से कितनों की पेंशन स्वीकृत की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

विकास खण्ड बीघापुर जनपद उन्नाव के ग्राम सभा इन्देमऊ से दिनांक 19-3-2008 को वृद्धावस्था पेंशन के कुल 22 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से बी0पी0एल0 सूची 2002 में

सम्मिलित 03 आवेदकों को इन्दिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करके पेंशन धनराशि भेज दी गई है। शेष 19 आवेदक नियमानुसार बी0पी0एल0 सूची 2002 में सम्मिलित न होने के कारण पात्रता श्रेणी में नहीं आते हैं।

उपरोक्तानुसार।

80-श्री अनूप सण्डा-

[दूसरे सोमवार के अता0प्र0सं0-175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में बच्चों की समस्याओं को सुधारने हेतु बाल आयोग बनाने की मांग

81-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान भवन परिसर में दिनांक 20-11-08 को आयोजित बाल संसद में निष्कर्ष के रूप में बाल आयोग बनाने की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बच्चों की दशा को सुधारने के लिये शासन स्तर पर कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

दिनांक 20-11-08 को आयोजित बाल संसद में बच्चों द्वारा उठाई गई अन्य समस्याओं के साथ ही एक बाल आयोग के गठन के सम्बन्ध में भी मांग की गई।

बालकों के अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में एक आयोग के गठन की कार्यवाही उपरोक्त बाल संसद के पूर्व से ही विचाराधीन है।

प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना

82-श्री जोखू लाल यादव-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पिछड़े वर्ग के समस्त छात्रों को अनु0 जाति के छात्रों की भांति छात्रवृत्ति का भुगतान किये जाने पर सरकार क्या विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में जनपद-इलाहाबाद में छात्रवृत्ति से वंचित पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अवधेश कुमार वर्मा)-

जी हां। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2004-05 में पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को जो प्रदेश के मूल निवासी हों और प्रदेश में अध्ययनरत् हैं, को अनुसूचित जाति के छात्रों की भांति छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है।

जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2008-09 में अब तक पूर्वदशम छात्रवृत्ति में 545649 छात्र/छात्राओं हेतु रु0 20,49,62,135.00 तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति मद में 70989 छात्र-छात्राओं हेतु रु0 12,23,33,820.00 की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

जनपद गोण्डा के सदर तहसील अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुन्दुरुखी में लगभग चार एकड़ राजस्व भूमि पर बजाज शुगर इण्डस्ट्रियल लि0 के अवैध कब्जे पर बेदखली की कार्यवाही

83-श्री राम विशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुन्दुरुखी में स्थित चारागाह, तालाब व खेल का मैदान की लगभग चार एकड़ भूमि पर बजाज शुगर मिल कुन्दुरुखी द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

बजाज शुगर इण्डस्ट्रीज लि0 युनिट कुन्दुरुखी कस्टुवा द्वारा अवैध रूप से बाउण्ड्री वाल घेरकर अपने परिसर के अन्दर कब्जा कर लिया गया है जिसे मुक्त कराने के लिये अवैध कब्जा धारक के विरुद्ध क्षतिपूर्ति रु0 60,06,000/- (रुपया साठ हजार छः सौ मात्र) व बेदखली का वाद ज0वि0अधि0 की धारा 122 के अन्तर्गत दायर किया गया है जो विचाराधीन है। अवैध कब्जा धारक शुगर मिल प्रबन्धन के विरुद्ध धारा-447 भा0दं0सं0 तथा सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति अधिनियम की धारा-2 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जिस पर जांच के उपरान्त सक्षम न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

84-श्री राम विशुन आजाद-

[2सरे शुक्रवार के अना0प्र0सं0-162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चक मार्गों पर किसानों द्वारा अवैध कब्जे को हटाने की मांग

85-श्री संजय कपूर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में चक मार्गों पर किसानों द्वारा अवैध कब्जों को खाली कराने हेतु अभियान चलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्रामीण क्षेत्रों में चकमार्गों पर किसानों द्वारा अवैध कब्जा कर लेने से उनको खाली कराये जाने हेतु शासन द्वारा समय-समय पर अभियान चलाये जाते हैं। वर्ष 1998 में विशेष अभियान

चलाया गया था। परिषद् स्तर से भी समय-समय पर अवैध कब्जे हटाये जाने हेतु परिषद् पत्र जारी किये गये हैं। परिषद् पत्र संख्या-5556/5-89सी/91टी0सी दिनांक 01-05-1998 एवं परिषद् पत्र संख्या 5572/जी-5-89वी/91, दिनांक 05-7-2000 तथा परिषद् पत्र संख्या-200/जी-5-155सी/86, दिनांक 25-1-2005 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। वर्तमान समय में चकरोड से अवैध कब्जे हटाने का कोई विशेष अभियान नहीं चल रहा है। आवश्यकता होने पर विशेष अभियान चलाने हेतु विचार किया जायेगा।

जनपद रामपुर में पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु दिये गये अनुदान का विवरण

86-श्री संजय कपूर-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जनपद में पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु दिये जाने वाले अनुदान के कितने फार्म वर्ष 2008 से 2009 में दि0 30-11-08 तक भरे गये हैं तथा उनमें से कितने लाभार्थियों को अनुदान दिया गया ? क्या सरकार बतायेगी कि सभी लाभार्थियों को शादी अनुदान मिलेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश कुमार वर्मा-

जनपद रामपुर में पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु वर्ष 2008 से 2009 में दिनांक 30-11-2008 तक कुल 1007 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, जिसके सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता के आधार पर 217 व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु रु0 21.70 लाख का अनुदान दिया गया है।

धनराशि का वितरण प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लम्बित प्रार्थना-पत्र समाप्त हो जाते हैं।

87-श्री राम बिशुन आजाद-

[2सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रधानाचार्य हीवेट पालीटेक्निक लखनऊ को मे0 विजय कुमार गुप्ता एण्ड कं0 को आडिट फीस को भुगतान कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही

88-श्री आलोक कुमार शाक्य-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2008 के प्रथम गुरुवार को उत्तरित अता0 प्र0 सं0 141 के क्रम में क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मे0 विजय कुमार गुप्ता एण्ड कं0 एल-II-34 सेक्टर बी अलीगंज लखनऊ ने 09 सितम्बर, 2002 को प्रधानाचार्य हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ से वर्ष 1990-91 से 1999-2000 के आडिट फीस रु0 63,642.00 का भुगतान उन्हें कराए जाने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि का पूर्ण भुगतान उन्हें कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

जी हां, मे0 विजय कुमार गुप्ता एण्ड कं0 एल-11, 34 सेक्टर बी अलीगंज लखनऊ को आडिट फीस रु0 63,642.00 के विरुद्ध रु0 12600.00 का आंशिक भुगतान आकस्मिक व्यय की मद से किया गया है। अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु निदेशालय के पत्र दिनांक 2-2-2009 द्वारा संस्था प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया है कि आडिट फीस रु0 63,642.00 के विरुद्ध किये गये रु0 12600.00 के भुगतान को समायोजन के पश्चात् अवशेष धनराशि रु0 51,042.00 का भुगतान संस्था में उपलब्ध अन्य श्रोतों की बचत से अविलम्ब कराना सुनिश्चित करें।

प्रदेश में कृषकों को कृषि यंत्रों की खरीद पर शासन द्वारा अनुदान की व्यवस्था

89-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में कृषि कार्य हेतु सरकार द्वारा कृषकों को कृषि यंत्रों पर दिये जाने वाले अनुदान की धनराशि क्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कृषकों के हितों को देखते हुए इस हेतु दिया जाने वाले अनुदान को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के सभी विकास खण्डों में फल, साग-सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

90-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के किन-किन विकास खण्डों में वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में आम, केला, अमरूद, लीची एवं साग सब्जी, औषधि वनस्पतियों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कितना-कितना धन आवंटित किया गया ? उपरोक्त योजनाओं में किन कृषकों का चयन किया गया है तथा उनके द्वारा कितने-कितने हेक्टेयर भूमि पर फल एवं सब्जी इत्यादि की उगाया गया ? क्या सरकार द्वारा इसका स्थलीय परीक्षण कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायण सिंह-

जनपद गोण्डा के सभी 16 विकास खण्डों में वर्ष 2007-08 में आम के लिये रु0 10.125 लाख, केला के लिये रु0 125.00 लाख, साग-सब्जी के लिये रु0 17.27 लाख एवं औषधि वनस्पतियों के लिये रु0 1.00 लाख आवंटित था।

वर्ष 2008-09 में आम के लिये रु0 33.75 लाख, अमरूद के लिये रु0 5.625 लाख, केला के लिये रु0 125.00 लाख, लीची के लिये रु0 2.25 लाख तथा साग-सब्जी हेतु रु0 7.35 लाख आवंटित किया गया है।

उक्त योजनाओं में कुल 1136 लाभार्थियों द्वारा कुल 693.7 हे0 में फल सब्जी एवं औषधि की खेती की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान में सीनियर लेक्चरर/सहायक प्रोफेसरों को चयन समिति की संस्तुतियों पर चयन वेतनमान की कार्यवाही

91-श्री राजाराम त्यागी-

क्या व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, पूर्व नाम जी0सी0टी0आई0, कानपुर के सीनियर लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर/ लेक्चरर जो चयन वेतनमान के लिए अर्ह हो गये हैं, को चयन वेतनमान कब प्रदान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सदल प्रसाद-

संस्थान के दो वरिष्ठ प्रवक्ता चयन वेतनमान/सहायक प्रोफेसर वेतनमान/पदनाम देने के लिये अर्ह हो गये हैं। इस सम्बन्ध में चयन समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर सम्बन्धित शिक्षकों को नियमानुसार लाभ स्वीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर की तहसील बिन्दकी की ग्राम सभा बीघनपुर में राजस्व भूमि पर हुए अवैध कब्जों के विरुद्ध कार्यवाही

92-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फतेहपुर की तहसील बिन्दकी के ग्राम सभा बीघनपुर के मजरा बकियापुर में गाटा सं0-131 चकरोड पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चकरोड के अवैध कब्जा हटवाकर उन पर 115 सी की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद-फतेहपुर की तहसील बिन्दकी के ग्राम सभा बीघनपुर के मजरा बकियापुर में गाटा सं0-131 चकरोड के क्षेत्रफल 0.068 हे0 में से 0.020 हे0 पर अवैध कब्जा पाया गया।

अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध धारा 115 सी की कार्यवाही की गयी है।

दिनांक 27-01-2009 को धारा 115सी की कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील आलापुर में ग्राम सभा हरदिहा जलाल में चिन्हित तालाबों का पट्टा न होने का औचित्य

93-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 2008 के पहले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0-22 में उल्लिखित तालाबों का पट्टा न किये जाने का क्या कारण

है ? क्या इसके लिये दोषी ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

विधान सभा द्वितीय सत्र 2008 के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-22 में उल्लिखित जिला अम्बेडकर नगर की तहसील आलापुर में ग्राम सभा हरदिहा जलाल में ग्राम उमरी जलाल, हरदिहा, केशरपुर व अशरफपुर हैं जिनमें से अशरफपुर व हरदिहा में कोई तालाब राजस्व अभिलेखों में नहीं है। ग्राम केशरपुर में स्थित 4 तालाब, मत्स्य पालन हेतु निर्धारित मानक क्षेत्रफल से कम हैं। ग्राम उमरी जलाल में कुल 12 तालाब राजस्व अभिलेखों में अंकित हैं जिनमें से 6 तालाब मत्स्य पालन के निर्धारित मानक से कम हैं तथा 6 तालाब मत्स्य पालन हेतु उपयुक्त न होने के कारण किसी व्यक्ति या समुदाय के लोगों को पट्टे स्वीकृत नही किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में आयी बाढ़ से प्रभावित गांवों के किसानों को आर्थिक सहायता दिये जाने तथा लगान माफी की मांग

94-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में वर्ष 2008 में आयी भयंकर बाढ़ से प्रभावित गांवों के किसानों का लगान माफ किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में वर्ष 2008 में आयी बाढ़ से यद्यपि तहसील बिसवां, महमूदाबाद, लहरपुर के गांव प्रभावित हुए हैं किन्तु प्रभावित गांवों के किसानों का कृषि योग्य क्षेत्रफल के आधे से अधिक क्षेत्रफल में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति नहीं हुई है। इस कारण भारत सरकार की सी0आर0एफ0 गाइड लाइन्स के आलोक में किसानों को कृषि निवेश अनुदान के रूप में कोई आर्थिक सहायता दिया जाना सम्भव नहीं है। प्रभावित किसानों का लगान माफ किया जाना संभव नहीं है।

जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज ब्लाक नवाबगंज के ग्रामों को अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त मकानों एवं कृषि फसलों के नष्ट होने पर मुआवजा दिये जाने की मांग

95-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील तरबगंज ब्लाक नवाबगंज में ग्राम पंचायत कटरा भोग चन्द, वजीराबाद लकड़मण्डी महेशपुर, जफरापुर लोलपुर [illegible]नेपुर, जैलपुर कनकपुर, बालापुर इस्माइलपुर, माझा राठ इब्राहिमपुर, धुरवा खेमपुर, दुल्लापुर,

तुरकोली आदि गांवों में वर्ष 2008 में अतिवृष्टि के कारण धन, जन एवं पशुओं की क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में अतिवृष्टि के कारण जिन लोगों के मकान ढह गये हैं ? उनके आवास बनाने एवं मवेशियों के मरने पर क्षतिपूर्ति देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 2008 में तहसील तरबगंज में बाढ़/अतिवृष्टि से 6432 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा कृषि फसलों की क्षति के 39625 मामले जांच के दौरान प्रभावित पाये गये। कोई जन एवं पशु हानि का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

सर्वेक्षण कराये जाने के बाद कृषि फसलों की क्षति के मामलों में रु0 248.928 लाख कुल 39625 व्यक्तियों में कृषि निवेश अनुदान के रूप में एवं आवासीय क्षति के मामले में रु0 107.745 लाख, गृह अनुदान के रूप में कुल 6432 व्यक्तियों को भारत सरकार की आपदा राहत निधि की गाइडलाइन्स के अनुरूप आर्थिक सहायता वितरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज, करनैलगंज एवं मनकापुर में अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों के लिये विशेष पैकेज की मांग

96-श्री राम त्रिशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील तरबगंज, करनैलगंज एवं मनकापुर में अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसल, मकान, पशु आदि की क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें पुनः स्थापित करने के लिये विशेष पैकेज देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से तहसील तरबगंज एवं करनैलगंज के फसल प्रभावित किसानों को भारत सरकार की सी0आर0एफ0 गाइडलाइन्स के आलोक में रु0 337.428 लाख कृषि निवेश अनुदान प्रदान किया गया है। तहसील मनकापुर में अतिवृष्टि के कारण फसलों की क्षति नहीं पायी गयी है। बाढ़/अतिवृष्टि से तहसील तरबगंज में 6432 तहसील करनैलगंज में 3846 एवं मनकापुर में 109 मामले आवासीय क्षति के पाये गये, जिन्हें गृह अनुदान की मद में रु0 174.820 लाख पात्र व्यक्तियों में वितरित किया गया है। बाढ़/अतिवृष्टि से 06 पशुओं की मृत्यु के फलस्वरूप उनके स्वामियों को 0.435 लाख की सहायता प्रदान की गयी है। भारत सरकार की उक्त गाइडलाइन्स के अनुसार प्रभावितों को उपरोक्तानुसार सहायता सीधे प्रदान की जा चुकी है। अतएव इस सम्बन्ध में उन्हें पृथक से विशेष पैकेज दिया जाना विचाराधीन नहीं है।

जनपद मथुरा की तहसील सदर में चकबन्दी कार्य का प्रारम्भ एवं समापन की अवधि

97-श्री प्रदीप माथुर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा, जैत तह0 व जनपद मथुरा में चकबन्दी प्रक्रिया किस वर्ष प्रारम्भ की गयी थी तथा किस वर्ष पूरी की गयी ? क्या धारा 52 च0 अधि0 के अधीन चकबन्दी पूर्ण होने की घोषणा कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

मौजा जैत, तहसील व जनपद मथुरा में दिनांक 26-10-1991 से चकबन्दी प्रक्रियायें प्रचलित हैं।

जी नहीं।

मौजा जैत के अन्तिम अभिलेख व अन्तिम भू-चित्र तैयार किया जा रहा है। ग्राम का चकबन्दी कार्य माह अगस्त, 2009 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

जनपद खीरी-लखीमपुर में बाढ़ से प्रभावित किसानों को अनुदान की व्यवस्था का विवरण

98-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 2008 में जनपद-लखीमपुर-खीरी में आयी भयंकर बाढ़ से किसानों की फसलें बर्बाद हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी है ? क्या ग्राम कफारा तह0 धौरहरा, जिला-खीरी के बाढ़ पीड़ित किसानों को सहायता प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक सहायता दे दी जायेगी ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जनपद खीरी में 36331 कृषकों की 19695.344 हे0 फसलें प्रभावित हुई।

जनपद खीरी में 36331 कृषकों को उनकी क्षतिग्रस्त फसलों हेतु रू0 6,68,76,676.00 कृषि निवेश अनुदान राहत सहायता के रूप में वितरित किया गया।

जी हां।

क्योंकि ग्राम कफारा के किसानों की फसलों की क्षति 50 प्रतिशत से कम होने के कारण आपदा राहत निधि से आर्थिक सहायता अनुमन्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के एस0डी0एम0 एवं प्रधान के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

99-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र प्रमुख सचिव, राजस्व, उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित पत्रांक सं0-ख-3 सं0 617[illegible] एवं क्र-4, सं0 096018 दिनांक

26-6-2008 जो प्रधान एवं एस0डी0एम0 के भ्रष्टाचार के जांच के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां। प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-3 नं0 617896 प्राप्त हुआ है।

प्रकरण में आयुक्त, देवी पाटन मण्डल, गोण्डा को दिनांक 15-7-2008 को जांच के आदेश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेहीघाट के ग्राम नरायनपुर के सह खातेदारों की भू-राजस्व स्वामियों को मुआवजा का भुगतान

100-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नरायनपुर परगना सूर्यपुर, तहसील राम सनेही घाट, जिला बाराबंकी में गाटा संख्या 170 क्षेत्रफल 3,791 हे0 पर अंकित 14 सह खातेदारों का क्या सरकारी बंटवारा हो गया है ? क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि का मुआवजा सभी पात्र 14 लोगों को न देकर मात्र 5 ही लोगों को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके दोषियों को दण्डित करते हुये पात्र सभी 14 व्यक्तियों को मुआवजा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

बंटवारे का वाद सक्षम अधिकारी/उप जिलाधिकारी, रामसनेहीघाट के न्यायालय में विचाराधीन है।

अर्जित भूमि में प्रभावित मात्र 5 वैध भू-स्वामियों को ही मुआवजा का भुगतान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु प्राप्त पत्र एवं उसमें से किये गये भुगतान का विवरण

101-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में वित्तीय वर्ष 2007-08 से अब तक कुल कितने लाभार्थियों को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन/किसान पेंशन के फार्म जिला समाज कल्याण अधिकारी, बांदा के यहां प्राप्त हुये हैं तथा कुल कितने लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृत होनी शेष है ? क्या सरकार शेष लाभार्थियों को पेंशन प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद बांदा में वित्तीय वर्ष 2007-08 से अब तक इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन तथा वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना में क्रमशः 24932 व 7989 (कुल 32921) आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिसमें से 29820 आवेदकों को पेंशन स्वीकृत कर भुगतान कर दिया गया है तथा 3101 आवेदन-पत्र शेष हैं।

अवशेष आवेदकों की पेंशन स्वीकृति उनके योजना के अन्तर्गत पात्र होने पर की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलरामपुर में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन/ वृद्धावस्था पेंशन/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्र एवं उसमें से स्वीकृत पेंशन का विवरण

102-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलरामपुर में वित्तीय वर्ष 2007-08 से दिसम्बर, 2008 तक कुल कितने लाभार्थियों के इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन/वृद्धावस्था पेंशन/किसान पेंशन के फार्म जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलरामपुर के यहां प्राप्त हुये हैं तथा कुल कितने लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृत होने के लिये शेष है ? क्या सरकार जनपद के सभी ब्लाक स्तर पर प्राप्त फार्मों की जांच कराकर पेंशन दिये जाने के निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद-बलरामपुर में वर्ष 2007-08 से दिसम्बर, 2008 तक इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन/वृद्धावस्था पेंशन/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत कुल 24.711 आवेदन-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलरामपुर कार्यालय में प्राप्त हुए थे, जिनमें से 21,239 लोगों को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन/वृद्धावस्था पेंशन/किसान पेंशन योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। शेष 3472 व्यक्तियों को, जिनके नाम बी0पी0एल0 सूची में अंकित नहीं है, योजना के अनुसार इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन/वृद्धावस्था पेंशन /किसान पेंशन हेतु पात्र नहीं हैं।

शासनादेश संख्या-158भा0स0/26-2-2007, दिनांक 08-11-2007 द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बी0पी0एल0 सूची वर्ष 2002 में शामिल 65 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वृद्धजनों को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति करने के निर्देश हैं। शासनादेश संख्या-1228/26-2-2008, दिनांक 27-05-08 द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बी0पी0एल0 सूची वर्ष 2002 में शामिल 60 से 65 वर्ष आयु वर्ग के वृद्धजनों को वृद्धावस्था/किसान पेंशन स्वीकृति करने के निर्देश हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-गोण्डा में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन/ वृद्धावस्था पेंशन/किसान पेंशन के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या एवं उनमें से स्वीकृत पेंशन का विवरण

103-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में वित्तीय वर्ष 2007-08 से दिसम्बर, 2008 तक कुल कितने लाभार्थियों के इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन/किसान पेंशन के फार्म जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोण्डा के यहां प्राप्त हुये हैं ? कुल कितने लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृत की गई है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार समस्त लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद गोण्डा में वित्तीय वर्ष 2007-08 से माह दिसम्बर, 2008 तक इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत कुल 13,747 आवेदन-पत्र वृद्धावस्था पेंशन/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 11,883 आवेदन-पत्र कुल 25,630 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 9,971 व्यक्तियों, वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 10,049 व्यक्तियों को कुल 20,020 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गयी। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 3,776 व्यक्तियों को, वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत 1,834 व्यक्तियों को, कुल 5,610 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत किया जाना अवशेष है।

शासनादेश संख्या-168 भा0स0/26-2-2007, दिनांक 08-11-2007 द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बी0 पी0 एल0 सूची वर्ष 2002 में शामिल 65 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वृद्धजनों को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धवस्था पेंशन स्वीकृति करने के निर्देश है। शासनादेश संख्या-1228/26-2-2008, दिनांक 27-05-08 द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बी0 पी0 एल0 सूची वर्ष 2002 में शामिल 60 से 65 वर्ष आयु वर्ग के वृद्धजनों को वृद्धावस्था/किसान पेंशन स्वीकृति करने के निर्देश हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-महराजगंज के ग्राम सभा पठखौली, राजस्व निरीक्षक सर्किल घुघली में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु कथित भूमि का हस्तान्तरण

104-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महराजगंज के ग्राम सभा पठखौली राजस्व निरीक्षक सर्किल घुघली तहसील सदर के भूमि प्रबन्धक समिति ने सर्वसम्मति से करीब 1-5 एकड़ भूमि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिये प्रस्तावित कर विभाग को दे दिया है ? क्या स्वास्थ्य विभाग ने परीक्षण कराकर इस भूमि को उपयुक्त पाया है ? यदि हां, तो राजस्व अभिलेख में उक्त प्रस्ताविक भूमि को स्वास्थ्य विभाग के लिये अंकित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के तालाबों व झीलों को न्यायालय के निर्देश के अनुसार उनके पूर्व आकार में लाने की कार्यवाही

105-श्री राजाराम त्यागी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है जिससे प्रदेश के तालाबों व झीलों के मूल स्वरूप को मिटाने पर रोक लगाकर पुनः पूर्व स्वरूप में वापस लाने का निर्देश किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि रायबरेली जनपद के महराजगंज तहसील में माननीय न्यायालय द्वारा नियत तिथि के पूर्व कितने और कहां-कहां भूमि नम्बर सहित अभिलेखों में तालाब दर्ज थे ? उन्हें मूल स्वरूप में कब तक लाया जायेगा ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

रायबरेली जनपद के तहसील महराजगंज में आधार वर्ष में कुल 4497 तालाब क्षेत्रफल 3181,964 हे0 अंकित थे। वर्तमान खतौनी के आधार पर 6184 तालाब क्षेत्रफल 3050,083 हे0 अंकित हैं। चकबंदी प्रक्रिया के उपरान्त गाटा संख्या में वृद्धि हुई है परन्तु क्षेत्रफल में 127,881 हे0 की कमी आयी है। मा0 उच्चतम न्यायालय तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उपरान्त 213 गाटा संख्याओं में 70,051 हे0 क्षेत्रफल पर पूर्व स्वरूप में लाने हेतु तालाब खुदवाये गये हैं। शेष 57,830 हे0 के तालाबों को पूर्व आकार में लाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में कृषकों को कृषि शिक्षा देने हेतु कार्य योजनायें

106-श्री जोखू लाल यादव-

क्या कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कृषकों को कृषि शिक्षा देने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री राजपाल त्यागी)-

जी हां।

प्रदेश के कृषकों को कृषि शिक्षा देने हेतु निम्नवत् कार्य योजनायें हैं :-

(1) विभिन्न जनपदों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा फसलोत्पादन, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन,

मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, रेशम उत्पादन, गृह विज्ञान, फसल सुरक्षा आदि विषयों की पूर्ण नवीनतम जानकारी हेतु प्रशिक्षण/प्रदर्शन/प्रक्षेत्र दिवस आयोजित कर कृषकों/कृषक महिलाओं को लाभान्वित किया जाता है।

(2) इसी प्रकार प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राज्य सरकार द्वारा स्थापित कृषि ज्ञान केन्द्रों के माध्यम से कृषकों को प्रशिक्षण/प्रदर्शन/परीक्षण/प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन कर नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान की जाती है।

(3) राज्य के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी विभिन्न जनपदों से प्राप्त समस्याओं पर मासिक कार्यशालायें/किसान मेला/कृषि गोष्ठी आदि का आयोजन कर वैज्ञानिकों द्वारा कृषकों को कृषि तकनीकों/यंत्रों/बीजों/कीटनाशकों आदि सम्बन्धी नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है तथा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों द्वारा किये जा रहे शोध परिणामों तथा संचालित विभिन्न योजनाओं से कृषकों को लाभान्वित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों को आलू उत्पादन में लाभकारी मूल्य दिलाने में प्रोत्साहन हेतु शासन द्वारा निर्गत आदेश

107-श्री जोखू लाल यादव-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आलू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु सरकार आलू निर्यात को प्रोत्साहित किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरायन सिंह-

जी हां।

शासन के कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 द्वारा शासनादेश संख्या-269/80-1-2009-600(12)/2009, दिनांक 29-01-2009 द्वारा आलू निर्यात प्रोत्साहन हेतु आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-गोण्डा की तहसील तरबगंज की ग्राम पंचायतों में चकबन्दी प्रक्रिया का विवरण

108-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा की तहसील तरबगंज के ग्राम पंचायत कोठा हरबंशपुर, ग्राम पंचायत शम्भूनगर बूटाहा और टिकरी एवं तहसील मनकापुर के ग्राम पंचायत मनीपुर ग्रण्ट में क्या चकबन्दी प्रक्रिया लागू हो गयी है ? यदि नहीं, तो सरकार जनहित में चकबन्दी प्रक्रिया कब तक लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के ग्राम पंचायत कोठा व हरवंशपुर तथा तहसील मनकापुर के ग्राम मनीपुर ग्रन्ट चकबन्दी प्रक्रिया में है।

तहसील तरबगंज के ग्राम टिकरी में चकबंदी कार्य पूर्ण हो चुका है तथा धारा-52 के अन्तर्गत विज्ञप्ति भी दिनांक 31-3-06 को जारी हो चुकी है।

तहसील तरबगंज का ग्राम शम्भूनगर बुटाहा चकबंदी हेतु अधिसूचित नहीं है।

तहसील तरबगंज के ग्राम शम्भूनगर बुटाहा में चकबंदी कराने की मांग दिनांक 01-2-09 को ग्राम प्रधान व सदस्यगण तथा कृषकों की ओर से की गयी है। जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबंदी, गोण्डा से सुसंगत प्रस्ताव प्राप्त होने पर चकबंदी प्रक्रिया लागू करने पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के ग्राम-भगवन्तपुर गोटपाली निवासी श्री रामनाथ पुत्र स्व0 सुमेर की भूमि सं0 भूमि अभिलेखों में दूसरे के नाम किये जाने के प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही

109-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ग्राम-भगवन्तपुर गोटपाली, ब्लाक-बांगरमऊ, तहसील- सफीपुर निवासी श्री रामनाथ पुत्र स्व0 सुमेर की भूमि सं0 276 कम्प्यूटरीकृत अभिलेखों में दूसरे के नाम कर दी गयी है ? क्या यह भी सही है कि शेष भूमि के नम्बरों पर भी इनका नाम अंकित न कर इन्हें भूमिहीन कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां।

तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल श्री संजय कुमार दोषी हैं इनको उप जिलाधिकारी हसनगंज द्वारा निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही संस्थित कर दी गयी है।

110-श्री राम बिशुन आजाद-

[2सरे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर स्थित जर्जर बीज गोदाम की मरम्मत करने की योजना

111-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद-गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर के निकट स्थित बीज गोदाम अत्यन्त जर्जर अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बीज

गोदाम मनकापुर का नव निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हां।

वर्ष 2008-2009 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त विकास खण्डों पर स्थित कृषि विभाग के बीज गोदाम की मरम्मत कराये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें उक्त बीज गोदाम भी सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में कृषकों के उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने हेतु इलेक्ट्रानिक काटा लगाये जाने पर विचार

112-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश की कृषि उत्पादन मण्डी समितियों के अन्तर्गत कृषकों के उत्पाद की उचित तौल/माप हेतु इलेक्ट्रानिक कांटा लगाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के ग्राम-बरोहिया में स्थित पोखरी का नियमानुसार आवंटन

113-श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महंत दुबे-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कैलाश निवासी ग्रा0 बरोहिया, तहसील-निचलौल, जि0-महराजगंज द्वारा ग्राम बरोहिया स्थित पोखरी आवंटन में किये गये अनियमितताओं की जांच विषयक रजिस्टर्ड पत्र दि0 24-03-2008 आपको प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

प्रार्थना-पत्र के आधार पर प्रकरण में जांच करायी गयी एवं उसमें यह पाया गया कि आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज की तहसील निचलौल के ग्राम गिरहिया निवासी श्री जगदम्बा लाल बनाम श्री आनन्द चरन लाल के वसीयतनामा का न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

114-श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महंत दुबे-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महराजगंज के निचलौल तहसील अन्तर्गत ग्राम गिरहियां के जगदम्बा लाल बनाम आनन्द चरन लाल ने मु0 168/1091 अन्तर्गत धारा 34 एल0आर0 एक्ट में दि0 20-9-2002 को जगदम्बा लाल द्वारा दाखिल वसीयतनामा में तहसील निचलौल जि0-महराजगंज ग्राम गिरहिया अंकित है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सन् 1986 में निचलौल तहसील, अस्तित्व में नहीं थी ? यदि हां, तो क्या सरकार फर्जी वसीयत नामे के आधार पर पारित आदेश को निरस्त करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां।

चूंकि वसीयतनामा दिनांक 5-11-86 के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनांक 24-4-2003 को नामान्तरण आदेश पारित किया गया है जिसके विरुद्ध कायमी न्यायालय में अभी विचारार्धीन है तथा बाद में अपर आयुक्त प्रशासन, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा जगदम्बा लाल बनाम तहसीलदार आदि में स्थानान्तरण प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई करते हुए दिनांक 14-8-2008 को अन्तिम आदेश पारित करने पर रोक लगाई गई। प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विचारार्धीन है।

प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विचारार्धीन है।

जनपद महराजगंज की तहसील निचलौल के ग्राम गिरहिया तप्पा डोमाखण्ड निवासी श्री विश्वनाथ शरण पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद की वसीयत में की गयी अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही

115-श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महंत दुबे-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महराजगंज के निचलौल तहसील अन्तर्गत ग्राम गिरहियां तप्पा डोमाखण्ड में खतौनी सन् 1401-1406 फ0 के खाता संख्या 144 आ0न0 34/7-509 हे0 व 291/2-351 हे0 पर विश्वनाथ शरण पुत्र ज्वाला प्रसाद का नाम उनके चार जीवित पुत्रों के रहते हुए अपंजीकृत वसीयत के आधार पर खारिज करके भगवान दयाल, ईश्वर दयाल व दीनदयाल पुत्रगण रमाशंकर निवासी ग्राम बहोर छपरा, तहसील हाटा, जिला कुशीनगर का नाम अंकित किया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में तत्कालीन ग्राम प्रधान शारदा प्रसाद द्वारा दि0 23-10-2001 को निचलौल तहसील दिवस में जिलाधिकारी, महराजगंज को कोई शिकायती-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

जी हां।

तहसील दिवस में प्राप्त शिकायती-पत्र दिनांक 23-10-2001 की जांच करायी गयी। जांच के उपरान्त तत्कालीन तहसीलदार द्वारा भू0रा0 अधिकारी की धारा 34 वाद संख्या-372 में पारित आदेश दिनांक 25-6-2001 के विरुद्ध इसी अधिनियम की धारा 218 के अन्तर्गत रिवीजन के रूप में दर्ज कर निस्तारण हेतु जिलाधिकारी द्वारा अपने न्यायिक आदेश दिनांक 23-01-2002 के अनुसार अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में वाद प्रेषित किया। इस आदेश के विरुद्ध भगवान दयाल आदि द्वारा मा0 आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के न्यायालय में नि0सं0 40/34ए/एम/2004 योजित किया गया जो सम्प्रति अपर आयुक्त (न्यायिक) गोरखपुर मण्डल के न्यायालय में विचाराधीन है। तत्कालीन तहसीलदार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिसमें मा0 राजस्व परिषद् उ0 प्र0 अनुभाग-3 त0ना0त0 लखनऊ के परिषदादेश संख्या-3895/3/त0ना0त0-254/2003 द्वारा विभागीय कार्यवाही समाप्त करते हुए अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही की गयी है।

जनपद लखनऊ के थाना-गोसाईगंज में श्री राम पुत्र श्री रघुवीर की विवादित भूमि का न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

116-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निजी सहन की जमीन पर अनाधिकृत/अवैध निर्माण रोके जाने से सम्बन्धित श्रीराम पुत्र रघुवीर नि0-अनुपमखेड़ा मजरे सिठौली, थाना-गोसाईगंज, जनपद-लखनऊ का मूल प्रार्थना-पत्र दिनांक 17-11-08 व प्रथम अनुस्मारक दिनांक 06-12-08 जिलाधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संदर्भित मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

सन्दर्भित मामले में थाना गोसाईगंज तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ द्वारा कार्यवाही की गई। श्री राम पुत्र रघुवीर द्वारा विवादित स्थल पर दो तरफ से दीवाले लगभग 10 फिट ऊंची बना ली गई है। तथा एक कमरे में छत डाल ली गई है। शेष भूमि भी उन्हीं के कब्जे में है। विवादित स्थल के सम्बन्ध में सिविल जज हवाली (जू0डि0) के न्यायालय में वाद सं0-1011/2008 श्री राम बनाम घनश्याम आदि विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं को बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं

117-श्री जोखू लाल यादव-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा कौन-कौन सी

सुविधाएं/अनुदान दिये जाते हैं ? क्या सरकार महंगाई को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुविधाएं/अनुदान बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की क्षेत्र की परिधि में आने वाली समस्त गर्भवती महिलाओं की उच्च गुणवत्तायुक्त रेडी टू ईट एमाईलेज रिच इनर्जी फूड साप्ताहिक रूप से 06 दिन का एक साथ प्रत्येक शनिवार को उपलब्ध कराया जाता है।

भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पत्र संख्या-4-2-2008-सी0डी0-11, दिनांक 07 नवम्बर, 2008 द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए अनुपूरक पुष्टाहार हेतु प्रतिदिन प्रति लाभार्थी हेतु निर्धारित दर रु0 2.30 को बढ़ाकर/पुनरीक्षित कर रु0 5.00 प्रतिदिन प्रति लाभार्थी कर दिया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रभावी होगा।

वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रभावी होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में संचालित दुग्ध समितियों द्वारा गुणवत्ता के आधार पर दिये गये मूल्य

118-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में संचालित दुग्ध समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों को शासन द्वारा निर्धारित मानक से कम मूल्य दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में संचालित दुग्ध समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों को निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्ता के आधार पर दुग्ध मूल्य दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में सघन मिनी डेरी परियोजनान्तर्गत आवन्टित धन का विवरण

119-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में सघन मिनी डेरी परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 एवं दिसम्बर, 2008 तक किस-किस मद में कितना-कितना धन आवंटित किया गया तथा कितना-कितना धन कहां-कहां व्यय किया गया ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

ग्राम्य विकास विभाग की अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना की सघन मिनी डेरी परियोजनान्तर्गत जनपद गोण्डा में दो दुधारू पशुओं की मिनी डेरियों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में क्रमशः रु0 732150.00 एवं रु0 349578.00 की धनराशि स्वीकृत की गई थी। वित्तीय वर्ष 2008-09 में परियोजना अन्तर्गत कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की गई है। उक्त आवंटित धनराशि का मदवार विवरण निम्नवत् है:--

क्र0सं0	परियोजना मद	2006-07 आवंटित	2007-08 आंवटित
1	प्रशिक्षण	13800	8698
2	परिवहन	13350	6799
3	सब्सिडी	70500	334081
	योग	**732150**	**349578**

उपरोक्त धनराशि क्रमशः रु0 732150.00 एवं रु0 349578.00 के सापेक्ष जनपद में रु0 661680.00 एवं रु0 862379.00 व्यय करते हुए क्रमशः 132 एवं 64 मिनी डेरियों की स्थापना की गई जिसका मदवार व्यय विवरण निम्नवत् है:--

क्र0सं0	परियोजना मद	2006-07 उपयोगित	2007-08 उपयोगित
1	प्रशिक्षण	--	--
2	परिवहन	13350	6799
3	सब्सिडी	648330	855580
	योग	**661680**	**862379**

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर एवं तरबगंज में तहसील दिवस पर प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण

120-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा की तहसील-मनकापुर एवं तहसील तरबगंज में वर्ष 2008-09 में तहसील दिवसों पर कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा कितने प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण किया गया है तथा कितने शेष हैं ? सरकार द्वारा शेष प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण कब तक कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

वर्ष 2008-09 में जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर में कुल 2095 तथा तरबगंज में 3334 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे। सभी प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में घाघरा नदी के कटान के कारण कृषकों के लगान एवं ऋण माफ किये जाने की मांग

121-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील महमूदाबाद, बिसवां, लहरपुर, जनपद-सीतापुर में घाघरा नदी की कटान से जिन कृषकों की खेतिहर भूमि नदी में कटकर समाप्त हो गयी है, क्या सरकार उन कृषकों पर बकाया लगान व अन्य समस्त बैंक ऋण एवं अन्य देयकों को माफ करेगी ? क्या सरकार कृषकों को खेतों का मुआवजा भी देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद, बिसवां लहरपुर में घाघरा नदी से कृषकों की खेतिहर भूमि कटकर समाप्त नहीं हुई है। भूमि समाप्त न होने के कारण बकाया लगान व समस्त बैंक ऋण एवं अन्य देयकों को माफ करने का प्रश्न ही नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के ग्राम टिकुसुरी में ग्राम-प्रधान द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर कतिथ अवैध कब्जा

122-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनुपरी के ग्राम टिकुसुरी, ब्लाक जागीर के वर्तमान प्रधान द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर पंचायती एक्ट के अनुसार ग्राम सभा की भूमि से अवैध कब्जों को हटवाकर नियमानुसार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलाल गंज के ग्राम भजमर मऊ दयालपुर में चकरोड एवं नालियों पर हुए अवैध कब्जे के विषयक कार्यवाही

123-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के ग्राम भजमर मऊ दयालपुर ब्लाक व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ में चकबन्दी के समय बनाये गये चकरोड एवं सिंचाई हेतु निकाली गई नालियों को किसानों द्वारा अपने खेतों में मिला लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा मौके पर पैमाइश कराकर चकबन्दी के समय छोड़े गये चकरोडों एवं नालियों को पुनः निकाला जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

ग्राम भजमर मंऊ परगना निगोहां तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ में कुल 31 चकरोड व 21 नालियां है। इसमें कुल 28 चकरोड व 19 नालियां खुले हैं। शेष 3 चकरोड व 2 नालियों को कृषकों द्वारा जोत कर संकरा कर दिया गया था। उक्त चकरोड व नालियों को राजस्व अभिलेखों के मुताबिक मौके पर सीमांकन कर यथास्थिति कायम कर दी गयी है तथा दोषी के विरुद्ध धारा-122बी ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 के अन्तर्गत कार्यवाही कर दी गयी है।

जनपद बागपत में वृद्धावस्था पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या तथा उसका भुगतान

124-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत में वृद्धावस्था पेंशन हेतु वर्ष 2007 से 30-11-08 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? क्या उन प्राप्त आवेदन-पत्रों पर पेंशन स्वीकृत करके पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जनपद बागपत में वृद्धावस्था पेंशन हेतु वर्ष 2007 से 30-11-2008 तक 1408 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

उक्त प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों पर पेंशन स्वीकृत कर पेंशन का नियमित भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में लू लगने से हुई मृत्यु तथा उनके आश्रितों को दी गई आर्थिक सहायता

125-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 2006 से 20 अप्रैल, 2008 के मध्य कितने लोगों की लू लगने से मृत्यु हुई ? क्या मृतक आश्रितों को सरकार द्वारा कोई सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

प्रदेश के जनपद इटावा, अलीगढ़ एवं उरई (जालौन) में मार्च, 2006 से अप्रैल, 2008 के मध्य लू लगने से एक-एक तथा जनपद हमीरपुर में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

जी हां। प्रत्येक मृतक के आश्रितों को एक-एक लाख रुपये की अहेतुक आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति की अर्हताएं तथा मानदेय का विवरण

126-श्री जोखू लाल यादव-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गांवों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति की अर्हताएं/मानक क्या हैं ? इनके मानदेय में केन्द्र/ राज्य सरकार का अंशदान क्या है ? क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशानुसार न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल उत्तीर्ण एवं आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होने के साथ ही उसी गांव की मूल निवासी होना आवश्यक है।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मानदेय के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि में रु0 1500 प्रति माह केन्द्र सरकार द्वारा तथा रु0 200 प्रति माह राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

राज्य के वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा में अम्बेडकर डेरी डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत नई दुग्ध समितियों का गठन

127-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में अम्बेडकर डेरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में डा0 अम्बेडकर ग्रामों एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के अन्तर्गत कितनी नई दुग्ध समितियों का गठन किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि विकास खण्ड मनकापुर के ग्राम पंचायत भिटौरा (अम्बेडकर ग्राम)/अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को प्रोत्साहित करने हेतु क्या दुग्ध समिति का गठन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी हां।

वर्ष 2007-08 में जनपद गोण्डा में अम्बेडकर डेरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 04 नई दुग्ध समितियों का गठन किया गया है। वर्ष 2008-09 में इस योजना में कोई धनराशि आवंटित नहीं हुई है।

जी नहीं।

ग्राम पंचायत भिटौरा में पूर्व से ही दुग्ध समिति गठित है।

जनपद गोण्डा में सघन दुग्धशाला परियोजना का संचालन न होने के कारण धनराशि स्वीकृत न होने का औचित्य

128-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में सघन दुग्धशाला विकास परियोजना के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 तथा दिसम्बर, 2008 तक किन-किन विकास खण्डों में किन-किन मदों में कितना-कितना धन व्यय किया गया है ? उक्त योजना से सरकार को कितने राजस्व का लाभ प्राप्त हुआ है ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जनपद गोण्डा में सघन दुग्धशाला विकास परियोजना संचालित नहीं होने के कारण वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2007-08 तथा दिसम्बर, 2008 तक कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में दुग्ध विकास समितियों को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु आवन्टित धनराशि का विवरण

129-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में दुग्ध समितियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिये वित्तीय वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 व दिसम्बर, 2008 तक दुग्ध उत्पादन वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों की तकनीकी निवेश पर कितना धन शासन द्वारा आवंटित किया गया तथा किन-किन समितियों पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त वित्तीय वर्ष में दुग्ध उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई तथा कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ? क्या सरकार सम्पूर्ण प्रकरण में पाई गई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

दुग्ध संघ गोण्डा को तकनीकी निवेश कार्यक्रम में वर्ष 2006-07 में शून्य, 2007-08 में 35,58,920.00 एवं दिसम्बर, 2008 तक 29,45,690.00 रु0 कुल 65,04,610.00 रुपये की धनराशि आवंटित हुई है। जनपद गोण्डा में उक्त धनराशि कुल 260 समितियों पर व्यय की गयी है। (सूची संलग्न)

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि का आंकलन दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा नहीं किया जाता है तथा इसमें राजस्व प्राप्ति की व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 202-211 पर।)

जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर में श्री दुर्गेश चन्द्र गोंड़ पुत्र श्री रामेश्वरी प्रसाद गोंड़ निवासी बरदही को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र दिये जाने की मांग

130-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद-गोण्डा के तहसील मनकापुर में गोंड़ जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र दिया जा रहा है ? यदि हां, तो श्री दुर्गेश चन्द्र गोंड़ पुत्र श्री राजेश्वरी प्रसाद गोंड़ निवासी बरदही (मऊ) परगना व तहसील मनकापुर, जनपद गोण्डा द्वारा जाति प्रमाण-पत्र हेतु अपना आवेदन दिनांक 27-7-2007 में दिया गया था ? क्या सरकार बतायेगी कि उन्हें अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी नहीं।

जी नहीं।

जी नहीं।

तहसील मनकापुर जनपद गोण्डा में गोंड़ जाति के लोग मूलरूप से निवास नहीं करते हैं इसलिए गोंड़ जाति को अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है।

131-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

132-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[2सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम जंगला नं0-11, आदि जगहों पर अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को अनुदान की व्यवस्था

133-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद-लखीमपुर खीरी के तहसील लखीमपुर के ग्राम जंगला नं0 11, परगना भूड एवं करदहिया मानपुर में शारदा नदी से लोगों के घर कटान में कट कर बह गये थे ? यदि हां, तो क्या पीड़ित परिवारों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पीड़ित लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं। तहसील लखीमपुर के ग्राम जंगला नं0-11, परगना भूड एवं करदहिया मानपुर में शारदा नदी से लोगों के घर कट कर नहीं बहे थे बल्कि अतिवृष्टि से जंगला नं0-11 में 56 घर व करदहिया मानपुर में 112 घर प्रभावित हुये थे।

अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त जंगला नं0-11 में 56 गृह स्वामियों को रु0 1,03,000.00 एवं करदहिया मानपुर में 112 गृह स्वामियों को रु0 1,90,000.00 गृह अनुदान वितरित कर राहत सहायता प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को गृह अनुदान वितरित कर आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील लखीमपुर के ग्राम श्रीनगर निवासी श्री जयपाल पुत्र श्री शंकर लाल को शारदा नदी में डूबने से हुई मृत्यु पर दुर्घटना बीमा योजना की सहायता

134-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के तहसील लखीमपुर के ग्राम श्रीनगर के जयपाल पुत्र शंकर लाल की शारदा नदी में डूब जाने के कारण दिनांक

26-9-08 को मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को सहायता राशि उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को कब तक सहायता उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

नहीं। श्री जयपाल का शव दिनांक 28-9-2008 को खैरी जंगल में मिला था। मृत्यु का कारण अज्ञात है।

मृतक जयपाल की पत्नी जयकोरा निवासी श्रीनगर को कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत एक लाख रुपये की सहायता वितरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

अन्य कोई सहायता देय नहीं है।

प्रदेश में पिछड़ी जातियों की गरीब लड़कियों की शादी हेतु अनुदान योजना की व्यवस्था तथा प्रताप गढ़ की पट्टी में स्वीकृत अनुदान का विवरण

135-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछड़ी जाति की गरीब लड़कियों की शादी हेतु अनुदान दिये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में पिछड़ी जाति की गरीब लड़कियों की शादी हेतु अनुदान के रूप में जनपद-प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कितनी-कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में उपरोक्त श्रेणी हेतु कुल कितने आवेदन वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में प्राप्त हुये और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश कुमार वर्मा-

जी हां। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना वर्ष 2007-08 से संचालित है। जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में शादी अनुदान योजनान्तर्गत वर्ष 2007-08 में कुल 15 आवेदन-पत्र एवं वर्ष 2008-09 में कुल 214 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें से वर्ष 2007-08 मे 05 आवेदन-पत्र एवं वर्ष 2008-09 में 74 आवेदन-पत्र अपात्र पाये गये। वर्ष 2007-08 में 10 आवेदन-पत्र स्वीकृत कर रु0 1,00,000.00 (रुपये एक लाख मात्र) एवं वर्ष 2008-09 में 47 आवेदन-पत्र स्वीकृत कर रु0 4,70,000.00 (रुपये चार लाख सत्तर हजार मात्र) शादी हेतु अनुदान दी गयी है।

प्रदेश में चलाये जा रहे तहसील दिवसों में विधायकों को सम्मिलित होने की व्यवस्था

136-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जन समस्याओं के निराकरण हेतु चलाये जा रहे तहसील दिवसों में विधायकों के सम्मिलित होने पर शासन द्वारा क्या रोक लगायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या तहसील दिवसों में विधायकों के भाग लेने हेतु सरकार द्वारा कोई अनुरोध करने की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी नहीं।

तहसील दिवसों में मा0 विधायक व अन्य जन प्रतिनिधिगण भाग ले सकते हैं, उन्हें अलग से आमन्त्रित करने की व्यवस्था नहीं है।

जनपद गोण्डा के पशु चिकित्सालय, मनकापुर का भवन एवं डाक्टर एवं कर्मचारियों के आवास का पुनर्निर्माण कराने की मांग

137-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के पशु चिकित्सालय, मनकापुर का भवन एवं डाक्टर एवं कर्मचारियों के आवास अत्यन्त जर्जर अवस्था में होने के कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय भवन एवं डाक्टर एवं कर्मचारियों के आवासों का नव-निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत जर्जर भवन वर्तमान में दुर्घटना होने जैसी स्थिति मे नहीं है।

जी हां।

लोक निर्माण विभाग से निष्प्रयोज्य प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

जनपद बांदा के कतिपय ग्रामों में राष्ट्रीय समविकास योजना अन्तर्गत कराये गये कार्य

138-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में वर्ष 2004-05 में भूमि संरक्षण कार्य ग्राम बसहारी, तिन्दवारा, बदौसा, खुमानपुरवा, खोरवा, दुवरिया, सिन्धौरा, तरसुमा, पछीआं सटा, बहादुरपुर, अमलीकौर, माचा, कुल कुम्हारी, छाने हरा त्रिवेणी, सिन्धनकला, बरेहटा आदि ग्रामों में भूमि सेवा योजना सम विकास योजना के द्वारा कराया गया है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि पूर्व से बनी बन्धियों में ओवर लेपिंग की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर धनराशि के दुरुपयोग पर रोक लगाने के आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

वर्ष 2004-05 में भूमि सेना योजना संचालित नहीं थी। राष्ट्रीय समविकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में ग्राम-बसहारी, तिन्दवारा, अमलीकौर, माचा, कुलकुम्हारी, छनेहरा एवं त्रिवेणी ग्रामों में कार्य हुआ है।

ओवर लैपिंग नहीं की गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

ओवर लैपिंग नहीं की गयी है अस्तु प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के हैवलक रोड स्थित पशु चिकित्सालय का केन्द्रीय क्रय भण्डार के चार्ज का कथित रूप में स्थानान्तरण

139-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, पशुपालन विभाग, लखनऊ द्वारा केन्द्रीय क्रय भण्डार का चार्ज हैवलक रोड (सदर) पशु चिकित्सालय से हटाकर डा0 सुधीर कुमार, पशु चिकित्साधिकारी, केनाइन रैबीज कन्ट्रोल यूनिट, लखनऊ को दिया गया है ? क्या इस प्रकरण की शिकायत लोकायुक्त के माध्यम से अप्रैल, 2008 में शासन को भेजी गयी है ? यदि हां, तो क्या इसकी बिन्दुवार जांच कराकर रिपोर्ट सदन के पटल रखेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील लखीमपुर के ग्राम मोहम्मदपुर में कथित रूप में बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिये जाने की मांग

140-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के तहसील लखीमपुर के अन्तर्गत ग्राम-मोहम्मदपुर में वर्ष 2008-09 में बाढ़ से ग्रस्त 940 पात्र किसानों को दैवी आपदा राहत कोष से अहेतुक सहायता प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यो क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही कर पीड़ित किसानों को राहत राशि उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील लखीमपुर के अन्तर्गत ग्राम मोहम्मदपुर के बाढ़ से जलमग्न न होने के कारण अहेतुक सहायता वितरित नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में संचालित राजकीय संप्रेक्षण गृह में तैनात कर्मचारियों को नियमित वेतन का भुगतान

141-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बाराबंकी में संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में तैनात कर्मचारियों को वेतन भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसके लिये दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती-

नियमित रूप से वेतन भुगतान प्रत्येक माह किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के तहसील सलेमपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत परसिया करकटही के टोला में चक मार्ग पर हुए अवैध कब्जे का निवारण

142-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-देवरिया के तहसील सलेमपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत परसिया करकटही के टोला परसिया बड़ी में चकमार्ग, जो गांव के पूरब नहर के पश्चिम गांव तक जाता है, पर गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा कब्जा करके उक्त मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग को खुलवाने के निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जांचोपरान्त पाया गया कि आराजी नम्बर 358 रकबा-034 हे0 जो सरकारी अभिलेख में चकमार्ग के खाते में दर्ज है और उस पर ग्राम प्रधान द्वारा मिट्टी पटवाकर रास्ता का निर्माण करा दिया गया है। उक्त चकमार्ग पर दीनानाथ पुत्र लालू ने पम्पिंग सेट की टंकी बनवाकर अवरोध कर दिया था जिसे दिनांक 10-02-2009 को ग्राम प्रधान व पुलिस बल खुखुन्दू तथा ग्रामवासियों की उपस्थिति में तोड़वाकर रास्ता साफ करवा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की तहसील कर्नेलगंज के ग्राम आटापुरे में चकरोड पर हुए अवैध कब्जे का निस्तारण

143-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम नाथ सिंह अदम गोण्डवी निवासी-ग्राम आटापुरे, गजराज, तहसील कर्नेलगंज, जिला गोण्डा का प्रार्थना पत्र दिनांक 19-6-2008, जो ग्राम आटापुरे गजराज को जाने वाले सेक्टर मार्ग को दबंग व्यक्तियों द्वारा कब्जा करके रास्ता अवरुद्ध करने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम का रास्ता/सेक्टर मार्ग की पैमाइश कराकर आवागमन की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान-

जी हां।

गाटा संख्या-4118/0.30 तथा गाटा संख्या-4372/रकबा 0.154 राजस्व अभिलेखों में रास्ता दर्ज है, जो पहले से ही मौके पर खाली है जिस पर आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। दिनांक 24-8-2008 को श्री रामनाथ सिंह अदम गोंडवी तथा अन्य ग्राम वासियों की उपस्थिति में उपरोक्त रास्ते की पैमाइश पुनः की जा चुकी है। मौके पर रास्ता खाली है और किसी का उक्त रास्ते पर अनाधिकार कब्जा नहीं है।

जिला कारागार गोण्डा एवं बहराइच के कारागारों की बन्दी क्षमता

144-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार गोण्डा व बहराइच में बन्दियों की क्षमता क्या है तथा वर्तमान मे उक्त दोनों जेलों में कितने-कितने बन्दी हैं ? क्या मानक से अधिक बन्दियों को रखे जाने से कारागार में अव्यवस्था फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निराकरण हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जिला कारागार गोण्डा की बन्दी क्षमता 634 तथा जिला कारागार बहराइच की बन्दी क्षमता 435 है। दिनांक 30-9-08 की स्थिति के अनुसार जिला कारागार गोण्डा में 1242 तथा जिला कारागार बहराइच में 1137 बन्दी निरुद्ध थे।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के तहसील नकुड़ एवं गंगोह में हवाई अड्डा बनाने हेतु प्रारम्भिक कन्सेप्ट रिपोर्ट

145-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहारनपुर जनपद में हवाई अड्डा बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त हवाई अड्डा किस तहसील में स्थापित होगा तथा उसके लिये कितनी कृषि भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता होगी ? क्या प्रभावित कृषकों को पुनर्स्थापित करने की भी क्या कोई योजना है ?

सुश्री मायावती-

जनपद सहारनपुर के तहसील नकुड़ एवं गंगोह में हवाई अड्डा बनाने हेतु एक प्रारम्भिक कन्सेप्ट रिपोर्ट तैयार कराई गयी है किन्तु इस योजना पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में ग्राम नल्हेडा गुर्जर से भावला के क्षतिग्रस्त लिंक रोड को पक्का कराने की योजना

146-श्री इमरान मसूद-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सहारनपुर में ग्राम नल्हेडा गुर्जर से भावला लिंक रोड लगभग 3 कि0मी0 अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को पक्का करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इन्द्रजीत सरोज-

जी हां।

जी हां।

अप्रैल, 2009 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती विमलेश सिंह, सदस्य, विधान सभा के पुत्र पर हुए प्राणघातक हमले के कारण मा0 सदस्या की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था शीघ्र बढ़ाये जाने का अनुरोध

श्रीमती विमलेश सिंह-

मान्यवर, मुझे एक व्यक्तिगत प्रश्न को उठाना है। मेरे पुत्र पर जानलेवा हमला किया गया है। मैं इगलास से विधायक हूं। यह उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया है जिनके द्वारा मेरे पति की हत्या कर दी गयी थी। वह इसी विधान सभा के सदस्य रहे हैं इगलास क्षेत्र से। मैं सुरक्षा की मांग कर रही हूं, मुझे सुरक्षा दी जाये।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, माननीया विधायक जी इस सम्मानित सदन की सदस्य हैं। इनके पति भी इस सदन के सदस्य रहे हैं। उनकी हत्या कर दी गयी थी। उनका नाम चौधरी मलखान सिंह जी था। अभी दो दिन पहले इनके पुत्र पर जानलेवा हमला किया गया। माननीया विधायक जी असुरक्षा के कारण अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम जा पाती हैं। इनके पुत्र ही क्षेत्र का कार्य देखते हैं। उसकी कभी भी हत्या हो सकती है। आप हमारे दल से विधायक हैं। हमारा अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि इनकी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाये। इन्होंने पहले से आवेदन भी किया हुआ है, आप इनके लिये अत्यधिक सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करा दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह किसी दल की बात नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि भी है। इनके पति की नृसंश हत्या कर दी गयी थी वह इस सदन के सदस्य थे। मान्यवर, उनकी दुश्मनी इतनी मजबूत थी कि तीन अंगरक्षकों के रहते हुए भी हत्या कर दी गयी थी। मान्यवर, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके परिवार के साथ जो दुश्मनी है वह कितनी सशक्त है माननीया विधायक जी इस सदन की सदस्या हैं और इनका पुत्र सारे क्षेत्र का कार्य देखता है। अगर उस पर जानलेवा हमला हुआ है और उसको देखते हुए हम इनकी और इनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम नहीं करवा पाते हैं तो इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं होगी। सम्मानित सदस्या ने सुरक्षा की मांग भी की हुई है। उसके बाद भी अगर इनको सुरक्षा नहीं दी जायगी तो यह गलत बात होगी। मैं समझता हूं कि दल की भावनाओं से ऊपर उठकर माननीय मंत्री जी इस मामले में विशेष रूप से रुचि लेते हुए आज सायंकाल तक इन्हें सुरक्षा अवश्य उपलब्ध करा देंगे। मान्यवर, मुझे याद है कि इसी सदन में मा0 श्री भोंपाल सिंह ने एक दिन पहले ही कहा कि उन्हें सुरक्षा दी जाये और दो दिन बाद ही उनकी हत्या हो गयी थी। मैं चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आप सदन की सदस्या हैं इन्होंने व्यक्तिगत खतरे की बात बतायी है। इनके पुत्र पर प्राणघातक हमला हुआ है। इन्होंने सुरक्षा की बात कही है, इसको आप दिखवा लें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जी मान्यवर, पूरी तरह से।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19 फरवरी, 2009 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद नगर में जे0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत वर्षा से पूर्व सीवर निर्माण करने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री संजय कपूर की रामपुर की मिलक तहसील में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री आलोक कुमार शाक्य की आवास संख्या 2/596 विराम खण्ड, लखनऊ के सामने लखनऊ विकास प्राधिकरण के पार्क को अनाधिकृत कब्जे से मुक्त करवाने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री पंकज मलिक की थाना मन्सूरपुर एवं स्पेशल टीम, मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा फर्जी इन्काउन्टर किये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की सहारनपुर में स्वास्थ्य विभाग में तैनात लिपिक के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमें के अनुसार कार्यवाही करने के सम्बन्ध में, छठी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की मेरठ जनपद के ग्राम सिसौली विकास खण्ड रजपुरा के मुख्य तालाब की सफाई करवाने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी की तुलसीपुर तहसील मुख्यालय जनपद बलरामपुर में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्री विजय बहादुर यादव की गोरखपुर के मानीराम क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा लक्ष्मीपुर टोला मछरिया में रोहिनी नदी पर बन रहे अधूरे पुल का निर्माण कार्य पूरा कराने के सम्बन्ध में, नवीं सूचना श्री श्याम लाल की है वह उपस्थित नहीं हैं, दसवीं सूचना श्री भोला पासवान की आजमगढ़ की सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नरवर नन्दाँव से दयालपुर तक मंगई नदी की सफाई एवं खुदाई कराने के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं सूचना श्री शम्भू चौधरी की कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत कप्तानगंज में होटल व्यवसायी की गोली मार कर की गयी हत्या की जांच कराने एवं परिजनों को उचित मुआवजा देने के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना हाजी अब्दुल समद अंसारी एवं श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल की वाराणसी जनपद स्थित वधशाला को जनपद से बाहर स्थानान्तरित किये जाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के सम्बन्ध में, तेरहवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की रामनगर कालोनी, आगरा की जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में, चौदहवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट की मथुरा के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत लालपुर माइनर फीडर के निर्माण की परियोजना की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं उनके नाम इस प्रकार हैं- 1-श्री संजीव दरियावादी, 2-श्री सर्वेश कुमार सिंह, 3-श्री प्रदीप जैन आदित्य, 4-श्री अनूप कुमार गुप्ता।

(श्री संजय कपूर तथा पूरन प्रकाश ने अपनी-अपनी सूचनाएं पढ़ीं, शेष सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

इलाहाबाद नगर में जे0एन0ए0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत बरसात से पूर्व सीवर निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[इलाहाबाद नगर में जे0एन0ए0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत सीवर लाइन बिछाने हेतु भारत सरकार द्वारा 13-2-09 को लगभग 356 करोड़ रु0 की पहली किश्त की स्वीकृति दे दी है। इलाहाबाद गंगा जमुना नदी के संगम पर बसा है। गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित हो चुकी है। पूरे नगर का गंदा पानी व सीवर इसी में जाता है। सीवर व एस0टी0पी0 का निर्माण अतिशीघ्र होना अति आवश्यक है। प्रदेश में यह योजना एक ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य कराने से असफल हो रही है। गुणवत्ता व त्वरित निर्माण कार्य कराने हेतु वार्डों के हिसाब से कार्यों का बंटवारा ठीक होगा। सीवर हेतु सड़कों की खुदाई के उपरान्त सड़कें धस जाती हैं। अतः बरसात के पूर्व ही सीवर के बिछाने का कार्य पूरा हो जाने पर बरसात में पानी से मिट्टी स्थिर हो जायेगी और सड़कें गड्ढे ठीक किये जा सकेंगे।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल सीवर निर्माण का कार्य बरसात के पूर्व विकेन्द्रित प्रणाली द्वारा कराये जाने की मांग करता हूं।]

रामपुर की मिलक तहसील में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संजय कपूर

[जनपद रामपुर की तहसील मिलक में कोई भी महाविद्यालय नहीं है। यह असेवित ब्लाक है। यहां पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है। यह तहसील बहुत ही गरीब व पिछड़ी तहसील है। सरकार की मंशा बच्चों को शिक्षित करने की है। मगर यहां पर गरीब लड़के व लड़कियां इण्टर के बाद शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यहां से महाविद्यालय की दूरी लगभग 35 कि0मी0 है। जिस कारण लड़कियां शिक्षा प्राप्त करने नहीं जा पाती हैं और वह इण्टर के बाद नहीं पढ़ पाती हैं। इस महाविद्यालय को खोले जाने की कार्यवाही शासन में लम्बित है तथा काफी प्रयास के बाद भी मिलक में राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला गया है। इसका खोला जाना शिक्षा हित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

विराम खण्ड गोमती नगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण के पार्क को अनाधिकृत कब्जे से मुक्त करवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आलोक कुमार शाक्य-

[महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा आवास संख्या 2/596 विराम खण्ड लखनऊ के निवासी हैं। श्री शर्मा द्वारा अपने आवास के सामने लखनऊ विकास प्राधिकरण के पार्क को अनधिकृत रूप से कब्जा कर मंदिर बनवाया गया है जिसके वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्वयं महन्त एवं मुख्य कर्ताधर्ता है। पार्क के एक भाग में उनके चार मोटर वाहन खड़े होते हैं तथा शेष भाग में स्वयं बैठकर पंचायत करते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के पार्क की श्री शर्मा द्वारा निजी सम्पत्ति बना लेने से मोहल्ले के बच्चे न तो खेल पाते हैं। तथा वृद्ध महिला/पुरुषों को पार्क में बैठने व टहलने के लिये भी रोका जाता है। श्री शर्मा द्वारा पार्क में बैठकर एवं बाहरी व्यक्तियों को इकट्टा कर शोर गुल एवं असंसदीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। साथ ही असमय लाउड स्पीकर द्वारा अश्लील गानों को मुहल्ले में बजाया जाता है जिससे मुहल्ले की महिलाएं घर से बाहर निकलने में शर्म महसूस करती हैं।

श्री शर्मा सचिवालय में समीक्षाधिकारी के पद पर तैनात हैं। वे कभी भी कार्यालय नहीं जाते हैं। उनके कई आवास हैं एव उनमें अनधिकृत रूप से दुकानें बनवाई गयी हैं। जिसकी अनुमति लखनऊ विकास प्राधिकरण से नहीं प्राप्त की गयी है। श्री शर्मा शासन में तैनात होने के कारण अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिससे शासन की छवि धूमिल हुई है। इनके द्वारा अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर काफी चल व अचल सम्पत्ति अर्जित की गई है।

अतः इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सचिवालय कर्मी श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा अनधिकृत रूप से पार्क पर कब्जा करने, सरकारी सेवक होते हुए किसी मंदिर का महन्त होने, कार्यालय से अनुपस्थित रहने, काफी चल व अचल सम्पत्ति इकट्टा करने आदि की उच्चस्तरीय जांच कराकर श्री शर्मा के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

मुजफ्फरनगर में थाना मन्सूरपुर एवं स्पेशल टीम, पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउन्टर किये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंकज मलिक-

[मैं इस सदन के माध्यम से थाना मन्सूरपुर एवं स्पेशल टीम, मुजफ्फरनगर की पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउन्टर में हत्या किये जाने की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। श्री मेहताब पुत्र श्री इलियास, निवासी मो0 पठानकोट, कस्बा व थाना बड़ौत, जनपद बागपत उम्र करीब 25 वर्ष खेती का कार्य करता था, वह मुजफ्फरनगर बुढ़ाना में बड़ौत रोड मेन बाजार स्थित नवाब होटल पर भोजन कर रहा था, तभी सादी वर्दी में आयी पुलिस द्वारा गाड़ी में जबरदस्ती खींचकर डाल लिया गया और उसे ले गये। श्री इलियास द्वारा अपने स्तर से पता करने की कोशिश की गयी, किन्तु कोई जानकारी नहीं मिल पायी। दिनांक 30-11-2008 को सुबह श्री इलियास ने लोकल अखबारों को पढ़ा, तब पता चला कि उसके लड़के मेहताब को पुलिस कर्मियों द्वारा फर्जी मुठभेड़ में एनकाउन्टर दिखाकर उसकी हत्या कर दी गयी। उक्त घटना की जांच उच्च अधिकारियों द्वारा कराया जाना अति आवश्यक है तथा दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाय।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से उक्त घटना की जांच करवाये जाने के लिये सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सहारनपुर में स्वास्थ्य विभाग में तैनात लिपिक के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमें के अनुसार कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में एक प्रश्न लाना चाहता हूं। जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित है इस विभाग में कार्यरत आनन्द कुमार त्यागी, लिपिक वर्तमान में जनपद सहारनपुर में तैनात है इस लिपिक पर जनपद मुरादाबाद में तैनाती के दौरान इसके विरुद्ध अ0सं0 432/88 धारा 420/465/468/471/120 बी भा0द0वि0 थाना सिविल लाइन मुरादाबाद में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना कार्यालय खण्डाधिकारी, केन्द्रीय अनुसंधान विभाग, लखनऊ द्वारा की गयी इस मामले में 28-8-08 को मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर को पत्र लिखकर उक्त लिपिक दोषी को निलम्बित किये जाने का अनुरोध किया है लेकिन अभी तक मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है और इस कारण दोषी लिपिक की गिरफ्तारी में विलम्ब हो रहा है इस लिपिक द्वारा अपने कार्यालय व निदेशालय में पत्रावली को इधर-उधर कराकर गिरफ्तारी से बचने का कुचक्र जबकि इसे निलम्बित कर तत्काल विवेचक को सूचना देकर इसकी गिरफ्तारी कराया जाना विभाग को सुनिश्चित कराया जाना चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण गम्भीर है आप अपने स्तर से सरकार को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।]

मेरठ जनपद में ग्राम सिसौली विकास खण्ड रजपुरा के मुख्य तालाब की सफाई करवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

[महोदय, सम्पूर्ण प्रदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के उपरान्त भी तालाबों की सफाई एवं खुदाई का कार्य नगण्य स्थिति में है। जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है लेकिन तालाबों की सफाई के लिये सदन के संज्ञान में अनेक बार आने के उपरान्त भी जिले में बैठे अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। मेरठ जनपद के ग्राम सिसौली विकास खण्ड रजपुरा के मुख्य तालाब पर लोगों ने कूड़ी (कूड़ा) डालकर कब्जा कर रखा है। मेरठ के मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी को बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप में देने के उपरान्त भी आज तक तालाब की सफाई नहीं करायी जा रही है जिसके कारण सम्पूर्ण ग्राम में संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। इस आशय की सूचना क्षेत्रीय नागरिकों एवं पी0एच0सी0 पर मौजूद डाक्टरों द्वारा भी प्रशासनिक अधिकारियों को भी दे दी गयी है। उपरोक्त तालाब की सफाई एवं चहारदीवारी तत्काल करायी जानी चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बलरामपुर में तुलसीपुर तहसील मुख्यालय में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर, बलरामपुर जनपद का अति पिछड़ा क्षेत्र है। यहां उच्च शिक्षा के लिये बच्चों को दूरदराज क्षेत्रों में जाना पड़ता है।

अतएव तुलसीपुर तहसील मुख्यालय पर एक राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने का अनुरोध करता हूं। विषय व्यापक जनहित में अति आवश्यक है।]

गोरखपुर के मानीराम क्षेत्रान्तर्गत लक्ष्मीपुर टोला मछरिया में रोहिनी नदी पर बन रहे अधूरे पुल का निर्माण कार्य पूरा कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय बहादुर यादव--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र मानीराम, जनपद गोरखपुर के ब्लाक जंगलकौड़िया के ग्राम सभा लक्ष्मीपुर टोला मछरिया में रोहिनी नदी पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य एक साल से बन्द होने से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

विधान सभा क्षेत्र मानीराम, जनपद गोरखपुर के ब्लाक जंगलकौड़िया के ग्राम सभा लक्ष्मीपुर टोला मछरिया में आवागमन एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए रोहनी नदी पर एक पुल का निर्माण प्रारम्भ किया गया है जिसका निर्माण कार्य एक वर्ष से बन्द पड़ा हुआ है। उक्त पुल का निर्माण कार्य बन्द होने के कारण पुल का निर्माण कार्य अधूरा है जिसके कारण जनमानस को काफी असुविधा हो रही है तथा समय अधिक लगने के कारण उसकी लागत भी बढ़ रही है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराकर पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ के सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नरवर नन्दाब से दयालपुर तक मंगई नदी की सफाई एवं खुदाई कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भोला पासवान--

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सरायमीर, जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत मंगई नदी विधान सभा क्षेत्र सरायमीर-199 के बीचोंबीच से होकर गुजरती है जिसमें शादा सहायक खण्ड-23 और 32 दोनों की दर्जनों माइनर गिरते हैं। जिसके रेत के पटाव से नदी का स्वरूप ही बदल गया है और काफी समतल हो गया है पानी का बहाव सुचारू रूप से न हो पाने के कारण बाढ़ का रूप बहुत की विनाशकारी रूप ले लेता है जिसके परिणाम स्वरूप हर साल मेरे क्षेत्र के 50 गांव प्रभावित होते है। जन धन का काफी नुकसान होता है दोनों फसलों के हजारो हजार कुन्टल प्रति वर्ष बर्बादी होती है। मेरे क्षेत्र की यह बहुत ही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[[यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ज्वलन्त समस्या है। जिसकी खुदाई व सफाई कराना जनहित में नितान्त आवश्यक है जिसके चलते लाखों लाख किसान प्रभावित है। किसान 20 साल से इस समस्या को उठाता चला आ रहा है कई बार सर्वे भी हुआ, कुछ आंशिक रूप से सफाई भी हुई। सरकारों के बदलाव के साथ-साथ काम बाधित होता रहा, जिसके चलते नदी की पूरी सफाई व खुदाई नहीं हो पायी। अभी पिछले सदर क्षेत्र आजमगढ़ के ससंदीय उपचुनाव में सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेता गण अपनी पार्टी के प्रचार के दौरान क्षेत्र में गये तो क्षेत्रीय जनता द्वारा नदी के विनाशकारी पीड़ा को सुना, सबने उसे खुदवाने का आश्वासन भी दिया। मगर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है।

अतः आप श्रीमान् जी से अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य को जनहित में देखते हुए नदी का सर्वे कराकर नदी को खुदाई व सफाई का कार्य कराने की मांग करता हूं।]

कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत कप्तानगंज में होटल व्यवसायी की गोली मारकर की गयी हत्या की जांच तथा परिजनों को उचित मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शम्भू चौधरी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कप्तानगंज थाना क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

कप्तानगंज, लाल चौके, पेट्रोल पम्प के सामने एक होटल व्यवसायी को कट्टे से गोली मारकर अजय कुमार पुत्र श्री रामयादी यादव की 7-2-2009 की रात लगभग 9 बजे एक युवक के साथ 5-6 अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। हत्या होने के दूसरे दिन 8-2-2009 की सुबह व्यापार मण्डल व कप्तानगंज के सभी आक्रोशित व्यवसायी सड़क पर उतर गये और चक्का जाम कर दिया। व्यवसायियों की प्रमुख मांगें-हत्यारे को गिरफ्तार किया जाय, हत्या हुए व्यक्ति के परिवारजनों को सरकारी लाभ व दो डिसिमिल जमीन दिया जाय, इस थाना अध्यक्ष के रहते हुए हम व्यवसायी असुरक्षित हैं इसलिए इन्हें निलम्बित किया जाय, कप्तानगंज में सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त किया जाय आदि कुल 9 मांगे थीं। मौके पर पहुंचे अधिकारियों में ए0डी0एम0 कुशीनगर, एडिश्नल कुशीनगर, एस0डी0एम0, हाटा, सी0ओ0 कसया एवं तमाम वरिष्ट अधिकारी भी मौजूद थे। व्यवसायी की 9 सूची मांगों को माना व घोषणा भी किया किन्तु अभी तक उस हत्या हुए व्यक्ति के परिवारजनों को अभी तक कोई सुविधा नहीं दिया गया है और लाइन हाजिर हुए थानाध्यक्ष को पुनः उसी थाने पर तैनात कर दिया गया है। जबकि थानाध्यक्ष कप्तानगंज बदले की भावना से उन व्यवसायियों को परेशान करने के लिए जो धरने में शामिल थे पुनः तैनात हुए हैं। इस प्रकार की कार्यवाही से जनमानस में आक्रोश एवं भय व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के तात्कालिक एवं अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए हत्या हुए व्यक्ति के परिवार जनों के लिए उचित मुआवजे व सी0बी0आई0 जांच से जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाराणसी स्थित वधशाला को जनपद के बाहर स्थानान्तरित किये जाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*हाजी अब्दुल समद अंसारी एवं श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल-

[मान्यवर, जनपद वाराणसी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर अवैध रूप से बड़े पैमाने पर पशुओं को काटा जा रहा है। प्रशासन के संरक्षण में यह कार्य बड़े जोरों पर चल रहा है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12-07-2005 द्वारा प्रदेश सरकार को याचिका संख्या-309/2003 के तहत निर्देश दिया है कि वाराणसी जनपद स्थित वधशाला को वाराणसी जनपद के बाहर शीघ्र स्थानान्तरित किया जाये और शहर का माहौल व वातावरण खराब होने से बचाया जाये, जबकि कमलगढ़हा वधशाला के पूरब व पश्चिम में मदरसा व यतीमखाना है। वधशाला के दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग प्राचीन शैलपुत्री देवी का मन्दिर है। जहां पर नवरात्र के प्रथम दिन दर्शन होता है तथा वहां पर दर्शन हेतु भारी भीड़ स्त्री व पुरूषों की एकत्रित होती है। वधशाला से सटे मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों व यतीमखानें में रहने वाले छात्रों को आये दिन किसी न किसी गम्भीर बीमारी का सामना करना पड़ता है। गन्दगी की वजह से बीमारी के कारण कई छात्र अपनी जान गवां चुके हैं। वधशाला शहर की घनी आबादी से घिरा है, जिसके कारण कभी भी क्षेत्र की शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। विगत वर्ष वधशाला में हत्या भी हो चुकी है।

अतः मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि काशी की गंगा-जमुनी तहज़ीब को कायम रखने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन अतिशीघ्र कराया जाय, जिससे शहर की शान्ति व्यवस्था भंग न हो सके।]

आगरा की रामनगर कालोनी की जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नगर विकास मंत्री का ध्यान रामनगर कालोनी, आगरा की जर्जर व गड्डा युक्त सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूं।

रामनगर कालोनी आगरा की बहुत ही पुरानी व नक्शों से बनी हुई कालोनी है यहां के निवासी हाउस टैक्स व वाटर टैक्स भी पूर्ण रूप से देते हैं, लेकिन सुविधाएं बिल्कुल नहीं है यहां की सड़कें विगत 10 वर्षों से जर्जर व गड्डा युक्त हैं रिक्शा व स्कूटर आये दिन पलट जाते हैं। सड़कों से होकर यहां के निवासियों का आना जाना दूभर हो गया है। क्षेत्र की जनता परेशान है उसमें रोष है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मथुरा के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत लालपुर माइनर फीडर के निर्माण की परियोजना की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[जनपद मथुरा के गोवर्धन सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र में किसानों की सिंचाई का एक मात्र साधन है लोअर आगरा कैनाल मथुरा है चूंकि गोवर्धन क्षेत्र में पूरे ग्रामीण एरिया में जमीन के नीचे खारा पानी है मेरे क्षेत्र में किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध हेतु लालपुर माइनर के माध्यम से आगरा नहर के कि0मी0 131.670 बायें किनारे से अड़िंग रजवाहा के कि0मी0 23.058 पर किसानों को सिंचाई के पानी की उपलब्धता के लिये लालपुर फीडर के निर्माण की परियोजना, जिसकी प्रयोजना रचना एवं प्रभाग, राज्य नियोजन उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा मूल्यांकन लागत 48.75 है विभाग के विचारार्धीन है एवं शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, प्रमुख अभियन्ता से प्रस्ताव आदि सब उपलब्ध हो चुका है, परन्तु अभी तक प्रमुख अभियन्ता सिंचाई मेरठ के द्वारा कार्य शुरू नहीं कराया गया है, जिसके कारण क्षेत्र के किसान सिंचाई के पानी के अभाव में लगभग 55 गांव भूखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं, जबकि पूरे योजना की लागत मात्र 48 लाख रुपये है।

अतः हमारे क्षेत्र गोवर्धन (सुरक्षित) जनपद मथुरा सिंचाई विभाग लोअर आगरा कैनाल मथुरा को आदेश निर्गत करने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19 फरवरी, 2009 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 8 सूचनायें प्राप्त हुई जिसमें सभी सूचनायें निरस्त कर दी गयी हैं। एक सूचना का विषय माननीय विधायकों से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष-पीठ एवं शासन स्तर से विधायकों के प्रति शिष्टाचार एवं प्रोटोकाल प्रदर्शित किये जाने के निर्देशों के बावजूद शासन के अधिकारियों द्वारा इनका उल्लंघन करके विधायकों के प्रति शिष्टाचार एवं प्रोटोकाल का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

इस पर दो मिनट के लिए माननीय तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि औचित्य के इस प्रश्न पर ग्राह्यता के संदर्भ में कुछ आपने मुझे अवसर दिया है कि मैं यह विषय उठा सकूं। मान्यवर, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि यह मेरा या किसी दल से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है यह उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सभी सदस्यों से जुड़ा हुआ है। इस सन्दर्भ में मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता बल्कि समय की गति के साथ जो कुछ कुरीतियां आ गयी हैं उस ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मान्यवर, यह सत्य है कि जनप्रतिनिधियों को अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिये अधिकारियों से मिलना होता है। मान्यवर, यह प्रजातंत्र का एक नियमित नियम है कि सरकारी कर्मचारी तो एक बार परीक्षा दे देता है और रिटायरमेंट तक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसकी प्रोन्नति होती जाती है उसे दोबारा परीक्षा नहीं देना पड़ता है। व्यापारी की अपनी समस्यायें हैं। सबकी अपनी समस्यायें हैं पर जनप्रतिनिधि एकमात्र ऐसा होता है, विधायक, जिसे हर 5 साल बाद जनता की अदालत में एक बार फिर परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ता है। यह संवैधानिक दायित्व है, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि प्रत्येक दिन ही उसे जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर उतरना पड़ता है। मान्यवर, इस सन्दर्भ में अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह हो सके। मान्यवर, इसके लिये समय-समय पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा तमाम शासकीय, अर्धशासकीय पत्र प्रेषित किये गये हैं और यह औचित्य का प्रश्न इसलिये बना कि आपकी पीठ से हम विधायकों के लिये समय-समय पर तमाम दिशा-निर्देश दिये गये हैं इसलिये सदन की कार्यवाही का अंग भी है और उसे प्रभावित भी करता है इसलिये नियम-300 में औचित्य का प्रश्न भी है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रोज जिन नियमों का हनन हो रहा है कृपा करके उसे देख लें। मान्यवर, वारेंट आफ प्रेसीडेंस में विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्य, मुख्य सचिव, अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, लेफ्टीनेंट जनरल अथवा सशस्त्र सेना के समकक्ष अधिकारी, एडवोकेट जंनरल, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, राजस्व परिषद्, अध्यक्ष, लोक सेवा प्राधिकरण, विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्य सरकार के आयुक्त एवं सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, मण्डलाध्यक्ष, इन सबके ऊपर प्रेसीडेंस है आपका। लेकिन आम जिन्दगी में अगर आप देखें तो यह पालन नहीं हो रहा है प्रेसीडेंस में। जब विधायक जाता है मुख्य सचिव के यहां भी, तो वह मुख्य सचिव से ऊपर है। इसीलिये यह व्यवस्था की गयी कि जब कोई सम्मनित सदस्य किसी अधिकारी के कक्ष में जायेगा भेंट करने के लिये किसी कार्य के लिये तो सम्मानित सदस्य के आगमन पर उस अधिकारी को उठकर खड़ा होना चाहिये और केवल खड़ा ही नहीं होना चाहिए बल्कि विनम्रतापूर्वक उसे वह आसन देना चाहिए जो उसके लिये सुविधाजनक और सम्मानजनक हो। मान्यवर, मैं नहीं जानता कि कितने अधिकारियों द्वारा विधायकों को यह सम्मान दिया जा रहा है। यही नहीं, मान्यवर, मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस समय विधायक अपना कार्य पूरा करके निकलें उस समय मुख्य सचिव या उसके नीचे के सारे अधिकारियों को खड़े होकर विदा करना चाहिये। मान्यवर, यह तो सब लोगों का अनुभव होगा कि इसका पालन नहीं होता है। मान्यवर, अब तो विधायक ही नहीं इसके शिकार हो रहे हैं अब तो मंत्रिमंडल के सदस्य भी इन अव्यवस्थाओं के शिकार हो रहे हैं उनको वह सम्मान नहीं मिल रहा है जो सम्मान उनको मिलना चाहिये, जो क्वालीफाइड हैं। मेरे पास मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन के संसदीय कार्य अनुभाग-1 के पत्रों का संग्रह है। मान्यवर, इसमें बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि क्या करना है। पर मेरी चिन्ता यह है कि जो शासनादेश हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है। जैसे अगर बैठने के स्थान की जो प्रक्रिया निर्धारित होती है, उसको हम क्षत-विक्षत होते देखते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रम में। बैठकों में जिलाधिकारी तो बहुत नीचे आता है प्रेसीडेंस में। मुख्य सचिव भी होंगे तो उनसे ऊपर का आसन विधायक के लिये आरक्षित होना चाहिये। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जब विधायक का कोई पत्र अधिकारी को मिलता है तो उस पर अधिकारी उतने सम्मानपूर्वक ध्यान नहीं देते जिसकी अपेक्षा लिखित रूप से संविधान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार करती है। मान्यवर, पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर यह सूचना देनी चाहिए कि आपका पत्र प्राप्त हो गया है और मान्यवर, अन्तिम रूप से एक माह के अंदर यह बताना होगा उस अधिकारी को, उस सम्बन्धित विधायक को कि क्या प्रगति हुयी, क्या कार्यवाही हुयी और अगर किसी वजह से उस पत्र का अनुरोध स्वीकार न हो रहा हो तो उसके स्पष्ट कारण लिखने चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आपका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है। क्यों अस्वीकार किया गया है यह बताना होगा, यह शासनादेश है।

परन्तु इसकी उपेक्षा की जा रही है। यह मैं कह सकता हूं कि इसका 99 प्रतिशत उल्लंघन हो रहा है। मान्यवर, अगर किसी अधिकारी के यहां फोन करो तो उसका कर्तव्य है कि यदि वह है तो वह प्राथमिकता के आधार पर फोन को रिसीव करे और यदि वह वहां पर नहीं है तो जैसे ही वह लौटे तो उस सम्बन्धित विधायक को उसे फोन करना चाहिए। इसका कितना पालन हो रहा है यह मैं मा0 सदस्यों पर छोड़ देता हूं, आप पर छोड़ देता हूं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी पर छोड़ देता हूं। मान्यवर, उद्घाटन और शिलान्यास के बारे में बड़ी विधियां हैं, मैं अखबारों में देखता हूं कि जिलाधिकारी फीता काट रहे हैं और सम्मिलित विधायकगण वहां पर खड़े हैं, मान्यवर, यह बिल्कुल उल्टी परम्परा है। अगर उस क्षेत्र का कोई जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद है तो विधायक फीता काटेगा, विधायक शिलान्यास करेगा और जिलाधिकारी या अन्य लोग खड़े रहेंगे। मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि यह मेरी व्यथा नहीं है क्योंकि वरिष्ठता के आधार पर हम हैं, ओम प्रकाश जी हैं, अम्बिका जी हैं, शायद इनको कहीं सम्मान मिलता भी हो लेकिन कई माननीय सदस्यों को यह सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन यह आपकी सरकार ने अकेले नहीं किया है, कई पूर्ववर्ती सरकारें इसकी दोषी हैं अब तो यह प्रथा धीरे-धीरे विलुप्त भी हो रही है तो मान्यवर, हम लोग पहुंच कहां गये हैं, धीरे-धीरे ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी पर हावी हो रही है जबकि लोकतंत्र के अन्तर्गत कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार स्पष्ट रूप से बंटे हुए हैं। आज मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि पूरी तरह से इन सारे अनुशंसा, अनुदेशों, अर्द्धशासकीय पत्रों और शासनादेशों का उल्लंघन हो रहा है। मान्यवर, यह एक समय है जब हम दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर इस सदन के सदस्यों के स्वाभिमान के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम एक बार नये नियम न बनायें बल्कि जो नियम बने हुए हैं उनका पालन करा दें। मान्यवर, मैं कह सकता हूं कि यदि एक विधायक को सम्मान मिलेगा, उसे डी0एम0, आई0जी0, डी0आई0जी0 और किसी सचिव के यहां बाहर बैठ करके प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी तो इससे केवल विधायक का सम्मान नहीं होगा, इससे लोकतंत्र का सम्मान होगा और सच पूछिये तो इससे लोकतंत्र की गरिमा बढ़ेगी। मैंने कहा कि मेरा कोई इरादा किसी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का नहीं है यह धीरे-धीरे, शनैः-शनैः होता जा रहा है और हो सकता है कि हममें से कुछ लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हों। लेकिन मान्यवर, अच्छी परम्पराएं यदि समाप्त हो रही हों तो सदन का यह कर्तव्य है कि हम उनको धीरे-धीरे, शनैः-शनैः फिर बनायें। मुझे आपसे आशा है कि आप मा0 अध्यक्ष के रूप में मा0 सदस्यों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं उन्हें आदर दिलाने का काम करते हैं और मेरा यह निश्चित मत है कि अगर सदन की इन भावनाओं से आप मा0 मुख्य मंत्री जी और महामहिम राज्यपाल महोदय को अवगत करायेंगे तो इस पर उनके मत अलग नहीं होंगे, वह इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायेंगे। इसलिए मान्यवर, मेरा आग्रह है कि मा0 सदस्यों की गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से वारन्ट आफ प्रेसीडेंस जो इस सरकार का ही नहीं भारत सरकार का बनाया हुआ है जो शासनादेश इस सरकार द्वारा निर्गत है, आपकी पीठ द्वारा जो दिशा-निर्देश निर्गत है उनका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए मैंने यह औचित्य का प्रश्न उठाया है। मान्यवर, मेरी चिन्ता यह है कि आने वाले दिनों में मा0 विधायकों के सम्मान की रक्षा हो सके।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक अनुरोध है, मैं कोई नयी बात नहीं कहना चाहता हूं और न ही समय लेना चाहता हूं। शासनादेश अनेक हैं और समय-समय पर निर्गत हुए हैं, यदि आप उचित समझें तो एक निर्देश और कर दें कि इन शासनादेशों को सम्यक् रूप से जोड़ते हुए और यह उद्धृत करते हुए नहीं कि फलॉ तिथि का फलॉ शासनादेश संख्या पढ़ें, ऐसा न हो बल्कि एक शासनादेश के तौर पर ही सभी शासनादेशों को शामिल करते हुए स्पष्टता से उल्लेख कर दें जिससे कि सबको यह बात स्पष्टता से पता चल जाये। मान्यवर, शासनादेश जो निर्गत हुए हैं उसमें एक बात रह गई है कि कृपया 1968 के शासनादेश दिनांक फलॉ-फलॉ का सन्दर्भ लेते हुए मान्यवर, यह जो लिखने का क्रम है उससे बात कई बार स्पष्ट नहीं हो पाती है। इसलिए जितनी बातें प्रमोद तिवारी जी ने कही, आपके कक्ष में बात हुई और आपके मन में भी है, उसके बारे में कोई स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करें। इसके लिए अकेले यह सरकार जिम्मेदार नहीं है, हम रहे हैं तो भी और दूसरी सरकारें रही हैं तो भी सभी सरकारों के काल में धीरे-धीरे इसका क्षरण हो रहा है। इसको स्वीकार करने में कोई संकोच और कठिनाई नहीं है। श्रीमन् हम अपना आचरण भी ठीक करेंगे और विधायकगण जिनके आप संरक्षक हैं, विधायकों के आचरण में त्रुटि होगी तो उसको भी ठीक करेंगे, उनकी मर्यादा को ध्यान में रखेंगे, सदन की मर्यादा का ध्यान रखेंगे। ब्यूरोक्रेसी द्वारा सदन की मर्यादा का ध्यान रखना अनिवार्य किया जाए। मान्यवर, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करें।

* श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मा0 प्रमोद तिवारी जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, शत-प्रतिशत उससे सहमत होते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह सब नियम जो बनाये गये हैं वह संसदीय परम्पराओं और उससे जुड़ी हुई लोगों की मर्यादाओं के लिए बनाये गये हैं। क्या कानून में लिखा है, क्या आदेश में लिखा है, क्या अधिनियम में लिखा है और क्या आदेश आपकी पीठ से दिया गया है ? यह महत्वपूर्ण तभी बनता है जब उसका अनुपालन हो, उससे जुड़े हुए दोनों पक्ष उसका अनुपालन करें। यह मर्यादा की रक्षा के लिए बनाये गये हैं। नियम एक नेक नीयत से बनाये जाते हैं और जिस समय बनते हैं केवल उसी समय के लोगों के लिए नहीं है बल्कि व्यवस्थित ढंग से और मर्यादित ढंग से चले इसलिए समय-समय पर बनाये जाते हैं। मा0 तिवारी जी ने कहा कि सचिव लोग उत्तर नहीं देते, एक्नॉलेज नहीं करते, यह उसी दिन से होने लगेगा जिस दिन से मंत्री लोग विधायकों के पत्रों का एक्नॉलेज करने लगेंगे। अगर मंत्री एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से सचिव भी उसका अनुकरण करते हैं। इन सब मर्यादाओं को समय-समय पर सरकारों ने अपने राजनीतिक हित के लिए उसको शिथिल किये या तोड़े। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि किसी समय गलत हुआ तो वह एक परम्परा बनाकर, मापदण्ड मानकर उसका अनुकरण सभी करें। आज निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता है। जैसे अभी एक मा0 सदस्य ने अपनी रक्षा के लिए कहा। मैंने सदन के उस समय को देखा है जब राजनीतिक विचार की प्रतिद्वन्दिता अलग थी और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवहारिक बिन्दु उससे अलग था। राजनीतिक विचार और व्यवहार ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं लेकिन कुछ परम्परा ऐसी चली कुछ वर्षों से कि दोनों को एक कर दिया। अगर विधायक प्रतिद्वन्दी है तो उसकी जान रहे या न रहे, वह सुरक्षित रहे यह न रहे उसकी चिन्ता नहीं होने लगी। परिणाम यह हुआ कि व्यवहार और विचार दोनों एक हो गये, अब राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता माने व्यक्तिगत प्रतिद्वन्दिता है। यह जो स्तर है राजनीति का वह गिर रही है लेकिन यह सदन निश्चित रूप से उसकी रक्षा करे। एक्नॉलेज करने से कोई काम नहीं होता है लेकिन हम सब कभी इधर, कभी उधर बैठते हैं। विधायक उस स्वीकृति पत्र को ले करके अपने क्षेत्र में जिसका वह पत्र है उसको दिखाता है तो उसको संतुष्टि होती है कि मेरा काम हो जायेगा, पत्र लिख दिया गया है, वरना विश्वसनीयता पर संकट आ रहा है। हमने पत्र भेजे किसी विभाग के पास या मंत्री के पास, सचिव के पास उसका प्रमाण हमारे पास नहीं है और कोई जरूरी नहीं है जो वोटर है वह विश्वास कर ले। इसलिए परम्पराएं बनायी गयी हैं। इतना बड़ा स्टाफ इसीलिए है कि एक्नॉलेज तैयार करे और मंत्री जी सिर्फ दस्तखत कर दें। वह समय भी देखा है जब मंत्री द्वारा अपने दस्तखत कर फोटो प्रति के रूप में एक्नॉलेज किया जाता था लेकिन वह भी मर्यादा की गिरावट है। इसको गम्भीरता से लेने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि सरकार की नीयत कितनी है इन मर्यादाओं की रक्षा के लिये इससे भी अभिव्यक्त होता है कि अगर मर्यादायें टूट रही हैं तो निश्चित रूप से कहेंगे कि सरकार की नीयत में कहीं कमी आ रही है। संसदीय परम्परायें और सदन की मर्यादा की रक्षा के लिए गम्भीरता से विचार जरूरी है और इसकी रक्षा होनी चाहिए।

* श्री जमीर उल्ला-

मान्यवर, मैं अलीगढ़ से विधायक हूं मेरा पर्सनल मामला है। अभी प्रमोद तिवारी जी ने औचित्य की बात उठाई हमारे यहां अलीगढ़ में कृषि प्रदर्शनी होती है। वह प्रदर्शनी आज चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन अलीगढ़ ने जो उद्घाटन के कार्ड छपवाए उसमें अलीगढ़ के और विधायकों के नाम डाले गये लेकिन मेरा नाम उद्घाटन कार्ड पर नहीं डाला गया क्योंकि मैं दूसरे दल का विधायक हूं अतरौली और इगलास के विधायक का नाम पड़ा था इस तरह से हमको अपमानित किया जा रहा है। अध्यक्ष जी यही बात आज औचित्य के रूप में उठी है मेरे क्षेत्र में नुमाइश हो रही है वहां के अधिकारियों द्वारा कार्ड में मेरा नाम और जो हमारे एम0पी0 हैं उनका नाम भी गायब है यहां जो विधायक बैठे हैं उन लोगों ने इस बात का खण्डन किया और गये नहीं। वह लोग नहीं पहुंचे मैं चाहता हूं कि हमारी इज्जत का भी ख्याल रखा जाय और इस तरह से अपमानित करने का काम न किया जाय इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आज औचित्य के विषय पर प्रमोद तिवारी, ओम प्रकाश सिंह जी, माननीय चौधरी जी सभी लोगों ने एक भावनात्मक और व्यवहारिक स्वरूप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस सदन के सम्मानित सदस्यों के सम्मान और समय-समय पर जारी निर्देशों का उन परम्पराओं का पालन करने के संदर्भ में संज्ञान में जो लाए हैं। सर्वप्रथम मैं विश्वास दिला रहा हूं अपने सभी सम्मानित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्यों को कि मैं भरपूर प्रयास करूंगा और यह कि हमारी साफ नीयत है कि किसी माननीय सदस्य का सम्मान न गिरने पाए विधायक भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस सदन का सदस्य बनने का शुभ मौका मिला है। यह लोकतांत्रिक परम्पराएं मजबूत हों और मैं इसका पूरा पक्षधर हूं। यहां पर भिन्न-भिन्न विचारधारा के माननीय सदस्य आये हैं जब भिन्न-भिन्न विचारधारा के लोग एक होते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है। अपने इस लोकतांत्रिक देश में मैं अपने माननीय सदस्यों के बारे में भरपूर प्रयास कर रहा हूं, करूंगा कि विधायकों का सम्मान हो, सदाचार हो और यह भी अपनी उस परिधि के अन्दर अपने आचरण और व्यवहार के आधार पर जनता के बीच में तमाम प्रशासन की बीच में भी अपनी छवि बनाने की जिम्मेदारी ले कि मैं भी सिद्ध करूंगा कि बहुत सौभाग्य से मैं इस सदन का सदस्य बना हूं। मेरे आचरण से व सदाचार से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर दाग न लगने पाए इसकी हम भी जिम्मेदारी ले सदस्यगण भी लें। मैं पुनः विश्वास दिला रहा हूं आप सबको कि जो इंगित किये हैं मैं पूरी तरह से आपके सहयोग से अपने सभी सम्मानित सदस्यों के सम्मान के लिए भरपूर प्रयास करूंगा। हमारी पूरी कोशिश है कि सदस्यों का सम्मान रहे और परम्पराओं का पालन हो नियमों का पालन हो। संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि समय-समय पर जो निर्देश हुए हैं कि माननीय सदस्यों के साथ किस तरह का आचरण व सम्मान होना चाहिए या इनके द्वारा जो भी जनसमस्याएं उठाई जा रही हैं उसके उत्तर प्रति उत्तर की व्यवस्था हो। इसमें निश्चित तौर पर बैठकर सुनिश्चित कराने का काम करें। इसको मजबूत करने के लिये हम और आप मिलकर काम करेंगे दूसरा कोई तंत्र नहीं है। इसलिए मैं पुनः सभी सदस्यों को विश्वास दिला रहा हूं कि आपने हम लोगों को एक जिम्मेदारी दी है। हम उस जिम्मेदारी के आधार पर पूरा-पूरा भरोसा दिला रहे हैं हम अपने सदस्यों का सम्मान कराने की कोशिश करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री जी भी इस बात को कटिबद्ध हैं वह भी विश्वास देते रहे हैं मैं भी विधायकों का सम्मान कराऊंगा इंगित भी कर दिया है। तमाम शासनादेश या इस तरह के निर्देश हैं उनका पूरा संकलन कराने की आवश्यकता नहीं है। तब भी इस संदर्भ में संक्षेप में निर्देश दिया जाय कि सदन में इस तरह की व्यवस्था उठाई गई है उसका पूर्णतया पालन करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री को भी निर्देश किये हैं। इस तरह का निर्देशन चला जाय कि सदस्यों ने इस तरह का दुख व्यक्त किया है। इस तरह का आचरण और व्यवहार हो रहा है। इस संदर्भ में लोकतांत्रिक परम्पराओं में आपका सम्मान सर्वोच्च है। सर्वोच्च रहेगा हो सकता है कि कहीं असंतुलन हुआ हो।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन फिर सन्तुलित करने का वचन देते हुए आपको बधाई दे रहा हूं। (मेजें थपथपाई गईं)।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

आगे जो सूचनाएं हैं, मैं देख रहा हूं एक माननीय सदस्य कौशल किशोर जी ने एक बाबू के ट्रांसफर के लिये दी है कि निदेशालय से मुख्यालय पर कर दिया जाय। एक माननीय सदस्य ने खड़न्जा लगाने के लिये दिया है। मैंने अग्राह्य कर दी है। अब मैं आगे की मद ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 119वां प्रतिवेदन†

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 119वां (एक सौ उन्नीसवां) प्रतिवेदन जो कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, बेसिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, खाद्य एवं रसद, खादी एवं ग्रामोद्योग एवं सिंचाई विभागों के वर्ष 1989 से वर्ष 2008 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 120वां प्रतिवेदन†

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 120वां (एक सौ बीसवां) प्रतिवेदन जो नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास, उच्च शिक्षा,कर एवं निबन्धन, पर्यावरण, औद्योगिक विकास, विकलांग कल्याण, दुग्ध विकास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, न्याय, लोकायुक्त, पर्यटन, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, प्रशासनिक सुधार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मत्स्य नियुक्ति, ग्राम्य विकास, भूतत्व एवं खनिकर्म, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, नियोजन एवं आवास एवं शहरी नियोजन विभागों के वर्ष 1985 से वर्ष 2008 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2008-2009) का चतुर्थ प्रतिवेदन†

चौधरी धूराम लोधी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2008-2009) का 'चतुर्थ प्रतिवेदन' जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1999-2000 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित, 'उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड' से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2008-2009) का पंचम प्रतिवेदन†

चौधरी धूराम लोधी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2008-2009) का 'पंचम प्रतिवेदन' जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1995-1996, 2000-2001 एवं 2003-2004 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित, 'उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल कारपोरेशन लिमिटेड' तथा रिपोर्ट वर्ष 1996-97 एवं 2005-2006 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित 'उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड' से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-8 में कुछ नहीं है।

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 फरवरी, 2009 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 19 फरवरी, 2009 से 27 फरवरी, 2009 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 19 फरवरी, 2009 से 27 फरवरी, 2009 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

फरवरी, 2009

19 गुरुवार — 1-वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

अपराह्न 2:00 बजे

2-उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार एवं उसका पारण।

3-अशासकीय दिवस (आधा दिन) (13 फरवरी, 2009 के स्थान पर)

4-श्री जोखू लाल यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

(1) "यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर प्रभावी नियन्त्रण लगाने हेतु रोजगार परक शिक्षा एवं कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जाय।"

(2) "यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में बढ़ते हुये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी नीति बनायी जाय।"

(3) "यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में नीलगायों द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने से होने वाली क्षति की रोकथाम हेतु प्रभावी नीति/कानून बनाया जाय।"

(4) "यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु सरकार द्वारा कार्य-योजना बनायी जाय।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

फरवरी, 2009

5-श्री राम बिशुन आजाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

(1) "यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित जल एवं कचरे को सीधे नदियों एवं नालों में प्रवाहित करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु प्रभावी कानून बनाया जाय।"

(2) "यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में वृक्षों एवं वनों के अवैध कटान रोकने सम्बन्धी कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाय।"

20 शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

21 शनिवार, 22 रविवार, 23 सोमवार — बैठक नहीं होगी। (महाशिवरात्रि अवकाश)

24 मंगलवार — 1-वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-विधायी कार्य।

25 बुधवार, 26 गुरुवार — वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

27 शुक्रवार — 1-वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2009 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा*

श्री अध्यक्ष-

कंसल जी कल आपकी चर्चा जारी थी। आप दो मिनट बोल लीजिए उसके बाद टण्डन जी बोलेंगे।

श्री अशोक कंसल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने 2009-2010 के बजट की आम चर्चा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, बजट के अन्दर व्यापारियों के लिए कोई भी किसी प्रकार की स्कीम नहीं दी गई है। जबकि व्यापारी वर्ग ईमानदारी से देश और प्रदेश की सरकारों के खजाने को भरता है। व्यापारी आर्थिक दृष्टि से रीढ़ की हड्डी माना जाता है लेकिन फिर भी बार-बार उसका शोषण, सरकारों द्वारा अभी वैट जैसी प्रणाली को लगाकर किया जा रहा है। अभी तीन-चार माह पूर्व वैट के अन्दर 45 वस्तुओं को आरोपित किया गया। जिसके अन्दर चार प्रतिशत से बढ़ाकर साढ़े 12 परसेन्ट वैट को कर दिया गया। एक तरह से व्यापारियों के लिए यह अन्याय है और इससे वस्तुओं की मंहगाई भी बढ़ेगी। मान्यवर, 1984 में कृषि उत्पादन मण्डी समिति अधिनियम बनाया गया है जब यह नियम बनाया गया तो उस समय मंडी शुल्क और व्यापारी आढ़ती शुल्क 30 पैसे निर्धारित किया गया, लेकिन 45 वर्षों के बाद भी आढ़त शुल्क 30 पैसे से बढ़ाकर डेढ़ रुपया किया गया और मण्डी शुल्क 30 पैसे से बढ़ाकर ढाई रुपये कर दिया गया। यह एक तरह से व्यापारियों के हित में नहीं हुआ। इसको मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार इसमें एक समान व्यवहार करें। मान्यवर, इसी तरह से एक तीर्थ कलियुग-द्वापर के संधिकालीन का क्षेत्र शुक्र ताल हमारे जनपद में पड़ता है। मान्यवर, इसकी बड़ी उपेक्षा हो रही है। इसको मुख्य पर्यटन स्थलों में शामिल करके वहां की व्यवस्था को सुचारु रूप से कराया जाए, क्योंकि मान्यवर, वहां हर वर्ष दस लाख के करीब पर्यटक आते हैं और उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ता है जिनकी ओर सरकार बजट में ध्यान दे। मान्यवर, जिस प्रकार से कन्याओं के लिए महामाया आशीर्वाद योजना और सावित्री देवी योजना चलाई गई हैं, मेरे क्षेत्र में गांव जटमुजेड़ा पड़ता है जहां सिंचाई विभाग का एक जर्जर हालत में निरीक्षण भवन था सन् 1-11-1991 में स्वामी कल्याण देव ने वहां कन्या इण्टर कालेज की स्थापना की, कालेज के अन्दर 15 गांव की पांच सौ कन्यायें जो कमजोर और दलित वर्ग की कन्यायें हैं। लेकिन उसको वहां समाप्त करने का आदेश सरकार का हुआ है। मान्यवर, एक तरफ कन्याओं के लिए भिन्न-भिन्न योजनाओं को हम लागू कर रहे हैं, उस क्षेत्र में कोई भी इण्टर कालेज कन्याओं का नहीं है, तो उस क्षेत्र के लिए भी हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि सरकार ध्यान दे। मान्यवर, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का नारा देने वाली सरकार, वास्तव में यह नारा, मुझे लगता है कि जो सदस्य इस मा0 सदन के हैं, उन पर भी लागू नहीं हो रहा है। क्योंकि आज प्रत्येक सदस्य अपने जनपद में देख ले, न किसी प्रकार का हैण्डपम्प और जो सड़क योजनाएं थीं, वह सब समाप्त हो गई है। जबकि सत्तारूढ़ दल के जो विधायक है, उनको हैण्डपम्प और सड़क दी जा रही

---

* दिनांक 17 फरवरी, 2009 की कार्यवाही से।

है। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इसके लिए भी बजट में प्राविधान कराया जाए। मान्यवर, हमारे जनपद और हमारे क्षेत्र में मुजफ्फरनगर मुख्यालय को जोड़ने वाली शामली सड़क पड़ती है, उसको पीन्ना बाईपास को जोड़ते हुए सहारनपुर रोड पर पड़ने वाले कस्बा रोहाना से उसको जोड़ दिया जाए ताकि रोजमर्रा शहर के अन्दर जो जाम लगते हैं उससे निजात मिलेगा और बाहर से आने वाले लोगों को भी इससे बड़ा आराम होगा और इसी प्रकार से जानसठ बाईपास को पचेंडा बाईपास से जोड़ने का काम भी अगर सरकार कर दे तो उससे भी जनपद को काफी लाभ मिल सकता है। मान्यवर, किसानों के लिए भी समय से बीज की उपलब्धता और खाद की उपलब्धता होनी चाहिए। बार-बार इस विषय को यहां उठाया भी जाता है और मान्यवर, वैट के अन्दर जिस प्रकार से व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है कि जो वस्तुएं सरकार ने चाहीं उसको वैट के अन्दर समायोजित कर दिया गया और जिनसे अधिक टैक्स प्राप्त हो रहा है, उनको वैट से बाहर रखा गया। मान्यवर, अगर डीजल, पेट्रोल को भी वैट की श्रेणी में लाया जाए तो वास्तव में पड़ोसी राज्यों के बराबर डीजल और पेट्रोल का रेट हो सकता है। यदि हमें चौपहिया वाहन खरीदना है तो हम हरियाणा या दिल्ली से खरीदना पसन्द करते हैं, अपने प्रदेश से नहीं, तो इससे भी वास्तव में प्रदेश के राजस्व का नुकसान हो रहा है और कठिनाई का सामना भी करना पड़ रहा है मान्यवर, इसमें भी आप सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का कष्ट करेंगे। मान्यवर, एक गांव मोहेंडी नदी हमारे क्षेत्र में पड़ती है, काली नदी का पुल जो पूर्ववर्ती सरकार में पास किया गया था और वर्तमान सरकार में उसको निरस्त कर दिया गया। मान्यवर, इसमें भी मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, जिस प्रकार से प्रत्येक जनपद के अन्दर निर्माण एजेन्सियां हैं, यदि प्रत्येक माह उनकी बैठक हो जाए क्योंकि पता लगा कि आज पी0डब्लू0डी0 से एक सड़क बनी है, कल उसको तोड़ दिया जाता है, अगर यह जानकारी निर्माण एजेन्सियों की नालेज में होगी तो इस प्रकार का काम नहीं हो सकेगा। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं।

* श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मैं पहली बार देख रहा हूं कि बजट पर चर्चा हो रही है और जबकि सरकार की नीयत यह है कि आगे इसके बाद चर्चा न हो, इस समय भी वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री यहां मौजूद नहीं है। इस समय भी अधिकारियों की गैलरी में एक भी अधिकारी सुझावों को नोट करने वाला सामने दिख नहीं रहा है। क्या अर्थ है, हम लोगों का सदन में बैठने का मतलब क्या है ?

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि अभी आपने जिस संवेदनशील ढंग से विधायकों के सम्मान की बात कही है, लेकिन जब इस सदन का सम्मान नहीं है तो इसके एक अदने सदस्य का सम्मान कौन करेगा। मुझे पीड़ा है मान्यवर। जिस सदन में एक-एक मद पर घण्टों बहस होती थी आज उस सदन में बजट पर जो सामान्य चर्चा हो रही है वह भी सुनने वाला कोई नहीं है। मैं यह देख रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो सदन के ऊपर अपना प्रभाव जमा लेते हैं लेकिन परम्परा मर्यादा नाम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की कोई चीज नहीं हैं तरह-तरह की घोषणाएं हैं, एक दूसरे का विरोधाभास हैं बजट में कोई दिशा नहीं हैं मदों के बारे में चर्चा नहीं है। हम इसका क्या अर्थ रखें। बजट सरकार की नीतियों का आईना होता है। बजट आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण होता है लेकिन उन सारे उपकरण का कोई अर्थ नहीं है अगर उनको इस्तेमाल करना ही कोई नहीं जानता है या कोई उनका इस्तेमाल करना चाहता ही नहीं हैं मैं देख रहा हूं कि प्रदेश में क्या हो रहा है। यहां बड़ी-बड़ी घोषणाएं हैं कि यहां कमाण्डो बनाए जाएंगे, यहां पुलिस के अतिरिक्त पद सृजित कर दिये जाएंगे यहां आदमी तक को हथियारों से लैस कर दिया जाएगा, लेकिन कहां है यह सारी व्यवस्था।

मान्यवर, जो देश की आर्थिक प्रगति एन0डी0ए0 सरकार में हुयी थी जिसके कारण आज केन्द्रीय कर का दायरा इतना बढ़ गया है कि पहली बार उत्तर प्रदेश को 33 हजार करोड़ रुपये का क़ेन्द्रीय कर का राज्यांश मिला हैं यह भी एक प्रभाव है। होता यह है कि बजट के पहले वार्षिक योजना तैयार की जाती हैं। योजना आयोग से उसकी स्वीकृति ली जाती है उसके आधार पर राज्य के संसाधन जोड़े जाते हैं और तब वह बजट तैयार होता है। उसमें से कुछ काम की दिशा दिखायी देती है, कुछ विकास दिखायी देता है लेकिन शायद मेरे इतने लम्बे संसदीय अनुभव में यह पहला मौका होगा जब वार्षिक योजना का दूर-दूर तक कहीं कोई निशान तक नहीं दिखायी देता है। अब हमने बजट बना दिया, पेश कर दिया, घोषणाएं भी कर दीं क्या-क्या हो जाएगा यह भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितना काम किया है उतना देश में कहीं नहीं हो रहा। निश्चित ही हो रहा है। मान्यवर, क्योंकि एक शुभ लक्षण था और शायद मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में सबसे पहले यहां पर एक दलित पुत्री को मुख्य मंत्री बनाने के लिए सबसे पहले आगे मैं आया था, केवल इसलिए कि जो वंचित हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो और उनमें एक सामाजिक स्वाभिमान की अनुभूति हो। लेकिन मान्यवर, उस दलित आन्दोलन के अन्दर कोई शाहजहां पैदा हो जाएगा। यह तो कभी कल्पना नहीं की जा सकती। कांशीराम पैदा हो सकते हैं, वह तो एक शुभ लक्षण है, अम्बेडकर हो सकते हैं। लेकिन उसमें कोई सामन्तशाही इस दलित आन्दोलन में जन्म नहीं ले सकती। यह बजट साबित कर रहा है, उदाहरण के तौर पर लखनऊ में कह दिया गया कि सात सौ करोड़ रुपये बजट में लखनऊ को मिलेंगे। वह 700 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बाकी शहर भगवान के भरोसे। यहां की 40 लाख जनता के लिए कोई उत्तरदायित्व इस सरकार का नहीं है, तीन स्मारकों के ऊपर 700 करोड़ सब वहीं जायेगा, वही बजट में है, बाकी लखनऊ में जो बिजली न आने के कारण पेयजल का संकट होता है, उसके लिए मान्यवर, हैण्डपम्प विधायकों के सिफारिश के ऊपर कुछ दिये जाते थे हमेशा, बन्द कर दिये गये। इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी भी रही हैं उन्होंने तब घोषणा की है तो प्रदेश में एक संदेश गया है कि जो मूल-भूत आवश्यकतायें हैं लोगो को पीने का पानी, उसके लिए सरकार ने कम से कम यह किया है। आज आप उन अधिकारियों के हाथ में यह अधिकार दे दें इस सदन को न दें, इसके सदस्यों को न दें कौन जानता है कितने लगेंगे, कितने कहां जायेंगे, इनके ऊपर निगरानी करने वाला भी कोई नहीं होगा, भ्रष्टाचार की गोद में वह सारा धन जो पेयजल के मद में जा रहा है, समा जायेगा कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज कितनी विषम स्थितियों में देश गुजर

रहा है। छोटे उद्योग जिनको माइक्रो इण्डस्ट्री कहते हैं मान्यवर वह और छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग जो हैं, 26 हजार के आस-पास उनकी संख्या होगी जो बन्द हो गये हैं। कोई भी उद्योगपति एक भी पैसा इस प्रदेश में निवेश करने के लिए तैयार नहीं है क्यों कि भ्रष्टाचार ? मैं किसी उस स्तर पर, न वह मेरा स्तर है और न मैं उस तरह की बात करता हूं कि कोई चन्दा वसूली किया जा रहा है या किसी के नाम पर लिया जा रहा है, लेकिन यह भ्रष्टाचार है, अगर सरकार उसको स्वीकार करे और उसके लिए कोई संघर्ष करे तो यह चर्चायें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जब एक छोटे से काम के लिए किसी आदमी को पैसा देना पड़ता है और वही जो पैसा ले रहा है, वह कह रहा है कि मुझे तो ऊपर पहुंचाना है। ऊपर कौन ? कौन है ऊपर वाला ? उस ऊपर वाले के दर्शन तो किसी ने किये नहीं और न ही वह यहां कहीं कुछ लेने के लिए आता है। मान्यवर, कटुता की राजनीतिक कभी फलीभूत नहीं होती है। इस बजट के अन्दर अगर हम माईन्यूटली देखें तो यह सब चीजें हैं, सब चीजें हैं इस बजट में, ऐसी दशा इसके पहले कभी नहीं देखी, मान्यवर, 1991 में मैं ऊर्जा मंत्री था, उपाध्याय जी आप उस पद पर हैं उस समय विवादों में पड़ा था अनपरा-बी एक हजार मेगावाट का वह पावर हाऊस रात-दिन एक करके मैंने उसको तैयार कराया था नहीं तो आज प्रदेश में बिजली की स्थिति क्या होती। एक तरफ उपभोक्तावाद चढ़ रहा है, शहर में वाशिंग मशीन के लिए बिजली चाहिए, गांव में खेत के लिए बिजली नहीं चाहिए, फसलें सूख जाती हैं। मान्यवर, समय पर पानी न मिलने के कारण कितनी कठिनाई हो रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि किसानों के लिये बहुत कुछ किया गया है। अभी केन्द्रीय बजट आया है कहा गया उसमें कि किसान मालामाल हो गया है। राज्य सरकार का भी बजट आ गया है उसमें भी कहा जा रहा है कि सारे के सारे आर्थिक स्रोत खेतों की तरक्की के लिये पहुंच रहे हैं। किसान मालामाल हो जायेगा। लेकिन मान्यवर, जब उसे पानी नहीं मिलेगा, प्रमाणित बीज नहीं मिलेंगे, खाद उसे कालाबाजारी में मिलेगी तो फिर वह कैसे तरक्की करेगा। मान्यवर, इसी तरह से जब उसकी फसल नष्ट हो जाने के बाद उसे कोई सार्थक कम्पनसेशन नहीं मिलेगा तो वह अपने को कैसे बचा पायेगा। मान्यवर, आज उसे जो प्रोत्साहन राशि या सब्सिडी दी जा रही है वह कहां जा रही है अगर कोई उसका आंकलन करने के लिये तैयार हो जाये तो सारी बातें सामने आ जायेंगी। मान्यवर, आज बहुत सी योजनायें किसानों के लिये हैं जिनमें सब्सिडी दी जा रही है लेकिन उसका उन्हें ज्ञान नहीं है। उन पैसों का पता नहीं लगता कि वह कहां चला गया। मान्यवर, सारी दुनिया आज जैविक खाद के उपयोग की बात सोच रही है उसमें तरह-तरह के ईजाद हो रहे हैं। हमारे यहां उस जैविक खाद का नेचुरल स्रोत है पशु है, गाय है। आज दुनिया भर में इस बात की रिसर्च की गयी है कि गाय का गोबर जैविक खाद के लिये सबसे पावरफुल, सस्ता और उपयोगी है। लेकिन हमारे यहां प्रतिदिन 15 हजार से 20 हजार के बीच में गाय काट दी जा रही हैं। सड़कों के किनारे कटटीखाने खुले हुये हैं। गाय को मारकर आप एक दिन तो मांस खा लेंगे लेकिन आप यह भी सोचे कि उसके गोबर से जो खाद बनेगी उससे बरसों आप लाभ उठा लेंगे। कौन यह देखने वाला है। कानून बना हुआ है। मान्यवर, मैंने इस कानून को इस सदन में पास कराया था, गोवंश की हत्या का सख्त कानून बना हुआ है। मान्यवर, उस समय यह कहा गया कि प्रदेश सरकार ने बड़ा साहसिक और कठोर कदम उठाया है। लेकिन आज उसका कितना पालन हो रहा है।

पशुधन विकास मंत्री जी बता रहे थे कि वे क्या करें, पशुधन विकास विभाग को बजट में कुछ भी नहीं दिया गया है। इतना महत्वपूर्ण विभाग इस समय यह होने जा रहा है और उसके लिये बजट में कुछ नहीं है। मान्यवर, यहां पर शेरों को बचाने के लिये अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं। दूसरे वन्य जीवों को बचाने के लिये खर्च हो रहे हैं। लेकिन गाय को बचाने के लिये, जो हमारे जन्म मरण से सम्बन्धित है, कोई योजना नहीं है। बजट में कोई धन नहीं है कोई व्यवस्था नहीं है।

मान्यवर, जिन लोगों ने इतना संघर्ष करके एक सामाजिक जागृति पैदा की थी उनके ऊपर कभी सम्पत्ति बनाने का कोई आरोप नहीं लग सका। माननीय कांशी राम जी थे वह मिशनरी का जो एक सही रूप हो सकता है, वह थे। उन्होंने उस वर्ग के लिये संघर्ष करके उसे समाज में सम्मान दिलाया। लेकिन आज एक झूठे नारे में दलित आन्दोलन कुचल कर रह गया है, दब कर रह गया है। आज उसका कहीं कोई अस्तित्व बाकी नहीं रह गया है। मान्यवर, आज कितनी दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, कितनी महिलाओं को ट्रेन से खींचकर बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है। सड़क पर जाते समय महिलाओं को घसीट कर गाड़ी में बिठा दिया जाता है और सामूहिक बलात्कार हो रहा है। कितने लोगों को सजा मिली ? कहीं पर शोर मचता है तो वहां के थानेदार का ट्रांसफर कर दो। आखिर जब हमारी प्रेरणा के स्रोत, इस प्रदेश के दुर्दान्त अपराधी जिनके नाम से जनता कांपती है अगर वह हो जायेंगे, तो क्या होगा ? इस प्रदेश के एक बड़े पुलिस अधिकारी मान्यवर, लखनऊ में एसएसपी थे, उस समय वहीं के आज बड़े सम्मानित जिनको सतीश मिश्रा जी ब्रह्म समाज पार्टी कहते हैं, ब्राह्मण समाज पार्टी कह रहे हैं उस पार्टी में बड़े सम्मान के साथ लिये गये हैं। उस समय उनका बड़ा आतंक था और उस आदमी ने, उस अधिकारी ने उस आतंक को खत्म करने के लिए उसके घर से जबरदस्ती पकड़कर लाये और पूरे बाजार में उसको घुमाया कि देखो यही माफिया है और एक डन्डा लगाया, सारा भय खत्म हो गया। बाद में अपनी जीप से घसीटते हुए अपने आफिस तक ले गया उसको, मान्यवर, कल वह एमपी हो जायेंगे। मान्यवर, मैं आपसे बड़े दुखी मन से कह रहा हूं कि कल जब वह एमपी होंगे तो जिस अधिकारी ने उसका रौब खत्म करने की कोशिश की थी उसको उसे सलाम बोलना पड़ेगा। क्या पुलिस का मोरल रहेगा ? यह ट्रांसफर कोई उपाय नहीं है इससे किसी का मोरल बनता नहीं है। अगर पुलिस का मनोबल ऊँचा नहीं होगा तो अपराध नियंत्रित नहीं होंगे। पुलिस के ऊपर अगर यह माननीय बन कर अपराधी बैठ जायेंगे तो व्यवस्थायें कभी कायम नहीं रहेंगी और यही हो रहा है। विधायक हत्या कर रहे हैं, सांसदों के ऊपर मुकदमों की सूची बनी हुई है। जब इधर की सरकार होती है तो उसमें वह आ जाते हैं उसमें अपने कुछ मुकदमें खत्म करवा लिये, सरकार से वापस करवा लिये, अब इधर की सरकार बन गयी सब उधर चले गये। यह धनबल और यह बाहुबल, जिन्होंने डा0 अम्बेडकर को नहीं पढ़ा है, जिन्होंने डा0 अम्बेडकर के विचारों को नहीं जाना है, उस ऋषि की बात जिनके लिये कोई मायने नहीं रखती, अगर आप उनको गौर से पढ़े तो यह सारी चेतावनियां उनके लेखन में है। यह उग्रवाद यह धनबल यह समाज का कुचला हुआ जो व्यक्ति है वह उससे और दबता चला जायेगा ऊपर उठ नहीं सकता। उसे उठाने के लिए उसमें आपको शक्ति भरनी पड़ेगी वह शक्ति इस तरह से नहीं भरी जा सकती, न हियो में न शियों में। एक लखनऊ में बोर्ड लगा हुआ था कि बी0एस0पी0 मायने बेस्ट सेकुलर

पार्टी अब अलग-अलग उसकी व्याख्याएं होने लगी हैं। अब एक मंत्री कह रहे हैं कि ब्रह्म समाज पार्टी, ब्राह्मण समाज पार्टी अब वह बहुजन समाज पार्टी है, ब्राह्मण समाज पार्टी है या बेस्ट सेकुलर पार्टी है अब इसी के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठ गया। यह जब पैसे वाले आयेंगे तो अपनी तरह से चलायेंगे। आज तक मान्यवर, मैंने किसी मुख्यमंत्री की तस्वीर को किसी पेशाब घर के ऊपर लगे हुए नहीं देखा।

किसी पौशाले के ऊपर लगे हुयें नहीं देखा, सर्दी में कोई 10 लकड़ी लिये अलाव जला रहा है, वहां लगे नहीं देखा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि प्रदेश की सबसे शक्तिशाली मुख्य मंत्री, उनकी तस्वीरें जब इस तरह से प्रदर्शित हो रही हैं तो यह कोई नैतिक दबाव पड़ने वाला है या कोई इससे प्रशासनिक दबाव बनने वाला है। यह एक पैसे वाले आदमी का पैसा बोल रहा है इसमें मान्यवर, एक शेर है कि -

'न दीदे से चलता है न कसीदे से चलता है,
यह दारवें कारवां है यह अकीदे से चलता है।'

सत्ता के इकबाल से चलता है और वह इकबाल बुलन्द कब होता है जब उन मूल्यों पर चलने की कोशिश कोई करता है जो सत्ता में बैठा हुआ है, उस इकबाल से शासन चलता है। ऐसे नहीं चलता कि ये भी है, ये भी है, ये भी है और वो भी है, है क्या यथार्थ क्या है ? यह यथार्थ ही आज तक कोई समझ नहीं पाया। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि बजट के ऊपर विस्तृत चर्चा होनी चाहिये, लेकिन यह हमारे संसदीय कार्य मंत्री पर है कि वह जिस दिन चाहें खत्म कर दें। हमें परम्पराओं का पालन करना ही है। कहेंगे खत्म तो न सहमत होते हुये भी खत्म। तो मान्यवर, यह अवसर होते हैं जहां पर विधायकों को अपनी राय विभिन्न विषयों के ऊपर रखने का मौका मिलता है और यही वह अवसर होते हैं जब सरकार को एक आईना दिखाने का मौका होता है। लेकिन अब क्या करें कि अंधों की बस्ती में मैं आईना बेचता हूं। हर बात में दो मत होते हैं। ताजमहल के ऊपर जब शेरो-शायरी लिखी जा रही थी तो एक शायर ने लिखा कि एक शंहशाह ने बनवा के हसी ताजमहल मुहब्बत की एक निशानी दी है।

(सत्ता पक्ष की ओर से गलत की आवाज)

हां मैं गलत हूं, मैं पूरे सही अक्षर उसके नहीं पढ़ पाया हूं। आप सही कर दें तो मैं शुक्रगुजार होऊंगा।

श्री फरीद महफूज किदवई-

एक शंहशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक।

श्री लालजी टण्डन-

यह दो शेर अलग-अलग है। वह बाद की बात है। पहले उसकी तारीफ में कहा गया कि मोहब्बत की निशानी दी है। फिर उसके बाद दूसरे ने कहा कि-

'एक शंहशाह ने बनवां के हसी ताजमहल,
हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक।'

आज वह मजाक उड़ रहा है। उस समाज का उड़ रहा है। मैं व्यक्तिगत आरोप लगाना नहीं चाहता लेकिन नीतियों के ऊपर अगर मैं नहीं बोलता हूं तो मैं इस सीट के ऊपर बैठने का

अपना हक नहीं रखता हूं इसलिये जो अपने उद्गार है, वह मैंने रखे। आप मुझसे कहें कि अब समाप्त करो उससे पहले ही मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

*डा0 कौशल किशोर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर साधारण चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अभी 13 तारीख को सदन में वित्त मंत्री, माननीय श्री लाल जी वर्मा साहब ने, जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उन्होंने बजट पेश किया। हमारे वर्मा साहब स्वर्गीय चौधरी साहब के बड़े अनुयायी और भक्त हैं। स्वर्गीय चौधरी साहब सम्मिलित सरकार के मुख्यमंत्री थे उनके वित्तमंत्री थे राम स्वरूप वर्मा जो अर्जक संघ के संस्थापक थे, उन्होंने लाभ का बजट पेश किया था और आज जब मैंने यह बजट देखा तो मुझे दुःख हुआ कि यह वही वर्मा जी हैं जो चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी थे, उनके द्वारा मुझे उम्मीद थी कि बजट लाभ का होगा नुकसान का नहीं। मान्यवर, इस बजट में वैसे जो बहुत कुछ है, बहुत बातें कही गई हैं, पूर्वांचल का विकास हो अच्छी बात है इसमें कोई दो राय नहीं है, बुन्देलखण्ड का विकास हो अच्छी बात है इसमें कोई दो राय नहीं है, पश्चिमांचल का विकास हो अच्छी बात है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मान्यवर मध्यांचल के कुछ जिलें हैं जिनका विकास भी आवश्यक है, मध्यांचल के जिलों के लिए हमारे पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री जी मा0 मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने एक आदर्श जनपद योजना बनायी थी। इस सरकार को उन नामों से बड़ी घृणा है जिन नामों से पूर्ववर्ती सरकार में योजनाएं चलायी गयी थी जैसे कन्या विद्या धन था, घृणा के कारण उसे खत्म कर दिया गया लेकिन जब देखा कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है तो उसी योजना को सरस्वती बाई फुले शिक्षा योजना के नाम से चला दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मध्यांचल के जो 20-25 जिले हैं इनके विकास के लिए जो मध्यांचल निधि थी, अगर आपको नाम से घृणा है तो नाम कोई दूसरा बना लीजिए लेकिन इन जिलों के विकास के लिए कोई ऐसी योजना जरूर तैयार कर दीजिए जिससे कि यह जिले विकास से दूर न रहने पायें। मान्यवर, अभी-अभी हमारे टण्डन साहब ने एक बात कही हैं कि लखनऊ पूरा पत्थरों से भरा जा रहा है।

(इस समय 01 बजकर 31 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुए।)

मान्यवर, कारण क्या है किसी ने समझा दिया है कि ईंट, सीमेंट और लोहे की इमारत की लाइफ सौ साल से ज्यादा नहीं है और पत्थर की इमारत हजारों साल। जिस तरह से पहले के राजे-महाराजे किले बनवाते थे, चाहे वह आगरा का किला हो, फतेहपुर सीकरी का किला हो, दिल्ली का किला हो, सारे किले पत्थर से बने थे और इसीलिए यह योजना भा गई और लखनऊ में उन इमारतों को तोड़ दिया गया जिनको इसी सरकार ने पहले बनाया था आखिर इसकी क्या आवश्यकता थी। जिन इमारतों को आपने स्वयं बनाया था, बड़ी खूबसूरत इमारतें थीं, बहुत अच्छी इमारतें थीं, अगर आपको बनाना ही था तो उनको बिना तोड़े ही दूसरी बना लेते कम पैसे में भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बन जाती। वैसे यह मूर्तियां लगाने की पद्धति किसी को बरबाद करने की पहली निशानी हैं डॉ0 भीम राव अम्बेडकर ने, जिनका मैं स्वयं बहुत अनुयायी हूं, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि में मूर्ति भंजक हो सकता हूं और उन्हीं की मूर्तियां आज पूरे हिन्दुस्तान में घूरे-गलियरि से लगा दी गयी है। उनकी विचारधारा समाप्त कर दी गई है, "गले में माला और मुंह पर ताला"। महात्मा बुद्ध ने भी मूर्ति का खण्डन किया था लेकिन भारतवर्ष में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां सारे हिन्दुस्तान में लगा दी गयी, जिसका नतीजा यह हुआ कि महात्मा बुद्ध का धर्म हिन्दुस्तान से समाप्त होकर विदेशों में चला गया। जब डाक्टर अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म का त्याग किया और पुनः बौद्ध धर्म स्वीकार किया जब जाकर बौद्ध धर्म कुछ पनपा। बहुत अच्छा होता कि डाक्टर भीम राव अम्बेडकर के नाम पर शोध संस्थान खोले जाते, बहुत अच्छा होता कि उनके नाम पर कुछ शिक्षा के इंस्टीट्यूट खोले जाते, बहुत अच्छा होता उनके नाम पर पुस्तकालय खोले जाते, बड़ी-बड़ी युनिवर्सिटी बनायी जाती तो शायद दलित, शोषित वर्ग का भला हो जाता। मैं जब यह बातें कहता हूं तो वही दलित शोषित भाई हम पर उल्टे निशाना बांधते हैं। एक शेर है :-

तीर चलाया तुमने तो कोई बात नहीं, जख्म हमने दिखाया तो बुरा मान गये।

श्री अधिष्ठाता-

डाक्टर साहब, थोड़ा संक्षेप करें।

डा0 कौशल किशोर-

मान्यवर, कभी तो बोलते नहीं हैं आज ही दो मिनट दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करिये, मा0 अध्यक्ष जी, द्वारा मा0 सदस्यों के लिए तीन-तीन मिनट का समय आवंटित किया गया है।

डा0 कौशल किशोर-

मान्यवर, मैं संक्षेप में ही बोलूंगा लेकिन एक बात बहुत आवश्यक है। हमारे क्लीनिक के सामने ही एम0 के0 गुप्ता, इन्जीनियर का मकान है। मैं उनकी फैमिली का चिकित्सक रह चुका हूं। उनके बाबा की 3 संतानें थीं, उसमें से श्याम मुरारी गुप्ता का संतान एम0 के0 गुप्ता थे। एम0 के0 गुप्ता का भाई मानसिक रूप से अशक्त है, उनकी मां हार्ट-पेशेन्ट हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार में रामचन्द्र मिशन का बोलबाला है। मैं साधना करने के लिए उनके भाई और पिताजी के साथ-साथ बैठा करता था। ऐसे परिवार के बेटे की हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 'डेथ ड्यू टू एण्टी-मार्टम हेड इन्जरी' अर्थात सिर पर चोटें की गयी। अगर उनकी जिन्दगी न खत्म करनी होती तो कहीं और चोटें पहुंचायी जा सकती थी, एम0 के0 गुप्ता को कोड़ों से मारा गया। मारने वाले लोग डेढ़ बजे रात उनके घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, उनकी पत्नी ने पूछा कि आप कौन हैं तो कहा गया कि हम सी0आई0डी0 के लोग हैं और जांच करने आये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें, 5 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है।

डा0 कौशल किशोर-

मान्यवर, एम0 के0 गुप्ता के अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा। एम0 के0 गुप्ता की हत्या के बाद यह कहा गया कि उनकी मिसेज ने लिख करके दे दिया कि सी0बी0आई0 की जांच नहीं चाहिए। यह बात उनसे जबरदस्ती लिखायी गयी। मा0 मुख्यमंत्री जी के यहां उनको बुलाया गया और कहा गया कि यह लिखिये। उन्होंने लिखा कि अभी जांच नहीं चाहती हूं। तब उनसे कहा गया कि यह स्पष्ट लिखिए कि सी0बी0आई0 की जांच नहीं चाहिए। अगर नहीं लिखोगी तो पेन्शन नहीं मिलेगी, वरना असाधारण पेंशन देंगे। आपके पति की तनख्वाह के बराबर, जितनी सर्विस बाकी थी उसके हिसाब से पेंशन देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। उनके विभाग के लोगों ने 25 लाख रुपये के मुआवजे की डिमाण्ड की थी लेकिन 5 लाख रुपया दे करके टाल दिया गया। औरैया में उनका मुकदमा चल रहा है और अगर ये लोग औरैया जायेंगे तो उनकी हत्या हो जायेगी। मेरी मांग है कि उनका मुकदमा औरैया से लखनऊ स्थानान्तरित कर दिया जाए और उसका शीघ्र निस्तारण कर दिया जाए।

मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि इन्जीनियर एम0 के0 गुप्ता की लाश जब लखीमपुर गयी थी तो पूरे शहर के किसी व्यक्ति को मुंह नहीं देखने दिया गया। यह कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी मां को भी मुंह नहीं देखने दिया गया। जिस कपड़े में लाश थी उसको हटाने नहीं दिया गया और एस0पी0 के साथ जिलाधिकारी वहां खड़ी रहीं और मुंह नहीं देखने दिया। जबरदस्ती 8.00 बजे उनकी लाश एक गाड़ी में रखकर मरघट चले गये। हम लोगों ने ऐतराज किया, घर वाले चाह रहे थे कि लाश का मुंह तो देख लें लेकिन मुंह नहीं देखने दिया और चिता पर रख दिया। मान्यवर, मुखाग्नि तक नहीं देने दिया। हिन्दू रीति-रिवाज से जो क्रिया-कर्म होता है, वह नहीं करने दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करिये

डा0 कौशल किशोर-

उनके परिवार की जो हालत है, उनका भाई मानसिक रोगी है, मां हार्ट पेसेन्ट है, परिवार का कोई पुरसाहाल नहीं है। उनकी मां चिल्ला-चिल्लाकर कह रही थी कि सी0बी0आई0 से जांच करायें।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करिये। डा0 अजय तोमर जी अपनी बात रखिये।

डा0 कौशल किशोर-

मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

*डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

बजट में कहा गया है कि यह बजट किसानों की आय दोगुना करने वाला बजट होगा। जब वित्त मंत्री जी ने यह उद्धत किया कि किसानों की आय दो गुना करने वाला होगा तो मुझे चौधरी चरण सिंह जी की यह बात याद आई चौधरी साहब कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। मुझे लगा कि उनकी पाठशाला से आये हुये वित्तमंत्री जी किसानों के लिये कुछ पीड़ा रखते हैं उनके लिये कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन किसानों की आय दोगुनी कैसे की जायेगी यह बात मुझे बजट पढ़ने के बाद समझ में नहीं आई। जहां उत्तर प्रदेश की नहर प्रणाली जो अंग्रजों के द्वारा तमाम विदेशियों के द्वारा 100-150 वर्ष पूर्व बनाई गई उस नहर प्रणाली के लिये पानी की व्यवस्था के नाम पर कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसकी सिल्ट सफाई, लाइनिंग के लिये पूरी तरह से बजट मौन है। आलू के किसान अभी हमारे उद्यान मंत्री जी उठकर चले गये। आलू का समर्थन मूल्य 300 रुपये किया गया और कोल्ड स्टोरेज का खर्चा 100 रुपये से 125 रुपये कर दिया। अभी आलू की खुदाई शुरु हुई है। 15-20 दिन में आलू खुद जाएगा। आज की तारीख में मेरा दावा है कि एक किलो आलू कहीं भी सरकार के स्तर से नहीं खरीदा गया। किसानों की आय दो गुनी कहां से हो जाएगी। गन्ना किसान के लिये बजट पूर्णतया शान्त है। पूरी तरह से चुप है। पूरे प्रदेश में आज निजी क्षेत्र की मिलें 15 से 20 रुपये सरकार से चुप है। पूरे प्रदेश में आज निजी क्षेत्र की मिलें 15 से 20 रुपये सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस के रूप में दे रही हैं पर मान्यवर, वित्तमंत्री जी के अभिभाषण में कहीं भी आपने गन्ने की जो निगम और सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं उनके लिये कहीं बोनस की बात नहीं कही गई। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे ब्लाक हैं जहां जलस्तर लगातार तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। पानी पीने की समस्या है, सिंचाई की समस्या है लेकिन पूरे बजट में इस तरह की बात कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस भूजल स्तर को रोकने के लिये इस बजट में कहीं कोई प्राविधान नहीं किया गया। पशुपालन विभाग कृषि विभाग के साथ-साथ जुड़ा हुआ विभाग है कृषि किसान का पेशा है उसके साथ-साथ पशुपालन भी है लेकिन पशुपालन के लिये बजट में कहीं कोई प्राविधान नहीं है। कैसे किसानों की आय दोगुनी करने वाला बजट पेश हो गश। इसके साथ-साथ मैं बिजली क्षेत्र की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पूरे प्रदेश की बिजली की हालत खराब है। मैं बागपत से चुनकर आता हूं वहां पर जो साढ़े पांच और साढ़े सात हार्स पावर के नलकूप स्वीकृत थे उनको जबरदस्ती बढ़ाकर दस से साढ़े बारह हार्स पावर कर दिया लेकिन आपने बिजलीघरों का उच्चीकरण किया नहीं बिजली का उत्पादन बढ़ाया नहीं मान्यवर, यह किस तरह से किसानो का बजट है। इसके साथ-साथ कुछ मूलभूत समस्यायें हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली से गाजियाबाद बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर को जोड़ती हुये उत्तराखण्ड के यमुनोत्री तक जाने वाली दिल्ली सहारनपुर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रोड बुरी तरह जर्जर है जिस पर उत्तर प्रदेश का औद्योगिक केन्द्र ट्रायनिका सिटी है जिसके किनारे अनेकों गन्ना मिलें हैं पांच-छह जिले उत्तर प्रदेश के पड़ते हैं यह देश की राजधानी और उत्तराखण्ड को जोड़ती है इस सड़क के उद्धार के लिये 6 लेन के लिये कहीं बजट में प्राविधान नहीं किया गया है। इसी के साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं भूमि अधिग्रहण करके नई नई सड़कों की योजना दी जा रही है भूमि अधिगृहीत की जा रही है मैंने बार-बार निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश की गंगा नहर, पूर्वी यमन नहर इनकी पटरियों के साथ साथ आज भी भूमि उपलब्ध है अगर इन नहरों के साथ साथ चार लेन की सड़क, पूर्वी यमन के साथ साथ चार लेन की सड़क बना दी जाय तो पूरा-पूरा क्षेत्र सड़कों के जाल से बिछ जाएगा। कहीं एक इंच भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, केवल एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। गंगा नहर में पानी की उपलब्धता घट रही है, पूर्वी यमुना नहर मे पानी की उपलब्धता घट रही है। गंगा नहर की हाथरस ब्रांच इन सारी ब्रांचों में लगातार पानी घट रहा है। और इसके पैरेलल एक देवबंध चैनल बन रहा था किसी तरह माठ ब्रांच और हाथरस ब्रांच के पैरेलल एक चैनल बन रहा था। 25 वर्ष से वह अब तक पूरा नहीं हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

डा0 अजय तोमर-

इस पर भी कहीं कुछ नहीं है। आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और यह सारे संशोधन बजट में जोड़ने का सरकार से मांग करता हूं।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, समय की सीमा और सरकार की सीमा को देखते हुये अपने आपको भी सीमित रखूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी ने तीन-तीन मिनट का समय माननीय सदस्यों के लिये निर्धारित किया है। सबको मौका मिल जायेगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, तीन तीन करके ही बोलूंगा। हर विभाग पर तीन मिनट लूंगा उससे ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

यह सामान्य चर्चा है, महाना जी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आभारी हूं। आपका। मैं संक्षेप में कुछ बातों को कहूंगा और आपके माध्यम से माननीय मंत्रियों जो उपलब्ध हैं। मैं बड़े विस्तार से इस पर नहीं जाना चाहता। इसमें इन्होंने लिखा है कि यह गरीबों का बजट है, किसानो का बजट है इसको मैंने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान कुछ बातें सामने रखीं थीं कि गरीब का किस प्रकार से है, किसान का किस प्रकार से है। मान्यवर, मैं कुछ बातें जो बजट के अन्तर्गत लिखी गयी है कि उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर विश्व बाजार में आई आर्थिक मंदी का प्रभाव नगण्य होगा ऐसा प्रयास किया जायेगा सरकार की तरफ से। अच्छे वाक्य हैं, अच्छी मंशा है लेकिन मान्यवर, उसका विस्तृत स्वरूप बजट के अंदर कहीं देखने को नहीं मिला कि क्या करेंगे। कुछ सरकारी योजनायें, चाहे वो केन्द्र सरकार के द्वारा हों या प्रदेश सरकार के द्वारा हों। जिस समय सरकारों के पास राजस्व वसूली होता है, सरकार के पास पैसा आता है तो मान्यवर, कहीं न कहीं जनहित के लिये कुछ न कुछ खर्चा करना पड़ता है, तो उसका कितना प्रतिशत आम जन मानस के लिये खर्चा किया जा रहा है मान्यवर, यह निश्चित रूप से बजट जिस समय कोई भी देखेगा तो यह तस्वीर उस समय उसके सामने परिलक्षित हो जायेगा। मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता जिन बातों को हमारे और माननीय सदस्यों ने कहा है। मैंने कहा था कि अम्बेडकर जी की आत्मा ऊपर बैठक कर कराह रही होगी कि मैंने जिस गरीब की चिन्ता करी थी उस गरीब की चिन्ता न करके।

संसदीय कार्य एवं वित्त तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, यह बार-बार दोहरा रहे हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं और संसदीय कार्य मंत्री आपस में तय कर लें कि न यह कोई दोहरायें और न मैं दोहराऊंगा।

श्री अधिष्ठाता-

बजट पर बोलें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बजट के ऊपर ही। मान्यवर, यह बजट का ही पार्ट हैं मान्यवर, उनके कहने से नहीं । अधिष्ठाता की कुर्सी पर मान्यवर, आप बैठे हैं। आपका स्वयं मान्यवर, एक मत होता है। चलिये मान्यवर, छोड़ दिया, नहीं बोलते। मान्यवर, अभी आज ही एक प्रश्न में आदरणीय श्यामदेव राय चौधरी जी ने वृद्धों के यह कहा था कि पेंशन उनको दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है ? मान्यवर, उसका जवाब आया था कि समस्त वृद्धों को पेंशन देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। मान्यवर, आज के ही प्रश्न के अन्तर्गत जो उसका उत्तर है, जिसकी कापी मेरे पास है। और मान्यवर, बजट में लिखा है कि समस्त पात्र वृद्धजनों को वृद्धावस्था की पेंशन आच्छादित किये जाने का प्राविधान है। मान्यवर, आज मैं यह नहीं कहना चाहता कि कल आया था, परसों आया था। आज जो उत्तर आया है, उसी का प्रतिकार इस बजट में किया गया है। उसके बारे में भी विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा, विद्युत के बारे में भी विस्तार से नहीं जाना

चाहूंगा। बहुत सारे एक-एक मद के बारे में आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री वित्त मंत्री जी ने उसको बड़े विस्तार से सुन्दर शब्दों में कहा था कि मैं माननीय सदस्य का समय विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों और उपलब्धियों के विवरण में नहीं लूंगा यह लिखा हुआ है मान्यवर, जो इन्होंने बोला था विभागवार उपलब्धियों और कार्यक्रमों का विवरण और उस पर चर्चा का अवसर माननीय मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जायेगा। माननीय मंत्री जी, जो आपने लिखकर दिया ध्यान रखियेगा। कल विधान सभा का सत्रावसान करने के लिये विचार करने से पहले जो आपने बोला हुआ है और आपने लिखा हुआ है इसकी तरफ जरूर ध्यान दीजियेगा। आपने जो कहा है वह हो रहा है कि नहीं। आप जो चाहेंगें वह स्वाभाविक रूप से होगा क्योंकि आपके पास संख्या है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वो भी कोई सरकार है, जिसकी करनी और कथनी में अंतर न हो।

श्री सतीश महाना-

नहीं-नहीं, यह कोई बात नहीं। फिर अगर मैं कोई एक आध बात बोलने के लिये रखता हूं तो विस्तार से चला जाता हूं। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मेरे को पहले बड़ी मायूसी थी हमारे मित्र आदरणीय नगर विकास मंत्री नहीं थे तो मैं सोच रहा था कि इनको कहां ढूढूंगा लेकिन भगवान ने उनको भेज दिया, मुझको अच्छा लगा कि आप आ गये। आप उस कुर्सी पर बैठने वाले थे जहां पर वो बैठे हुये हैं तो मुझे लगा कि मजबूती आपको मिलेगी तो आप मेरा काम कर सकेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

तीन मिनट का समय और दें दें।

श्री अधिष्ठाता-

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री सतीश महाना-

मैं आपके कहने से रुकूंगा नहीं, रिपीट करता रहूंगा, पीने का पानी नहीं है, शहरी क्षेत्रों के विधायकों को एक भी हैण्डपम्प नहीं दिया गया। मैं स्मारकों के बारे में भी चर्चा नहीं करूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, बहुत से विषय है शहरी क्षेत्र के अन्दर, आप चिन्ता करते हो, बहुत-बहुत धन्यवाद। सौभाग्य से आपके पास पर्यावरण विभाग भी है। पर्यावरण और नगर विकास विभाग में अगर आप तालमेल बिठाने का काम कर दें तो बड़ी कृपा होगी। गंगा प्रदूषित है आप गंगा प्रदूषण प्लान्ट तक गये थे आपने स्वयं देखा है आपने जो देखा है आपने जो एसेस किया है, ईमानदारी से आप उस पर कार्यवाही कर दीजिए निश्चित रूप से मैं वैसे भी आपका बहुत सम्मान करता हूं लेकिन मैं आपको बुलाकर जनमानस में आपका सम्मान करूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

कानपुर नगर निगम के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सरल कर के बारे में, मान्यवर, सदन में प्रस्ताव आया था कि जो नये मकान बन रहे हैं वह असेसमेन्ट की श्रेणी में नहीं है तो उन पर टैक्स लगेगा। इसके अलावा भी शासनादेश करके यह बात कह दी गई थी कि किसी का वर्तमान में जो टैक्स दे रहा है उसका 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ेगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इस तरह की बातें सरकार के द्वारा शासनादेश के द्वारा कही गई।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण बात है पूरी बात आने दीजिए। इस विषय के बाद दूसरा विषय नहीं लूंगा। मान्यवर, नगर निगम सदन में जिसमें सभी पार्टी के लोग हैं सर्वसम्मति से एक बात बोली कि इसको 25 प्रतिशत बढ़ायेंगे। लेकिन शासन ने इसको टाइम बाउन्ड कर दिया। अब स्थिति यह है कि जिस आदमी का 100 रुपया लग रहा था अब उसके 5000 हजार लग रहे हैं। रेन्ट कन्ट्रोल के अन्दर जो आदमी मान्यवर 15 रुपया, 50 रुपया किराया दे रहा था अब उसका 3000 रुपया लग रहा है। यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है। यह आम जनमानस को उत्पीड़ित करने वाली बात है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

खत्म कर रहा हूं। बीच में तो मान्यवर, कितना समय आप ले लेते हैं। मेरा आपसे निवेदन है मैंने इस सम्बन्ध में स्थानीय अधिकारियों से बात की थी। इसमें कानपुर के मण्डलायुक्त से बात की ....

श्री अधिष्ठाता-

खत्म करें।

श्री सतीश महाना-

अगर आप समझते हैं कि 100 रुपये का 3000 करना उचित है तो यह आम आदमी के ऊपर बोझ होगा। अगर सुनने वाला भी शासन ने कह दिया, सरकार ने कह दिया ....

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें। सात मिनट हो गये हैं।

श्री सतीश महाना-

मेरी बात बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अधिष्ठाता-

महाना जी आप लिखकर दे दें। कार्यवाही में आ जाएगा।

श्री सतीश महाना-

मैं लिखकर दे चुका हूं। इसमें कुछ नहीं हो रहा है सदन में आ जाएगा तो ठीक रहेगा।

श्री अधिष्ठाता-

आप पीठ को लिखकर दे दें कार्यवाही में आ जाएगा।

श्री सतीश महाना-

जो शासन के द्वारा नगर निगम के द्वारा ....

श्री अधिष्ठाता-

आप लिखित दे दें।

(कृ0 लिखित भाषण के लिए देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या 212-215पर।)

(श्री पूरन प्रकाश का नाम पुकारा गया।)

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय न होकर यह सिर्फ ब0स0पा0 हिताय, ब0स0पा0 सुखाय है। मान्यवर, हमारे प्रदेश की जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। जहां भी आप देखेंगे किसी तरफ नजर उठायेंगे समस्याओं का अम्बार लगा हुआ है। लेकिन इस बजट में कहीं उसका उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश में जनपद मथुरा पड़ता है। जनपद मथुरा में हमारी गिरिराज महाराज की बहुत बड़ी महिमा है। करोड़ों श्रद्धालु वहां पर परिक्रमा करने आते हैं। वहां की हालत देखें मान्यवर, वहां की व्यवस्था देखें बड़ी कुंठा होती है बड़ी पीड़ा होती है। मान्यवर, इसी संदर्भ में कहना चाहूंगा कि भगवान श्रीकृष्ण ने गिरिराज महाराज को अपनी उंगली पर उठाया था। करोड़ों श्रद्धालु गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने आते हैं....

परन्तु दर्शन-परिक्रमा करने के बाद जब जाते हैं, तब बहुत दुखी होते हैं। मान्यवर, हमारे तमाम दर्शनार्थी राजस्थान, जयपुर से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, जब वह सड़कों पर आते हैं, उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं क्योंकि सड़कों की मरम्मत न होने के कारण उन पर पानी भरा रहता है श्रद्धालु किस तरह से आते हैं विभिन्न प्रान्तों से बाहर से आते हैं और जब वापस आते हैं तो बड़ी पीड़ा लेकर जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, वह इसको नोट करें और बजट में इसके लिए प्रावधान करायें कि जब करोड़ों श्रद्धालुओं का मामला आता है तो उसमें कहीं अनदेखी न की जाए। महोदय, इसी सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा, हमारे गोवर्धन क्षेत्र में तीन ब्लाक हैं, फरह ब्लाक, गोवर्धन ब्लाक और मथुरा ब्लाक, तीनों ब्लाकों की सड़कों की हालत बहुत खराब है और यही एक मेन समस्या है, [illegible]

सकता। कई बार मैंने प्रयास किया, आपकी पीठ के माध्यम से पिछली बार भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया था लेकिन कहीं भी क्रियान्वित नहीं हो पाया। इसी सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि परखम सरूरपुर से मगोर्रा, लोरिया, फौडर, पैठा आदि मुख्य मार्ग है, जो राजस्थान से जुड़ता है, जयपुर से जुड़ता है, इनकी हालत बहुत ही बेकार बनी हुई है और उसमें पानी भरा हुआ है। मान्यवर, इसी सम्बन्ध में कहूंगा, हमारे जनपद मथुरा में पेयजल की बड़ी किल्लत है, चारों तरफ खारा पानी है और खारा पानी होने के कारण किसानों की हालत बहुत खराब है, नहरों का टेल तक पानी भी नहीं पहुंच रहा है। पेयजल के लिए हमारी माताएं-बहनें सुबह चार बजे उठकर चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, बर्तन लेकर जाती है, घर में जब पानी आ जाता है तब उनके घर में खाना बनता है, यह हालत बनी हुई है। जो आपकी पेयजल की टंकियां बनी हुई थी, 25-25, 30-30 साल हो गये हैं, जो टंकी एक गांव के लिए बनी थी, लेकिन देखने को मिल रहा है 6-6 गांवों को सृजित कर दिया गया। आज वह टंकी अकेले उस गांव को ही पानी नहीं दे पा रही है तो 6 गांव तो बहुत दूर की बात है और जहां तक उनकी क्षमता की बात है, उनके रख-रखाव की बात है, उनकी जो लाइफ 25-30 साल थी, वह भी पूरी हो चुकी है। कहीं भी पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, इसके साथ-साथ जो वहां माइनर हैं, उसकी बहुत ही खस्ता हालत है, जिन पर किसान आते-जाते हैं, वह सभी टूटी पड़ी हुई है। कई बार हमने इस बात को उठाया लेकिन आज तक उनकी मरम्मत नहीं हो पाई। मान्यवर, जो हमारी टंकियां बनी हुई हैं जो बेकार हो गई है उनके लिए बजट में प्राविधान करायें ताकि पेयजल मिल सके। महोदय, इसी सम्बन्ध में जो सरकार की मुखिया है, दलितों का बड़ा बखान करती है, उनके उत्थान के लिए उनके विकास के लिए। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। मान्यवर, जब भी शादी-ब्याह होते थे, हमारे दलित समाज के लोग आपस में पास-पड़ोस से, गांव से पैसा ले लेते थे, लेकिन आज उनको कोई देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी उनको उधार पैसा देने को तैयार नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

कार्य सूची के अनुसार 2 बजे से मा0 संसदीय कार्य मंत्री को जवाब देना है।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, इसमें शादी के लिए 20 हजार रुपये के अनुदान का उल्लेख किया गया है, लेकिन 20 हजार क्या, उनको आज 10 हजार भी नहीं मिल पा रहा है। लोग फार्म भरते हैं, कहते हैं कि अभी बजट नहीं आया। मान्यवर, पिछले वर्ष का शादी के अनुदान अभी तक आधे से अधिक अनुदान से गरीब लोग वंचित हैं। उनको नहीं मिल पाया है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा, स्कूलों में चाहे वह पिछड़ी जाति के हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल होते हैं, उनमें जो फीस जाती है, वह उनको अभी तक नहीं मुहैया हो पा रही है, मालूम पड़ता है, बच्चे निकल जाते हैं, स्कूल छोड़ जाते हैं, उनका जो वजीफा होता है, जो उनकी फीस माफी होती है, वह भी उनको नहीं मिल पा रही है। महोदय, मैं आपसे चाहूंगा हमारे सामने मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, जरा इसको नोट करें कि जो हमारे यहां की पेयजल की,

बिजली की, सड़क की हालत है, उसको ठीक कराने का प्रबन्ध करें। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी ने 3-3 मिनट का समय निर्धारित किया था लेकिन एक-एक माननीय सदस्य 8-10 मिनट ले लिये हैं। कार्य सूची में 2.00 बजे से विधेयक पेश होना था। माननीय मंत्री जी को जवाब भी देना है। आप लोग लिखकर दे दें उसको कार्यवाही में शामिल कर लिया जाएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, संभवतः सामान्य चर्चा का आज आखिरी दिन है। मान्यवर, हम संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि एक घण्टे का समय बढ़ा दें। इस बात पर विचार कर लें। एक घण्टा समय बढ़ा दें। सब लोग 5-5 मिनट बोल लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, लगभग सभी माननीय सदस्य तो इस पर अपने विचार रख लिये हैं। मान्यवर, कुछ विधेयक भी हैं। जैसा आप अनुमति दें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने की अनुमति मांगने पर)

श्री अधिष्ठाता-

ऐसा करते हैं कि एक महिला सदस्य को बुलवा लेते हैं। श्रीमती सीमा द्विवेदी जी को मौका दे देते हैं।

श्री पंकज मलिक-

मान्यवर, कांग्रेस पार्टी से आज कोई नहीं बोल पाया। इनके बाद आप दो मिनट का समय दे दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आज असरकारी दिवस भी है कुछ संकल्प भी हैं उन पर भी चर्चा होनी है। मान्यवर, अनुरोध है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय सीमा द्विवेदी जी को बोल लेने दिया जाये उसके बाद आप मुझे अवसर दे दें।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

मान्यवर, मैं आपकी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की आभारी हूं कि उन्होंने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बजट भाषण की किताब हम सबको मिली है उसमें पहले ही पैरे में लिखा है कि इस सरकार ने जंगलराज, गुण्डाराज और पता नहीं क्या-क्या खत्म कर दिया है। मान्यवर, मुझे याद है कि जब विधान सभा का चुनाव हो रहा था तो हमारे क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी की सभा हो रही थी। माननीय मिश्रा जी उसमें मुख्य अतिथि बनकर गये थे, मेरी गाड़ी उस समय क्रास कर रही थी तो उस समय मंच से एक नारा आ रहा था कि चढ़ गुण्डों की छाती पर मुहर लगाओं हाथी पर। यह नारा मैंने अपने कान से

सुना था। लेकिन आज उल्टा हो गया। आज गुण्डे इनकी छाती पर चढ़े हुए हैं। पता नहीं कैसे चढ़े गये, शायद पैसे के बल पर चढ़ गये होंगे और इनको शायद यह लगता है कि इन्हीं गुण्डों के बल पर चढ़कर यह दिल्ली पर पहुंचकर अपना कब्जा करेंगे। जहां तक मुझे लगता है ऐसा यह दिवास्वप्न देख रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप बजट पर बोलें जब कानून-व्यवस्था पर चर्चा होगी तब आप उस पर बोलियेगा। अभी आप बजट पर बोलें।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

मैं उदाहरण दे रही हूं। आपको, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कितनी शर्मनाक बात है, 18 वर्ष के बच्चे पर गैंगेस्टर का जबरदस्ती मुकदमा ठोंक दिया जाय और उसके ऊपर जबरदस्ती ढाई लाख की लूट दिखा दिया जाय, अधिष्ठाता महोदय अगर यह चोर को तुरन्त पकड़ लिये तो तत्काल इनको पैसा भी बरामद करना चाहिए था, इससे स्पष्ट होता है कि केवल अपना लेखा-जोखा ठीक करने के लिये कागज में खानापूर्ति कर किसी को भी अपराधी बना देते हैं। मान्यवर, इनका दूसरा विषय था शिक्षा के बारे में हमने पढ़ा है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैंने कक्षा-12 की पुस्तक में पढ़ा था, अरस्तू का नाम हम सभी लोग जानते हैं जो यूनानी दार्शनिक थे। मान्यवर, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था अगर मुझे कोई सौ शिक्षित मां दे दे तो मैं उसे एक सुन्दर शिक्षित राष्ट्र प्रदान कर दूंगा। मान्यवर, शिक्षा में कितना कम पैसा रखा गया है और शिक्षा के बारे में मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं और यह सरकार शिक्षा के प्रति कितनी संवेदनशील है, एक भी शिक्षा मंत्री इनके सदन में मौजूद नहीं है। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं जो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बजट रखा है मेरा विधान सभा क्षेत्र गढ़वारा जो बहुत ही इण्टीरियर एरिया में है एक भी राजकीय विद्यालय वहां पर नहीं है। मैं आपसे बजट के माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में एक विद्यालय देने के लिए भी अपनी सूची में शामिल कर लें। मान्यवर, दूसरी चीज आती है स्वास्थ्य के बारे में, अभी हमारे मंत्री जी का कल उद्बोधन आ रहा था कि हमारे यहां डाक्टरों की बड़ी कमी है, हम सभी लोग माननीय अधिष्ठाता महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों से जीत कर आये हैं महिला हैं, गांवों में आप जानते हैं महिलाओं के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां पर किसी महिला डाक्टर की तैनाती नहीं है, अतः मेरा आपसे अनुरोध है ऐसे क्षेत्रों में जहां पर डाक्टरों की कमी है वहां पर वरीयता के आधार पर महिला डाक्टरों की तैनाती की जाय और मान्यवर, नगर विकास मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब आप समाप्त करें।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

मान्यवर, अभी तो मैंने शुरू किया है, कृपया दो मिनट तो बोल लेने दीजिए। वैसे भी महिलायें कभी-कभार तो बोलती हैं, उन्हें बोलने दीजिए। मान्यवर, नगर विकास मंत्री जी बैठे हुए

हैं हमारे यहां नगरपालिका में वर्ष 2007 में एक गाड़ी खरीदी गई, हम गाड़ी खरीदते हैं तो तुरन्त हमारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है नहीं तो आर0टी0ओ0 हमारी गाड़ी का चालान कर देता है, 2007 में गाड़ी खरीदी गई, 2008 तक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया और वह गाड़ी 2009 में चोरी हो गई। अब न युवक ही बता पा रहा है कि गाड़ी कहा गई न ही नगर पालिका का चेयरमैन बता रहा है गाड़ी कहां चली गई।

श्री अधिष्ठाता-

आप इसको लिख कर के दे दीजिएगा, अब आप समाप्त करें।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

नहीं अधिष्ठाता महोदय, यह जो सरकार अपना बखान करती है कि मैंने इतना बढ़िया काम किया है तो कुछ नमूने मैं जरूर पेश करना चाहूंगी, सरकार के सामने।

श्री अधिष्ठाता-

यह नमूने आप लिखकर दे दीजिएगा। कार्यवाही का अंग मान लिया जायेगा।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

मान्यवर, हमारे यहां सई नदी पर बेलवार घाट पर पिछले चार साल से पुल बन रहा है। आज की तारीख में कभी सुल्तानपुर की इकाई बनाती है जब वह पैसा खा जाती है तो बनारस की इकाई को ट्रान्सफर कर दिया जाता है मेरे समझ में नहीं आता है कि उस पुल को कौन बनायेगा, कैसे बनायेगा, कैसे नहीं बनायेगा। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी हैण्डपम्प के बारे में भी हमारे पूर्व भी लोगों ने कहा माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी भी यहां पर आ गये हैं, हमारा अनुरोध है कि विधायकों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न करें।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। अब आप आसन ग्रहण करें। माननीय वित्त मंत्री जी का भी जवाब आ जाने दीजिए, अभी और भी मद है जिसमें आपको बोलने का मौका मिलेगा, कृपया अब समाप्त करें।

श्री पंकज मलिक-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कृपया मुझे बोलने के लिए सिर्फ दो मिनट का समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं अब कुछ नहीं, अभी दूसरी और भी मदें हैं, उनमें आप अपनी बात कह लीजियेगा, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी आप अपनी बात शुरू करें।

श्री विश्वनाथ-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने समय बढ़ाने के लिए आग्रह किया लेकिन मेरे आग्रह को स्वीकार नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सामान्य बजट की चर्चा में इस सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने हिस्सा लेकर अपने विचार रखने का काम किया है मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रिंसपल साहब कहां चल दिये।

श्री विश्वनाथ-

जब मेरी कोई सुनता ही नहीं है तो मैं इस सदन का बहिष्कार कर रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा-

अरे आप बैठिये, मैं आपही को सुना रहा हूं। बैठिये तो।

श्री विश्वनाथ-

मैं केवल आपको सुनने के लिए ही नहीं आता हूं। मान्यवर,

हम ही अगर न होंगे, रंगे महफिल,

किसे देखकर आप शर्माइयेगा।

चूंकि वर्मा जी ने बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए मैं इस सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री विश्वनाथ ने सदन का त्याग किया)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इनमें सच्चाई का सामना करने की ताकत नहीं है। जिनमें सच्चाई का सामना करने की ताकत नहीं होती है वह इस तरह से सदन का त्याग कर भागने का काम करते हैं।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

मान्यवर, यह दोषारोपण है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सरकार की नीतियों और जनाकांक्षाओं के अनुरूप यह बजट प्रस्तुत किया गया। मुझे अत्यधिक खुशी होती यदि बजट प्रस्तुतिकरण के समय माननीय नेता प्रतिपक्ष सदन में मौजूद रहते। माननीय नेता सदन उस समय मौजूद थीं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

आज वे मौजूद होती तो अच्छा लगता। कभी-कभी उनके दर्शन होते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह इस बात का परिचायक है कि विपक्ष के जो माननीय नेता हैं उनका इस प्रदेश के विकास से कोई लगाव नहीं है। फिर भी मैं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं, सभी दलीय नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे उनके विचार सुनने का अवसर मिला और बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए। मान्यवर, हमारे जिन साथियों ने इस बजट की चर्चा में भाग लिया उसमें से अधिकांश लोगों ने जो कहा उससे ऐसा लगा कि उन्होंने बजट भाषण को ही सम्पूर्ण बजट मान लिया। मैंने उस समय भी उल्लेख किया था कि जो बजट साहित्य है और साथ ही साथ जो

विभागीय बजट की व्यवस्था है उसका अध्ययन कर लेंगे तो उसके अनुसार उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त होगी। जो सम्पूर्ण बजट और साहित्य दिये गये हैं आपने उनका अध्ययन कर लिया होता तो शायद आपके पास कहने के लिये कुछ रह ही न जाता। मैंने सभी माननीय सदस्यों के भाषण को सुना और उसे पढ़ा, कुल मिलाकर मेरी समझ में यह आया कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया।

श्री अम्बिका चौधरी-

आपने बजट के बारे में बिल्कुल सही बात कही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, किसी भी माननीय सदस्य के पास कुछ कहने के लिये रहा ही नहीं है। सभी लोगों के भाषणों में कुल मिलाकर एक ही बिन्दु आया कि.....

(इस समय 2 बजकर 12 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों की ओर से आवाजें "खोदा पहाड़ निकली चुहिया")

श्री लालजी वर्मा-

उनके पास दूसरी कोई आलोचना करने का विषय ही नहीं बना। मान्यवर, पत्थर की बात अलग-अलग ढंग से उठाने का काम किया गया। मान्यवर, कुछ विषय हमारी आस्था से जुड़े हैं। इस देश के करोड़ों-करोड़ लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। उन लोगों ने, जो बेसहारा थे जिनको इंसान के जीवन के बराबर सम्मान नहीं मिलता था उनको सम्मान दिलाने के लिये जिन्होंने अपने जीवन को अर्पण करने का काम किया है, उनको सम्मान दिलाने के लिये हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा उनसे हम पीछे नहीं हटेंगे। (मेजों की थपथपाहट) हम कोई चोरी से नहीं कर रहे हैं हमने बजट में इसको रखा है। बजट लोकतांत्रिक तरीके से विधान सभा में प्रस्तुत होता है और जब यहां से पास होता है तो उसके अनुसार बात आती है।

माननीय लालजी टण्डन जी अपने विचार रखते हुए 1991-92 का बड़ा जिक्र कर रहे थे। उन्हें उस दिन का कोई दोष नहीं दिखा जिस दिन आपने वह शर्मनाक घटना घटित की थी और उससे हिन्दुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों का जीवन संकट में डाल दिया था। आज आप हमारे ऊपर अंगुली उठाने का अधिकार कहां से पा जाते हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी बता रहे थे कि जब टण्डन जी ऊर्जा मंत्री थे 1992 में तो कौन-कौन से ऊर्जा उत्पादन के संयंत्र बेच दिये गये थे। फिर वर्ष 2000 में कौन से बेचे गये। यह दोनों चीजें उन्हीं के समय में हुई थी। मान्यवर, मैं इस बिन्दु पर भी ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। माननीय सभी सदस्यों ने विशेषकर चौधरी साहब ने एक घंटा तक लम्बा भाषण दिया और उस एक घण्टा के भाषण को कुछ समय तक तो यहां बैठकर सुना था और जब नहीं रहा था तो उसको मैंने आज ही सुबह पढ़ा और मुझे लगा कि घंटा केवल सदन का समय ही गया कोई सारभूत तथ्य निकलकर नहीं आया न तो कोई बात सुझाव की नीयत से आई और न कोई आलोचना की नीयत से आई। कानून व्यवस्था का उल्लेख है, कई माननीय सदस्यों ने किया। कानून व्यवस्था की हालत, भ्रष्टाचार की हालत, कमीशन की हालत यह लोगों को याद है उत्तर प्रदेश की आम जनता को याद है 13 मई, 2007 के पूर्व जिलों पर किस तरह से कमीशनखोरी चलती थी, किस तरह से माफिया प्रत्येक जिले में सारे टेण्डर को

अपने हाथ में लेकर और कैसे बेचा करते थे समाजवादी पार्टी का लबादा ओढ़कर। किस तरह से समाजवादी पार्टी के हाथों में, कानून व्यवस्था की बात करते हैं ? कानून व्यवस्था की जो खिल्ली उड़ाई है इतना ही नहीं मान्यवर, आज भी मैं सदन के सामने इस तथ्य को लाना चाहता हूं समाजवादी पार्टी का प्रभाव जहां रहता है वहां कोई सभ्य आदमी आना नहीं चाहता है चाहे वह अधिकारी हो, चाहे वह उद्योगपति हो, चाहे वह जो भी हो। मान्यवर, कृषि के बारे में, किसानों के हितों के बारे में चर्चा की गयी हमारे सदस्य, कई भाजपा के सदस्यों ने और माननीय चौधरी साहब ने इस बात का उल्लेख किया कृषि का जो आय में प्रतिनिधित्व है पहले 35 प्रतिशत था घटकर 28 प्रतिशत हो गया।

यह तो परिचायक है प्रदेश के विकास का। जब हम आय अधिक उद्योगों से दूसरी चीजों से ले आते हैं तो वह प्रदेश का विकास का परिचायक होता है। कृषि के बारे में जो इन्होंने बैठे-बैठे संकेत दिया हमने कृषि के लिये क्या किया या जो कृषि के या धरती पुत्र कहलाते थे उन्होंने क्या किया और हमारी सरकार ने क्या किया है। अभी हमारे कृषि मंत्री जी सुबह ही एक प्रश्न के माध्यम से बहुत विस्तार से उस पर चर्चा किये हैं। मैं उस बिन्दु पर बहुत समय नहीं लेना चाहूंगा लेकिन मैं कुछ चन्द बातें आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। 2009 के बजट में कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप पर 11 हजार 64 करोड़ रुपये बजट व्यवस्था की गयी है और माननीय अम्बिका चौधरी जी अपने को किसानों का बड़ा नेता कहलाते हैं जब इनकी सरकार थी 2006-07 का जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो उस मद में 4794 करोड़ रुपये था।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, प्रतिशत में बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रतिशत में भी बता रहा हूं। 2008-09 की तुलना में 23 प्रतिशत है और 2006-07 के बजट में जो 4794 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी जो समायोजनों की मदों को निकालने पर सम्पूर्ण बजट का 6.6 प्रतिशत था और जो आज सम्पूर्ण इस परिस्थितियों में 9 प्रतिशत है। बड़ा थोपते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं। यही इस बात का परिचायक है कि किसानों का हितैषी कौन है।

*श्री अम्बिका चौधरी-

यह उचित नहीं है कि मैं एक-एक वाक्य पर आपसे शास्त्रार्थ करूं। आप केवल एक बात बता दें कि हमारा एनुवल प्लान कितने हजार करोड़ का था और उस एनुवल प्लान के अगेन्स्ट प्रतिशत में कितने प्रतिशत था, यह बता दें ?

श्री लालजी वर्मा-

मैंने बता दिया 2006-2007 के एनुवल प्लान के सापेक्ष जो आपकी बजट व्यवस्था थी, वह 6.6 प्रतिशत थी। हमारी जो बजट व्यवस्था है कृषि पर, उन समायोजनों को छोड़कर 9 प्रतिशत है। मान्यवर, दूसरी बात, इन्होंने एक शंका प्रकट की कि किसान दुर्घटना बीमा योजना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाप्त कर दी गयी। अगर सारे साहित्य पढ़े होते तो पता चल जाता कि 2008-2009 में 35 करोड़ रुपये का प्रावधान था और 2009-2010 में उसको बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये किया गया है। गन्ना मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में एक बात का उल्लेख किया गया। मान्यवर, कल भी मैंने एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि कहीं ऐसी परिस्थितियां आती हैं लेकिन आज इस वर्ष क्या है। इस वर्ष गन्ना किसान को, जो निर्धारित मूल्य है, उससे भी ज्यादा मूल्य मिल रहा है। हमने 15 रुपया ज्यादा एक साथ बढ़ाया है। ऐसा 15 रुपये एक साथ में प्रति क्विंटल कभी नहीं बढ़ा है और उसके बावजूद भी आज परिस्थितियां अनुकूल हुई हैं। जो गन्ना किसान हैं जितना राज्य परामर्शी मूल्य है, उससे भी ज्यादा पा रहा है। मान्यवर, कृषकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जिप्सम, जिंक सल्फेट खाद पर 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत का अनुदान किया गया। स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई पर वैट की दर साढ़े 12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की गयी। आलू समर्थन मूल्य 250 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया गया। आलू के विपणन के लिये प्रदेश से बाहर ले जाने के लिये 25 रुपये प्रति क्विंटल का भाड़े पर अनुदान देने का निर्णय लिया गया। आलू के निर्यात हेतु बन्दरगाहों के समीप भंडारीकरण करने के लिये परिवहन भाड़े का 40 प्रतिशत या 100 रुपये प्रति क्विंटल, जो भी कम हो, अनुदान दिया जायेगा यह निर्णय लिया गया। आलू के निर्यात हेतु मंडी द्वारा 1.5 रुपयें प्रति किलो भाड़े का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, सब्सिडी व ताज ब्राण्ड के आलू पर 50 प्रतिशत प्रति किलो ब्रान्ड प्रमोशन सब्सिडी की व्यवस्था की गयी। मान्यवर, यह सारे निर्णय किसानों के हित के लिये है कि नहीं है ? आपने क्या लिया था आपने क्या किया था। बजट के प्रतिशत का मैंने उल्लेख करने का काम किया। मान्यवर, एक बात और इन्होंने कहा सेतुओं के सम्बन्ध में, कि 2006-2007 में बजट में सड़क और सेतुओं के लिये 5075 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी और इस बजट में 7657 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। एक उल्लेख माननीय चौधरी साहब ने और किया था कि पृष्ठ-12 और 31 पर ग्रामीण मार्गों के प्राविधानों में भिन्नता है। मान्यवर, पृष्ठ-31 पर स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिये ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 2245 करोड़ रुपये का बजट प्राविधानित है और पृष्ठ-12 पर समस्त ग्रामीण मार्गों का उल्लेख है इसलिये दोनों में भिन्नता है। मान्यवर, एक बात की, जोर-जोर से यह लोग जहां भी होते हैं, चर्चा करते हैं कि यह सरकार पिछड़े लोगों की हिमायती नहीं है और जो यह हिमायती नहीं थे, उसका और हम हिमायती नहीं हैं, मान्यवर, दोनों का अन्तर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछड़ा वर्ग छात्रवृति 2006-2007 में 623 करोड़ रुपये थी और आज 1019 करोड़ रुपये है प्रतिपूर्ति सम्मिलित करते हुए। लगभग 1600 करोड़ रुपये थी आज 2400 करोड़ रुपये है पिछड़ों को शादी अनुदान नहीं मिलता था, हमने पिछली बार के बजट में 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी और इस बार 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्राविधानित है। अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, बड़े जोर-शोर से अल्पसंख्यकों की बात की है हालांकि अब अल्पसंख्यक पूरी तरह से इनसे रूठ ही गया है क्योंकि जो पहले दिखावे में नहीं था वह दिखा दिया। पहले जब 1989 और 1991 में लड़ रहे थे तो अलग-अलग झण्डा और अलग-अलग डंडा, जब अलग-अलग रह करके मुकाबला नहीं कर पाये और बहुजन समाज पार्टी चढ़कर आ गई तब इनको एक साथ होने का अवसर आया। मान्यवर, यह अल्पसंख्यकों की बात करते हैं वर्ष 2006-2007 में 203 करोड़ रुपये की व्यवस्था अल्पसंख्यक कल्याण के लिये की गयी

थी आज बहन मायावती जी के दिशा-निर्देशन पर 996 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो लगभग चार गुना ज्यादा है। मा0 सदस्य ने एक उल्लेख और किया, मा0 राय साहब एवं कई मा0 सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया कि हमने दवा निःशुल्क किया था, इन्होंने दवा का दाम तय कर दिया। मा0 राय साहब आप तो मेडिकल कालेज और अस्पतालों से जुड़े हुए हैं और आपकी अर्द्धांगिनी आज भी सरकारी सेवा में है, वह और भी अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, आप स्वयं इस बात को दिल पर हाथ रख करके बता दीजिए कि 2007 से पहले अस्पतालों में जितनी दवा थी आज वह कितनी अधिक बढ़ी है। आज इस तथ्य को स्वीकार कीजिए कि आज किसी भी चिकित्सालय में चाहे वह मेडिकल कालेज हों या अन्य चिकित्सालय हों, दवा की कोई कमी नहीं होने पा रही है, इस बात की व्यवस्था मा0 मुख्य मंत्री जी ने की है। मान्यवर, औषधि एवं रसायन के लिये....

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा बोलने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अगर इस प्रकार से शोर करेंगे तो कोई उल्लेख हम नहीं कर पायेंगे। मान्यवर, 2006-2007 में जब इनकी सरकार थी तो औषधि मद में 184 करोड़ रुपये था, आज जब हमारी सरकार है और बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशन में जब बजट बना तो यह धनराशि 266 करोड़ रुपये कर दी गयी है। मैं और भी बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। मान्यवर, रोजगार के लिये, बेरोजगारी भत्ता के लिये मा0 जोखू लाल यादव एवं अन्य सदस्यों ने बड़ा ढिंढोरा पीटा कि हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, हमने बेरोजगारी भत्ता दिया। भत्ता कितना दिया, कब दिया, सरकार 2003 में रही तब दिया, सरकार 2004 में रही तब दिया, सरकार 2005 में भी रही तब दिया, नहीं, जब सरकार 2006 में आयी, चुनाव नजदीक दिखाई पड़ने लगा तब कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और दिया कितना, मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा कि जो इन्होंने दिया उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कुल पांच लाख नब्बे हजार दो सौ चौव्वन लोगों को दिया पूरे उत्तर प्रदेश में। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देकर उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने और उनमें सरकारी कृपा पर निर्भर हो जाने की मानसिकता को बढ़ावा देने के बजाय उनके लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाया जाना चाहिए ताकि वह अपना जीवन स्तर सुधार कर आत्मसम्मान के साथ जी सकें। यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2007-08 का बजट प्रस्तुत करते समय कहा था और उसको करके दिखाने का काम किया है। आज लगभग 7 लाख लोगों ने, 5 लाख सरकारी स्तर के और 2 लाख निजी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार पाया है, 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई है।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

आपने पढ़े-लिखे लोगों को झाड़ू पकड़ा दिया।

(समाजवादी पार्टी की तरफ से आवाज आयी कि एक-एक लाख रुपया घूस लेकर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गयी)

श्री लालजी वर्मा-

घूस दे करके तो पुलिस की भर्ती होती थी, घूस तब चलती थी और पता नहीं क्या-क्या चलता था, उसका उल्लेख मैं नहीं करूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

पुलिस भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका उल्लेख कर दीजिए। पुलिस भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, उसको पढ़ दीजिए।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने तो बीच में बोलने का काम नहीं किया था कितनी भी कटु बात कही हो, मैंने नहीं टोका था। मान्यवर, इनसे रहा नहीं जा रहा है, चोट लग रही है, सच्चाई सुन नहीं पा रहे हैं। हाईकोर्ट ने क्या कहा, लोकायुक्त ने क्या कहा इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। प्रदेश की 17 करोड़ जनता ने क्या किया इसका पैमाना बताना चाहता हूं। उन नियुक्तियों में भ्रष्टाचार किस स्तर पर था, किस तरह से पक्षपात किया गया था यह किसी से छिपा नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

राजनैतिक पक्षपात के कारण गन्दे आरोप लगाये, जो आरोप आप पर स्वयं साबित होते हैं, गंदे आरोपों में आप डूबे हैं।

श्री अध्यक्ष-

कृपया शांत रहिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रदेश की 17 करोड़ जनता ने सर्टिफिकेट देने का काम किया था, आपने किस तरह से गलतियां की हैं। सीमित दो-चार जिलों के लोगों को सारे नियम-कानून तोड़कर किसी एक जाति का नहीं, जाति में ही हो तो भी एक बात है लेकिन एक-दो जिले के लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिये काम किये गये।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 उच्च न्यायालय ने बता दिया है कि आपकी क्या मंशा थी। आपने पढ़ा होगा डबुल बेंच का भी निर्णय आ गया है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया शांत रहिये। मा0 मंत्री जी बोल रहे हैं वह अपनी बात रख लें तब आप कह लीजियेगा।

श्री लालजी वर्मा-

अगर आरोप लगाते हैं तो सहने की ताकत भी बनाइये। हमने जो अच्छा काम किया है उससे जनता हमारी नेता को मई के चुनाव के बाद इस देश का प्रधान मंत्री बनायेगी, वह इस बात का फैसला करेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 उच्च न्यायालय के सिंगिल बेंच ने और डबुल बेंच ने फैसला कर दिया उसी को सदन में पढ़ दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर मैं बैठ नहीं रहा हूं तो मा0 चौधरी साहब, आप संसदीय परम्पराओं के जानकार हैं, शिष्टाचार भी आप में कुट-कूट कर भरा है इसलिये मैं आपसे चाहूंगा कि आप बीच में अपनी बात कहने का प्रयास न करिये। जब मैं बैठ जाऊंगा तब कह लीजिएगा। आरोप लगा रहे हैं तो सुनने की ताकत रखिये। लोकतंत्र का यही तकाजा है। आप यही नहीं करते। जो हल्ला बोल चलाया उसी हल्ला बोल के कारण ही आपको दण्ड मिला। ऊर्जा के क्षेत्र में चर्चा कर रहे थे, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। ऊर्जा मंत्री जी ने विस्तार से क्या करना है यह बताया है। मैं बजट के उल्लेख के समय चौधरी साहब ने ऊर्जा के बारे में कहा था, मैं बताना चाहूंगा कि 2006-07 में ऊर्जा विभाग की बजट व्यवस्था 4530 करोड़ रुपये थे जब आपने बजट रखा था और आज 2009-10 में 9846 करोड़ रुपये है अर्थात दो गुने से ज्यादा की वृद्धि है। पिछले बजट में कहा था कि बगास से ऊर्जा का उत्पादन किया जायेगा। बगास से 500 मेगावाट ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता सृजित की गई है एवं 325 मेगावाट ऊर्जा का उपयोग किया गया है। ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा। अल्पसंख्यक कल्याण के लिये मैंने पूर्व में ही इस बात को बता दिया कि हमने इनके 203 करोड़ का सापेक्ष 996 करोड़ की बजट व्यवस्था की है। 10 हजार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति पूर्ण की गयी है। एक बात और मान्यवर, माननीय चौधरी साहब ने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था और यह सामान्य बजट चर्चा में उल्लेख किया जाना जरूरी था। आज हमारे सामने एक बड़ी कठिन चुनौती आई है मान्यवर, क्या सरकार द्वारा जब छठे वेतन आयोग लागू किया गया हमारे कर्मचारियों को भी उसका लाभ मिले इसलिये माननीया मुख्य मंत्री जी ने देश के किसी भी प्रदेश से आगे निकलकर उन्होंने छठे वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा की थी। सिर्फ घोषणा ही नहीं बल्कि उसे पूरा करने का काम भी किया है और इस कारण से आज प्रदेश के बजट के ऊपर बहुत बड़ा भार आया लेकिन उस भारी भार के बावजूद भी संतुलित बजट व्यवस्था के आधार पर कुशल प्रबन्धन करके हमने प्रदेश की स्थिति को ठीक रखने का कम किया है। और वर्ष 2008-09 के इस वित्तीय वर्ष में आज तक हमें जो अधिकार मिला है प्रत्येक माह में कुछ ज्यादा पैसा भी ले सकते हैं लेकिन उस लाभ को उठाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। हमने कुशल प्रबन्धन करने का काम किया है।

प्रदेश की ऋणग्रस्तता के सम्बन्ध में चर्चा की गई ऋणग्रस्तता का सही आंकलन सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। वर्ष 2006-07 में यह प्रतिशत 45 था जो वर्ष 2009-10 के बजट में 39.8 प्रतिशत अनुमानित है। बजट के आकार के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2006-07 में ऋण ग्रस्तता का 166 प्रतिशत थी जबकि वर्ष 2008-09 में यह 141 प्रतिशत तथा वर्ष 2009-10 में ऋण ग्रस्तता 131 प्रतिशत अनुमानित है। कुछ सदस्यों ने कहा कि 10 हजार करोड़ हम आन्तरित ऋण ले सकते हैं उसका उल्लेख किया कि ऋण नहीं लिया इसके लिये तो बधाई देनी चाहिए कि हमने कुशल प्रबन्धन करके राज्य सरकार को आर0बी0आई0 के वेज एण्ड मीन्स एडवांस को उपयोग करने की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई। इन सबके बावजूद हमने विकास की प्राथमिकताओं से समझौता नहीं किया। राजकोषीय घाटे को उच्चतर स्तर को स्वीकार

किया गया आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों को भी समाप्त करने हेतु एक विवेकपूर्ण स्तर पर राजकोषीय घाटा स्थापित अर्थ नीति का भाग है और इसके आधार पर हमने बजट में उस सीमा तक जिससे विकास कार्य भी न रुकने पाये हमने इस बात की व्यवस्था करने का काम किया। मान्यवर, मैंने बजट भाषण में 41 पृष्ट पर पूर्व में उल्लेख किया है। वर्ष 2008-09 में पुनरीक्षित अनुमानों में 4105.54 करोड़ और वर्ष 2009-10 में राजस्व बचत 1573.19 करोड़ अनुमानित है इस तरह से राजस्व बचत का हमने प्रयास किया है। मान्यवर, आज मैं उल्लेख करना चाहूंगा हमारे कई सदस्यों ने हालांकि इस बात का उल्लेख कर दिया है मुझे उसके लिये बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन बालिकाओं को सम्मान के साथ जीवन का अवसर मिले। बालिका के जन्म को अभिशाप न माना जाय। किसी भी पिता या माता के चेहरे पर मुस्कराहट की जगह दुःख प्रकट न हो इसलिये माननीया मुख्य मंत्री जी ने एक क्रांतिकारी कदम आजादी के बाद पहली बार उठाने का काम किया है। उन्होंने बालिकाओं के लिये इस तरह की एक व्यवस्था की है कि पैदा होते ही उनके नाम से 20 हजार का फिक्स डिपोजिट हो जायेगा जो उसके 18 वर्ष की उम्र के पूरा करते ही मान्यवर, उसको एक लाख रुपये के रूप में मिलेंगे। हमारे माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से चौधरी साहब ने पुलों और सड़कों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया कि हमने इतने सेतु बनाये, हमने इतना किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

हमने जो आपकी योजनाओं की तारीफ की है, इसके लिये धन्यवाद दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

इसके लिये मैं पहले ही आभार प्रकट कर चुका हूं। मान्यवर, 2007-2008 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 5512 नवनिर्माण एवं 2566 चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य स्वीकृत किये गये। पिछले वर्ष से चालू कार्यों की संख्या 14,261 थी, इन स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष 7,859 कार्य पूर्ण किये गये। 2008-2009 में नव निर्माण के 5,188 कार्य, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के 1,471 स्वीकृत हुए। पिछले वर्ष के चालू कार्यों की संख्या 12,950 थी। इस वर्ष में अब तक कुल पूर्ण कार्यों की संख्या 5068 है। 2007-2008 में कुल 80 सेतु पूरे किये गये। 74 सेतुओं के पहुंच मार्ग को पूर्ण करके यातायात के लिये खोल दिया गया। 2008-2009 में 100 पुलों को पूरा करने का लक्ष्य है। जिनके विरुद्ध 50 सेतु पूर्ण हो चुके हैं तथा इन 50 सेतुओं के विरुद्ध 18 पहुंच मार्ग पूर्ण किये जा चुके हैं। वर्तमान में 72 ऐसे सेतु हैं जिनके पहुंच मार्ग निर्माणाधीन हैं और उसे भी मान्यवर, हम जल्दी पूरा करने का काम करेंगे। सिंचाई के बारे में मान्यवर, हमारे लोक दल के सदस्यों ने जब अपनी चर्चा कर रहे थे तो उस पर बड़ा बढ़-चढ़कर उसकी कमियों को और एक माननीय सदस्य ने तो बोलते-बोलते कह दिया कि बीस साल से पानी नहीं आया। उस बीस साल में शक्तिशाली सिंचाई मंत्री नाम मैं नहीं लूंगा, शक्तिशाली सिंचाई मंत्री जिसके सामने हमारे सदस्य लोग शायद बोल पावें उनकी भी सरकार रही, हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया। और इसका उदाहरण है कि 2006-2007 में 4507 करोड़ रुपये सिंचाई मद में था हमने बढ़ाकर 6231 करने का काम किया। स्पेशल कम्पोनेंट की बात आती है, कुछ सदस्यों ने कहा कि अनुसूचित जाति के लिये भी। 2006-2007 के बजट में स्पेशल कम्पोनेंट के लिये जो पैसा था वह 3658 था हमने

उसको 8455 करोड़ रुपये करने का काम किया। बुन्देलखण्ड के लिये हमारे चौधरी साहब कह रहे थे कि 330 करोड़ रुपया। उन्होंने पूरा साहित्य पढ़ा नहीं 505 करोड़ रुपया है पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के लिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप अपना छपा हुआ देख लें। हमको तो जो दिया है वह बताया। जो आपने हमको दिया है, उसमें स्वीकार कर लीजिये कि वह गलत छप गया है।

श्री लालजी वर्मा-

मैं ऑथेंटिक रूप से कह रहा हूं। उसमें गलत नहीं छपा है, उसको और आगे पढ़ेंगे तो उसमें आ जायेगा। मान्यवर, महिला कल्याण और बाल विकास, हमारी माननीय सदस्य गाजीपुर कह रही थीं महिलाओं के बारे में विचार नहीं किया गया है। उसका उल्लेख तो मैं पहले कर चुका। मान्यवर, 1321 करोड़ 2006-07 में था। आज 3 हजार 433 करोड़ रुपया 2009-10 के बजट में है। मान्यवर, प्रदेश का औद्योगिक विकास भी हो, प्रदेश में उद्यमी बाहर से आवें यह सबकी चाहत है। प्रदेश में पर्यटन का विकास हो पर्यटन का उद्योग के रूप में लाभ लिया जा सके इस बात की सबकी चाहत है। जब हम उस दिशा में काम करते हैं तो उंगली भी उठाने का काम करते हैं। मान्यवर, बलिया से दिल्ली तक गंगा एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास के लिये महत्वपूर्ण कार्य है। मान्यवर, 30 हजार से ज्यादा का मान्यवर, निवेश हो रहा है और प्रदेश सरकार को उसके लिये संसाधन भी नहीं जुटाना है केवल उनको सुविधा मुहैया कराना है। अभी चौधरी साहब मुझसे सुबह कह रहे थे कि पांच-छः घंटा बलिया जाने में लगता है। जब गंगा एक्सप्रेस वे बन जायेगा तो बलिया से दिल्ली आठ-नौ घंटे में पहुंच जायेंगे। इतना महत्वपूर्ण कदम इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का, जिस अवस्थापना विकास का हमें माहौल मिलेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से, प्रदेश के वित्तीय संसाधन को भी ध्यान में रखते हुए 1047 किलोमीटर की इस योजना का, जिस पर 23 मार्च, 2008 को अनुबन्ध-पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। यह प्रदेश के औद्योगिक विकास में एक मजबूत कड़ी साबित होगा। विभिन्न अन्य लिंक एक्सप्रेस-वे जो हैं उनके ऊपर भी इसी तरह से कार्य किया जा रहा है। इसी तरह से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सहभागिता से एक लाख 25 हजार 175 करोड़ रुपये की दस परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मान्यवर, बहन कुमारी मायावती जी प्रदेश की मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कार्य किया है कि उन्होंने कृषि किसान की जमीन का जबरन अधिग्रहण न हो, इसके लिये करार नियमावली के तहत अधिग्रहण की व्यवस्था की है। कोई जबरन लेने का काम नहीं किया जायेगा। मान्यवर, गौतमबुद्धनगर जनपद के जेवर में ताज अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिये हमने प्रयास शुरू किया है। माननीय जैन जी कह रहे थे कि बुन्देलखण्ड, तिवारी जी इशारा कर रहे हैं लम्बा खिंच रहा है मैं अपने को सीमित कर रहा हूं। मान्यवर, उस अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बनने पर उत्तर प्रदेश के विकास में चार चांद लगता। हमने प्रस्ताव भेजा है लेकिन लगता है तिवारी जी की चाहत नहीं है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो। इनकी नजर में तो उत्तर प्रदेश का विकास केवल एक जिले तक सीमित है और उस जिले में भी कुछ चन्द ठेकेदारों तक सीमित है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो। फिर मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं, हमारे एक

साथी ने पशुपालन के लिये बात किया था, वर्ष 2009-10 के लिये पशुपालन के लिये 443 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। मान्यवर, मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए, मैं एक बात पुनः दोहराते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जो हमारे महापुरुषों ने इस देश में एक सामाजिक परिवर्तन का काम किया है, अगर हम प्रदेश के विकास के लिये, वर्ष 2006-07 की जब दूसरी पार्टियों की सरकार थी, उससे ड्योढ़ा, दुगुना व्यवस्था कर रहे हैं। अगर हम अपने महापुरुषों, जिन्होंने इस देश के इन्सान को जिसको जानवर के बराबर समझा जाता था, उससे भी दुर्गति जिसकी होती थी, उस इन्सान को इन्सान बनाने का काम किया है, उसके सम्मान में अगर कुछ लगाने की जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः सभी मा0 सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए उनके महत्वपूर्ण सुझावों के लिये उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं, धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 वित्त मंत्री जी ने आज बजट पर अपने उत्तर भाषण में अपना आखिरी वाक्य जहां समाप्त किया, दो-तीन स्पष्टीकरण हैं, इसलिए उनको रखते हुए अपनी बात करूंगा। इन्होंने आखिरी वाक्य में सुझावों के लिये धन्यवाद, इसके लिये उनको धन्यवाद, लेकिन उन्होंने उसमें से कौन से सुझावों को वह स्वीकार करेंगे, किसी एक सदस्य के सुझाव का उन्होंने उल्लेख नहीं किया इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि केवल औपचारिकता के नाते बाद में अपनी बात को जो उसका ऊबड़-खाबड़ हिस्सा था, उसको चिकना करने के लिये एक वाक्य का प्रयोग किया। इस धन्यवाद के लिये उन्हें धन्यवाद। श्रीमन्, जिस वाक्य से उत्तर भाषण शुरू किया, बजट भाषण जिस वाक्य से शुरू किया, उत्तर भाषण जिस वाक्य से समाप्त किया, पत्थरों का मामला है, मान्यवर, दो बातें हैं, इन पत्थरों पर बजट का कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, एक सवाल, उनके लगाने की उपयोगिता कितनी है, नहीं है, दूसरा सवाल है, विकास की योजनाओं को, जनकल्याण की योजनाओं को कितना प्रभावित कर रहे हैं, यह पत्थर, यह अलग सवाल है। मैंने एक बात उठाई थी, अगर आपने उत्तर दिया होता तो आपकी बड़ी कृपा रही होती। मैंने पूछा था कि इन पत्थरों का रेट किस स्तर पर तय हुआ है, अभी तक निश्चित नहीं है। मेरा सुनिश्चित आरोप था, अभी तक आपने नहीं बताया और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि मान्यवर, चुनार से लाये जाने वाले पत्थरों को राजस्थान से लाया जाना दिखाकर डेढ़ सौ रुपये को एक हजार रुपये की रेट पर प्रदर्शित किया जाना, इसको अगर आप गम्भीरता से नहीं लेते हैं और अपनी इस योजना को पूरा करने में कोई छद्म योजना आपकी है कि पत्थरों के नाम पर जो धन ड्रेन आउट हो रहा है, सरकारी कोषागार से उसके लिये कोई आपने दूसरा चैनल बनवा लिया है तो इस पर हम आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे थे, आक्षेप का मामला नहीं था। इस पर आप गम्भीर होइये; चूंकि आपने इस पर कोई उत्तर नहीं दिया, इतना गम्भीर मामला था, मैं समझता हूं कि आप जानबूझकर या तो यह तथ्य इस सदन और इसके माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने नहीं आने देना चाहते या फिर आप इस पर गम्भीर नहीं हैं, जो हो, वह आप अपने लिये उत्तर तय कर लीजिये।

मान्यवर, इन्होंने बार-बार एक बात कही, इन्होंने आंकड़े पढ़े, मैंने पूछा था, कितने पुल पिछले साढ़े तीन साल में बने और कितने पुल आप बनवा रहे हैं, आपने राशि बताई, पुल नहीं बताये। मैं फिर पूछ रहा हूं कितने पूरे थे और कितने पुल अधूरे थे, जब वर्ष 2007-08 में आपको इस कुर्सी पर बैठ करके काम करने का अवसर मिला, उसमें से कितने पुल पूरे हो गये हैं, यह बता दें और कितने पुल इस बीच आप बना रहे हैं ? दूसरा मान्यवर, जब आप वर्ष 2005-06 के बजट से और वर्ष 2006-07 के बजट से तुलना कर रहे हैं, मान्यवर, वार्षिक योजना का आकार, योजना आयोग ने जब 11500 करोड़ रखा था और जब आप 36 हजार करोड़ की बात करेंगे तो तीन गुने से अधिक जब आपके बजट का आकार हो जायेगा और तब आप उन आंकड़ों की तुलना करेंगे कि तीन करोड़ उससे ज्यादा दे दिया, सवा करोड़ उससे और भी ज्यादा दे दिया तो यह बात बड़ी हास्यापद है। इसीलिये उसके अनुपात में और प्रतिशत की बात की थी जिसको आपने चतुराई से छुपा देने का काम किया और इसके अलावा मैंने और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जितनी गम्भीर बातों का उल्लेख किया, माननीय मंत्री जी ने फिर से उत्तर भाषण में आरोप शुरू कर दिया कि आपके राज में क्या होता था। मान्यवर, मैंने कहा था कि आपकी फोरेंसिक लेबोरेटरीज की स्थिति जर्जर है, उसके लिये क्या किया उसके बारे में एक शब्द बोल देते मैं आपका धन्यवाद करता। मैंने कहा था कि नार्को टेस्ट कराने की बात करते हैं, ब्रेन मैपिंग की मशीन आपके यहां धूल खा रही है रैपर नहीं खुला है, आप बता देते कि परसों खुलवा देंगे तो मैं आपको धन्यवाद देता। मैं यह कह रहा था कि इन सारी चीजों के बारे में जो बातें आयी थीं आपने एक का भी उल्लेख नहीं किया है। अब एक ही बात साबित होती है कि अब बजट पर चर्चा समाप्त हो रही है, आपने इन सारी बातों में से एक का भी उल्लेख नहीं किया है। यह बात स्पष्ट हो जाती है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसके अलावा और कोई दूसरा सच और तथ्य नहीं है। मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं दो स्पष्टीकरण चाहता हूं। मान्यवर, इसी बजट भाषण के पृष्ठ-4 पर दिया है कि योजना आयोग द्वारा प्रदेश की वार्षिक योजना का आकार अभी निर्धारित नहीं किया गया है। हमने वर्ष 2009-10 के बजट के निरूपण के लिये अनन्तिम रूप से 36,000 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया है। मान्यवर, सामान्यतः यह होता है कि जनवरी के महीने में ही केन्द्रीय योजना आयोग और यहां से प्लानिंग मिनिस्टर से लेकर जो अधिकारी हैं, वह वहां जाकर के बैठक करके, बातचीत करके आकार तय करते हैं। तो मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह अनन्तिम रूप से तो 36 हजार करोड़ रुपये का परिव्यय यहां पर ले आये। वह लोग हमारे संसाधन देखते हैं कि हम कितने संसाधन बढ़ा पायेंगे। उसी के आधार पर बजट का आकार तय होता है। मान्यवर, एक महत्वपूर्ण मामला है। हम कारण जानना चाहते हैं कि क्या यह समय न मिलने के कारण हुआ है या किसी और कारण से हुआ है कि इसको अभी तक अनन्तिम रूप क्यों नहीं दे पाये हैं। दूसरी बात मान्यवर, जो आपने कहा कि सबने पत्थरों के ऊपर बात कही। हमने पत्थरों के ऊपर कोई बात नहीं कही। हमें उसमें समय भी कम मिला। और आपने कहा कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हिन्दुस्तान में पहली बार यहां महिलाओं को सम्मान देने की योजना लागू की गयी है। मान्यवर, मध्य प्रदेश सरकार ने तीन वर्ष पहले जब वहां की कन्या पैदा होने के बाद 18 साल की होगी तो उन्होंने एक लाख 31 हजार का प्रोवीजन किया है मान्यवर, कर्नाटक की सरकार ने ठीक इसी प्रकार से साइकिल देने का भी काम किया और एक लाख रुपये की व्यवस्था कर्नाटक सरकार ने की है। तो यह पहली बार नहीं हो रहा है। इसलिये जो चीज पहली बार नहीं हो रही है तो उसके साथ पहली बार नहीं जोड़ना चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, स्पष्टीकरण करना चाहें तो करें लेकिन फिर से बजट भाषण पर बोलना ठीक नहीं है। इसमें तो मान्यवर, बहुत समय हो जायेगा। इसलिये मान्यवर, मैं चाहूंगा कि एक-दो स्पष्टीकरण के लिये बोल लें।

श्री अध्यक्ष-

स्पष्टीकरण के लिये उनसे कहा गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कार्यवाही निकलवा कर देख लें। उसमें "सबने" शब्द आया है। आपने कहा कि "सबने" पत्थरों की बात कही है। जब सबने शब्द आया तो मुझे बोलना पड़ा।

श्री लालजी वर्मा-

चलिए मैं उसको संशोधित कर लेता हूं। "सबने" की जगह "अधिकांश" कर लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

और मान्यवर, यह "सबने" शब्द आया है।

(श्री लालजी टण्डन के खड़े होने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने तो संशोधित कर लिया है, "सबने" की जगह "अधिकांश लोग"। बात खत्म हो गयी। अब उस बात को उछालने के लिये माननीय टण्डन जी खड़े हों तो अच्छा नहीं लगता।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, आपसे निवेदन है कि पाषाण युग से इस सदन को मुक्त कराइये। हजारों साल पहले पाषाण युग था अब नहीं, तो पाषाण युग से इसको मुक्त कराइये।

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ उस युग में जाना चाहते हैं, तो क्या किया जाय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बिजली की व्यवस्था क्या प्रदेश में ठीक हो गई ?

श्री लालजी वर्मा

मान्यवर, ऐसा न कीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपने मौका दे दिया इसलिये खड़ा हो गया, मान्यवर, केवल एक बात कह कर बैठ जाऊंगा। मान्यवर, क्या प्रदेश की बिजली की व्यवस्था ठीक हो गयी जो 486 करोड़ पहले साल के मुकाबले में कम कर दिये गये।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो कुछ देर पहले ही माननीय मंत्री जी ने बिजली के बारे में एक घण्टे तक बताया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं सिर्फ दो ही बातों पर स्पष्टीकरण चाहता हूं, एक तो योजना आयोग वाली बात पर और दूसरा बिजली वाली बात पर।

श्री अध्यक्ष-

नहीं अब कोई स्पष्टीकरण नहीं, हां तिवारी जी आप बतायें।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बजट पर बोला भी नहीं था, मैं सिर्फ दो-तीन बातें कह देना चाहता हूं कि मान्यवर, जो दिन में सपने देखें उसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहते हैं। मैं वर्मा जी का नाम आज से मुंगेरी लाल रख दूं अगर तो अतिश्योक्ति नहीं होगा। क्योंकि यह बैठे तो लखनऊ में हैं दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के भाग से छींका टूटने वाला नहीं चुप-चाप बैठे रहो कुछ गड़बड़ी हुई थी तो इसमें आ गये, गलत एक्सीडेंट होते हैं, हो गये, उत्तर प्रदेश मिल गया इसको संभालों। मान्यवर, मैं दो बातें कहना चाहता हूं, मुझे सीधा जवाब चाहिए कि सामान्यतः घरेलू सकल उत्पादन और बजट के बीच में तीन प्रतिशत से ज्यादा का घाटा अगर दिखायेंगे तो मान्यवर, इससे ज्यादा अनुशासनहीनता वित्तीय नहीं हो सकती है। आप के यहां 5.3 हो गया है तो तीन से बढ़कर लगभग दुगुना हो गया है तो मान्यवर, इसके बाद इनके सिर पर खतरा मण्डरा रहा है कि किसी भी केन्द्रीय सहायता के योग्य आप नहीं रह जायेंगे तो अब आइन्दा जब बोला कीजिए तो यह ध्यान रखा कीजिए कि आपने वित्तीय अनुशासन अपना तोड़ दिया है और घरेलू सकल उत्पाद के मुकाबले, तीन प्रतिशत के मुकाबले 5.3 प्रतिशत चले गये, क्या इसमें सुधार का कोई रास्ता आप आगे ढूंढेंगे, एक बात। दूसरा मान्यवर, आपने अभी हवाई अड्डे की बात कही थी कि वह नहीं हो रहा है। मान्यवर, क्या अन्तर्राष्ट्रीय नियम मालूम है आपको कि एक इण्टरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरे इण्टरनेशलल एयरपोर्ट के बीच में दूरी 150 कि0मी0 की होनी चाहिए। जहां आपने प्रस्तावित किया है वहां उसकी दूरी मात्र 50 कि0मी0 है। तो क्या आप अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के विपरीत जा कर दे सकते हैं। मान्यवर, यह दो प्रश्न मैं पूछना चाह रहा था और तीसरी बात मान्यवर, जब आदरणीय लालजी वर्मा जी ने बजट प्रस्तुत किया था तब तक केन्द्रीय बजट नहीं आया था अब केन्द्रीय बजट भी आ गया है इस बीच में तो क्या इसका संज्ञान आप लेंगें कि भारत सरकार ने केन्द्रीय आयकर के माध्यम से मिलने वाले उत्तर प्रदेश के लाभांश की 33 हजार करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है, मान्यवर, 33 हजार करोड़ रुपये बजट

पढ़ा है आपने प्रणव मुखर्जी साहब का, अगर न पढ़ा हो तो बता दें। उसमें जो राज्यांश मिलता है, जो केन्द्रीय कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से उसमें 33 हजार करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है। तो मैं यह कह रहा हूं मान्यवर, उस समय तक आपको 33 हजार करोड़ रुपये नहीं थे, अब आप बजट जब प्रस्तुत किया तब तो नहीं था जब बजट पारित कर रहें हैं तब 33 हजार करोड़ रुपये आपको केन्द्र सरकार से सहायता मिल चुकी है, इसको कहां ले जायेंगें, उसका भी कुछ विवरण यहां पर बता दीजिए। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस 33 हजार करोड़ रुपये को कैसे आप समायोजित करेंगें। अब आपके पास 33 हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त है। मान्यवर, मैं एक सुझाव दिये देता हूं कि इसका उपयोग आप इस प्रदेश की पेयजल समस्या को समाप्त करने पर लगा दें। मान्यवर, सभी विधायकों को पांच-पांच सौ हैंडपम्प दे दिये जायें तो एक हजार करोड़ रु0, दो हजार करोड़ रु0 व्यय भार आयेगा। हम तो केन्द्र से आपको अब पैसा भी दिला रहे हैं और उसके क्रियान्वयन का एक सुझाव भी दे रहे हैं। अब आपके पास पैसा आ गया है। दूसरा, कुछ सड़कों की मद में वहां से पैसा आ गया है। तो इस तरह से आपको करीब 35 हजार करोड़ रु0 मिल गया है। आज बजट का लगभग अंतिम दिन है कल सब पास हो जायेगा और फिर हम सब घर चले जायेंगे। मान्यवर, छठे वेतन आयोग की संस्युतियां प्रदेश में लागू हो गयी हैं। लेकिन हमारे विधान सभा सचिवालय के जो सुरक्षा कर्मी है इनको लोक सभा के सुरक्षा कर्मियों के समान वेतन नहीं मिला है उसमें। उसकी घोषणा इस बजट में क्यों नहीं है इसे आप देखें कि यह अंतर क्यों है। मान्यवर, लोक सभा के सुरक्षा कर्मियों को जो वेतन मिले वह हमारी विधान सभा के सुरक्षा कर्मियों को न मिले, यह अनुचित है। आपकी पाजिटिव विचारधारा है, आप उसके अनुसार इस बारे में यहां जवाब दे देंगे। लोक सभा में सुरक्षा कर्मी वही काम करते हैं जो हमारी विधान सभा के सुरक्षा कर्मी करते हैं तो क्यों न इनका वेतन उनके अनुसार बराबर कर दिया जाय। दूसरी बात यह कहनी है कि पिछली बार आपने बजट की समाप्ति पर विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को 2500.00 रु0 पुरस्कार के रूप में धनराशि दिलायी थी। हमारा अनुरोध है कि उसमें 33 प्रतिशत की वृद्धि करके आप घोषणा कर दें। आप चाहें तो सर्वोच्च स्तर से अनुमति प्राप्त कर लें और कल घोषणा कर दें।

मान्यवर, आज हमने माननीय कुशवाहा जी से भी अनुरोध किया था कि माननीया मुख्य मंत्री जी से बात करके कुछ करवा दें। मान्यवर, आप देखें कि विधान सभा सचिवालय में जो अधिकारी/कर्मचारी हैं उनकी दो रंग की वर्दी दिखाई देती है, कुछ को नहीं मिली है, सबको मिल जाये। मान्यवर, यह सब छोटी-छोटी बातें तो हमें यहां पर रखनी ही नहीं चाहिये थीं, मंत्री जी को चाहिये था कि खड़े होकर कह देते कि हम कर देंगे।

मान्यवर, मैंने माननीय कुशवाहा जी से भी बात की थी कि अब समय आ गया है कि मंहगाई बहुत बढ़ गयी है जो हमारी विधायक निधि है उसमें 33 प्रतिशत की वृद्धि आप करा दें। आप खन्ना जी को डायरी पैन दिलवा दें। मान्यवर, मैं टंडन जी से पूछना चाहता हूं कि आप खन्ना जी के लिये इंतजाम कब तक करेंगे। मान्यवर, माननीय टंडन जी ने तो जितना सुख संभव हो सकता था दुनियाभर का वैधानिक, अवैधानिक सबका सुख उठाया है। (हंसी) और इतना उठाया कि जितने सिर पर बाल थे वह रहने नहीं पाये। (हंसी) यह खन्ना जी और टंडन जी के यहां तो

मामला ठीक हो सकता है टंडन साहब आप इनके लिए कुछ करें। आपने हजारों लोगों की सेवा की अपने मुख्य सचेतक खन्ना साहब की सेवा भी कर दें।

मान्यवर, माननीय वर्मा जी के लिए एक सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, एक कांस्टीपेशन होता है कब्ज होता है और एक मेन्टल कांस्टीपेशन होता है। उसके यह शिकार हैं इनके मुख से अच्छी बात निकलती ही नहीं है। आप इनको अपने पास बिठा लें और समझायें। आप यह सब बजट पास करा लेंगे लेकिन विधायकों को कोई मसाला नहीं मिलेगा तो वह क्या सोचेंगे। मान्यवर, जब हमारी विधायक निधि बढ़ेगी तो हम अपने विधान सभा क्षेत्रों का विकास करेंगे और जब क्षेत्र का विकास करेंगे तो पूरे प्रदेश का विकास हो जायेगा। इसलिए विधायक निधि के बारे में गंभीरता से सोच लें। आप हैंड पम्प हम लोगों को दिला दें और सड़कें दिलवा दें तो हम लोगों का भला हो जायेगा। मान्यवर, कल तक के लिए इन्हें कुछ दवा दे दीजिये ताकि जो मेंन्टल कांस्टीपेशन है वह दूर हो जाये। मान्यवर, एक चीज ध्यान रखियेगा मुझे बताया गया मैं नहीं जानता एक हो तो हम पहचान भी जांय आप जब मिलते हों तो नई किसी की पहचान कह देते हो कि मेरी धर्म पत्नी है। मुझे बताया गया है कि इनकी धर्म पत्नी भी दीर्घा में हैं। तो आज तुम्हारी इज्जत का सवाल है यार, इस उम्र में अगर छोड़कर चली गयीं तो मिलने वाली नहीं हैं दोबारा, मैं बताये दे रहा हूं। मान्यवर, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वित्त मंत्री के रूप में अगर इनकी पत्नी मौजूद हैं तो हम लोगों के लिए नहीं अपनी पत्नी के लिए सही कुछ तो अपनी इज्जत बचा लें, कुछ घोषणा तो यहां कर दें। वर्ना बहुमत तो इनका है ही पारित तो हो ही जायेगा लेकिन मैं चाहता हूं कि यह एक उदार वित्त मंत्री के रूप में जाने जायं। आप सिर हिला रहे हैं तो देर किस बात की। इसलिए कह रहा हूं कि अपने लिये, अपनी घरवाली के लिए अपने सदस्यों के लिए कुछ घोषणा मैं आज माननीय मंत्री जी से चाहता हूं। क्योंकि अगर मैंने इनका कुछ किया तो यह मेरा भी कुछ कर सकते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने मुंगेरी लाल के सपने की बात की। बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल, 1984 को बनी और मान्यवर, बनने के बाद उस समय भी माननीय तिवारी जी और इनकी पार्टी यही बात कहा करती थी और 84 से 2007 में हम यहां पूर्ण बहुमत के साथ बैठे हैं। मान्यवर, उसी तरह से जब केन्द्र की बात कह रहे हैं तो इनकी बात चाहे जितना घुमाफिराकर कहें लेकिन अन्दर बैठकर यह भी स्वीकार करते है कि अगली सरकार केन्द्र में बहुजन समाज पार्टी की बनेगी और बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। मान्यवर, राजकोषीय घाटा का जिक्र किया माननीय तिवारी जी नें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं इनका मित्र हूं इन्होंने कहा कि बगल वाली कुर्सी आपकी रिजर्व हो जायेगी। उधर मत देखना नहीं वहां भी नहीं रहोगे महराज।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। हमारी नेता जहां भी बैठायेंगी वहां हम बैठने के लिए तैयार हैं। उसमें किसी भी तरह से किंचित भी आपत्ति नहीं है। अगर वह

गांव में एक गांव के प्रधान के पद पर बैठा दें तो मैं वहां बैठने के लिए तैयार हूं, घर बैठा दें तो वहां बैठने के लिए तैयार हूं। पार्टी के काम में लगा दे पार्टी का काम करने के तैयार हूं। उंसमें आपकी तरह आपकी पार्टी की तरह हम अनुशासनहीन लोग नहीं हैं, अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। इसलिए मान्यवर, आपके जो नेता उप नेता की बात है वह हमारे यहां कोई परिवार वाद भी नहीं है आपके यहां यह भी होता है कि दिल्ली छोड़ते हैं तो वहां दूसरा कौन बैठता है इसको पूरा देश प्रदेश जानता है। मान्यवर, भारत सरकार में जो राजकोषीय घाटा का जिक्र किया 2008-09 में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 6 प्रतिशत था 2009-10 में 5.5 प्रतिशत और जो माननीय तिवारी जी ने बड़ी चतुराई से 33 हजार करोड़ रुपये का जिक्र किया है मान्यवर, जब प्रदेश का बजट बनता है तो केन्द्र के बजट से हमें क्या अंश मिलेगा जो प्रदेश का है, वह समावेश रहता है। वह कोई अतिरिक्त नहीं मिल रहा है वह पहले से ही समावेश है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जो और बात मैंने कही थी उसमें किसी एक का भी जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

अभी समय है।

श्री प्रमोद तिवारी-

समय है तो आप थोड़ी सी सिफारिश लगा दें।

श्री अध्यक्ष-

अब कहा जायेगा, संतोष रखें। अभी खन्ना साहब को इसी तरह से तंग कर रहे थे। खन्ना साहब हल्का सा पत्र थाम लिये तो मिलजुलकर चलने की आदत आपकी है नहीं, एक तरफ आप चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009

*नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

डा0 राजेन्द्र सिंह जी, अपना संशोधन प्रस्ताव रख दें।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, 2008 में पहले संशोधन आया था और 2009 में वैट में दुबारा संशोधन आया है। वैट के बारे में जो बार-बार संशोधन आ रहे हैं वह इस बात के परिचायक है कि सरकार,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यापारी और यहां तक कि आम आमदी भी दिग्भ्रमित है। व्यापारियों की शंकाओं का समाधान नहीं हो रहा है और सरकार को भी इच्छित राजस्व नहीं मिल रहा है तथा पूरे देश में एक सी कर प्रणाली लागू करने का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, मैं शुरुआत करता हूं धारा 6 की 6 (क) से इसके अन्दर पंजीकृत व्यापारी से भिन्न करापवंचन में किसी व्यक्ति से करार हुई दर पर कर निर्धारित अधिकारी एकमुश्त समाधान धनराशि के रूप में स्वीकार कर सकता है। क्या शास्ति आप कर की धनराशि से तिगुना रखें। इसके अन्दर इन्होंने प्राविधान किया है कि यह राशि उस वस्तु का जो मूल्य होगा जो उसका 40 प्रतिशत तक हो सकती है क्या एकमुश्त समाधान में शास्ति 40 प्रतिशत तक रखेंगे आप, किसी वस्तु के मूल्य का। तो यह तो एक तरह से कारधिकारी को आप एक उस्तरा पकड़ा देते हैं कि यदि वह चाहे तो किसी भी तरह से व्यापारी का गला काट दें। एक तो इसका मैं जवाब चाहता हूं। इसके बाद इसके अन्दर एक धारा है धारा 6 की उप धारा 2 इस उपबंध में उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता। जो वाहन या जलयान में रखे माल को कर निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष प्रकट नहीं करेंगे इसके बारे में मेरा माननीय वाणिज्य कर मंत्री जी से पूछना है कि क्या प्राधिकारी को वाहन या जलयान में रखे कर चोरी के माल को देखने का अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक नाम वैट माल उस माल से बनता है जिसमें कर दे दिया गया था, जिसमें वैट दे दिया गया था और एक उसमें वहीं माल है जिसमें वैट नहीं दिया गया था। जो निर्माण इकाई बिना वैट लिये इस माल को बेचेगी तो उसे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ कैसे देंगे। इसके बारे में मैं क्लियर करना चाहता था। एक और बात यह कहना चाहता हूं कि किसी व्यापारी का पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि निलम्बन हो जाता है और पंजीकरण अधिकारी पंजीयन निरस्तीकरण को समाप्त कर देता है तो निलम्बन की अवधि के लिये उसे पंजीकृत व्यापारी की तरह से व्यवहृत किया जायेगा तो मैं यह पूछना चाहता था कि यदि उस स्थिति में उस पर कोई शास्ति लगाई जाती है या कोई जुर्माना लगाया जाता है तो क्या उसे खत्म करने का प्राविधान करेंगे।

एक और इसकी धारा 26-क है इसमें आकस्मिक व्यापारी के बारे में प्राविधान हैं एक और प्रावधान है कि राज्य से बाहर का व्यापारी जिसका पंजीकरण किसी अन्य राज्य में है इसमें धारा 34 की उपधारा 13 में यह लिखा हुआ है कि राज्य का कोई व्यापारी हमारे यहां व्यापार करता है और उसको अन्तर्राज्यीय व्यापार माना जाता है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब उसकी बिक्री की आवर्त पर कोई कटौती नहीं होगी। तो क्या धारा 26 के आकस्मिक व्यापारी को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक और धारा के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा धारा 40 का, यदि व्यापारी की राशि कर निर्धारित व शास्ति के समायोजन के बाद बचती है और जिस तिथि से वाणिज्य कर विभाग को रि-पेमेंट करना है तो उसमें उन्होंने ब्याज दर 12 प्रतिशत के करीब रखी है लेकिन यही राशि यदि व्यापारी का व्यापार कर विभाग देती है तो उस व्यापारी को 15 प्रतिशत ब्याज देना होगा। मान्यवर, जब सरकार पैसा देगी तो 12 प्रतिशत की ब्याज दर से देगी और व्यापारी से लेगी तो 15 प्रतिशत ब्याज की दर से लेगी, इसको भी जरा दिखवा लें और एक जैसा करने की कोशिश करें। एक और बात थी इसमें धारा-48 की उपधारा-3 है, इसके अन्दर है कि किसी माल का अवमूल्यन यदि 50 प्रतिशत हो जाता है और 50 प्रतिशत अवमूल्यन

पर यदि वह बेच देता है, हम यह पूछना चाहते हैं कि कभी-कभी माल कम दर पर भी बिक जाता है लेकिन आपने कह दिया कि 50 परसेंट अवमूल्यन कर दिया जो आपके ऊपर तीन गुना वाणिज्य कर लगा दिया जायेगा या जो उसका मूल्य है उससे 40 प्रतिशत के करीब शास्ति वसूल की जायेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर उस पर शास्ति लगायें तो पहले उस अवमूल्यन का मूल्यांकन कर लें और सक्षम प्राधिकारी देख ले कि वास्तव में अवमूल्यन नीयत खराब के कारण से हुआ है या किसी नेचुरल कारण से हुआ है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि वैट जिस जगह पर लगा हो वहां पर एंट्री टैक्स न हो, मण्डी शुल्क न लगे और विकास दर न लगे। दो तीन चीजों के बारे में मैं और कहना चाहता हूं कि यह जो ट्रैक्टर है जो हाथ से बने जूते हैं जो हैंडीक्राफ्ट, मार्बल, संगमरमर की बनी चीजें हैं डीजल है, ईंधन है, मशीनरी है, इसमें जीरो परसेन्ट टैक्स करने की कृपा करें। एक चीज और है कि एक जुलाई से 31 दिसम्बर, 2008 तक खरीदे गये स्टॉक पर आपने आई0टी0सी0 का लाभ का वायदा किया गया था लेकिन मान्यवर, विभाग उनसे इतने साक्ष्य मांगता है कि वह आई0टी0सी0 का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। एक और चीज है पेट्रोल टैक्स आपने 26.75 प्रतिशत रखा है और डीजल पर आपने 17.13 प्रतिशत रखा है, मेरा आपसे निवेदन है कि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने यह टैक्स आपसे कम रखा गया है और इन टैक्सों को आप यहां भी कम करने की कोशिश करें। "मोर बिजनेस और लेस प्रॉफिट". इसके ऊपर चलने की कोशिश करें।

उत्तर प्रदेश राज्य कर परिषद् में उत्तर प्रदेश के बड़े स्वरूप को देखते हुए व्यापार संघ से आप कम से कम चार आदमी तो ले लें, चार जगहों से पश्चिम से बुन्देलखण्ड से पूर्व से बीच से आशा है चार आदमी लेने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है कि अभी इसमें और भी संशोधन आने हैं इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इसे तो आप एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें जो कि अपना प्रतिवेदन एक महीने के अन्दर दे दे नहीं तो आपको बार-बार संशोधन लाने पड़ेंगे और बार-बार संशोधन लाने से बढ़िया है कि एक महीने के अन्दर समेकित प्रतिवेदन आ जायें और उसके बाद आप इसे लागू करें, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री नकुल दुबे-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि मा0 सदस्य मुझे धन्यवाद देंगे क्योंकि आज आप जितने भी संशोधन लाये हैं, उसके बारे में मैं बता दूं कि यह जो वैट ऐक्ट जो 01 जनवरी, 2008 को लागू हुआ है। चूंकि आयरन लेडी यहीं पर हैं इसलिये जितने ताकतवर काम हैं उनको बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। चूंकि देश के प्रत्येक प्रदेश से स्पर्धा में हम कहीं पीछे नहीं रहना चाहते हैं, इसलिये भले ही अन्य सरकारों में वैट लगाने की ताकत नहीं बन पायी लेकिन हम व्यापारियों के साथ पारदर्शिता करना चाहते हैं उन्हें पूरा लाभ देना चाहते हैं और उनको देश की प्रतिस्पर्धा में नम्बर-1 पर रखना चाहते हैं, इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने वैट ऐक्ट लागू किया है। जहां तक संशोधन का सवाल है तो चूंकि कुछ कठिनाइयां आयीं, कुछ लोगों के सुझाव आये, व्यापारियों से सलाह-मशविरा किया गया जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहला नम्बर आप लेंगे। मैं सोचता था कि पहले आप धन्यवाद देंगे, मुझे बधाई देंगे कि ट्रांसपोर्टर्स का आपने अलग कर दिया, यह आपने अच्छा किया लेकिन आपने नहीं कहा इसलिये मुझे दुख हुआ। मैं जानता हूं कि आप

कहना चाह रहे हैं लेकिन कहेंगे नहीं। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य की एक चिन्ता यह भी है कि जो अपेक्षित संग्रह है वह नहीं मिल पा रहा है, तो मैं मा0 सदस्य के संज्ञान में ला दूं कि वर्ष 2007-2008 में नवम्बर के महीने में 1183.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया गया है। 2008-2009 में नवम्बर के महीने में 1488.09 करोड़ रुपये है तो कि 25.76 प्रतिशत वैट लगाने के बाद ज्यादा है। 2007-2008 के दिसम्बर महीने में यह संग्रह 1250.58 करोड़ रुपये था और इस बार यह 1506.65 करोड़ रुपये है जो 20.48 प्रतिशत अधिक है। जनवरी महीने में 2007-2008 का कलेक्शन 1303.08 करोड़ रुपये था इस बार यह 1564.67 करोड़ रुपये है जो कि 18.53 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार से जहां संशोधनों का सवाल है। मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि जो भी हम प्राविधान ला रहे हैं, चाहे ट्रांसपोर्टर के बारे में, चाहे इनपुट टैक्स के बारे में है। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि कुछ जगहों पर यह सूचना मिली थी कि लोगों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये संव्यवहार, अन्तरण केन्द्र संव्यवहार किया, किसी ने अपनी गाड़ी किसी सरकारी संस्थान में लगा दिया और लगाने के बाद जो उनको धनराशि मिली उस पर भी उन्होंने आईटीसी क्लेम करना शुरू कर दिया। वाणिज्य कर विभाग ने यह निर्णय लिया कि इस तरह के जहां भी ट्रांजेक्शन्स हो उनको हम लोग आईटीसी का लाभ नहीं देंगे। जहां तक ऊर्जा, इस पर मैं आपसे बधाई की अपेक्षा कर रहा था कि ऊर्जा में जो पावर प्रोजेक्ट इण्डस्ट्रियल यूनिट्स हैं 1000 करोड़ रुपये तक के, इनके सारे इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को कर से मुक्ति देने का निर्णय लिया है। जहां तक अन्य धाराओं का सवाल है, धारा-6 में हम लोगों ने यह निर्णय ले लिया है कि जहां भी 50 लाख रुपये से कम का ट्रांजेक्शन्स है वहां पर समाधान योजना का लाभ लाये हैं। आपने देख लिया होगा, धारा-6 में शुरू में ही पहला प्राविधान था कि 50 लाख रुपये के ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको समाधान योजना के माध्यम से लाभ दिया जायेगा।

अन्य धाराओं में जहां तक प्रश्न है चाहे वह धारा-13 हो, चाहे धारा-17 हो, चाहे 22, 23, 26ए, 33, 40, 40ए, 41 हो इन सभी धाराओं में आपके माध्यम से मा0 अध्यक्ष जी, अवगत कराना चाहता हूं कि इन सभी प्राविधानों के माध्यम से हम लोगों ने चाहे वह पंजीकृत या अपंजीकृत व्यापारी हों, दोनों जगह के व्यापारियों को एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उनको उनके ट्रांजेक्शन्स में, व्यापार करने में सहयोग प्रदान करने का कार्य किया है और उस सहयोग के माध्यम से वाणिज्य-कर विभाग में भी, उनका कोई उत्पीड़न, शोषण होता है उसको रोकने के लिये सम्पूर्ण प्रदेश को कम्प्यूटर ऑन लाइन कर दिया है, यह भी आपके संज्ञान में होगा। चाहे आगरा का सिस्टम हो, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, लखनऊ हो सब जगह एक क्लिक पर वाणिज्य कर विभाग के डिटेल्स मिल जायेंगे। जो भी टैक्स जमा करेंगे, जो भी आई0टी0सी0 क्लेम होना है वह उसी पर आ जायेगा और उसके हिसाब से आपको सुविधायें मिल जायेंगी। मा0 अध्यक्ष जी, जहां तक अन्य प्राविधानों का सवाल है चाहे सेण्ट्रल सेटिलमेण्ट कमीशन का प्रकरण हो, चाहे वह धारा-64-65 का प्रश्न हो, इन सभी धाराओं के माध्यम से मूल्य सम्वर्धित कर संशोधन विधेयक, 2009 के माध्यम से इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को भले ही 2008 में इसको एडाप्ट किया है। हम चाहते हैं कि 2009-10 के बीच में वैट ऐक्ट के प्रत्येक प्राविधान को इस तरह से व्यापारियों के बीच में

ले आयें। व्यापारियों का हमें अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है और उसी सहयोग का नतीजा है कि हम लोग, अभी एक मा0 सदस्य चिन्ता कर रहे थे, असीम दास गुप्ता जी का जिक्र कर रहे थे, असीम दास गुप्ता जी, उनको यही बड़ी चिन्ता है कि आखिर इस मंदी के दौर में उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा कार्य हो रहा है जिसमें कि यहां का व्यापारी सबसे अच्छा टैक्स कलेक्शन करके, हर जगह तो घाटे में जा रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश कभी 25 प्रतिशत, कभी 20 प्रतिशत कलेक्शन दिखाता है और हम लोगों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह जो 33 हजार करोड़ रुपया आ गया है राज्यांश, अभी तक नहीं मिल रहा था, हम लोग बहुत चिल्ला रहे थे लेकिन जब हमने अपनी पारदर्शिता दिखायी और यह ऐक्शन दिखा दिया कि हम लोग पूरी दृढ़ता के साथ वैट ऐक्ट अन्य प्रदेशों की भांति प्रदेश मे सफलतापूर्वक लागू करने में कामयाब हो गये हैं इसके माध्यम से यह 33 हजार करोड़ रुपये का राज्यांश हमारे बीच में आया। मैं बहुत अधिक न कहते हुए यही कहना चाहता हूं कि इसमें कोई भी ऐसा प्राविधान नहीं है, जिन-जिन प्राविधानों के बारे में जो-जो सुझाव दिये हैं, उसको कंठस्थ कर लिया है, अपने दिमाग में रख लिया है। आगरे के मार्बल्स के बारे में आपकी चिन्ता है, डीजल, पेट्रोल के बारे में चिन्ता है। हम लोगों ने अपने प्रदेश की, आपने देखा होगा कि जब सम्पूर्ण देश मे टैक्स रेट बढ़ा, चाहे डीजल या पेट्रोल पर, लेकिन हमारी माननीया मुख्य मंत्री जी ने उसको कम करने का कार्य किया इसलिये जब हम लोग हर जगह कम हुआ तो हम लोगों ने उतना एडिशनल लेना शुरू किया लेकिन उसका भी लोगों ने बेनीफिट उठाया। आपने जो सुझाव दिये हैं उन सुझावों पर भी निश्चित रूप से मैं विचार करूंगा और निर्णय करने का भी प्रयास करूंगा। माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपको लगे कि हमारा प्राविधान गैर कानूनी है या जिसके लागू होने से व्यापारी को असुविधा है तो उसको इंगित करने का काम करें।

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले लें और इसे सर्वसम्मति से पास होने दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा0 राजेन्द्र सिंह-

नहीं।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-34 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) धारा 2 का खण्ड (घ) और (ङ); धारा 3, धारा 5 और धारा 6; धारा 8 का खण्ड (च), (छ) और (ज); धारा 10, धारा 11 का खण्ड (क), धारा 14, धारा 16 द्वारा अन्तःस्थापित मूल अधिनियम की उपधारा (17), धारा 17, धारा 18, धारा 22, धारा 24, धारा 29 और धारा 34, दिनांक 01, जनवरी 2008 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा शेष उपबंध तुरन्त प्रभावी होंगे।

2-उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,- उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 05 सन् 2008 की धारा 2 का संशोधन

(क) खण्ड (ज) में, उप-खण्ड (नौ) और (दस) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"(नौ) रेल आधान संविदाकार; वायु जहाजी माल संचालक (एयर कार्गो आपरेटर); कूरियर सर्विस प्रोवाइडर, जो पारेषक या पारेषिती का नाम एवं पूरा पता प्रकट करने में विफल होता है या पारेषक या पारेषिती का ऐसा प्रकटित नाम या पता मिथ्या, कूटरचित या असत्यापनीय पाया जाता है, या वाहन स्वामी या वाहन प्रभारी, जिसने प्रवेश जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी से माल के पारगमन हेतु प्राधिकार-पत्र प्राप्त किया है परन्तु निर्गमन जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी को सौंपने में असफल रहा हो;

(दस) उपखण्ड (नौ) में संदर्भित परिवहन कर्ता से भिन्न, गोदाम, शीतगृह या वेयर हाउस के स्वामी या प्रभारी जो वाणिज्यिक वस्तुओं का भण्डारण करते हों।"

(ख) खण्ड (त) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा अर्थात् :-

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी वस्तु के उपयोग के अधिकार के अन्तरण के मामले में संदत्त या संदेय कर इनपुट कर का भाग नहीं होगा।"

(ग) खण्ड (क घ) में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (चार) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"(पाँच) प्रभारित या प्रभार्य कर, विक्रय मूल्य का अंश नहीं होगा।

(छः) विक्रय के समय नकद या व्यापारिक छूट, जैसा कि बीजक से सुव्यक्त हो, विक्रय मूल्य से घटा दिया जाएगा परन्तु कोई कार्योत्तर प्रदान की गई छूट या प्रोत्साहन या छूट (रिबेट) या पारितोषिक और इसी प्रकार की कोई छूट विक्रय मूल्य से नहीं घटायी जायेगी।"

(घ) खण्ड (क छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

"(क छ) "कर" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन समाचार पत्र को छोड़कर माल की खरीद या बिक्री या दोनों जैसी भी स्थिति हो, पर उदग्रहणीय कर से है और इसमें सम्मिलित रहेगा,-

(एक) बिक्री आवर्त पर देय वास्तविक कर के स्थान पर धारा 6 या धारा 6क के प्रावधानों के अधीन संदेय, यथास्थिति सहमति दर से या एकमुश्त, समाधान राशि;

(दो) उत्क्रमित इनपुट टैक्स की धनराशि"

(ङ) खण्ड (क ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

"(क ज) "कराधेय व्यवहारी" का तात्पर्य ऐसे व्यवहारी से है जो इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान का दायी हो।"

(च) खण्ड (क न) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

"(क न) "वेबसाइट" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग के वर्ल्ड वाईड वेब से है, जिसमें "यूपी. एनआईसी. आईएन" और "एचटीटीपी ://कामटैक्स. यूपी. एनआईसी. आईएन" पता है अथवा ऐसे अन्य वेबसाइट से है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए;"

धारा 3 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 में,-

(क) उपधारा (3) की सारिणी के क्रमांक 8 में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्तम्भवार रख दी जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम संख्या	व्यापारियों का वर्ग	दिनांक
8	(एक) रेल आधान संविदाकार, वायु जहाजी माल संचालक, कूरियर सर्विस प्रोवाईडर जो पारेषक या पारेषिती का नाम एवं पूरा पता उद्घाटित करने में विफल हो जाए अथवा पारेषक या पारेषिती का ऐसा उद्घाटित नाम या पता मिथ्या, छलपूर्ण या पुष्टेनीय न पाया जाय या वाहन स्वामी या वाहन प्रभारी जिसने प्रवेश जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी से माल के पारगमन हेतु प्राधिकार पत्र प्राप्त किया है परन्तु निर्गमन जांच चौकी के प्रभारी अधिकारी को उसको प्रदान करने में विफल रहा हो, (दो) उपखण्ड (एक) के अधीन आच्छादित परिवहनकर्ता को छोड़कर परिवहनकर्ता से भिन्न गोदाम, शीतगृह या वेयर हाउस के स्वामी या प्रभारी जो ऐसे गोदाम, शीतगृह या भण्डारागार में ऐसी रखी गयी कर योग्य वस्तुओं के स्वामी का नाम और पता उद्घाटित करने में विफल होता है अथवा कर योग्य वस्तुओं के स्वामी का उद्घाटित ऐसा नाम और पता मिथ्या, छलपूर्ण या अपुष्टनीय पाया जाता है।	प्रथम दिनांक जिसको कोई कराधेय माल कब्जा या अभिरक्षा में पाया जाए।

(ख) उपधारा (4) में, अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :--

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई व्यवहारी कर निर्धारण वर्ष के किसी भाग में कारबार करता है वहां, कराधेय मात्रा रुपये पांच लाख की आंशिक धनराशि होगी जिसकी गणना आनुपातिक आधार पर की जाएगी तथा इस हेतु माह के भाग को सम्पूर्ण माह गिना जाएगा।"

(ग) उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:--

"(11) ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी विहित की जाय, राज्य सरकार किसी विद्युत परियोजना औद्योगिक इकाई, जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, पारेषण और वितरण करती हो तथा जिसकी समुच्चय पूंजी लागत रु० 1000 करोड़ या उससे अधिक हो, को व्यवहारियों द्वारा उस इकाई को की गयी ऐसी बिक्री पर होने वाले कर दायित्व को स्वयं लेने हेतु अनुमति दे सकती है।"

4--मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3) में शब्द "संग्रह करने का हकदार नहीं है" के स्थान पर शब्द "संग्रह करने का हकदार नही है या हकदार होने पर संग्रह नहीं किया है" रख दिये जायेंगे। धारा 4 का संशोधन

धारा 5 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में,–

(क) शब्द "किसी कराधेय माल" के स्थान पर शब्द "किसी कराधेय" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (एक) में, शब्द "से भिन्न" के स्थान पर शब्द "से भिन्न माल" रख दिये जायेंगे;

(ग) शब्द "कर का भुगतान करने का दायी होगा" के स्थान पर शब्द "उद्ग्रहीत कर का भुगतान करने का दायी होगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 6 में,–

(क) उपधारा (1) में प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"प्रतिबन्ध यह है कि संकर्म संविदा के निष्पादन करने वाले व्यवहारी से भिन्न व्यवहारी जो राज्य के भीतर केवल पंजीकृत व्यवहारी से क्रय किये गये माल की प्रान्त में पुनः बिक्री करता है और किसी कर निर्धारण वर्ष में जिसका ऐसे माल के विक्रय का आवर्त 50 लाख रुपये से अधिक न होता हो, या उसका आवर्त कर निर्धारण वर्ष के पूर्वगामी कर निर्धारण वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक न हुआ हो तो राज्य सरकार ऐसे माल के विक्रय पर दर प्रतिशत अधिसूचित कर सकती है। विभिन्न मालों के लिए विभिन्न दरें अधिसूचित की जा सकती है।"

(ख) उपधारा (2), (3) एवं (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी अर्थात् :–

"(2) इस धारा के अन्तर्गत समाधान राशि भुगतान करने का विकल्प लेने वाला व्यवहारी माल की खरीद पर समाधान अवधि में पुनः बिक्री करने पर या ऐसी निर्मित या प्रसंस्कृत वस्तु जिसकी बिक्री समाधान अवधि में की गई है, के निर्माण या प्रसंस्करण में प्रयोग या खपत की गई है, धारा 13 के अधीन देय इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा प्रस्तुत करने का पात्र नहीं है और जहाँ व्यवहारी ने ऐसी खरीद पर इनपुट टैक्स का दावा कर लिया है वहाँ व्यवहारी धारा 14 के प्राविधानों के अनुसार उत्क्रमित इनपुट टैक्स की धनराशि का भुगतान करेगा।

(3) इस धारा के अधीन समाधान राशि भुगतान का विकल्प लेने वाला व्यवहारी कर बीजक जारी नहीं करेगा और भिन्न नाम या रूप में इस हेतु कोई धनराशि क्रेता से वसूल नहीं करेगा।

(4) इस धारा के अधीन समाधान राशि का विकल्प लेने वाले व्यवहारी से माल की खरीद करने वाला व्यवहारी ऐसी खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का पात्र नहीं है।"

(ग) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

"(5) उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन समाधान राशि के भुगतान का विकल्प देने वाले व्यवहारी का जहाँ विक्रय आवर्त रुपये पचास लाख से अधिक होता है तो वह उस दिन को और जब से विक्रय आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक हो जाय, उपधारा (4) में प्राविधानित दर से कर के भुगतान का दायी हो जायेगा।

स्पष्टीकरण :– उपधारा (1) एवं (5) के प्रयोजनार्थ जहाँ व्यवहारी किसी कर निर्धारण वर्ष के किसी भाग में व्यवहार करता है तब कराधेय आवर्त की गणना रुपये पचास लाख वार्षिक आवर्त के अनुपातिक आधार पर की जायेगी तथा इस हेतु माह के भाग को सम्पूर्ण माह गिना जायेगा।"

नई धारा 6-क बढ़ाया जाना शास्तियों का शमन

7–मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात्:–

"6-क (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, परन्तु कमिश्नर के निदेशों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अन्तर्गत सन्देय अथवा अधिरोपणीय कर या शास्ति के बदले में, कर निर्धारक अधिकारी पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न किसी व्यक्ति से करार हुई दर पर या एकमुश्त समाधान धनराशि के रूप में स्वीकार कर सकता है, जहाँ कोई व्यक्ति –

(क) करापवंचन के उद्देश्य से –

(एक) ऐसे माल; या:

(दो) ऐसे माल या का प्रयोग करके विनिर्मित या प्रसंस्कृत या पैक किये माल की बिक्री पर धारा 50 या धारा 51 के प्राविधानों के विपरीत आयात, या आयात का प्रयास या आयात का दुष्प्रेरण करता है, या

(ख) किसी कर योग्य माल का इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करके परिवहन करता है, या परिवहन का प्रयास करता है; या

(ग) करयोग्य माल को वाहन या जलयान में ढोता है और ऐसा माल कारबार के सामान्य क्रम में रखे गये लेखों, रजिस्टरों एवं अन्य दस्तावेजों में नहीं दर्शाया गया है,

इस अधिनियम के किसी भी उपबन्धों के अधीन अन्तर्ग्रस्त कर की धनराशि से कम धनराशि नहीं परन्तु ऐसे कर की धनराशि के तीन गुने या माल के मूल्य का चालीस प्रतिशत से अनधिक, जो भी अधिक हो।

(2) उपधारा (1) के उपबंध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जो वाहन या जलयान में रखे माल को कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष प्रकटित नहीं करते।

(3) कोई व्यक्ति जिसने उपधारा (1) के अन्तर्गत करार पर निर्धारित दर पर या एकमुश्त समाधान धनराशि जमा कर दी है, उसके लिए उसी वस्तु हेतु –

(क) धारा 24 के अन्तर्गत कर अवधि हेतु विवरण पत्र दाखिल करना;

(ख) अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करना;

(ग) अधिनियम के किसी उपबंध के अन्तर्गत कर निर्धारित होना; और

(घ) धारा 3 के अन्तर्गत कर का दायी होना; आवश्यक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजनार्थ अधिनियम की धारा 45 और 48 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत या जांच चौकी पर तैनात वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न स्तर का अधिकारी कर निर्धारक प्राधिकारी में सम्मिलित होगा।

धारा 13 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 13 में,–

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (क) में सारिणी में क्रमांक 3 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार प्रतिस्थापित कर दी जाएंगी, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)
"3	यदि क्रय किये गये माल– (एक) विक्रय के परिणाम से भिन्न राज्य के बाहर अन्तरित या पारेषित किया जाए; या (दो) गैर वैट माल के सिवाय किसी कराधेय माल के विनिर्माण में प्रयोग किये जाएं और ऐसे विनिर्मित माल को, विक्रय के परिणाम से भिन्न, राज्य के बाहर अन्तरित या पारेषित किया जाए।	इनपुट टैक्स की आंशिक धनराशि जो क्रय मूल्य के चार प्रतिशत से अधिक है जिस पर व्यवहारी द्वारा पंजीकृत विक्रेता व्यवहारी या राज्य सरकार को कर दिया गया है।"

(ख) उपधारा (1) में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"**स्पष्टीकरण** :– इस उपधारा के प्रयोजनार्थ,–

(क) माल के पुनः विक्रय में सकर्म संविदा के निष्पादन में माल के स्वामित्व का अंतरण (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) सम्मिलित है।

(ख) माल के निर्माण हेतु आवश्यक वस्तु में कैप्टिव पावर प्लान्ट को चालू रखने के लिए आवश्यक माल सम्मिलित नहीं है।"

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(3) (क) जहाँ क्रय किये माल का प्रयोग या निस्तारण उपधारा (क) में या अन्यथा विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए आंशिक रूप से हो, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा और अनुमन्यता उसी सीमा के अनुपात में होगी जिसमें वे ऐसे खण्ड में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयोग या निस्तारित किए जाते हैं।

(ख) इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन जहाँ वैट माल के विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान उप-उत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद के अतिरिक्त कर मुक्त माल और नान-वैट माल का उत्पादन होता है वहां इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा और अनुमन्यता उस सीमा के अनुपात में होगी जिसमें करमुक्त माल और नान-वैट माल से भिन्न माल के विनिर्माण में प्रयोग या खपत में होती है।

स्पष्टीकरण :–इस उपधारा के प्रयोजनार्थ "करमुक्त माल में, नान-वैट माल से भिन्न, वह कर योग्य माल भी सम्मिलित होगा जिसका राज्य के भीतर की गयी बिक्री, या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान की गयी बिक्री या भारत की सीमा के बाहर माल के निर्यात के दौरान की गयी बिक्री या राज्य के बाहर की गयी बिक्री से भिन्न अन्य रीति से निस्तारण किया गया है।"

(घ) उपधारा (4) के अन्त में विद्यमान शब्द "उसके द्वारा देय कर" के स्थान पर शब्द "उसके द्वारा देय कर और वह क्रय के करयोग्य आवर्त पर जमा कर का प्रमाण रखता हो" रख दिये जायेंगे।

(ङ) उपधारा (7) में उपखण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात :–

"(तीन) ऐसा माल ऐसे माल के उपयोग के अन्तरण हेतु है।"

(च) उपधारा (9) को खण्ड (क) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जायेगा तथा इस प्रकार पुनः क्रमांकित खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(ख) जहां सकर्म संविदा का आंशिक निष्पादन उप संविदाकार द्वारा किया जाता है वहां सकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्ग्रस्त सामग्री के क्रय के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि का दावा संविदाकार या उप संविदाकार, जैसी स्थिति हो, द्वारा क्रय किये गये माल, जिसका वास्तव में सकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयोग किया गया हो, की सीमा तक संविदाकार या उप संविदाकार द्वारा किया जाएगा और अनुज्ञेय होगा।"

(छ) उपधारा (11) के परन्तुक में शब्द "अध्यादेश" के स्थान पर शब्द "अधिनियम" रख दिया जाएगा।

(ज) स्पष्टीकरण में,–

(एक) शब्द और अंक "स्पष्टीकरण (1)" के स्थान पर शब्द "स्पष्टीकरण" रख दिया जाएगा।

(दो) खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:–

"(चार) यदि किसी वैट माल की निर्माण की प्रक्रिया में उप-उत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद के रूप में नॉन वैट माल उत्पादित होता है तो यह माना जाएगा कि क्रय की गई वस्तु का प्रयोग वैट माल के विनिर्माण में हुआ है, इसी प्रकार नॉन वैट वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया में कोई वैट माल उप-उत्पाद या अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्पादित होता है तब यह माना जाएगा कि उस वस्तु का प्रयोग नॉन वैट माल के विनिर्माण में हुआ है।"

धारा 15 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 15 में उपधारा (3) में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"प्रतिबंध यह है कि व्यवहारी जिनका मुख्य कारबार भारत की सीमा के बाहर निर्यात के दौरान माल की बिक्री करने का है के मामले में, कर निर्धारक प्राधिकारी धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी कर अवधि की इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक धनराशि का अस्थायी वापसी अनुज्ञात करेगा।"

धारा 17 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 17 में,–

(क) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात्:–

"(5) (क) प्रत्येक व्यवहारी जो पूर्ववर्ती अधिनियम के अन्तर्गत जारी वैद्य पंजीकरण प्रमाण पत्र धारित करता है और इस अधिनियम के अन्तर्गत कर का दायी है, वह पंजीकरण प्राधिकारी या कर निर्धारक प्राधिकारी, जैसी स्थिति हो, को 01 जनवरी, 2008 से पन्द्रह माह की अवधि के भीतर विहित रीति से विहित प्रारूप में ऐसे प्रमाण पत्र की इस अधिनियम में वैधता के सम्बन्ध में ऐसे प्राधिकारी द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आवेदन देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि पंजीकरण या कर निर्धारक प्राधिकारी जैसी स्थिति हो, संतुष्ट है कि विहित प्रारूप एवं रीति में उक्त वर्णित अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण विद्यमान है, तो वह रुपये 500/– प्रतिमाह या उसके भाग के हिसाब से विलम्बित अवधि हेतु जमा विलम्ब शुल्क के साथ व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पर एक माह से अनधिक अवधि तक बढ़ा सकता है।

(ख) पूर्ववर्ती अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र धारण करने वाला व्यवहारी यदि विहित प्रारूप में विहित रीति से खण्ड (क) में सन्दर्भित अवधि के भीतर कर निर्धारक प्राधिकारी या पंजीकरण प्राधिकारी को इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण–पत्र के वैधीकरण और जारी करने हेतु आवेदन करने में विफल होता है तो पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रभावहीन हो जायेगा।"

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"6 (क) कोई रेल आधान संविदाकार वायु जहाजी माल संचालक, कूरियर सर्विस प्रोवाईडर या ट्रान्सपोर्टर के अतिरिक्त गोदाम, कोल्ड स्टोरेज या भण्डारगार का कोई स्वामी या प्रभारी जो वाणिज्यिक वस्तुओं का भण्डारण करता है, पंजीकरण प्राधिकारी के यहां ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, बिना पंजीकृत हुए राज्य में कर योग्य माल से संबंधित माल का कारबार नहीं करेगा। ऐसे कारबार का संचालक विहित अवधि के भीतर अपने पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्राधिकारी को विहित रीति से आवेदन करेगा।

(ख) ट्रान्सपोर्टर या कैरियर को छोड़कर, रेल आधान संविदाकार, वायु जहाजी माल संचालक, कूरियर सर्विस प्रोवाईडर, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज या भण्डारगार का कोई स्वामी या प्रभारी जो वाणिज्यिक वस्तुओं का भण्डारण करता है, ऐसे अभिलेख रखेगा जैसे विहित किये जाए।

(ग) दि कैरिज बाई रोड अधिनियम, 2007 से आच्छादित प्रत्येक ट्रान्सपोर्टर या कैरियर ऐसी सूचनाएं और दस्तावेज जैसे विहित किये जायें, कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।"

(ग) उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात :–

"(9) उपधारा (5) के उपबन्धों के अध्यधीन पूर्ववर्ती अधिनियम के अन्तर्गत जारी और इस अधिनियम के अन्तर्गत वैध रूप से धारित पंजीयन प्रमाण-पत्र इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से प्रभावी होगा।"

(घ) उपधारा (13) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(13) उपधारा (12) के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र के निलम्बन की अवधि में व्यवहारी अपंजीकृत व्यवहारी माना जायेगा। यदि पंजीकरण अधिकारी पंजीयन निरस्तीकरण की प्रक्रिया को अभिलिखित आदेश करते हुये स्वयं समाप्त कर देता है या पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पारित निलम्बन का आदेश किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा अपास्त कर दिया जाता है तो व्यवहारी को निलम्बन की उस अवधि के लिये पंजीकृत व्यवहारी व्यवहृत किया जायेगा।"

(ङ) उपधारा (14) में, स्पष्टीकरण (एक) में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन अधिरोपणीय" रख दिया जायेगा।

धारा 21 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 21 में,–

(क) उपधारा (2) के परन्तुक में शब्द "दस लाख" के स्थान पर शब्द "पचीस लाख" रख दिया जायेगा।

(ख) उपधारा (13) में, खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(घ) धारा 6 के अधीन समाधान धनराशि के भुगतान का विकल्प करने वाले व्यवहारी के प्रकरण में,–

(एक) धारा 6 के अधीन प्राविधान लागू होने की तिथि में आरम्भिक रहतिए में धारित माल और

(दो) धारा 6 के प्राविधान निष्प्रभावी होने की तिथि में आरम्भिक रहतिए में धारित माल"

(ग) उपधारा (16) में परन्तुक निकाल दिया जायेगा।

(घ) उपधारा (17) में स्पष्टीकरण में खण्ड (तीन) का निकाल दिया जायेगा।

12–मूल अधिनियम की धारा 22 में,– धारा 22 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में,

(क) शब्द "कर या एक मुश्त" के स्थान पर शब्द "समाधान धनराशि" रख दिये जायेंगे।

(ख) "विहित प्रपत्र में और विहित रीति में एक कर बीजक जारी करेगा जिसमें ऐसे विवरण संलग्न होंगे जो विहित किये जायें" के स्थान पर शब्द "ऐसा कर बीजक जारी करेगा जिसमें ऐसी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होगी जैसी विहित की जायं और इसमें माल क्रय करने वाले व्यक्ति का नाम, पूरा पता और कर दाता पहचान संख्या, यदि कोई हो, सम्मिलित होगी" रख दिये जायेंगे।

(ग) दोनों परन्तुक निकाल दिये जायेंगे।

(ख) (क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी अर्थात :–

"(3) उपधारा (1) में प्राविधानित व्यवहारी को छोड़कर सभी व्यवहारी क्रेता को विक्रय बीजक विहित रीति से जारी करेगा और इसमें ऐसी विशिष्टियां जैसी विहित की जाए, निहित होंगी।

स्पष्टीकरण :– इस उपधारा में विक्रय बीजक का तात्पर्य बिल बीजक, कैश/क्रेडिट मेमों के प्रकृतिक के बीजक से है, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट हो, जैसी निहित की जाय"।

(ख) उपधारा (4) में शब्द "बिल या कैशमेमो" या "कैशमेमो या बिल" जहां कहीं भी आये, के स्थान पर शब्द "विक्रय बीजक" रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधाराएं (5) और (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी अर्थात :–

"(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यवहारी प्रत्येक कर बीजक पर संदेय कर की धनराशि अलग से प्रभारित करेगा। उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यवहारी अलग से कर प्रभारित कर सकता है।

(6) विक्रेता व्यवहारी द्वारा कर बीजक, विक्रय बीजक, जैसी स्थिति हो, की तैयार की गयी कार्यालय प्रति क्रेता व्यवहारी, कर बीजक, विक्रय बीजक की प्राप्त प्रति, जैसी स्थिति हो, उनके द्वारा धारा 21 की उपधारा (3) में प्राविधानित अवधि तक सुरक्षित रखी जाएगी।"

धारा 23 का संशोधन

13–मूल अधिनियम की धारा 23 में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्:–

"(1) (क) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अध्यधीन पंजीकृत व्यवहारी नहीं है, स्वयं या स्वयं के माध्यम से की गई बिक्री अथवा खरीद पर किसी व्यक्ति से कोई धनराशि कर के रूप में या खरीद या बिक्री पर कोई धनराशि कर के स्थान पर अन्य नाम अथवा रंग में वसूल नहीं करेगा और इस अधिनियम के अध्यधीन कोई पंजीकृत व्यवहारी ऐसे व्यक्ति जिसको बिक्री अथवा जिससे खरीद की गई है के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से खरीद या बिक्री पर कर अथवा खरीद या बिक्री पर कोई अन्य नाम या रंग में वसूल नहीं करेगा।

(ख) जहाँ इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत आढ़ती या धारा 2 के खण्ड (ज) में उल्लिखित व्यक्ति सहित किसी व्यवहारी द्वारा किसी आवर्त पर माल के खरीद या बिक्री पर कर संदेय हो वहां ऐसा व्यवहारी माल के विक्रय या क्रय पर संदेय कर की धनराशि के बराबर धनराशि, ऐसे व्यक्ति, जिसे ऐसा कोई माल उसके द्वारा विक्रीत किया जाय, से या तो उसके निजी उत्तरदायित्व पर या उसके निर्देष्टा से वसूल सकता है।

(ख) उपधारा (3) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

"(4) कोई व्यवहारी माल के क्रय पर पहले ही भुगतान की गयी कर की धनराशि को, पुनःविक्रीत ऐसे माल, या ऐसे माल के प्रयोग से विनिर्मित माल के विक्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं करेगा।"

धारा 24 का संशोधन

14–मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (9) में जहां कहीं शब्द "विवरणी" आया हो, के स्थान पर शब्द "सूचना और दस्तावेज" रख दिये जायेंगे।

नयी धारा 26क का बढ़ाया जाना आकस्मिक व्यापारियों के लिए विशेष उपबंध

15–मूल अधिनियम की धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 26क बढ़ा दी जाएगी; अर्थात् :–

26–क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी आकस्मिक व्यापारी, –

(क) उत्तर प्रदेश में अपना कारबार प्रारम्भ करने के कम से कम तीन दिन पूर्व अपने कारबार की ऐसी विशिष्टियों को, ऐसे प्रारूप में और रीति से जैसी विहित की जाएं, कर निर्धारक प्राधिकारी को सूचित करेगा;

(ख) ऐसी अवधि, जिसमें आकस्मिक व्यापारी उत्तर प्रदेश में कारबार कर रहा हो, में ऐसी धनराशि की प्रतिभूति नकद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करेगा जैसाकि कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा नियत की जाय जो कर भुगतान के अनुमानित धनराशि से अधिक नहीं होगी।

(ग) पूर्व दिन के दौरान की गयी बिक्री के आधार पर प्रतिदिन कर भुगतान करेगा ;

(घ) उत्तर प्रदेश में अपने कारबार की समाप्ति के अगले दिन विहित प्रारूप एवं रीति में कर निर्धारक प्राधिकारी को कर विवरणी प्रस्तुत करेगा;

(ङ) कोई कर बीजक जारी नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रस्तुत की गयी सूचना का सत्यापन करने के पश्चात तथा खण्ड (ख) के अधीन प्रतिभूति प्राप्त करने के पश्चात् कर निर्धारक प्राधिकारी आकस्मिक व्यापारी को रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(3) आकस्मिक व्यापारी के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात कर निर्धारक प्राधिकारी इस अधिनियम की धारा 50 और 51 में संदर्भित घोषणा-पत्र या, प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश में माल की बिक्री किए जाने हेतु लाने के लिए अपेक्षित रूपपत्र जारी करेगा और आकस्मिक व्यापारी सभी प्रयुक्त प्रपत्र का पूरा लेखा रखेगा और उपधारा (1) के खण्ड (घ) में संदर्भित विवरणी के साथ सभी अप्रयुक्त प्रपत्र अभ्यर्पित करेगा।

(4) उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन आकस्मिक व्यापारी द्वारा प्रस्तुत कर विवरणी; उपधारा (3) में संदर्भित रूपपत्रों और जारी किए गए विक्रय बीजकों के साथ उसके द्वारा रखे गए लेखों का परीक्षण करने के पश्चात एक सप्ताह के भीतर उसका कर निर्धारण कर देगा और उस पर कर निर्धारण और मांग पत्र की नोटिस तामील करेगा और यदि प्रतिभूति जमा है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत संदेय कर एवं अन्य देयों का समायोजन के बाद अवशेष प्रतिभूति की राशि वापस करेगा।

(5) आकस्मिक व्यापारी कर निर्धारण की नोटिस और मांग पत्र में उल्लिखित धनराशि को तत्काल जमा करेगा।

(6) इस बात पर संतुष्ट हो जाने पर कि देय धनराशि जमा कर दी गयी है, कर निर्धारक प्राधिकारी यथास्थिति प्रतिभूति या अवशेष प्रतिभूति अवमुक्त कर देगा।

(7) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी आकस्मिक व्यापारी के सम्बन्ध में धारा 3 में विनिर्दिष्ट कर योग्य मात्रा शून्य होगी।

स्पष्टीकरण :– इस धारा में आकस्मिक व्यापारी का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो चाहे निर्देष्टा, अभिकर्ता या किसी अन्य हैसियत से क्रय, विक्रय, माल की आपूर्ति या वितरण या उत्तर प्रदेश में किसी प्रदर्शनी एवं विक्रय चाहे नगद, आस्थगित संदाय, कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल हेतु आकस्मिक संव्यवहार करता है।

धारा 33 का संशोधन

16–मूल अधिनियम की धारा 33 में, उपधारा (16) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

(17) इस अधिनियम एवं तदधीन निर्मित नियमावली के किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी राज्य सरकार पावर प्रोजेक्ट औद्योगिक इकाई को स्वीकृत कर के भुगतान से, ऐसी शर्तों जैसी विहित की जाएं, के अध्यधीन अधिस्थगन दे सकता है।

स्पष्टीकरण :– इस उपधारा के प्रयोजनार्थ "स्वीकृत कर" के अन्तर्गत ऐसी इकाई द्वारा धारा 3 की उपधारा (11) के अधीन स्वामित्व प्राप्त अन्य व्यवहारी का कर दायित्व सम्मिलित है।

(18) इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर अथवा शास्ति की वसूली के लिए कोई माल किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिग्रहित किया गया है और ऐसा माल ऐसे प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में दिया गया है, यदि ऐसा व्यक्ति माल को उसी दशा और स्थिति में प्राधिकारी को वापस करने में असफल रहता है, तब माल के मूल्य की समराशि ऐसे व्यक्ति से भूराजस्व बकाया की तरह वसूल की जाएगी।

धारा 34 का संशोधन

17–मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (13) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढा दी जाएगी, अर्थात् :–

"(14) इस धारा के अधीन बिक्री की आवर्त पर कोई कटौती नही की जाएगी जहाँ ऐसी बिक्री,–

(एक) अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के प्रक्रम में; या

(दो) राज्य के बाहर; या

(तीन) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात अथवा उसके भीतर आयात के प्रक्रम में की जाय।"

18—मूल अधिनियम की धारा 39 में उपधारा (1) के खण्ड (ख) में हिन्दी रूपान्तर में, शब्द "एक लाख" के स्थान पर शब्द "पांच लाख", रख दिये जायेंगे। धारा 39 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 40 में, उपधारा (7) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी अर्थात, — धारा 40 का संशोधन

"(8) पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन प्रतिसंदेय धनराशि का समायोजन इस अधिनियम के अधीन कर या शास्ति या किसी अन्य देयों की धनराशि के विरुद्ध किया जा सकता है।"

20—मूल अधिनियम की धारा 40 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:— नयी धारा 40-क का बढ़ाया जाना कतिपय मामलों में प्रतिसंदाय का रोका जाना

40—क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में या किसी न्यायालय अधिकरण अथवा अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां व्यवहारी या संबंधित व्यक्ति को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात कर निर्धारक प्राधिकारी की रिपोर्ट पर कमिश्नर का यह समाधान हो जाय कि,—

(क) व्यवहारी ने आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत की है, या अपने आवर्त का विवरण छिपाया है या जानबूझकर ऐसे आवर्त का त्रुटिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है या कर निर्धारक प्राधिकारी या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को अनुरक्षित पुस्तकों, लेखों या दस्तावेजों का या ऐसे व्यवहारी द्वारा स्टाक में धारित किये जाने हेतु प्रदर्शित माल का निरीक्षण और परीक्षण करने से रोका है या सक्षम प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का निष्पादन करने में बाधा उत्पन्न किया है।

(ख) ऐसी खरीद जिसके संबंध में किसी विवरणी में दावा की गयी इनपुट टैक्स क्रेडिट, सत्यापनीय न हो; या

(ग) व्यवहारी ने माल के वास्तविक क्रय कि बिना कर बीजक प्राप्त किया हो; या

(घ) व्यवहारी इस अधिनियम या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के किसी उपबंध के अधीन उससे मांगी गयी किसी प्रतिभूति को प्रस्तुत करने में विफल रहा हो; या

(ङ) कपट में संलिप्त परिस्थितियां विद्यमान हैं,

और जहाँ कमिश्नर का यह मत है कि यदि वापसी अनुज्ञात कर दी जाती है तो उद्ग्रहीत किये जाने वाले कर या शास्ति की धनराशि को वसूलना संभव नहीं हो सकेगा तो वह कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रतिसंदाय की ऐसी धनराशि जो यथास्थिति कर अथवा शास्ति या दोनों की धनराशि को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त हो, प्रतिभूति के तौर पर उस अवधि तक जैसा कमिश्नर विहित करें, रोके जाने हेतु आदेश पारित करने के लिए अनुज्ञात कर सकता है।

(2) जहां कर निर्धारक प्राधिकारी यह पाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जैसी उपधारा (1) में उल्लिखित हैं और अभिलेखों में पर्याप्त तथ्य उपलब्ध हैं, वह कमिश्नर को प्रतिसंदाय की धनराशि को रोके जाने के लिए अनुमति देने हेतु सभी तथ्यों सहित रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

(3) कर निर्धारक प्राधिकारी कर निर्धारण या शास्ति या दोनों से संबंधित अपने समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियाँ, ऐसी अवधि, जैसी कमिश्नर द्वारा विहित की जाए, के भीतर पूर्ण कर लेगा.

प्रतिबंध यह है कि यदि कमिश्नर का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो कर निर्धारक प्राधिकारी को विहित अवधि में कर निर्धारण या शास्ति संबंधी कार्यवाई करने से रोकती है तो वह अवधि को बढ़ा कर अनधिक 90 दिन कर सकता है।

(4) कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात कर निर्धारण या शास्ति संबंधी कार्यवाही के कारण उत्पन्न हुई मांग के विरुद्ध रोकी गयी धनराशि का समायोजन किया जाएगा और शेष धनराशि, यदि कोई हो, जिस तिथि से प्रतिसंदाय देय हो उस तिथि से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन यथा उपबंधित रीति से वापस कर दी जाएगी।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजन हेतु प्रतिसंदाय में इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रतिसंदाय भी सम्मिलित है।

धारा 41 का संशोधन

21--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 41 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:-

41(1) धारा 40 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी व्यवहारी के मामले में जिसका मुख्य कारबार भारत राज्य क्षेत्र के बाहर मालों के निर्यात के दौरान माल की बिक्री करना है कर निर्धारक प्राधिकारी कर अवधि की विवरणी और निर्यात के साक्ष्य सहित अनन्तिम प्रतिसंदाय का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर दावे की सत्यता को स्थापित करने हेतु सम्परीक्षा और जांच तथा परिणामी कर निर्धारण के लंबित रहते हुए भारत राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के दौरान की गयी बिक्री के कारण ऐसी कर अवधि के इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि के आधिक्य को ऐसे प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के भीतर अनन्तिम प्रतिसंदाय अनुज्ञात करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 या पूर्ववर्ती अधिनियम के अन्तर्गत कर, शुल्क या शासित या कोई अन्य धनराशि व्यापारी द्वारा देय, है तो प्रतिसंदेय पायी गई धनराशि का पहले यथास्थिति कर या फीस या शास्ति, की ऐसी धनराशि के विरुद्ध समायोजन किया जायेगा और अधिक धनराशि, यदि कोई हो, व्यवहारी को वापस कर दी जायेगी :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि प्रतिसंदाय अनुज्ञात किये जाने के पूर्व कर निर्धारक अधिकारी अपने संतोषानुसार व्यवहारी से प्रतिसंदाय की धनराशि के बराबर प्रतिभूति धनराशि प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता जहां :

(क) व्यवहारी इस अधिनियम, या पूर्ववर्ती अधिनियम या केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन कर अपवंचन में लिप्त पाया गया हो; या

(ख) व्यवहारी ने इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को अधिनियम के अन्तर्गत ड्यूटी के निवर्हन से रोका या बाधित किया हो; या

(ग) व्यवहारी ने इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम 1956 या पूर्ववर्ती अधिनियम या उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अधीन विहित किसी घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र का किसी प्रकार दुरुपयोग किया है; या

(घ) व्यवहारी इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम, 1956 या पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन माल के क्रय या विक्रय पर कर के भुगतान का वितथी रहा हो;

(ङ) व्यवहारी ने इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके राजस्व क्षति की हो।

स्पष्टीकरण :—किसी व्यवहारी के संबंध में "निर्यात का मुख्य कारबार" का तात्पर्य ऐसे व्यवहारी से है जिसका केन्द्रीय विक्रीकर अधिनियम 1956 की धारा 5 की उपधारा (1) और (2) के अधीन भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के प्रक्रम में किसी कर अवधि के लिए विक्रय का कुल व्यापारावर्त—

(क) राज्य के भीतर

(ख) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के प्रक्रम में; और

(ग) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के प्रक्रम में समस्त माल के विक्रय के कुल व्यापारवर्त का पचास प्रतिशत से अधिक है।

(दो) जहां कोई प्रार्थना पत्र अपूर्ण हो वहां उस प्रार्थना पत्र के पूर्ण होने के दिनांक को प्रार्थना पत्र का दिनांक समझा जाएगा।

(2) यदि कर निर्धारण किये जाने पर उपधारा (1) के अधीन स्वीकृत अनन्तिम प्रतिसंदाय अधिक हो गया हो तो अधिक प्रतिसंदाय की गई धनराशि व्यवहारी से अनन्तिम प्रतिसंदाय के दिनांक से प्रारम्भ होने वाली और धनराशि के संदाय के दिनाक को समाप्त होने वाली अवधि के लिए व्यवहारी से देय कर के रूप में 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित वसूल किया जाएगा।

(3) यदि प्रार्थना पत्र नियमानुसार नहीं है या अन्तर्विष्ट विशिष्टियां गलत है, तो इसको लिखित सकारण आदेश पारित करते हुए अस्वीकार किया जाएगा और व्यवहारी को तदनुसार सूचित किया जाएगा। परंतुक यह है कि व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना प्रार्थना पत्र अस्वीकार नहीं किया जायेगा।

(4) उपधारा (1) के परन्तुक में किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई औद्योगिक इकाई तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा रुग्ण घोषित की गयी हो वहाँ इस धारा के अधीन अनन्तिम प्रतिसंदाय अनुज्ञात किया जाएगा, यदि ऐसी औद्योगिक इकाई का यह समाधान हो जाए कि --

(क) रुग्ण इकाई पुनर्वास पैकेज सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो ;

(ख) अधिनियम की धारा 71 के अध्यधीन राज्य सरकार ने ऐसी इकाई के कार्यों को आस्थगित किया हो,

(ग) कार्यों को आस्थगित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया हो।

धारा 42 का संशोधन

22. मूल अधिनियम की धारा 42 में,--

(1) उपधारा (3) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् --

(क) ऐसी औद्योगिक इकाई जो पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन निर्मित माल के विक्रय के आवर्त पर या माल के विनिर्माण में प्रयोग के लिए अपेक्षित किसी कच्चे माल, प्रसंस्करण सामग्री, [illegible] पेट्रोल और डीजल से भिन्न ईंधन, स्नेहक [illegible] ऐसी औद्योगिक इकाई द्वारा विनिर्मित माल की [illegible] अपेक्षित माल के क्रय के आवर्त पर या क्रय/विक्रय [illegible] आवर्त पर कर की दर में छूट का लाभ या कर की दर में कमी का लाभ प्राप्त कर रही है या ऐसा लाभ या कमी [illegible] की गयी है, और

(क्क) जिसकी कर की दर में छूट या कमी की सुविधा पूर्ववर्ती अधिनियम या उसके अधीन जारी अधिसूचना के अधीन [illegible] स्थिर पूंजी विनिधान पर आधारित हैं; या

(ख) राज्य सरकार से या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम या उपक्रम से क्रय की गई औद्योगिक इकाई और जिस पूर्व वर्ती अधिनियम के अधीन कर की दर में कमी या छूट प्रदान की गई है। कमिश्नर को विहित प्रारूप और विहित रीति से हकदारी प्रमाण--पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकती है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(ख) उपधारा (4) में शब्द "कर की दर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का लाभ ले रही औद्योगिक इकाई" के स्थान पर शब्द "कर की दर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का लाभ ले रही या अनुदत्त लाभ वाली औद्योगिक इकाई" रख दिए जायेंगे।"

(ग) उपधारा (4) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी अर्थात्:-

"(4-क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक के पहले क्रय के आवर्त पर से छूट का लाभ ले रही या अनुदत्त लाभ वाली औद्योगिक इकाई निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करने पर विहितरीति से कर अवधि की विवरणी के साथ संदत्त दस्तावेजों में घोषित आंकड़ों के आधार पर संगणित अर्जित इनपुट टैक्स क्रेडिट के वापसी के रूप में छूट के हकदार होंगी।"

(क) औद्योगिक इकाई उपधारा (3) के अधीन यथा उप बन्धित कमिश्नर द्वारा जारी विधि मान्य हकदारी प्रमाण पत्र रखना होगा।

(ख) वापसी की धनराशि सुसंगत कर अवधि के दौरान अर्जित इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर धनराशि से अधिक नहीं होगी;

(ग) वापसी की धनराशि धारा 40 के उपबंधों के अध्यधीन होगी सिवाय इसके कि उक्त धनराशि स्वीकृत कर दायित्व के विरुद्ध समायोजित नहीं की जाएगी;

(घ) हकदारी प्रमाण पत्र में उल्लिखित धनराशि या अवधि दोनों में से जो भी पहले हो, की समाप्ति पर वापसी की सुविधा समाप्त हो जाएगी;

(ङ) वापसी के रूप में कर से छूट की सुविधा कच्चे माल प्रसंस्करण सामग्री, उपभोज्य स्टोर, पेट्रोल या डीजल से भिन्न ईंधन, स्नेहक, हकदारी प्रमाण पत्र में उल्लिखित या वर्णित माल के विनिर्माण में प्रयोग के लिए या विनिर्मित माल के पैकिंग में अपेक्षित के संबंध में ही उपलब्ध होगी;

(च) माल के क्रय के आवर्त पर कर वापसी के रूप में कर से छूट की धनराशि की हकदारी प्रमाण पत्र में उल्लिखित या वर्णित कुल धनराशि में से कटौती कर ली जाएगी;

(छ) औद्योगिक इकाई ने किसी भी रूप से कर से छूट की सुविधा का दुरुपयोग नहीं किया है।

स्पष्टीकरण:– "अर्जित इनपुट टैक्स क्रेडिट" का तात्पर्य कर अवधि की विवरणी में घोषित आंकड़ों के आधार पर संगणित अनुमन्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि से है जहां औद्योगिक इकाई पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन छूट का लाभ ले रही थी।

(घ) उपधारा (5) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा अर्थात् :–

"(क) ऐसे माह, जिसमें व्यवहारी शुद्ध संदेय कर जमा के साक्ष्य सहित संगत कर अवधि की विवरणी दाखिल करता है, के अंतिम दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर वापसी योग्य पायी गयी धनराशि को वापस कर दिया जाएगा जहां कर अवधि की विवरणी पूर्ण नहीं है और व्यवहारी विवरणी की अपेक्षाओं को कर अवधि की विवरणी दाखिल करने के लिए निर्धारित दिनांक से बाद के दिनांक को पूर्ण करता है, तो ऐसे दिनांक को कर अवधि की विवरणी दाखिल करने का दिनांक माना जाएगा।"

(ङ) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी:–

"(8) औद्योगिक इकाई जो उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित कर आस्थगन की सुविधा का लाभ ले रही है या उपधारा (4) के अधीन यथा उपबंधित वापसी की सुविधा का लाभ ले रही है, कर बीजक जारी करने तथा धारा 13 के उपबंधों के अध्यधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र होगी। बिक्री और खरीद दोनों पर वापसी की सुविधा का लाभ ले रही औद्योगिक इकाई इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र होगी जब हकदारी प्रमाण पत्र में वर्णित माल की बिक्री के विक्रय धन पर देय शुद्ध कर की गणना हो रही हो।"

(च) उपधारा (13) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:–

"(14) लेखों की संवीक्षा करने पर या पश्चात्वर्ती अन्वेषण पर यह पाया जाए कि कर अवधि की विवरणी के साथ प्रस्तुत आंकड़े गलत पाए जाएं या विश्वास योग्य न हो या अभिलेख की वास्तविक सामग्री पर आधारित न हों, तो धारा 54 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वापस किए गए अतिरिक्त धनराशि को 15 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज के साथ, वापसी के दिनांक से जमा करने के दिनांक तक कर निर्धारण प्राधिकारी, से प्राप्त नोटिस के 30 दिन के भीतर जमा किया जाएगा, ऐसा करने में विफल होने पर वापस की गई अतिरिक्त धनराशि भू–राजस्व के, बकाया की भांति वसूल की जाएगी।"

23–मूल अधिनियम की धारा 48 में,– धारा 48 का संशोधन

(क) उपधारा (1) के खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

"(तीन) जो किसी कारबार स्थल गाड़ी जलयान या अन्य किसी भवन में या स्थान पर पाये जायं और ऐसे रखे गये माल से संबंधित यथास्थिति कर बीजक या विक्रय बीजक या माल के मूल्य से संबंधित अन्य किसी अभिलेख में, स्थानीय बाजार क्षेत्र, जहां पर उक्त सम्व्यवहार हुआ है में सुसंगत समय पर प्रचलित माल के मूल्य से पचास प्रतिशत से अधिक सीमा तक अवमूल्यन करापवंचन की मंशा से किया गया है।"

(ख) उपधारा (5) में शब्द, "उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों में नहीं दर्शाया गया है।" के स्थान पर शब्द "उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों में नहीं दर्शाया गया है या स्थानीय बाजार क्षेत्र जहां उक्त सम्व्यवहार हुआ है में सुसंगत समय पर प्रचलित माल के मूल्य से करापवंचन की मंशा से पचास प्रतिशत की सीमा से अधिक का अवमूल्यन किया गया हो" रख दिये जायेंगे।

24–मूल अधिनियम की धारा 52 में शब्द और अंक "धारा 51" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 59" रख दिये जाएंगे। धारा 52 का संशोधन

25–मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (1) में,– धारा 54 का संशोधन

(क) तालिका में,–

(एक) क्रमांक 5 और 15 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः स्तम्भवार रख दी जाएंगी, अर्थात्:–

1	2	3
5	जहां व्यवहारी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार (एक) कर बीजक या विक्रय बीजक जारी करने में विफल हो गया हो या जानबूझ कर जारी न किया हो; या;	माल के मूल्य का 40 प्रतिशत
	(दो) इस अधिनियम के अधीन कर योग्य माल का क्रय करते समय जानबूझ कर बीजक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से प्राप्त नहीं किया हो; या	
	(तीन) क्रय बीजक जारी नहीं किया है।	
15	जहां यथास्थिति चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति,	माल के मूल्य का 40 प्रतिशत
	(एक) माल के राज्य से होकर गुजरने हेतु प्राधिकार पत्र प्राप्त करने में विफल होता है और यह भी प्रमाणित करने में विफल रहता है कि माल का तात्पर्य राज्य के बाहर व्यवहारियों या व्यक्तियों को परिदान से है; या	
	(दो) राज्य से होकर माल के गुजरने हेतु प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के दौरान माल को राज्य से बाहर ले जाने के लिए राज्य के अन्दर वास्तविक व्यक्ति को ऐसा माल सौंपने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है किन्तु ऐसे माल को ऐसे वास्तविक व्यक्ति को सौंपने में विफल रहता है; या	
	(तीन) ऐसा व्यक्ति होते हुए, जो चालक या वाहन प्रभारी व्यक्ति से माल राज्य से बाहर ले जाने के लिए प्राप्त करता है, राज्य के बाहर ऐसे माल को नहीं ले जाता है, या	
	(चार) परिवाहक या वाहन का भाड़ेदार होते हुए राज्य के बाहर माल के मिथ्या गंतव्य स्थल को दर्शाते हुए माल की रसीद तैयार करता है,	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(दो) क्रमांक 11, 12 एवं 14 की प्रविष्टियों के स्तम्भ 3 में उपसंजात होने वाले शब्द "प्रकटित मूल्य" के स्थान पर शब्द "मूल्य" रख दिया जाएगा।

(तीन) क्रमांक 21 की प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात्:–

21–क	जहां व्यवहारी ने माल के क्रय के आवर्त पर संदत्त या संदेय कर की धनराशि को, माल की पुनः बिक्री पर या ऐसे माल के प्रयोग से निर्मित माल के विक्रय मूल्य में सम्मिलित कर लिया हो।	कर की धनराशि से अन्यून किन्तु कर के तीन गुणा की धनराशि से अनधिक धनराशि जिसे माल के विक्रय मूल्य में जोड़ा गया है।
21–ख	जहां यथास्थिति व्यवहारी या कोई अन्य व्यक्ति ने कर के भुगतान का अपवंचन करने के आशय से सुसंगत समय में, स्थानीय बाजार क्षेत्र जहां सम्व्यहार हुआ है, में प्रचलित माल के मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक की सीमा तक माल का अवमूल्यन करते हुए यथास्थिति कोई कर बीजक या विक्रय बीजक या माल के मूल्य से सम्बन्धित कोई अन्य दस्तावेज जारी या प्राप्त किया हो।	माल के मूल्य का 40 प्रतिशत

(ख) स्पष्टीकरण के खण्ड (दो) व (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जाएंगे, अर्थात्:–

(दो) यदि कर बीजक, विक्रय बीजक या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज में वर्णित या उल्लिखित माल के मूल्य का स्थानीय बाजार क्षेत्र जहां सम्व्यवहार हुआ हो, में, सुसंगत समय पर प्रचलित माल के मूल्य के पचास प्रतिशत की सीमा से अधिक अवमूल्यन हुआ है तब स्थानीय बाजार क्षेत्र, जहां सम्व्यवहार हुआ है, में सुसंगत समय में प्रचलित अनुमानित मूल्य, ऐसे माल का मूल्य समझा जायेगा।

(तीन) यदि माल मूल्य, कर बीजक, विक्रय बीजक या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज में वर्णित अथवा उल्लिखित नहीं है तो स्थानीय बाजार क्षेत्र जहां सम्व्यवहार हुआ है, में सुसंगत समय पर प्रचलित अनुमानित मूल्य, ऐसे माल का मूल्य समझा जाएगा।

धारा 56 का संशोधन

26–मूल अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) में शब्द "राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना" के स्थान पर शब्द "कमिश्नर" रख दिया जाएगा।

धारा 57 का संशोधन

27–मूल अधिनियम की धारा 57 में,–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "एक अधिकरण" के स्थान पर "एक अधिकरण, जो वाणिज्य कर अधिकरण के रूप में जाना जाएगा" रख दिये जाएंगे।

(ख) उपधारा (12) में खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जाएंगे, अर्थात्:–

"(ख) धारा 48 की उपधारा (7) के परन्तुक के अधीन दिये गये निदेश के विरुद्ध अपील दो सदस्यीय पीठ द्वारा सुनी एवं निरस्तारित की जाएगी।"

(ग) धारा 56 के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध अपील दो सदस्यीय पीठ द्वारा सुनी और निरस्तारित की जाएगी।"

धारा 59 का संशोधन

28–मूल अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्:–

"(5) उपधारा (3) में यथा उपबन्धित को छोड़कर कमिश्नर द्वारा इस धारा के अधीन किया गया विनिश्चय धारा 57 और 58 के उपबन्धों के अध्यधीन अन्तिम होगा और सभी कर निर्धारक प्राधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के लिए बाध्यकारी होगा।"

धारा 60 का संशोधन

29–मूल अधिनियम धारा 60 में शब्द और अंक "उपधारा (1), (2) या(7)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1) या उपधारा (2)" रख दिये जायेंगे।

धारा 63 का संशोधन

30–मूल अधिनियम धारा 63 में, उपधारा (3) में शब्द "विहित" के स्थान शब्द "राज्य सरकार द्वारा अवधारित" रख दिये जायेंगे।

धारा 64 का संशोधन

31–मूल अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी अर्थात :–

(2) "याचिका विहित प्रारूप में एवं विहित रीति से पांच हजार रुपये फीस जमा करने के संतोषजनक प्रमाण, एक कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत न किये गये अपने आवेदन के पूर्ण प्रकटीकरण के साथ उस आदेश पर संदेय कर की अतिरिक्त धनराशि और पूर्व अन्य विहित्यों, न्यायशासन आयोग के समक्ष मामले का निपटारा करने के लिए प्रस्तुत की जायेगी:

प्रतिबंध यह है कि ऐसी याचिका तब तक ग्राह्य नहीं होगी जब तक याचिका में प्रकटित विक्रय या क्रय के आवर्त पर कर की धनराशि का भुगतान न कर दिया जाय और उस निमित्त प्रमाण पत्र संलग्न न कर दिया जाय।"

32–मूल अधिनियम की धारा 65 में, उपधारा (18) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:– धारा 65 का संशोधन

(18–क) जहां व्यवस्थापन आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान व्यवस्थापन आयोग का यह मत हो कि राजस्व हितों को सुरक्षित रखने के प्रयोजनार्थ ऐसा करना आवश्यक हो वहां आयोग राजस्व क्षति को पूरा करने हेतु नियत समय में आयोग द्वारा निर्धारित रीति से पर्याप्त रूप में अपेक्षित प्रतिभूति जमा करने का आदेश दे सकता है। संशोधन

(18–ख) व्यवस्थापन आयोग के समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 196 के प्रयोनार्थ और धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

33–मूल अधिनियम की धारा 78 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:– धारा 78 का संशोधन

78–(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से एक परिषद की स्थापना करेगी जिसे उत्तर प्रदेश राज्य कर परिषद के रूप में जाना जायेगा जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाई नियमावली के द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त कृत्यों का संपादन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे।

(क)	प्रमुख सचिव, राज्य सरकार, वाणिज्य कर विभाग	पदेन अध्यक्ष
(ख)	कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश	पदेन सदस्य
(ग)	अपर कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश	पदेन सदस्य
(घ)	अपर कमिश्नर (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश	पदेन सदस्य
(ङ)	संयुक्त कमिश्नर (शोध) वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ	सदस्य, सचिव
(च)	राज्य सरकार के प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी द्वारा नाम–निर्दिष्ट अपर विधि परामर्शी	सदस्य
(छ)	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न वित्त विभाग का कोई अधिकारी	सदस्य

(ज) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति, जो किसी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का आचार्य रहा हो। सदस्य

(झ) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति, जो अधिकरण का सदस्य या वाणिज्य कर विभाग में अपर कमिश्नर रहा है। सदस्य

(ञ) मान्यता प्राप्त व्यापार संघ के पदधारियों में से दो व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जाएगा। सदस्य

(2) परिषद् कर संग्रह प्रणाली, कर की दर में परिवर्तन नियमावली और प्रक्रियाओं और योजनाओं के प्रख्यापन, अधिसूचनाओं, आदेशों और ऐसे अन्य विषयों की घोषणा के संबंध में जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर उसे सौंपे, शीर्ष परामर्शदात्री निकाय होगी।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ज) से (ञ) में सन्दर्भित सदस्य राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा अवधारित सुविधा या लाभ और पारिश्रमिक पाने के हकदार होंगे।

धारा 81 का संशोधन

34–मूल अधिनियम की धारा 81 में, उपधारा (2) में खण्ड (ख) में शब्द "निरसित अधिनियम की धारा 4-क के अधीन कर के भुगतान से छूट का लाभ उठाने वाली विनिर्माण इकाइयां या इकाइयां" के स्थान पर शब्द "विनिर्माण इकाइयां" रख दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-34 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(डा0 राधा मोहन दास का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2007 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री अग्रवाल जी उपस्थित नहीं है इसलिये इसे समाप्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। यह चर्चा जारी थी इसको समाप्त किया जाता है।

प्रदेश में स्थित छावनी परिषद् में सांसदों एवं क्षेत्रीय विधायकों को पदेन सदस्य के रूप में नामित किया जाय विषयक श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2007 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

श्री सत्य प्रकाश जी चर्चा आरम्भ करें।

श्री प्रमोद कुमार तिवारी-

मान्यवर, चर्चा जारी रखी जाय।

श्री अध्यक्ष-

बहुत ज्यादा चर्चायें हो गई हैं। पूरी लिस्ट बन गई है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जो सदस्य उपस्थित न हों उनकी चर्चायें समाप्त कर दें। बाकी चर्चायें जारी करा दें।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, विधान परिषद् के अन्दर कैण्टोनमेंट बोर्ड के सदस्य नामित किये जाते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

चर्चा जारी करा दें।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, कैण्टोनमेंट में छावनी के अन्दर विधायकों को व सांसदों को वोट डालने का अधिकार नहीं है इसलिये मेरी मांग है आप केन्द्र सरकार को लिखें कि जो विधायक हैं व सांसद हैं इनको वोट डालने का अधिकार दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा हो गई। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में छावनी परिषद् में सांसदों एवं क्षेत्रीय विधायकों को पदेन सदस्य के रूप में नामित किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वाराणसी में कमच्छा क्षेत्र में एक वर्ष पूर्व स्वीकृत शिलान्यासित 220/33 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराया जाय विषयक श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा 21 अगस्त, 2008 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संकल्प पर दो शब्द कह लूंगा जिससे इसकी सार्थकता प्रमाणित हो जायगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

चर्चा जारी करा दें।

श्री अध्यक्ष-

बहुत बड़ी लाट है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को। मैं जब से चुनकर विधान सभा में आया हूं, अपने शहर की जो बिजली की दुर्व्यवस्था है वहां जो सारे 33 के0वी0 और 11 के0वी0 के सब-स्टेशन हैं अतिभारित हैं उससे जो परेशानी है उसके निराकरण के बारे में मैं बराबर इंगित करता रहा हूं विभिन्न नियमों के माध्यम से इस बात को उठाता रहा कि पुराने पावर हाउस की एक विशाल जमीन है और उसके ऊपर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं कि उसकी प्लाटिंग करके बेचा जाय, उसका सदुपयोग हो जाय और वहां एक बड़ा सब-स्टेशन का निर्माण करा दिया जाय और इसको मैं लगातार उठाता रहा, मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार के समय जो माननीय ऊर्जा मंत्री जी हैं और जो विभागीय अधिकारी हैं उन्होंने वहां पर 220/33के0वी0 का सब-स्टेशन बनाने का एक निर्णय लिया और इसे आगे बढ़ाते हुए फाइनेंशियल लिंकेज वगैरह भी सब पूरा हो गया। वहां कई पुराने कमरे टूटकर जो वहां पर जो समान चाहिये सब-स्टेशन के लिये उसका भी वहां पर स्टोर होना शुरू हो गया है। मैं इसके लिये माननीय ऊर्जा मंत्री जी को और वर्तमान सरकार को धन्यवाद देता हूं और साथ ही उल्लेख करना चाहूंगा कि इस काम को गति देने के लिये जो केबिल लेइंग का काम है, उसके लिये किसी को टेण्डर नहीं दिया है। यह टेण्डर की प्रक्रिया में नहीं आया है जो कि बहुत आवश्यक है। तो मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि जैसे और काम भी शुरू हो गये हैं, इस टेण्डर की प्रक्रिया को भी अपनाया जाय और इस विद्युत केन्द्र के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें गति प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष-

वापस ले रहे हैं ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

अपनी प्रक्रिया में आप डाले रखिये।

श्री अध्यक्ष-

आप संकल्प वापस नहीं ले रहे हैं। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि वाराणसी में कमच्छा क्षेत्र में एक वर्ष पूर्व स्वीकृत शिलान्यासित 220/33 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रदेश के गुर्जरों के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु राजस्थान राज्य की भाँति उन्हें 5 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाय विषयक श्री मदन भैया द्वारा 21 अगस्त, 2008 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-17 पर मदन भैया जी ने पत्र दिया है कि इसको स्थगित कर दिया जाय। इसलिये इसको स्थगित किया जाता है।

शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु वाणिज्य कर राजस्व से प्राप्त होने वाली धनराशि का 25 प्रतिशत निर्धारित किया जाय विषयक श्री सतीश महाना द्वारा 21 अगस्त, 2008 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय वाणिज्य कर मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। मान्यवर, निश्चित रूप से इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं होता और यह सत्य है कि देश की आत्मा गांव में बसती है लेकिन मान्यवर, उस गांव को चलाने के लिये अधिकतम् राजस्व शहरों से ही आता है। जब नगरीय क्षेत्रों का विकास होगा, नगरीय क्षेत्रों के अन्दर इन्फ्रास्ट्रक्चर सही होगा, नगरीय क्षेत्रों के अन्तर्गत इण्डस्ट्री लगने के अवसर होंगे तो वहां पर इस प्रकार का माहौल होगा, वातावरण होगा तब ही किसी प्रकार का राजस्व आ पायेगा और वह राजस्व पूरे प्रदेश के विकास के लिये उपयोगी होगा। मान्यवर, शहरी क्षेत्र के विकास के लिये, नगरपालिकाओं को, नगर निगमों को, नगर परिषदों को बहुत सारे अधिकार थे लेकिन कालान्तर में वह अधिकार खत्म कर दिये गये। जैसे पहले विक्रीकर था, विक्रीकर के ऊपर 15 प्रतिशत का सरचार्ज लगाकर उस चुंगी को समाप्त कर दिया गया। मान्यवर, चुंगी को समाप्त करने के पीछे मंशा यह थी कि जो लाइनों में लगती थीं हो सकता है कि किसी भी वक्त वहां पर और उसके लिये सेल्स टैक्स को बढ़ाने की यह मंशा थी कि जितना पैसा उस बढ़े हुए राजस्व का टैक्स के माध्यम से आयेगा वह स्थानीय निकायों को दे दिया जायेगा। मान्यवर, निश्चित रूप से कुछ समय के लिये हो सकता है दिया गया हो लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन लागू हो जाने के बाद के पश्चात् उसकी किसी ने किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करी। स्टेट फाइनेंस कमीशन के ऊपर जब विस्तृत चर्चा का अवसर मिलेगा तो उसके बारे में बातचीत करेंगें। मान्यवर, लेकिन शहरों का यदि विकास नहीं होगा तो शिक्षा का विकास नहीं होगा। शहरों का विकास यदि नहीं होगा तो इण्डस्ट्री का विकास नहीं होगा। शहरों का विकास यदि नहीं होगा तो व्यापार का विकास नहीं होगा। व्यापार का विकास नहीं होगा तो आपके राजस्व में कमी आयेगी। आप अभी यहां पर अच्छी बात कह रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे कि हमारा इतना प्रतिशत बढ़ गया राजस्व। आज उत्तर प्रदेश के शहरों की यह हालत है कि वहां कोई इण्डस्ट्री नहीं लगाना चाहता। आप इण्डस्ट्री के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत कुछ आ रहे हैं। आ तो कोई नहीं रहा है, जो पुराने थे वह चले जरूर गये। यह बात सत्य है, आप इसको मानो या न मानो। यहां पर आप उसको हो सकता है सदन के अन्दर न कहो, लेकिन अगर बाहर

आपका स्टिंग आपरेशन कर लिया जाय तो जो बात मैं कह रहा हूं शत-प्रतिशत आप वही बात कहेंगे।

ये बात, देखिये मुस्कराहट में आपने बात मान ली। बहुत सारी बातें आज मंत्री जी इशारे में कर लीं लेकिन मान्यवर, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आप जो वाणिज्यिक कर का। आप अभी आंकड़ा दे रहे थे प्रत्येक माह का कि पिछले साल 1200 था इस साल 1500 हो गया। लगभग 17-18 हजार करोड़ रुपया आपका हो गया उसका मान्यवर, 25 प्रतिशत शहरों के विकास के लिये आप उसका लगायेंगे तो उससे अधिक आपको रिटर्न में मिल जायेगा। इसलिये शहरों के विकास के लिये, उन क्षेत्रों के विकास के लिये जहां पर गरीब भी रह रहा है, शिक्षक भी रह रहा है, इण्डस्ट्रियलिस्ट भी रह रहा है, पढ़ा लिखा आदमी भी रहा रहा है, व्यापारी भी रह रहा है उस क्षेत्र का विकास तब ही हो पायेगा। इन बातों से विकास नहीं होने पायेगा। जितना पैसा आप देते हैं वह वेतन में बंट जाता है और उसके बाद सौ प्रकार के अंकुश लगा देते हो सौ प्रकार की बात चीत कर देते हो कि यह पैसा इस मद पर खर्च होगा। मान्यवर, बजट पर बोलने का अवसर नहीं मिला, और उसके बारे में हम सारी की सारी बात करें तो जो कुछ आप कर रहे हो, करो उस पर कोई आपको रोक नहीं पायेगा। लेकिन इसके अलावा गरीब आदमी की चिन्ता करने के लिये, जो बस्ती के अन्दर रह रहा है, जो नाले के किनारे रह रहा है, उसके बारे में भी आपको चिन्ता करने का अवसर मिलेगा, इसलिये मैंने आज इसको संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया था उस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपने चुंगी समाप्त कर दी, या तो 74वां संशोधन पूरी तरह से लागू करके उनके ऊपर अधिकार दे दीजिये कि वह अपनी टैक्स वसूली का इंतजाम कर लें जो उनका अधिकार है उसमें भी आप डंडी मारते हो, वह जो निर्णय करते हैं उसको आप मानना नहीं चाहते हो, फिर सारी की सारी चीज उसके ऊपर थोपना चाहते हो। इसलिये मान्यवर, मेरा यह संकल्प है सदन का सुनिश्चित मत है इसमें सब लोगों को सहमति व्यक्त करनी चाहिये। आज परम्परा से हटकर एक नई परम्परा डाली जानी चाहिये कि विकास के लिये अगर पैसे के लिये कहा जा रहा है कि नगरीय क्षेत्रों के अन्तर्गत, क्षेत्रों के अन्तर्गत पैसा दिया जाय कोई व्यक्तिगत जन की बात नहीं हो रही है पूरे सदन को एक साथ होना चाहिये। संकल्पित होना चाहिये। पूरा सदन एक मत होकर मेरे संकल्प के पक्ष में मतदान करे। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना भी राजस्व आता है उसका 25 प्रतिशत राजस्व शहरी क्षेत्र के विकास के लिये खर्चा किया जाए।

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर नियन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे प्रवेश कर अधिनियम के माध्यम से जो भी रेवेन्यू आता है उसको हम लोग शहरी समग्र विकास के लिये खर्चा करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह विवाद का प्रश्न उठा हुआ है आखिर यह जो माल के प्रवेश कर अधिनियम है इससे जो धनराशि इकट्ठी होगी इसका व्यय आप कहां करेंगे। उन्होंने कहा, अगर इसको आप सड़क नाली, इस तरह के विकास के कार्यों में लगायें तो हम लोग इस एक्टिविटी को एफोर्ट करने पर विचार कर सकते हैं इसको हम बाद में डिक्लेयर करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में यह समस्या आई कि जब इस अधिनियम को हम लोगों ने क्रियान्वयन शुरू किया

तो यहां पर माननीय उच्च न्यायालय ने इसको अल्ट्रावायस डिक्लेयर कर दिया, अब इसको हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 के माध्यम से चैलेन्ज कर रखा है, इसी बीच में एक अन्य प्रदेश में भी इसी तरह की घटना हुई उन्होने भी सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली थी उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने गाइड लाइन्स दिया और कहा कि अगर आप इस धनराशि को इन स्थानों पर लगायें तो हम लोग आपके इस अधिनियम की वैधता पर सकारात्मक रूप दे सकते हैं तो बिहार राज्य ने उस पर अपनी सहमति देते हुए उस धनराशि को वहां पर खर्च करने की बात कही। जहां तक हमारे प्रदेश का प्रश्न है हमारे प्रदेश में माननीय न्यायालय ने अपना मत दे दिया है कि इस एक्ट के अन्तर्गत जो भी धनराशि कलेक्ट होगी उस धनराशि को हम उसी में खर्च करेंगे यह जो शहरी समग्र विकास की बात कर रहे हैं उसी में करेंगे। चूंकि धनराशि माल के प्रवेश कर के माध्यम से उपलब्ध है इसलिये इसमें धनराशि को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं।

श्री सतीश महाना-

वापस नहीं लूंगा तो गिरवा दोगे। बदनामी हो जायेगी। आज इसको आप पास नहीं होने देंगे, यह सच है। आपको मान रहे हैं आपने मान लिया जहां आपको पैसा खर्चा करना था वहां आपको सुप्रीम कोर्ट का सहारा नहीं चाहिये था। जनता के लिये खर्चा करना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट के सहारे की जरूरत पड़ रही है। मंत्री जी देखिये कह रहे हैं खर्च करेंगे, यह रिकार्ड में आ गया है। इसलिये मैं इस संकल्प को वापस ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सतीश महाना जी ने अपना जो संकल्प सदन के समक्ष रखा है, उसको वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश में विद्युत अभाव की समस्या के समाधान हेतु वैकल्पिक ऊर्जा को मुख्य स्रोत बनाया जाय विषयक श्री उदयभान करवरिया द्वारा 21 अगस्त, 2008 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, जारी रहने का भरोसा नहीं है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

भरोसे पर सबकी जिन्दगी है।

श्री उदयभान करवरिया-

मा0 अध्यक्ष जी, केवल 10 मिनट का समय दे दें, मैं अपनी बात रख दूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप 5 मिनट में अपनी बात रख लीजिये।

*श्री उदयभान करवरिया-

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में विशेष करके विद्युत आपूर्ति की समस्या है और इसी विषय को ले करके यह संकल्प लाया गया कि विद्युत अभाव की समस्या से निदान पाने के लिये वैकल्पिक ऊर्जा को मुख्य स्रोत बनाया जाए। मान्यवर, जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय भी सौर ऊर्जा हमारे देश में मुख्य स्रोत था। आज भी उसकी कमी नहीं है और जब तक यह सृष्टि रहेगी, मुझे नहीं लगता है कि इस सौर ऊर्जा की कमी होने पायेगी। यहां बजट में सवाल-जवाब के समय में और हम लोग मा0 मंत्री जी से अलग से भी मिलते हैं और इसको देखते भी हैं कि कोई भी सदन का ऐसा कार्यकाल नहीं आता है जिसमें विद्युत आपूर्ति के विषय में इस सदन में चर्चा न हो और चर्चा होने के बावजूद भी आपूर्ति पूरी तरह से सुनिश्चित कर पाना मुश्किल लगता है। कहीं पैसे का अभाव बताया जाता है, कहीं जो इकाइयां बन्द पड़ी हैं उनको अपग्रेड करने की बात कही जाती है। मान्यवर, पिछली बार के बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र बारा में और मेरे बगल करछना विधान सभा में एक नई परियोजना लाने की बात स्वीकार की गई थी। चार बार उसका टेण्डर हुआ, उसके बावजूद भी वह परियोजना अभी अधर में लटकी हुई है। वर्ष 2009-2010 के बजट में इसका कोई जिक्र भी नहीं है। मान्यवर, यह परियोजना कब बनेगी, इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन एक निश्चित सी बात है, अगर प्रदेश सरकार थोड़ा सा प्रयास कर ले तो बहुत सी ऐसी समस्या है जिसका हम बहुत थोड़े से खर्च में निदान पा सकते हैं। मान्यवर, हमारे पास सौर ऊर्जा का अपार भण्डार है जो कभी न समाप्त होने वाला है। मान्यवर, मैंने अपने विधान सभा में सौर ऊर्जा की कुछ स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं और वह पूर्णतः सफल हैं। पहले मन में शंका रहती थी कि कभी बादल आ गये और बरसात का मौसम हुआ तो यह सौर ऊर्जा की जो स्ट्रीट लाइटें हैं वह काम नहीं करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मान्यवर, यह आवश्यक नहीं है कि सूरज की पूरी रोशनी उसको मिले, तब स्ट्रीट लाइट जलेगी। मान्यवर, अगर सूरज की रोशनी उसे न मिले, केवल गर्मी ही उसे प्राप्त हो जाती है तो उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है और पूरी रात 8 घण्टे तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं और किसी भी अन्य स्ट्रीट लाइट से उसकी रोशनी कम नहीं होती है। मान्यवर, हम किसी भी सड़क पर चले जायें, सड़क के बीचो बीच स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, एक छोटा सा आंकड़ा आप देख लीजिये कि पूरे उत्तर प्रदेश में स्ट्रीट लाइटों पर ही आप कितनी बिजली दे रहे हैं, कितनी ऊर्जा की खपत उसमें हो रही है, आप उसको जोड़ लें। मान्यवर, उसमें हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, उससे हमारी बिजली की जो समस्या है, उसका भी निदान होगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में हमारे एक साथी हैं, मैं एक दिन उनके फार्म हाउस पर गया था, उन्होंने बोरिंग पम्प लगा रखा है, उसको वह सौर ऊर्जा से चलाते हैं और जितना भी उनके फार्म हाउस में 15-20 बीघे का खेत है, वह बाहर की बिजली से पम्प को नहीं चलाते हैं, उसी सौर ऊर्जा के पम्प से पूरे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खेतों की सिंचाई करते हैं। हमारे यहां छोटे-छोटे किसान हैं, आपको सब्सिडी देनी है तो सौर ऊर्जा के माध्यम से उनको पम्प पर सब्सिडी दे दीजिये।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, चर्चा को जारी करा दें।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, यह समाप्त करने का विषय नहीं है, बिजली की समस्या से निदान कैसे मिले, अगर मैं उस पर सुझाव दे रहा हूं तो और समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मेरी पूरी बात तो आ जाने दें। मैं सरकार को अच्छे सुझाव दे रहा हूं अगर गलत सुझाव दूं तो मना कर दीजियेगा। मान्यवर, जो छोटे किसान हैं, उनको भी इसका अनुदान दे करके, और छोटे पम्प लगवा करके, सौर ऊर्जा के माध्यम से उनको चला करके बिजली की समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहुत से सरकारी दफ्तर हैं, वहां भी सौर ऊर्जा लगाई जा सकती है। एक जगह मैं बम्बई गया हुआ था, एक मकान में गया, उस मकान में उन्होंने कोई बाहर से बिजली का कनेक्शन नहीं ले रखा था, उन्होंने अपने मकान की छत के ऊपर सौर ऊर्जा का पूरा प्रोजेक्ट ही लगा रखा था और उस मकान में जितनी भी लाइट का उपयोग होता था, वह सब सौर ऊर्जा से ही प्राप्त हो रही थी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, चर्चा जारी करा दें।

श्री उदयभान करवरिया-

जारी रखेंगे, मान्यवर.? मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, जारी करा देते हैं, बैठ जाइये।

किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली पशुओं जैसे बन्दर, नीलगाय, जंगली सुअर आदि के नियंत्रण हेतु प्रभावी कानून बनाया जाय विषयक श्री राम विशुन आजाद का संकल्प

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री राम विशुन आजाद का नाम पुकारे जाने पर, उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

श्री राम विशुन आजाद जी नहीं हैं, इस संकल्प को अप्रस्तुत माना जाता है। अतः इस संकल्प को समाप्त किया जाता है।

वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द कराया जाय विषयक श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा प्रस्तुत संकल्प

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि-इस सदन का सुनिश्चित मत है कि वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह प्रस्तुत हो गया है, यह जारी रहेगा।

प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु रोजगारपरक शिक्षा एवं कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जाय विषयक श्री जोखू लाल यादव द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि-यह सदन प्रस्ताव करता है कि-प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु रोजगार परक शिक्षा एवं कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह प्रस्तुत माना गया, यह जारी रहेगा।

प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी नीति बनाई जाय विषयक श्री जोखू लाल यादव द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी नीति बनाई जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह प्रस्तुत माना गया, यह जारी रहेगा।

प्रदेश में नील गायों द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने से होने वाली क्षति की रोकथाम हेतु प्रभावी नीति/कानून बनाया जाय विषयक श्री जोखू लाल यादव द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि-यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में नीलगायों द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने से होने वाली क्षति की रोकथाम हेतु प्रभावी नीति/कानून बनाया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह प्रस्तुत माना गया, यह जारी रहेगा।

प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाई जाय विषयक श्री जोखू लाल यादव द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि-यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाई जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह प्रस्तुत माना गया, यह जारी रहेगा।

प्रदेश की फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित जल एवं कचरे को सीधे नदियों एवं नालों में प्रवाहित करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद का नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्ताव

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री राम विशुन आजाद का नाम पुकारे जाने पर, उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

श्री राम विशुन आजाद जी नहीं है, इस प्रस्ताव को अप्रस्तुत माना जाता है। अतः इस प्रस्ताव को समाप्त किया जाता है।

प्रदेश में वृक्षों एवं वनों के अवैध कटान रोकने सम्बन्धी कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद का नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित प्रस्ताव

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री राम विशुन आजाद का नाम पुकारे जाने पर, उनके अनुपस्थित रहने पर)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

श्री राम विशुन आजाद जी नहीं है, इस प्रस्ताव को अप्रस्तुत माना जाता है। अतः इस प्रस्ताव को समाप्त किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 19-2-2009 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 55 सूचनायें प्राप्त हुई। स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

1-श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ में केरोसीन तेल की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

2-श्री प्रदीप जैन "आदित्य" की झांसी महानगर में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

3-श्री प्रदीप माथुर की मथुरा में जमुना नदी में हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तथा

4-श्री संजय कपूर की रामपुर में भाखड़ा नदी पर ग्राम खांण्डया के पास नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं को वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया।

5-श्री विद्यासागर गुप्ता की प्रदेश में औद्योगिक प्लाटों का लीज समाप्त होने पर फ्री-होल्ड करने के सम्बन्ध में है,

6-श्री शम्भू चौधरी की कुशीनगर के ग्राम पंचायत शिवपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं खड्डा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला चिकित्सक की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में है,

7-डा0 हरगोविन्द भार्गव की चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्राध्यापकों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में है,

8-डा0 कौशल किशोर की लखीमपुर के ग्राम गोपालापुर स्थित तालाब के दोनों तरफ की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत एवं रिटर्निंग वाल बनाये जाने के सम्बन्ध में है,

9-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला की सिद्धार्थनगर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सैकड़ों ग्रामों में विद्युतीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में है,

10-श्री अब्दुल वारिस खां की उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारियों की मृत्यु के उपरान्त मृतक आश्रित में नियुक्ति हेतु आवश्यक छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है,

11-श्री अमरमणि त्रिपाठी की महराजगंज के ग्राम नौतनवा में रामकिशोर चौधरी की जमीन पर कब्जा एवं मारपीट करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है,

12-श्री महेश चन्द्र गुप्ता की बदायूं नगर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,

13-श्री आरिफ अनवर हाशमी की गोंडा के ग्राम राघव बस्ती में अब्दुल कलाम द्वारा चक मार्ग पर जबरिया कब्जा करने एवं दीवार बनाने के सम्बन्ध में है तथा,

14-श्री अमेरिका प्रधान की गाजीपुर स्थित महमूदपुर हथिनी तथा आगापुर के मध्य गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :-

1. श्री पूरन प्रकाश,
2. श्री कुबेर सिंह,
3. श्री मदन चौहान,
4. श्री उदयराज यादव
5. श्री आर0 ए0 उस्मानी,
6. श्री जमीर उल्ला खां,
7. श्री भोला पासवान,
8. श्री अनूप कुमार गुप्ता,
9. श्री बैजनाथ दुबे,
10. श्री माधो पासवान,
11. डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव,
12. श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही,
13. श्री लालजी यादव,
14. श्रीमती विद्या चौधरी,

15. श्री अशोक कंसल,
16. श्री राघव लखन पाल शर्मा,
17. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद,
18. श्री जनार्दन प्रसाद ओझा,
19. श्री संजीव दरियाबादी,
20. श्री राजीव कुमार सिंह,
21. श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,
22. श्री जगन प्रसाद गर्ग,
23. श्री सुरेश कुमार खन्ना,
24. श्री रमापति उर्फ रमाकान्त,
25. श्री श्यामलाल,
26. डा0 अजय तोमर,
27. श्री विशम्भर सिंह यादव,
28. डा0 अनिल चौधरी,
29. श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह,
30. चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी,
31. श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप,
32. श्री राजेश यादव,
33. श्री पंकज मलिक,
34. श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,
35. श्री राजाराम त्यागी,
36. श्री सुरेश चन्द्र तिवारी,
37. श्री विजय बहादुर यादव,
38. महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी,
39. श्री आसिफ,
40. श्री इमरान मसूद, तथा
41. श्री रवेश कुमार सिंह।

जनपद बांदा में चल रहे निर्माण कार्यों में मजदूरी शासनादेशों के अनुसार न दिये जाने एवं मजदूरों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा जनपद बांदा में चल रहे निर्माण कार्यों में मजदूरों की मजदूरी शासनादेश के अन्तर्गत न दिये जाने एवं उनका उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में .....

श्री ओम प्रकाश सिंह उर्फ ओ0 पी0 सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

[नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गई है प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बांदा में लो0नि0वि0 के अन्तर्गत जो निर्माण कार्य चल रहा है, उनमें किसी भी कार्य में रु0 100/- प्रतिदिन से कम मजदूरी नहीं दी जा रही है। मार्ग निर्माण के कार्य हेतु ठेके दिये गये हैं तथा मजदूरों को ठेकेदार के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। विभाग द्वारा सीधे मजदूरों को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। तहसील दिवस में यदा-कदा कम मजदूरी दिये जाने की जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन शिकायतों का निस्तारण ठेकेदार से मजदूरी का पूरा भुगतान कराकर किया जा चुका है। वर्तमान में कम मजदूरी दिये जाने की कोई शिकायत लम्बित नहीं है।

सरदार अजीत सिंह से हॉट मिक्स प्लान्ट द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है, वह राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा है। दि0 14-01-09 को कथित घटना की एफ0आई0आर0 ठेकेदार के प्लान्ट इन्चार्ज द्वारा कोतवाली नगर बांदा थाने में लिखाई गई है। एफ0आई0आर0 के अनुसार प्रकरण गुण्डागर्दी का है। कथित घटना पुलिस द्वारा अन्वेषणाधीन है।]

जनपद प्रतापगढ़ स्थित थाना संग्रामगढ़ में फायर स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत व्यापक पैमाने पर अग्निकाण्ड की घटनायें होती हैं .....

श्री ओम प्रकाश सिंह उर्फ ओ0 पी0 सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[जिसमें प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की चल अचल सम्पत्ति का नुकसान होता है। यहां पर अग्निशमन की सुविधा न होने के कारण अग्निकाण्ड पर नियंत्रण नहीं हो पाता। जनपद प्रतापगढ़ के सुदूर अंचल में थाना संग्रामगढ़ स्थित है जहां से लालगंज फायर स्टेशन की दूरी लगभग 25 कि0मी0 और कुण्डा फायर स्टेशन की दूरी लगभग 20 किमी0 है। इतनी दूर से फायर सर्विस की गाड़ियां जब तक संबंधित स्थानों से आती हैं तब तक अग्निकाण्ड में सम्पत्ति जलकर नष्ट हो चुकी होती है। उक्त के दृष्टिगत मा0 विधायक द्वारा थाना संग्रामगढ़ में एक अग्निशमन केन्द्र की

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्थापना जनहित में कराये जाने की मांग की गई है। और लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग की गई है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा प्रदेश के ऐसे स्थानों पर जहां अग्निशमन की दृष्टि से अग्निशमन केन्द्र स्थापित किया जाना आवश्यक है और निर्विवादित भूमि उपलब्ध हो गई है वहां चरणबद्ध रूप से अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऐसे 35 स्थानों पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। मा0 विधायक द्वारा वांछित संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ में भी अग्निशमन केन्द्र स्थापित किया जाना उक्त प्रस्ताव में सम्मिलित है। प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा चुका है तथा शासनादेश निर्गमन की प्रक्रिया में है।]

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा में बी0पी0एल0 सूची में नाम संशोधित न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि शाहजहांपुर जनपद में वर्तमान में सैकड़ों वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन से इस कारण वंचित किया जा रहा है क्योंकि उनका वर्तमान बी0पी0एल0 सूची में नाम नहीं है.....

श्री ओम प्रकाश सिंह उर्फ ओ0 पी0 सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम जमुही, पैना बुजुर्ग, शाहगंज, रौसरकोठी चौढ़ेरा, कनेंग तथा भावल खेड़ा में निम्नलिखित बी0पी0एल0 के अनुसार नवीन स्वीकृति प्रदान की गई :-

क्र0सं0	ग्राम पंचायत का नाम	पुराने लाभार्थी	2008-2009 में प्राप्त आवेदन-पत्र	नवीन स्वीकृत आवेदन-पत्र	शेष बी0पी0एल0 सूची के नाम शामिल न होने के कारण
1	2	3	4	5	6
1	जमुही	25	38	38	--
2	पैना बुजुर्ग	13	38	24	14
3	शाहगंज	93	15	15	--
4	रौसरकोठी चौढेरा	101	115	45	70
5	कनेंग	28	85	35	50
6	भावलखेड़ा	32	30	30	--

2-शासनादेश संख्या-1796(अ)/38-6-2007-129एल0 सी0/2001, दिनांक 04-10-2008 द्वारा यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि बी0पी0एल0 सूची 2002 के परीक्षण में गांव में जितने अपात्र परिवार को चिन्हित किया जाता है यथा सम्भव उतनी ही संख्या में उसी गांव के पात्र परिवारों को सम्मिलित कर लिया जाय। अभी तक उक्त ग्राम पंचायतों के द्वारा किसी को अपात्र चिन्हित नहीं किया गया है। प्रकरण की जाच के आदेश दिनांक 17-2-2009 को आयुक्त ग्राम्य विकास को निर्गत कर दिये गये हैं।]

जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ में निर्मित आवासों तथा रैन बसेरा में वर्षों से अनधिकृत अध्यासियों से आवास खाली कराने के सम्बन्ध में श्री अरुण कुमार यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 16-2-09 को दी गई सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि जिला महिला चिकित्सालय, आजमगढ़ मे निर्मित आवासों तथा मरीजों के लिये बने रैन बसेरा में स्थानान्तरित कर्मियों द्वारा वर्षों से अनधिकृत कब्जा किया गया है .....

श्री ओम प्रकाश सिंह उर्फ ओ0 पी0 सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[जबकि चिकित्सालय में तैनात अनेक कर्मी बाहर किराये पर रह रहे हैं, जिससे वर्तमान में कार्यरत कर्मी तथा मरीजों एवं उनके परिजनों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उक्त के क्रम में मा0 विधायक द्वारा यह मांग की गई है कि जिलाधिकारी, आजमगढ़ को निर्देश दिया जाय कि अनाधिकृत अध्यासियों से तत्काल आवास खाली कराकर एवं आवासीय भत्ता तथा विद्युत आदि देयकों की वसूली कराकर सदन को अवगत करायें।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-911/पांच-1-08, दिनांक 03-04-08 द्वारा जिलाधिकारी, आजमगढ़ एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को महिला चिकित्सालय, आजमगढ़ के कैम्पस में अनधिकृत रूप से रह रहे अधिकारियों/कर्मचारियों से आवास खाली कराने के निर्देश दिये जा चुके हैं। प्रकरण की संवेदनशीलता एवं महत्ता के दृष्टिगत जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ का व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट किया गया है। पुनः इस सम्बन्ध में मा0 विधायक के द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के अनुक्रम में शासनादेश संख्या-ए0क्यू0-06/पांच-1-09, दिनांक 16-02-09 के द्वारा जिलाधिकारी, आजमगढ़,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ को जिला महिला चिकित्सालय, आजमगढ़ से अनधिकृत कब्जा हटाये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।]

प्रदेश के खाद्य निरीक्षकों को अधिकार न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि उत्तर प्रदेश में मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, जिससे मानव शरीर पर कुप्रभाव पड़ रहा है .....

श्री ओम प्रकाश सिंह उर्फ ओ0 पी0 सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया-जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सर्वश्री राम मोहन शर्मा, हुकुम सिंह एवं राजेन्द्र कुमार को निर्देश याचिका संख्या-1043/96 में पारित मा0 लोक सेवा अधिकरण के निर्णय दिनांक 30-5-2000 के अनुपालन में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17-11-2000 द्वारा खाद्य निरीक्षक पदनाम देते हुए उक्त निर्णय में अन्तर्निहित अन्य सभी लाभ व सुविधायें इस शर्त के अधीन प्रदान की गई थी कि यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका संख्या-1239/2000 श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव एवं उत्तर प्रदेश खाद्य निरीक्षक संवर्ग संघ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित अग्रेतर आदेशों के अधीन होगी।

शासनादेश दिनांक 23-6-2003 द्वारा श्री राम मोहन शर्मा व श्री राजेन्द्र कुमार को खाद्य निरीक्षक पदनाम के अनुरूप खाद्य निरीक्षक पद का कार्य सौंपे जाने की अनुमति मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में लम्बित रिट याचिका संख्या-343 (एस/बी)/2002 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन प्रदान की गई थी। उक्त आदेश के विरुद्ध दायर रिट याचिका संख्या-49833/2003 अखिलेश कुमार गुप्ता व अन्य बनाम राज्य में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 10-11-03 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 23-6-03 पर रोक लगा दी गई, जिसके फलस्वरूप श्री राम मोहन शर्मा व श्री राजेन्द्र कुमार खाद्य निरीक्षक होते हुए भी खाद्य निरीक्षक का कार्य नहीं कर सकते हैं। सम्प्रति श्री हुकुम सिंह की मृत्यु हो चुकी है और श्री राजेन्द्र कुमार दिनांक 31-12-2007 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्वास्थ्य निरीक्षकों और खाद्य निरीक्षक बनाये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर अनेक रिट याचिकायें योजित की गई, जिन्हें समेकित करते हुए रिट याचिका संख्या-3056/93 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम बाबू लाल व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ द्वारा दिनांक 26-5-04 को यह आदेश पारित किया गया कि कोई भी स्वास्थ्य निरीक्षक (वर्तमान में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष) किसी भी दशा में खाद्य निरीक्षक नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि खाद्य निरीक्षकों की सेवा नियमावली, 1992 में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। खाद्य निरीक्षकों का चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाता है।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 03 रिट याचिकाओं (रिट याचिका संख्या 49833/2003 याचिका संख्या 43567/04 तथा याचिका संख्या 43397/2003) को समेकित करते हुए अन्तिम निर्णय दिनांक 31-3-06 में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के आदेश दिनांक 26-5-04 का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिये गये हैं एवं उक्त तीनों रिट याचिकायें खारिज कर दी गई हैं।

श्री इन्द्रदेव मिश्र, स्वास्थ्य निरीक्षक की नियुक्ति सेनेटरी इन्सपेक्टर के पद पर दिनांक 10-2-83 को मेडिकल कालेज, गोरखपुर में की गई थी तथा शासनादेश संख्या-903/सोलह-10-83, दिनांक 25-2-83 द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधीन समस्त सेनेटरी इन्सपेक्टर/चीफ सेनेटरी इन्सपेक्टर तथा चीफ फूड इन्सपेक्टर को खाद्य निरीक्षकों के एक अलग संवर्ग गठित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके फलस्वरूप श्री इन्द्रदेव मिश्र भी उक्त दिनांक 25-2-03 को सेनेटरी इन्सपेक्टर के खाद्य निरीक्षक के पद पर स्थापित हो गये।

श्री इन्द्रदेव मिश्र को खाद्य निरीक्षक घोषित किये जाने की तिथि दिनांक 19-5-95 से खाद्य निरीक्षक का पदनाम देते हुए समस्त लाभ एवं सुविधायें प्रदान की गई थी। इससे स्पष्ट है कि श्री इन्द्रदेव मिश्र के प्रकरण में कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21-3-06 से पूर्व की गई है। अतः श्री इन्द्रदेव मिश्र के प्रकरण को दृष्टान्त नहीं माना जा सकता। मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-1239/2000 श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव व उ0प्र0 फूड इन्सपेक्टर संवर्ग संघ बनाम उ0प्र0 राज्य के वर्तमान में लम्बित होने के कारण किसी भी स्वास्थ्य निरीक्षक/सफाई निरीक्षक को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नमूना एकत्र करने हेतु अधिसूचित नहीं किया जा सकता है।]

आजमगढ़ स्थित बेलहिया के पास नदी पर बने पुल के निर्माण के दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश कुमार सिंह "सीपू" द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री सर्वेश कुमार सिंह "सीपू" माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 16-2-2009 को माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को निम्न सूचना दी गई है .....

श्री ओम प्रकाश सिंह उर्फ ओ0 पी0 सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर अंतर्गत आ0दे0 करखिया (बेलहिया) के पास नदी पर बना पुल जो क्षतिग्रस्त हो गया है, के तरफ दिलाना चाहता हूं। उक्त पुल सांसद निधि से बना है और उसमें अभियंताओं द्वारा घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है जिससे कम समय में ही पुल क्षतिग्रस्त होने लगा, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसके लिये मेरे द्वारा बार-बार लिखा भी गया परन्तु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही भी नहीं हुई जिससे जनमानस में काफी रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार से तत्काल वक्तव्य देने एवं दोषी अभियन्ताओं व अन्य लोगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।"

2-अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड-आजमगढ़ ने अवगत कराया है कि मा0 सदस्य श्री सर्वेश कुमार सिंह "सोनू" के पुल के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में पूर्व में कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

3-मा0 विधान सभा सदस्य द्वारा दी गई उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड आजमगढ़ ने सूचित किया है कि परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, आजमगढ़ के पत्र संख्या-2400/अभि0/स्था0सां0वि0यो0/दिनांक 02-03-2001 द्वारा सांसद क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत आराजी अजगरा मगर्वी- बेलहिया नाले पर रु0 30.00 लाख की धनराशि तथा पत्र संख्या-5574/दिनांक 12-03-2003 द्वारा रु0 11.54 लाख, धनराशि रु0 41.54 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त स्वीकृत धनराशि से 6X6.00 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पुलिया का कार्य कराया जाना था। उक्त स्वीकृत कार्य माह मार्च, 2004 में पूर्ण कराया गया।

4-उक्त क्षतिग्रस्त पुल की जांच मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा गठित समिति द्वारा की जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।]

लखनऊ कैन्ट स्थित बाबूकुंज बिहारी मार्ग पर निर्मित अवैध दीवाल को हटाने एवं सड़क के सकरा होने से बचाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश चन्द्र तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत .....

श्री ओम प्रकाश सिंह उर्फ ओ0 पी0 सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[प्रमुख सचिव, विधान सभा को दिनांक 16-2-09 को सूचना देते हुए लखनऊ स्थित बाबू कुंज बिहारी मार्ग पर निर्मित अवैध दीवाल को हटाने एवं सड़क को सकरा होने से बचाने आदि के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग की गई है। उक्त के संबंध में नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गई। नगर आयुक्त लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि लखनऊ कैण्ट विधान सभा क्षेत्र में स्थित बाबू कुंज बिहारी मार्ग बी0आई0पी0 मार्ग से गीता पल्ली मजार तक जाता है। इस मार्ग के किनारे पूर्व में बने हुए नाले के स्थान पर लखनऊ, नगर निगम द्वारा भूमिगत नये नाले का निर्माण किया जा रहा है जिसकी लम्बाई लगभग 600 मी0 एवं अनुमानित लागत रु0 39.85 लाख है। यह निर्माण कार्य माह फरवरी, 2009 के अन्त तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इस नाले के निर्माण से बी0आई0पी0 मार्ग से गीता पल्ली मजार तक के मार्ग पर बसे मोहल्ले फौजी कालोनी, कृष्णा पल्ली, आजाद नगर, गीता पल्ली एवं कैलाशपुरी आदि मोहल्लों की जल निकासी समुचित रूप से हो सकेगी तथा इस भूमिगत नाले के निर्माण से उक्त मार्ग की चौड़ाई प्रभावित नहीं होगी।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा अपने पत्र दिनांक 16-2-09 में जिन विभिन्न निर्माण कार्यों का सन्दर्भ लिया गया है। वह निर्माण कार्य नगर निगम से सम्बन्धित नहीं है।]

लखीमपुर-निघासन मार्ग पर वन विभाग द्वारा अवैध रूप से पथकर वसूल किये जाने के सम्बन्ध में डा0 आर0ए0 उस्मानी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, डा0 रफी अहमद उस्मानी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में यह अवगत कराया गया है कि "जनपद लखीमपुर खीरी में यू0पी0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 .....

श्री ओम प्रकाश सिंह उर्फ ओ0 पी0 सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[(यू0पी0 एक्ट नं0, 10 आफ 1945) की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत लखीमपुर निघासन मार्ग (कि0मी0 चेनेज 2.0096 से 36.406 तक) का नोटीफिकेशन शासन के पत्र संख्या-1953 एल0सी0/X111 पी0डब्लू0डी0 14 एल0सी0/1965 लखनऊ दिनांक 24-8-1966 द्वारा जारी है जो कि वर्तमान में बिलरायां पनवारी मार्ग (राज्य मार्ग सं0-21) का प्रारम्भिक भाग है। यह मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है परन्तु बिलरायां पनवारी मार्ग राज्य सं0-21 के कि0मी0 27 में ग्राम अदलाबाद के निकट वन विभाग द्वारा जन सामान्य से निम्न प्रकार पथकर शुल्क अवैध तरीके से वसूला जा रहा है।

उक्त पथकर की वसूली वन विभाग द्वारा शासनादेश सं0-1361/छः-पु0-2-2008-1100 (142)/08 गृह पुलिस अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 जुलाई, 2008 द्वारा जारी आदेशों की उपेक्षा करते हुए अनाधिकृत रूप से गुण्डा टैक्स के रूप में जन सामान्य से वसूली जा रही है जिससे जनता में काफी आक्रोश एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बिलरायां पनवारी राज्यमार्ग सं0 21 के कि0मी0 27 में कोई बैरियर स्थापित नहीं है। कि0मी0 28 29 के बीच आरक्षित वन क्षेत्र में बैरियर लगा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि कि0मी0 28, 29 एवं 30 पूर्णतया आरक्षित वन क्षेत्र में होने के कारण प्रश्नगत क्षेत्र वन मार्ग है। अतएव शासनादेश संख्या-1361/छः-पु0-2-2008-1100 (142)/08, गृह (पुलिस) अनुभाग-2, लखनऊ दिनांक 28 जुलाई, 2008 के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र में बैरियर लगाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वन मार्ग के अनुरक्षण हेतु शासकीय आदेश संख्या-7273/XIVA-70/1962, दिनांक 25-3-1969 के क्रम में वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक अवध वृत्त लखनऊ के पत्र संख्या-1/22-3 दिनांक 08-2-2008 के द्वारा जारी स्थाई आदेश के क्रम में निर्धारित मार्ग अनुरक्षण शुल्क नियमानुसार वसूला जाता है।]

बांदा नगर कोतवाली अन्तर्गत राम किशन प्रजापति एवं अन्य के विरुद्ध पुलिस द्वारा उत्पीड़न की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)

मान्यवर, प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, बांदा से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि वादी श्री सनी पुत्री श्री करतार सिंह, नि0 मोहल्ला अदनी नगर थाना जालन्धर, जिला-जालन्धर, पंजाब हाल प्लाण्ट सरदार अजीत सिंह .....

श्री ओम प्रकाश सिंह उर्फ ओ0 पी0 सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[नि0-मबई, थाना कोतवाली नगर, बांदा द्वारा दिनांक 14-1-09 को थाना-कोतवाली नगर में दी गई सूचना के आधार पर मु0अ0सं0-21/09 धारा-147/148/149/436/427/323/504/ 506/387 भा0दं0वि0 व 7 क्रि0ला0अमे0 ऐक्ट विरुद्ध क्रमशः 1-लल्लू पहलवान उर्फ राम किशन पुत्र शम्भू नि0 मबई, थाना कोतवाली नगर, बांदा आदि 32 नफर के पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ की गई। इस घटना में नामित अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर नाजायज असलहा लेकर कथित प्लाण्ट में तोड़-फोड़ कर आग लगाते हुए मार-पीट की गई व 50 हजार रुपये की मांग की गई थी। अब तक की विवेचना से दिनांक 16-1-09 को अभियुक्त लल्लू पहलवान उर्फ राम किशन पुत्र शम्भू प्रजापति, मंगल पुत्र कोदू, कल्लू पुत्र सुधवा, भगवानदीन उर्फ भवानीदीन पुत्र मैकू, राम आसरे पुत्र स्वामीदीन, देवकुमार पुत्र रमैया, छोटेलाल पुत्र भगत प्रसाद, कोदू पुत्र छिदिया, फकीरा पुत्र अयोध्या प्रसाद, सुरेन्द्र कुमार पुत्र लल्लूराम, शिवपूजन पुत्र पहेली जमादार, कृपाली पुत्र अयोध्या, पप्पू पुत्र राम आसरे, राजकुमार पुत्र रामाधार, बगली प्रसाद पुत्र मोती लाल, रामकुमार पुत्र महेश्वरा, लक्ष्मी प्रसाद उर्फ लक्ष्मन पुत्र मोतीलाल, चन्द्रपाल पुत्र बहोरी, शिवलाल पुत्र शिवपतिया, पंचा पुत्र भुलुआ, सुशील पुत्र हीरालाल, छोटू पुत्र देवीदीन, गोरेलाल पुत्र मुन्नू प्रजापति, राजेन्द्र कुमार पुत्र बुन्नीलाल, जवाहर पुत्र मोतीलाल निवासीगण मबई बुजुर्ग थाना कोतवाली नगर, बांदा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है तथा इनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने पर दिनांक 5-2-2009 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया है। अभियुक्त कैलाश पुत्र शिव प्रसाद तथा राम प्रकाश पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासीगण उपरोक्त की नामजदगी गलत पायी गई है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध आंशिक रूप से विवेचना प्रचलित है, जिसके शीघ्र निस्तारण हेतु विवेचक को कड़े निर्देश दिये गये हैं। जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर कार्यवाही कराई जा रही है। गत वर्ष के घटित अपराधों की तुलना में आलोच्य वर्ष में किसी भी अपराध शीर्षक में वृद्धि नहीं हुई है। अपराध स्थिति नियंत्रण में है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 03 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:

दिनांक : 19 फरवरी, 2009

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी "क"

(देखिये अता0 प्रश्न सं0-5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37-38 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2009 के द्वितीय गुरुवार के लिये श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-05 के उत्तर का संलग्नक

क्र0 सं0	भ्रमण की तिथि	ग्राम का नाम	ग्राम के भ्रमण का उद्देश्य	रात्रि में विश्राम का स्थान
1	2	3	4	5
1	13-12-05	मेहोंदया	खतौनी पड़ताल, वरासत सम्बन्धी मामलों की जांच, खसरा पड़ताल, पट्टा कब्जा सत्यापन, आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों एवं रिक्त भूमि की जांच, कार्ड धारकों को सामग्री वितरण का सत्यापन, प्राथमिक स्कूल में छात्रों की उपस्थिति व छात्रवृत्ति वितरण का सत्यापन आदि।	
2	17-12-05	ठनेपुर गोपापुर	खतौनी पड़ताल, वरासत सम्बन्धी मामलों की जांच, खसरा पड़ताल, पट्टा कब्जा सत्यापन, आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों एवं रिक्त भूमि की जांच, कार्ड धारकों को सामग्री वितरण का सत्यापन, प्राथमिक स्कूल में छात्रों की उपस्थिति व छात्रवृत्ति वितरण का सत्यापन आदि।	
3	20-12-05	पूरे वसन	खतौनी पड़ताल, वरासत सम्बन्धी मामलों की जांच, खसरा पड़ताल, पट्टा कब्जा सत्यापन, आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों एवं रिक्त भूमि की जांच, कार्ड धारकों को सामग्री वितरण का सत्यापन, प्राथमिक स्कूल में छात्रों की उपस्थिति व छात्रवृत्ति वितरण का सत्यापन आदि।	
4	22-12-05	दुर्गा देई	खतौनी पड़ताल, वरासत सम्बन्धी मामलों की जांच, खसरा पड़ताल, पट्टा कब्जा सत्यापन, आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों एवं रिक्त भूमि की जांच, कार्ड धारकों को सामग्री वितरण का सत्यापन, प्राथमिक स्कूल में छात्रों की उपस्थिति व छात्रवृत्ति वितरण का सत्यापन आदि।	

अपर प्रमुख विधान सभा

1	2	3	4	5
5	24-12-05	डेईडीह धौरहरा	खतौनी पड़ताल, वरासत सम्बन्धी मामलों की जांच, खसरा पड़ताल, पट्टा कब्जा सत्यापन, आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों एवं रिक्त भूमि की जांच, कार्ड धारकों को सामग्री वितरण का सत्यापन, प्राथमिक स्कूल में छात्रों की उपस्थिति व छात्रवृत्ति वितरण का सत्यापन आदि।	
6	26-12-05	समोगरा	खतौनी पड़ताल, वरासत सम्बन्धी मामलों की जांच, खसरा पड़ताल, पट्टा कब्जा सत्यापन, आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों एवं रिक्त भूमि की जांच, कार्ड धारकों को सामग्री वितरण का सत्यापन, प्राथमिक स्कूल में छात्रों की उपस्थिति व छात्रवृत्ति वितरण का सत्यापन आदि।	
7	28-12-05	छतेड़ी	खतौनी पड़ताल, वरासत सम्बन्धी मामलों की जांच, खसरा पड़ताल, पट्टा कब्जा सत्यापन, आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों एवं रिक्त भूमि की जांच, कार्ड धारकों को सामग्री वितरण का सत्यापन, प्राथमिक स्कूल में छात्रों की उपस्थिति व छात्रवृत्ति वितरण का सत्यापन आदि।	
8	22-12-06	सरसतपुर	खतौनी पड़ताल, वरासत सम्बन्धी मामलों की जांच, खसरा पड़ताल, पट्टा कब्जा सत्यापन, आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों एवं रिक्त भूमि की जांच, कार्ड धारकों को सामग्री वितरण का सत्यापन, प्राथमिक स्कूल में छात्रों की उपस्थिति व छात्रवृत्ति वितरण का सत्यापन आदि।	
9	23-12-06	रामपुर खागल	खतौनी पड़ताल, वरासत सम्बन्धी मामलों की जांच, खसरा पड़ताल, पट्टा कब्जा सत्यापन, आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों एवं रिक्त भूमि की जांच, कार्ड धारकों को सामग्री वितरण का सत्यापन, प्राथमिक स्कूल में छात्रों की उपस्थिति व छात्रवृत्ति वितरण का सत्यापन आदि।	
10	23-12-06	परसनी	खतौनी पड़ताल, वरासत सम्बन्धी मामलों की जांच, खसरा पड़ताल, पट्टा कब्जा सत्यापन, आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों एवं रिक्त भूमि की जांच, कार्ड धारकों को सामग्री वितरण का सत्यापन, प्राथमिक स्कूल में छात्रों की उपस्थिति व छात्रवृत्ति वितरण का सत्यापन आदि।	

1	2	3	4	5
11	25-12-06	सर्वजीतपुर	खतौनी पड़ताल, वरासत सम्बन्धी मामलों की जांच, खसरा पड़ताल, पट्टा कब्जा सत्यापन, आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों एवं रिक्त भूमि की जांच, कार्ड धारकों को सामग्री वितरण का सत्यापन, प्राथमिक स्कूल में छात्रों की उपस्थिति व छात्रवृत्ति वितरण का सत्यापन आदि।	
12	25-12-06	कुकुवार	खतौनी पड़ताल, वरासत सम्बन्धी मामलों की जांच, खसरा पड़ताल, पट्टा कब्जा सत्यापन, आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों एवं रिक्त भूमि की जांच, कार्ड धारकों को सामग्री वितरण का सत्यापन, प्राथमिक स्कूल में छात्रों की उपस्थिति व छात्रवृत्ति वितरण का सत्यापन आदि।	
13	26-12-06	सरसतपुर	खतौनी पड़ताल, वरासत सम्बन्धी मामलों की जांच, खसरा पड़ताल, पट्टा कब्जा सत्यापन, आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों एवं रिक्त भूमि की जांच, कार्ड धारकों को सामग्री वितरण का सत्यापन, प्राथमिक स्कूल में छात्रों की उपस्थिति व छात्रवृत्ति वितरण का सत्यापन आदि।	
14	27-12-06	सरमा	खतौनी पड़ताल, वरासत सम्बन्धी मामलों की जांच, खसरा पड़ताल, पट्टा कब्जा सत्यापन, आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों एवं रिक्त भूमि की जांच, कार्ड धारकों को सामग्री वितरण का सत्यापन, प्राथमिक स्कूल में छात्रों की उपस्थिति व छात्रवृत्ति वितरण का सत्यापन आदि।	सरमा
15	28-12-06	कोहरांव	खतौनी पड़ताल, वरासत सम्बन्धी मामलों की जांच, खसरा पड़ताल, पट्टा कब्जा सत्यापन, आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों एवं रिक्त भूमि की जांच, कार्ड धारकों को सामग्री वितरण का सत्यापन, प्राथमिक स्कूल में छात्रों की उपस्थिति व छात्रवृत्ति वितरण का सत्यापन आदि।	
16	30-12-06	अन्देवरी	खतौनी पड़ताल, वरासत सम्बन्धी मामलों की जांच, खसरा पड़ताल, पट्टा कब्जा सत्यापन, आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों एवं रिक्त भूमि की जांच, कार्ड धारकों को सामग्री वितरण का सत्यापन, प्राथमिक स्कूल में छात्रों की उपस्थिति व छात्रवृत्ति वितरण का सत्यापन आदि।	अन्देवरी

नत्थी "ख"

(देखिये अता0 प्रश्न सं0-129 का उत्तर पीछे पृष्ठ 90 पर)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 गोण्डा को वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 दिसम्बर, 2008 तक तकनीकी निवेश कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय सहायता का विवरण

क्र0 सं0	दुग्ध समिति का नाम	वित्तीय वर्ष 2006-07	वित्तीय वर्ष 2007-08	दिसम्बर, 08 तक	कुल योग
1	माधवपुर	--	71860	63937	135797
2	करौदा	--	77298	66882	144180
3	विश्वनाथपुरवा	--	7330	0	7330
4	पूरेननेसर	--	7330	0	7330
5	सोहांस	--	68030	63937	131967
6	खैराडीह	--	7330	0	7330
7	भरीवां	--	67030	63937	130967
8	मांडा	--	7330	0	7330
9	मिझौरा	--	67030	73937	140967
10	रक्सड़िया	--	7330	0	7330
11	राजापुर	--	7330	103746	111076
12	खरगूपुर नौसहरा	--	7330	103746	111076
13	महतवनपुरवा	--	7330	0	7330
14	कुन्देरवा	--	7330	0	7330
15	भवनियांपुर उपा0	--	7830	103746	111576
16	करनपुर	--	7330	0	7330
17	इस्माइलपुर ए	--	7330	0	7330
18	बाबापुरवा	--	7330	0	7330
19	ताराडीह	--	7330	0	7330
20	गोदौरा	--	68030	63937	131967
21	रामपुर टेनरहा	--	7330	103746	111076
22	बसन्तपुर	--	7330	0	7330
23	भमैचा	--	77976	88382	166358
24	नारायनपुर साल	--	75910	63937	139847

क्र0 सं0	दुग्ध समिति का नाम	वित्तीय वर्ष 2006-07	वित्तीय वर्ष 2007-08	दिसम्बर, 08 तक	कुल योग
25	चैनापुर	--	4830	0	4830
26	भुलभुलिया	--	4830	0	4830
27	सेहरिया कला	--	4830	0	4830
28	मथुरा	--	4830	0	4830
29	धरमपुर	--	4830	0	4830
30	वेलवानोहर	--	68122	63936	132058
31	पुरेना	--	8422	0	8422
32	सुभागपुर	--	8082	0	8082
33	धनौरा	--	8082	0	8082
34	खरगूचांदपुर	--	8422	4790	13212
35	डेहरास	--	8440	3215	11655
36	दिनारा	--	14440	2945	17385
37	उथौरा	--	10734	2585	13319
38	पैगवापुर	--	73034	64946	137980
39	हड़हवा	--	12160	2945	15105
40	सोठिया	--	12734	2945	15679
41	महेवागोपाल	--	7894	2945	10839
42	नरदा	--	10734	2180	12914
43	चतुरभुजवा	--	14640	106041	120681
44	दिरमापुर	--	9635	3215	12850
45	कटुआनाला	--	9392	3215	12607
46	भुलभुलिया	--	5288	3215	8503
47	माथेपुर	--	10268	3215	13483
48	सहिबापुर	--	10268	2945	13213
49	विश्वनाथपुरवा	--	10310	2585	12895
50	चड़ौवा	--	10268	2945	13213
51	डूमरियाडीह	--	10310	2585	12895
52	बरजोरपुरवा	--	70110	65306	135416
53	मांझातरहर	--	10068	2585	12653

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	दुग्ध समिति का नाम	वित्तीय वर्ष 2006-07	वित्तीय वर्ष 2007-08	दिसम्बर, 08 तक	कुल योग
54	किनुवरा	--	10168	2585	12753
55	सुसेला	--	11110	2945	14055
56	गड़ौली	--	10126	3215	13341
57	गोहानी	--	10226	2945	13171
58	देवीदीन पुरवा	--	7915	829	8744
59	रामपुर बस्तरा	--	7930	829	8759
60	पूरे अजब	--	7900	829	8729
61	सुकईपुरवा	--	7915	829	8744
62	ग्वालन पुरवा	--	7915	829	8744
63	पूरे अंगद	--	7920	829	8749
64	मर्रापुरवा	--	7915	831	8746
65	पूरेडाल	--	9888	3215	13103
66	बरौली बगिया	--	10248	106311	116559
67	लकड़हवामांझा	--	11048	3215	14263
68	जफरापुर	--	10268	2585	12853
69	अहिरनपुरवा	--	10268	2585	12853
70	अकोहरी	--	10468	2585	13053
71	मिझौरा	--	10292	2945	13237
72	मरचौर	--	11692	2180	13872
73	उतरौला	--	10068	3215	13283
74	बसन्तपुर	--	12238	3215	15453
75	पूरे तेन्दुआ	--	10238	2945	13183
76	कोनिया बनकट	--	9068	2945	12013
77	कपिसा	--	8522	106041	114563
78	मुडाईला	--	9068	2945	12013
79	माधवगंज	--	11228	2945	14173
80	जैतापुर	--	8468	2945	11413
81	छिटईपुरवा	--	11228	2945	14173
82	अड़बड़हा	--	8468	2945	11413

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	दुग्ध समिति का नाम	वित्तीय वर्ष 2006-07	वित्तीय वर्ष 2007-08	दिसम्बर, 08 तक	कुल योग
83	राजापुर	--	11312	3452	14764
84	चन्दामऊ	--	10910	106041	116951
85	कहोबा	--	10796	2945	13741
86	घुसवा	--	10692	2945	13637
87	डिलाही	--	10292	106041	116333
88	संरया	--	10892	2585	13477
89	संवरीपुरवा	--	10892	2585	13477
90	बहुवन पश्चिम	--	10892	2585	13477
91	कोनहन	--	10892	2585	13477
92	चौरसियनपुरवा	--	10892	2180	13072
93	बसेरिया	--	10892	2180	13072
94	बनियनपुरवा	--	10892	2180	13072
95	रमचेरापुर	--	10268	2945	13213
96	कादीपुर	--	10268	106042	116310
97	मलौली	--	10692	3215	13907
98	कुर्था	--	10692	2945	13637
99	परसामहेसी	--	10692	2450	13142
100	जलालपुर	--	9692	2945	12637
101	मध्यनगर	--	9692	2945	12637
102	धिवापुरवा	--	10292	2180	12472
103	वीरपुर डिलहिया	--	10252	2945	13197
104	मनोहरजोत	--	10052	2945	12997
105	रमवापुर	--	10568	3215	13783
106	भदवासोमवंशी	--	9068	2945	12013
107	सिसई टिकरिया	--	9068	2945	12013
108	छब्बीसवां	--	10092	2945	13037
109	रुपईडीह	--	9388	2945	12333
110	दलपतपुर	--	9428	2945	12373
111	बिसुनापुर	--	9268	3215	12483

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	दुग्ध समिति का नाम	वित्तीय वर्ष 2006-07	वित्तीय वर्ष 2007-08	दिसम्बर, 08 तक	कुल योग
112	छिटनापुर	--	9588	2945	12533
113	धानेपुर	--	7668	2945	10613
114	उसका	--	8468	2945	11413
115	ऐलनपुर	--	8568	2945	11513
116	बीरेपुर	--	9668	2945	12613
117	भिटौरा	--	8668	2945	11613
118	बक्सरा	--	9868	106312	116180
119	अम्बरपुर	--	9468	3215	12683
120	दरियापुर	--	10768	2945	13713
121	करनीपुर	--	10268	2945	13213
122	नैपुर	--	10268	2945	13213
123	कोडर	--	10568	106042	116610
124	परसापुर	--	10668	2945	13613
125	हतवा	--	10668	2945	13613
126	लौवाबीरपुर	--	9068	2945	12013
127	सिरसा	--	9468	2945	12413
128	चन्दापुर	--	10268	2945	13213
129	डिक्सर	--	9668	2945	12613
130	पूरेगिरधा	--	10468	2945	13413
131	सुनौली प	--	11268	2945	14213
132	अल्लीपुर	--	11068	3215	14283
133	उजागरपुरवा	--	10668	2540	13208
134	डोनावली	--	9468	2945	12413
135	धनखर	--	9068	2945	12013
136	पूरेलाली	--	8568	2945	11513
137	महतवनपुरवा	--	9068	2945	12013
138	बनुवाडीह	--	8568	2945	11513
139	मवईपुर	--	9068	2945	12013
140	भगनीपुरवा	--	11268	2945	14213

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	ग्राम सभा का नाम	वित्तीय वर्ष 2006-07	वित्तीय वर्ष 2007-08	दिसम्बर, 08 तक	कुल योग
141	बिहारीपुरवा	--	10668	2945	13613
142	कोडरी	--	10268	2945	13213
143	अहिरनपाही	--	11568	2945	14513
144	इस्माइलपुर बी	--	9068	2945	12013
145	परियावां	--	8668	2945	11613
146	बसगांव	--	7768	2945	10713
147	भुवालपुरवा	--	8868	2945	11813
148	[illegible]	--	9368	2945	12313
149	जुझारीपुर	--	9068	2945	12013
150	खौदी	--	8868	2945	11813
151	डुडाव	--	9268	2540	11808
152	दत्तनगर	--	906	2945	12013
153	पोहरनपुरवा	--	10468	2945	13413
154	नीमरपुरवा	--	9568	2270	11838
155	[illegible]	--	9668	2945	12613
156	कुटरनपुरवा	--	9468	2945	12413
157	छेदीबैसपुरवा	--	9068	2945	12013
158	पाण्डेपुरवा	--	9068	2945	12013
159	नन्दौरखेती	--	10592	2738	13330
160	केवेदारपुरवा	--	9792	2945	12737
161	मुंशिगनपुरवा	--	8668	2945	11613
162	[illegible]	--	9168	2945	12113
163	[illegible]	--	8668	2945	11613
164	गड़बन्धन	--	8668	2945	11613
165	प्रतापपुर	--	9331	2945	12276
166	परसावल	--	8605	2945	11550
167	अनभुला	--	8626	2945	11571
168	मल्हुआ	--	8626	2945	11571
169	जगदीशपुर कटरा	--	8626	2945	11571

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	दुग्ध समिति का नाम	वित्तीय वर्ष 2006-07	वित्तीय वर्ष 2007-08	दिसम्बर, 08 तक	कुल योग
170	कोठा	--	9468	2945	12413
171	खिरिया	--	8668	2945	11613
172	पाण्डेपुरवा बी	--	10310	2945	13255
173	चतुरगुन	--	9868	3215	13083
174	बसभरिया	--	10710	3215	13925
175	परसदा	--	8668	2945	11613
176	बौरिहागढ़ी	--	8668	2945	11613
177	अमदही	--	8931	2945	11876
178	बहादुरपुर	--	8626	2945	11571
179	सिधौटी	--	8710	2945	11655
180	शिशोडीह	--	77690	65577	143267
181	सोझिया	--	8626	2945	11571
182	झामपुरवा	--	8868	2945	11813
183	विजयगंज	--	8668	2945	11613
184	नयापुरवा	--	8668	2945	11613
185	घरकुइयां	--	8626	2945	11571
186	भटियारनपुरवा	--	7847	2945	10792
187	लमछोरनपुरवा	--	8710	2945	11655
188	रामवली पुरवा	--	9292	2945	12237
189	पासीपुरवा	--	10213	3575	13788
190	सकरीडीह	--	10113	2945	13058
191	देवे का पुरवा	--	9713	2945	12658
192	सिसई मांझा	--	9734	2945	12679
193	चन्दापुर	--	10213	2945	13158
194	महतवनपुरवा	--	9713	2945	12658
195	मांडा	--	8813	2945	11758
196	कस्टुआ	--	8013	3215	11228
197	खजुरी	--	8013	2945	10958
198	बरगदहा	--	8013	2945	10958

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	दुग्ध समिति का नाम	वित्तीय वर्ष 2006-07	वित्तीय वर्ष 2007-08	दिसम्बर, 08 तक	कुल योग
199	गोहन्ना	--	7992	2945	10937
200	चकिया	--	8013	2540	10553
201	महतिनियां	--	9813	3215	13028
202	गोबरी	--	9750	2945	12695
203	लोहरनपुरवा	--	9113	2945	12058
204	गंगाबेचन	--	8913	2945	11858
205	सुनौली बी	--	11771	2945	14716
206	भिखारीपुरवा	--	9749	2945	12694
207	नौबहनापुर	--	10492	2945	13437
208	लोहरनपुरवा ए	--	10213	2945	13158
209	जेठासी	--	9750	2945	12695
210	बच्चा मांझा	--	10250	2945	13195
211	शारदाग्राम	--	9786	2945	12731
212	कोयलावर	--	8950	2945	11895
213	राठौरपुरवा	--	9850	2945	12795
214	ऐली ए	--	11286	2945	14231
215	घोड़हनपुरवा	--	8850	2945	11795
216	उमरी नौसहरा	--	9592	2945	12537
217	बिलरिहनपुर	--	9738	2945	12683
218	माधोपुर	--	8513	4430	12943
219	गंगरौली	--	9786	3215	13001
220	बड़नापुर	--	11046	3215	14261
221	गोबरा	--	10946	3215	14161
222	नौसहरा	--	12268	2945	15213
223	बरौली पूरे जान	--	9386	2945	12331
224	फेडरापरसौली	--	8450	2945	11395
225	पूरेनगेसर	--	7826	2945	10771
226	धांसा	--	7267	2945	10212
227	जगदीश	--	6126	2945	9071

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	दुग्ध समिति का नाम	वित्तीय वर्ष 2006-07	वित्तीय वर्ष 2007-08	दिसम्बर, 08 तक	कुल योग
228	रायपुर	--	8450	2945	11395
229	मलगूपपुर	--	12206	4790	16996
230	धनौली	--	9050	2945	11995
231	काशीपुर नन्दा	--	9451	2945	12396
232	बनगाई	--	9029	2945	11974
233	नरौरा भरौपुर	--	9665	6790	16455
234	लोहंगपुर	--	10670	4790	15460
235	सुनौली ए	--	12525	4790	17315
236	नारायनपुर कला	--	7846	107892	115738
237	भैरमपुर	--	10259	11580	21839
238	केशवपुर	--	7867	4790	12657
239	खजुरी बी	--	9359	4790	14149
240	सेनरी खुर्द	--	8938	109892	118830
241	गोपीपुर	--	9406	6790	16196
242	सोहांस काफरैली	--	39990	0	39990
243	भवनियांपुर का0 रैली	--	39892	0	39892
244	छिटईपुरवा काफरैली	--	39492	0	39492
245	मिर्झौरा काफरैली	--	35122	0	35122
246	इस्माइलपुर काफ रैली	--	39892	0	39892
247	रक्सड़िया काफ रैली	--	40292	0	40292
248	दुग्ध संघ	--	314000	0	314000
249	जोगापुर	--	0	4790	4790
250	जगतापुर	--	0	6790	6790
251	गढ़ी	--	0	14790	14790
252	आटा	--	0	4790	4790
253	गडरसल	--	0	6790	6790
254	चिवरहा	--	0	4790	4790
255	भगनवांगिया	--	0	4790	4790
256	मल्लापुर	--	0	4790	4790

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	दुग्ध समिति का नाम	वित्तीय वर्ष 2006-07	वित्तीय वर्ष 2007-08	दिसम्बर, 08 तक	कुल योग
257	गुलाबटेपरा	--	0	4790	4790
258	फरेन्दाशुक्ल	--	0	4790	4790
259	हड़िया गाड़ा	-	0	4790	4790
260	महेशभारी	-	0	4790	4790
	कुल योग :		3558920	2945690	6504610

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये मा0 अधिष्ठाता के आदेश पूर्व पृष्ठ सं0-128 पर)

(मा0 अधिष्ठाता के निदेशानुसार आय-व्ययक पर साधारण चर्चा में आज दिनांक 19 फरवरी, 2009 को समयावधि पूर्ण हो जाने के कारण जो माननीय सदस्य चर्चा में भाग नहीं ले सके तथा जिन्होंने अपने लिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं वे संलग्न है)

श्री पंकज मलिक-

मान्यवर, प्रदेश में बिजली की व्यवस्था बहुत खराब है। मान्यवर, जितनी बिजली उपलब्ध है, वह भी ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वोल्टेज की कमी मुख्य कारण है, तार खम्भों की सही व्यवस्था नहीं है। आपके माध्यम सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-बघरा, जनपद-मुजफ्फरनगर में स्थापित उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की जानी चाहिए जैसे-लालूखेड़ी, हरड़ फतेहपुर, बघरा, जसोई, निर्माणी आदि। इसके अतिरिक्त बिजली की समस्या दूर करने के लिये नये बिजली घरों का निर्माण कराया जाना अतिआवश्यक है, मुख्य रूप से ग्राम सिक्का, ग्राम बरवाला, ग्राम तावली एवं ग्राम भैंसवाल में नये विद्युत घरों की स्थापना की जानी चाहिए। मान्यवर, आज पूरा प्रदेश और देश आतंकवाद की चपेट में है, जिसको देखते हुये हमारी रक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को अच्छे-अच्छे आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने चाहिए। क्षेत्र के विकास में दल आड़े नहीं आने चाहिए, जो भी संसाधन उपलब्ध हों, उनका इस्तेमाल सुचारु रूप से किया जाना चाहिए। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में सन् 1989 में मण्डी समिति/परिषद् शामली, थाना भवन, मुजफ्फरनगर से जिन मार्गों का निर्माण कराया गया था, आज तक उन मार्गों की मरम्मत नहीं करायी गयी है। इन मार्गों का मरम्मत कार्य तुरन्त कराया जाना चाहिए। मान्यवर, विधायकों की संस्तुति पर दिये जाने वाले हैण्ड पम्प अधिकारियों की संस्तुति पर दिये जा रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है, इससे दिखाई पड़ता है कि प्रदेश में अफसरशाही हावी है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक विकास खण्ड में एक राजकीय कन्या महाविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई राजकीय कन्या महाविद्यालय नहीं है। पूरे प्रदेश में नौजवानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। मान्यवर, इस समस्या से पीड़ित होकर हमारे नौजवान आतंकवाद अपराध की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मान्यवर, इसे रोका जा सकता है, इसके उपाय है, इसके लिए प्रदेश में रोजगारपूरक कृषि पर आधारित बागवानी पर आधारित उद्योग लगाये जाने चाहिए जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मान्यवर, छोटे उद्योग भट्ठा उद्योग, खाण्डसारी, कागज एवं लोहा उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। इन्हें भी संरक्षण देना चाहिए।

मान्यवर, प्रदेश में निजी बस रूट बंद किये गये हैं, जो कि मुख्य 38 रूट थे। मान्यवर, इन रूटों को बंद करने से जो नुकसान हुआ है, उससे राज्य सरकार को राजस्व को नुकसान हो रहा है। सरकार का रोब दिखाकर पैसे ऐंठते हैं और डग्गामारी से बसों को चलवाने का काम करते हैं। अवैध रूप से चल रही इन बसों को रोका जाना चाहिए। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पूरी तरह से गरीब लोग निवास करते हैं। गरीबी के हालात यह है कि लोग अपनी बेटियों की शादी करके बसों में विदा करते हैं। मान्यवर, जनहित में प्राइवेट बसों के रूटों को बहाल किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में चल रही सरकारी बसों की संख्या में कमी है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए।

मान्यवर, आज ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है जिससे हमारी मां बहनों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे बहुत से मामले सामने आये हैं, जब हमारी माताओं और बहनों के प्रसव पीड़ा में तड़प करके दम तोड़ दिया है, जिससे खुशी का माहौल एकदम गम में बदल गया। इस समस्या के समाधान हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पीपलहेड़ा, तलवामाजरा, भैंसाणी, बरवाला आदि गांवों में नये महिला प्रसूति केन्द्र खुलवाये जाने चाहिए। मेरे क्षेत्र में नये प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खुलवाये जांय तथा जो प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित हैं, वहां स्टाफ की कमी है, जिससे महिलाओं को सुचारु रूप से चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है, वहां पर चिकित्सा सुविधा बहाल किया जाना चाहिए।

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट चर्चा पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता और धन्यवाद देता हूं।

श्री हरपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बजट भाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया गया है। कृपया निम्नलिखित को बजट में जोड़ दिया जाये।

1-मेरे विधान सभा क्षेत्र गंगेश्वरी के ग्राम करनखाला कच्ची पुलिया से झूरेरी तक पक्की सड़क का निर्माण 31 कि0मी0 जनपद ज्योतिबाफूलेनगर।

2-मैसरोली ग्राम से श्री गंगा जी तक 3 कि0मी0 पक्की सड़क का निर्माण जनपद जे0पी0 नगर।

3-ग्राम ईटा से खैलिया मार्ग लम्बाई लगभग 2 कि0मी0 पक्की सड़क का निर्माण जनपद जे0पी0 नगर।

4-ग्राम ओगपुरा से खुर्तिया मार्ग लम्बाई लगभग 3 कि0मी0 पक्की सड़क का निर्माण जनपद जे0 पी0 नगर।

5-गागर कोला ग्राम सेसरवालू ग्राम मार्ग बगद नदी पर पुलिया का निर्माण जनपद जे0 पी0 नगर।

6-खरपडीघाट पर बगद नदी पर पुलिया का निर्माण जनपद जे0 पी0 नगर।

7-ग्राम हथियाखेड़ा घाट बगद नदी पर पुलिया का निर्माण जनपद जे0 पी0 नगर।

8-ग्राम पथरा एतवाली से गंगा जी तक लम्बाई लगभग 3 कि0मी0 पक्की सड़क का निर्माण जनपद जे0 पी0 नगर।

9-ग्राम भीमा सुल्तानपुर से लटमार मार्ग पक्की सड़क का निर्माण लम्बाई लगभग 5 कि0मी0 जनपद जे0पी0 नगर।

10-ग्राम ख्यारसी से दूल्हेपुर तक 2 कि0मी0 पक्की सड़क का निर्माण जनपद जे0 पी0 नगर।

11-ग्राम ईकोदा से रमगढ़ी लम्बाई लगभग एक कि0मी0 पक्की सड़क का निर्माण जनपद जे0 पी0 नगर।

12-ग्राम हिन्नौटा से लालापुर तक 1 कि0मी0 पक्की सड़क का निर्माण जनपद जे0 पी0 नगर।

13-ग्राम निरयावली से लालापुर मार्ग लम्बाई लगभग 3 कि0मी0 पक्की सड़क का निर्माण जनपद जे0 पी0 नगर।

14-ग्राम नगालिया जट से भवाल अड्डा मार्ग लम्बाई लगभग 3 कि0मी0 पक्की सड़क का निर्माण जनपद जे0 पी0 नगर।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके निर्देशानुसार मैं आम बजट पर कुछ बिन्दु लिखकर भेज रहा हूं। इसे बजट चर्चा में समायोजित कराने की कृपा करें।

1-सभी विकास प्राधिकरणों में वहां के मुख्यालय के सम्मानित जनप्रतिनिधि अर्थात् वहां के सम्मानित विधायक को पदेन सदस्य के रूप में बैठक में रहने का अवसर प्रदान किया जाये जबकि वहां के नगरपालिका के अध्यक्ष को पदेन सदस्य के रूप में रखा जाता है।

2-सभी सम्मानित विधायकों को कम से कम 10-10 किलोमीटर की सड़कें एवं पूर्ववर्ती सरकारों की भांति 225 पेयजल वाले इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प दिलवाने की व्यवस्था की जाये।

3-सभी सम्मानित विधायकों को 5-5 गांव विद्युतीकरण से आच्छादित कराने की भी स्वीकृति दी जाये।

4-गरीब कन्याओं की शादी में दी जाने वाली रु0 10,000/-की धनराशि सभी पात्र कन्याओं को दिलवाने की व्यवस्था भी बजट में की जाये। इसी प्रकार सभी पात्र वृद्ध-वृद्धाओं, विधवाओं एवं विकलांगो की पेंशन बनवाने की भी व्यवस्था की जाये।

इस प्रकार से इन सभी बातों को देखते हुए लगता है कि यह सन् 2009-2010 का आम बजट गरीब विरोधी है।

श्री विजय बहादुर यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सन् 2009-2010 के बजट पर बोलने का मौका दिया धन्यवाद। विधान सभा क्षेत्र मानीराम, जनपद-गोरखपुर निम्न समस्या पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

1-ब्लाक जंगल कौडिया में ग्राम सभा लच्छमीपुर में टोला मछरियाघाट रोहनी नदी पर पक्के पुल का निर्माण कार्य पिछले एक वर्ष से रुका हुआ है पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

2-ब्लाक जंगल कौडिया रोड से मुहम्मदपुर पचवारा खास होते हुए तुर्कवलिया, बेलघाट, एकमा, सिगड़ा, फुलवरिया जैसे बीसों गांवों को ब्लाक से एवं सानौवली बाई पास अंतर्राष्ट्रीय राज्य मार्ग को जोड़ता है जो बरसात के समय में बरसात का पानी एवं बाढ़ का पानी चढ़ जाता है आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध होने से बचाने के लिए उक्त मार्ग को ऊंचा करके चौड़ीकरण करने के सम्बन्ध में।

3-सैकड़ों गांवों के आवागमन को देखते हुए रोहिनी नदी पर ब्लाक जंगल कौडिया के ग्राम-होमीनगढ़ के पास पीपे के पुल के स्थान पर स्थाई पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

4-विधान सभा क्षेत्र, मानीराम के अधिकांश क्षेत्र में विद्युत सप्लाई बंद कारखाने (खाद) होने के कारण विद्युत सप्लाई की समस्या के निदान हेतु बालापार-टिकरिया रोड पर सब-स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में।

5-विधान सभा क्षेत्र मानीराम जनपद गोरखपुर को विद्युत कटौती से मुक्त करने एवं कम से कम 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने के सम्बन्ध में।

6-राप्ती नदी पर ब्लाक जंगल कौडिया के ग्राम मुहम्मद मार्फा के पास आवागमन के अधिकता को देखते हुए पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

7-ब्लाक जंगल कौडिया के सिउरिया सेमरा होते हुए जगत बेला स्टेशन तक मार्ग को पिच कराने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 47 विधान सभा (88)-10-6-2009-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।